देने वाले के लिए भी बरकत होती है और लेने वाले के लिए भी। मंसूर ने यह हदीस सुनते ही कहा, ख़ुदा की क़सम! देते वक़्त तो मुझे ख़ुश दिली न थी, मगर तुम्हारी हदीस सुनकर मुझमें तीबे नफ़्स पैदा हो गया, उसके बाद हज़रत जाफ़र रज़ि॰ उन ज़ुबैरी की तरफ़ मुतवज्जह हुए और उनसे फ़रमाया कि मुझे अपने बाप-दादों के ज़रिए से हुज़ूर सल्ल॰ का यह इर्शाद पहुंचा है कि जो शख़्स क़लील रिज़्क़ को कम समझे, अल्लाह जल्ल शानुहू उसको कसीर से महरूम फ़रमा देते हैं। ज़ुबैरी कहने लगे कि ख़ुदा की क़सम! पहले से तो यह अतीया मेरी निगाह में कम था, तुम्हारी हदीस सुनने के बाद बहुत मालूम होने लगा। सुफ़ियान बिन ऐनिया रह॰ जो इस क़िस्से को नक़ल करते हैं, वह कहते हैं कि मैंने ज़ुबैरी से पूछा कि वह क्या मिक़्दार थी, जो तुम्हें मंसूर ने दी थी? यह कहने लगे कि उस वक़्त तो बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन मेरे पास पहुंचने के बाद अल्लाह जल्ल शानुहू ने उसमें ऐसी बरकत और नफ़ा अता फ़रमाया कि वह पचास हज़ार कि मिक़्दार तक पहुंच गयी।

सुफ़ियान रह॰ कहते हैं कि ये लोग (अहले बैत हज़रत जाफ़र रज़ि॰ और उनके अकाबिर की तरफ़ इशारा है) भी बारीश की तरह से जहां पहुंच जाते हैं, नफ़ा ही पहुंचाते हैं। (कन्ज़)

मतलब यह है कि इस जगह दो हदीसें सुना कर दोनों को ख़ुश और मुत्मइन कर दिया, इसी तरह से ये हज़रात जहां भी पहुंचते हैं रूहानी या माद्दी नफ़ा पहुंचाए बग़ैर नहीं रहते, इसके साथ ही उस ज़माने के उमरा की यह चीज़ भी क़ाबिले रश्क है कि बादशाहत के बावजूद हुज़ूर सल्ल॰ के इर्शादात सुनकर उनके सामने गरदन रख देना उस ज़माने की आम फ़िज़ा थी।

आयते शरीफ़ा में इसके बाद आल-औलाद और माल को दुनिया में अज़ाब का ज़रिया फ़रमाया। इन चीज़ों का दुनिया में मूजिबे दिक़्क़त और कुल्फ़त होना ज़ाहिर है, कहीं औलाद की बीमारी है, कहीं उन पर मुसीबतें हैं, कहीं उनके मरने का रंज व हसरत है और ये सब चीज़ें मुसलमानों पर भी पेश आती हैं, लेकिन मुसलमान के लिए चूंकि हर तक्लीफ़ जो दुनिया में पेश आये, वह आख़िरत में अज्र व सवाब का ज़रिया है, इस लिए वह तक्लीफ़ नहीं रहती, क्योंकि वह तक्लीफ़ नहीं बल्कि राहत है, जिसके बदले में उससे कहीं ज़्यादा मिल जाए और जिनको आख़िरत में इन मुसीबतों का बदला नहीं है, उनके लिए

यह दुनिया का अज़ाब ही अज़ाब रह गया।

इब्ने ज़ैद रह० कहते हैं कि इन चीज़ों के दुनिया में अज़ाब होने से मुसीबतें मुराद हैं कि इनके लिए ये अज़ाब हैं और मोमिनीन के लिए सवाब की चीज़ें हैं।

(٧) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ○ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ○ (بنی اسرآئیل ع ۳)

7. और न तो (बुख़्ल की वजह से) अपने हाथ को अपनी गरदन से बांध लेना चाहिए और न बहुत ज़्यादा खोल देना चाहिए (कि इस्राफ़ की हद तक पहुंच जाए कि इस सूरत में) मलामत ज़दा और (फ़क़्र की वजह से) थके हुए बैठे रहो और महज़ किसी के फ़क़्र की वजह से अपने को परेशानी में मुब्तला करना मुनासिब नहीं। बेशक तेरा रब जिसको चाहता है, ज़्यादा रिज़्क़ देता है और जिस पर चाहता है तंगी करता है। बेशक वह अपने बन्दों (की मस्लहतों और उनके अहवाल) से बा-ख़बर है (कि किसके लिए कितना मुनासिब है) और उनके अहवाल (हालात) को देखने वाला है।

फ़ायदाः- क़ुरआन पाक में इस जगह मआशरत के बहुत से आदाब पर बड़ी तफ़्सीली तंबीहात फ़रमायी हैं, मिन जुम्ला उनके इस आयते शरीफ़ा में बुख़्ल और इस्राफ़ पर तंबीह फ़रमा कर एतिदाल और मियाना रवी की गोया तर्ग़ीब दी।

कुछ रिवायात में आया है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किसी ने कुछ सवाल किया। हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया कि इस वक़्त तो कुछ है नहीं। उसने कहा कि अपना कुर्ता जो आप पहन रहे हैं, यह दे दीजिए। हुज़ूर सल्ल० ने कुर्ता निकाल कर मरहमत फ़रमा दिया। इस पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि यह आयते शरीफ़ा ख़ानगी इख़्राजात के बारे में है कि न इनमें बहुत बुख़्ल किया जाए, न बहुत वुस्अत इख़्तियार की जाए, मियाना रवी इख़्तियार की जाए। हुज़ूरे अक़्दस सल्ल० से भी

कितनी ही रिवायतों में यह मज़्मून ज़िक्र किया गया कि जो आदमी मियाना रवी (दर्मियाना रास्ता) इख़्तियार करे, वह फ़क़ीर नहीं होता।

और आयते शरीफ़ा के ख़त्म पर इस अह्मक़ाना ख़्याल की तर्दीद फ़रमायी कि सब के सब माली हैसियत से बराबरी का दर्जा रखते हैं। यह सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहू के क़ब्ज़ा-ए-क़ुदरत में है कि वह जिस पर चाहे, फ़राख़ी फ़रमाऐ, जिस पर चाहे, तंगी करे, वही बन्दों के अहवाल से वाक़िफ़ है, वही उनके मसालेह को ख़ूब जानता है।

हज़रत हसन रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हक़ तआला शानुहू बन्दों के अहवाल से बा-ख़बर हैं, जिसके लिए सरवत[1] बहतर समझते हैं, उसको सरवत आता फ़रमाते हैं और जिसके लिए तंगी मुफ़ीद समझते हैं, उस पर तंगी फ़रमाते हैं।

दूसरी जगह क़ुरआन पाक में इर्शाद है--

وَلَوْبَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِی الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ
اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ٥(شوری ع ٣)

तर्जुमाः- अगर अल्लाह तआला अपने सब बन्दों के लिए रोज़ी में वुस्अत कर देता तो वे दुनिया में शरारत (और फ़साद) करने लगते, लेकिन हक़ तआला शानुहू (जिसके लिए) जितना रिज़्क़ मुनासिब समझता है, उतारता है। वह अपने बन्दों (की मसालेह) से बा ख़बर और उनके अहवाल को देखने वाला है।

इस आयते शरीफ़ा में इस तरफ़ इशारा है कि सब पर वुस्अत का होना दुनिया में सरकशी और फ़साद का सबब है और क़रीने क़ियास और तजुर्बे की बात भी है कि अगर हक़ तआला शानुहू अपने लुत्फ़ से सब ही को मालदार बनादें तो फिर दुनिया का निज़ाम चलना नामुम्किन हो जाए कि सब तो आक़ा बन जाएं, मज़दूरी कौन करे?

इब्ने ज़ैद रह॰ कहते हैं कि अरब में जिस साल पैदावार की कसरत होती, एक दूसरे को क़ैद करना और क़त्ल करना शुरू कर देते और जब क़हत पड़ जाता तो उस को छोड देते। *(दुर्रे मंसूर)*

---

1. दौलत, फ़राख़ी

हज़रत अली और मुतअद्द हज़राते सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन से नक़ल किया गया कि अस्हाबे सुफ़्फ़ा ने दुनिया की तमन्ना की थी, जिस पर आयते शरीफ़ा 'व लौ ब-स-तल्लाहुर्रिज़्क़' नाज़िल हुई।

हज़रत क़तादा रज़ि॰ इस आयते शरीफ़ा की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं कि बेहतरीन रिज़्क़ वह है, जो न तुझमें सरकशी पैदा करे न अपने अन्दर तुझे मश्गूल कर ले। हमें यह बताया गया कि एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख़ौफ़ है, वह दुनिया की चमक-दमक है। किसी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह? क्या ख़ैर (माल) भी बुराई का सबब बन जाता है? इस पर यह आयते शरीफ़ा 'व लौ ब-स-तल्लाहुर्रिज़्क़' नाज़िल हुई।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हदीसे क़ुद्सी में अल्लाह जल्ल शानुहू का पाक इर्शाद नक़ल किया गया कि जो शख़्स मेरे किसी वली की इहानत[1] करता है, वह मेरे साथ लड़ाई के लिए मुक़ाबले में आता है, मैं अपने दोस्तों की हिमायत में ऐसा ग़ुस्से में आता हूं जैसा कि ग़ज़बनाक शेर, और कोई बन्दा मेरे साथ तक़र्रुब उन चीज़ों से ज़्यादा किसी चीज़ से हासिल नहीं कर सकता, जो मैंने उन पर फ़र्ज़ की हैं (यानी हक़ तआला शानुहू ने जो चीज़ें फ़र्ज़ कर दीं, उनकी बजाआवरी (उन पर अमल करने) से जितना तक़र्रुब हासिल होता है, किसी चीज़ से हासिल नहीं होता, इसके बाद दूसरे दर्जे में नवाफ़िल के ज़रीए से तक़र्रुब हासिल होता है) और नवाफ़िल के ज़रिए से बन्दा मेरे साथ क़ुर्ब हासिल करता रहता है (और जितना नवाफ़िल में इज़ाफ़ा (बढ़ोतरी) होता रहेगा उतना ही क़ुर्ब में इज़ाफ़ा होता रहेगा), यहां तक कि वह मेरा महबूब बन जाता है और जब वह मेरा महबूब बन जाता है, तो मैं उसकी आंख, कान, हाथ और मददगार बन जाता हूं। अगर वह मुझे पुकारता है, तो मैं उसकी पुकार को क़ुबूल करता हूं और मुझ से कुछ मांगता है तो उसका सवाल पूरा करता हूं और मुझे किसी चीज़ में, जिसके करने का मैं इरादा करता हूं, इतना तरद्दुद नहीं होता, जितना अपने मोमिन बन्दे की रूह क़ब्ज़ करने में तरद्दुद होता है कि वह (किसी वजह से) मौत को पसन्द नहीं करता और मैं उसका जी बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन मौत ज़रूरी चीज़ है। मेरे कुछ बन्दे ऐसे हैं

1. तौहीन, छोटा और कमज़ोर समझना।

कि वे किसी ख़ास नौअ् की इबादत के ख़्वाहिश मन्द होते हैं, लेकिन मैं इस लिए वह नौअ् (किस्म) इबादत की मयस्सर नहीं करता कि उससे उनमें उज्ब[1] पैदा न हो जाए। मेरे कुछ बन्दे ऐसे हैं, जिनके ईमान को उनकी तन्दरुस्ती ही दुरुस्त रख सकती है। अगर मैं उनको बीमार कर दूं तो उन की हालत ख़राब हो जाए और कुछ बन्दे ऐसे हैं, अगर मैं उनको तन्दरुस्ती दे दूं तो वे बिगड़ जाएं, मैं अपने बन्दों के हाल के मुवाफ़िक़ अमल दर आमद करता हूं इस लिए कि मैं उनके दिलों के अहवाल से वाक़िफ़ हुँ और वाख़बर हूं। *(दर्रे मंसूर)*

यह हदीस शरीफ़ बड़ी क़ाबिले ग़ौर है। इसका ताल्लुक़ तक्वीनी उमूर से है, इसका मतलब यह नहीं कि अगर कोई ग़रीब है, तो उसकी इम्दाद की हमें ज़रूरत नहीं, कोई बीमार है तो उसके इलाज की ज़रूरत नहीं। अगर यह होता तो फ़िर सद्क़ात की सब रिवायात और आयात बेमहल हो जातीं । दवा करने का हुक्म जिन रिवायात में है, वे बे-महल होतीं, बल्कि मतलब यह है कि तक्वीनी तौर पर यह सिलसिला तो इसी तरह रहेगा, कोई माहिर डाक्टर या महक्मा-ए-हिफ़्ज़ाने सेहत यह चाहे कि कोई बीमार न हो, नामुम्किन। कोई हुकूमत यह कोशिश करे कि कोई ग़रीब न रहे, कभी नहीं हो सकता, अल-बत्ता हम लोग अपनी वुस्अत के मुवाफ़िक़ उनकी इआनत (मदद) के, हमदर्दी के, इलाज के, इम्दाद के मामूर हैं, और जितनी कोई शख़्स इसमें कोशिश करेगा, उसका अज्र, उसका सवाब, उसका दीन और दुनिया में उसको बदला मिलेगा, लेकिन अपनी सई (कोशिश) के बावजूद कोई बीमार अच्छा नहीं होता, अपनी कोशिश के बावजूद किसी की माली हालत दुरुस्त नहीं होती, तो उसको यह समझना चाहिए कि अल्लाह तआला के नज़दीक इसी में मेरे लिए ख़ैर है, इससे परेशान और घबराना नहीं चाहिए, और चूंकि ग़ैब की ख़बर नहीं और तक्वीनी चीज़ों पर अमल के हम मामूर नहीं, इस लिए अपनी कोशिश, इलाज और इआनत, हमदर्दी और मदद की ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए।

वल्लाहुल् मुवफ़्फ़िक़् लिमा युहिब्बु व यर्ज़ा।

(٨) وَابْتَغِ فِيمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○ (قصص ع ٨)

1. घमण्ड।

8. और तुझे जो कुछ अल्लाह जल्ल शानुहू ने दे रखा है, उसमें आलमे आख़िरत की भी जुस्तजू कर और दुनिया से अपना हिस्सा (आख़िरत में ले जाना) फ़रामोश न कर। जिस तरह अल्लाह जल्ल शानुहू ने तेरे साथ एहसान किया, तू भी (बन्दों पर) एहसान कर (और ख़ुदा की ना फ़रमानी और हुक़ूक़ को ज़ाया करके) दुनिया में फ़साद न कर। बेशक अल्लाह तआला फ़साद करने वालों को पसन्द नहीं करता।

(क़सस रुकूअ् 8)

फ़ायदाः- यह क़ुरआन पाक में मुसलमानों की तरफ़ से क़ारून को नसीहत का बयान है, इसका पूरा क़िस्सा ज़कात अदा न करने के बयान में पांचवीं फ़स्ल की अयात के सिलसिले में न॰ 3 पर आ रहा है।

सिद्दी रह॰ कहते हैं कि आख़िरत की जुस्तजू करने का मतलब यह है कि सदक़ा करके अल्लाह जल्ल शानुहू का तक़र्रुब हासिल कर और सिला रहमी कर।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमातें हैं कि दुनिया से अपना हिस्सा मत भूल का मतलब यह है कि दुनिया में अल्लाह तआला के लिए अमल करना न छोड़।

मुजाहिद रह॰ कहते हैं कि दुनियां में अल्लाह तआला की इबादत करना, यह दुनिया से अपना हिस्सा है जिसका सवाब आख़िरत में मिलता है।

हसन बसरी रह॰ फ़रमाते हैं कि बक़द्रे ज़रूरत अपने लिए रोक कर बाक़ी ज़ायद का ख़र्च कर देना और आगे चलता कर देना, यह दुनिया में से अपना हिस्सा है। और एक रिवायत में है कि एक साल का ख़र्च रोक कर बाक़ी का सदक़ा कर दे। *(दुर्रे मंसूर)*

आदमी का अपनी दुनिया में से अपनी आख़िरत का हिस्सा भुला देना अपने नफ़्स पर इंतिहाई ज़ुल्म है।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि क़ियामत के दिन आदमी ऐसी हालत में अल्लाह जल्ल शानुहू के सामने लाया जायेगा। जैसा कि (कमज़ोरी और ज़िल्लत के ऐतिबार से) भेड़ का बच्चा हो, वह हक़ तआला शानुहू के सामने खड़ा किया जाएगा, वहां से मुतालबा होगा कि मैं ने तुझे माल दिया, दौलत अता की, तुझ पर बड़े बड़े एहसानात किए, तूने मेरे इन

इन्आमात में क्या कारगुज़ारी की? वह अर्ज़ करेगा, या अल्लाह! मैं ने माल ख़ूब जमा किया, उसको ख़ूब बढ़ाया और जितना माल था, उससे बहुत ज़्यादा करके उसको दुनिया में छोड़ आया। आप मुझे दुनिया में वापस कर दें तो मैं वह सब कुछ अपने साथ ले आऊं। इर्शाद होगा, वह दिखाओ, जिसको ज़ख़ीरा बना कर आगे भेज़ रखा हो। वह फिर यही अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह, मैं ने उसको बहुत जमा किया और बढ़ाया और जितना था, उससे बहुत ज़्यादा करके छोड़ आया, मुझे आप वापस भेज दें, मैं वह सारा ही साथ ले आऊं। बिल आख़िर जब उसके पास ज़ख़ीरा ऐसा न होगा जिसको आगे भेज रखा हो तो उसको जहन्नम में डाल दिया जायेगा। *(मिश्कात)*

यह अल्लाह जल्ल शानुहू और उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्शादात बड़े ग़ौर और बहुत एहतिमाम से अमल करने की चीज़ें हैं, सरसरी पढ़ कर छोड़ देने के वास्ते नहीं हैं, दुनिया की ज़िन्दगी को, जो बिल्कुल ख़्वाब की मिसाल है, बहुत एहतिमाम से आख़िरत की तैयारी के लिए ग़नीमत समझो और जो कमाया जा सके, कमा लो। हक़ तआला शानुहू मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

(٩)هَآاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ج
وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ط وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ج وَاِنْ
تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لا ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْآ اَمْثَالَكُمْ○(محمد ع ٤)

9. तुम लोग ऐसे हो कि तुम को अल्लाह की राह में (थोड़ा सा) ख़र्च करने को बुलाया जाता है, सो इस पर भी तुममें से बाज़ (कुछ) आदमी बुख़्ल करने लगते हैं। (अगर ज़्यादा मांगा जाता तो क्या करते?) और जो शख़्स बुख़्ल करता है, वह ख़ुद अपने ही से बुख़्ल करता है (इसलिए कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का नफ़ा उसी को मिलता है) अल्लाह तआला तो ग़नी है (उसको तुम्हारे माल की परवाह नहीं) और तुम मुहताज हो, (दुनिया में भी और आख़िरत में भी) और इसीलिए तुम्हें सदक़े का हुक्म दिया जाता है कि इसका नफ़ा तुम्हीं को पहुँचता है और अगर तुम (अल्लाह तआला के अह्काम से) रू-गरदानी करोगे तो

ख़ुदा-ए-तआला तुम्हारी जगह दूसरी क़ौम पैदा कर देगा और फिर वह तुम जैसे (रूगरदानी करने वाले) न होंगे (बल्कि निहायत फ़रमांबरदार होंगे)

(मुहम्मद रूकूअ् 4)

फ़ायदा:- यह ज़ाहिर बात है कि अल्लाह जल्ल शानुहू की कोई ग़रज़ हमारी ख़ैरात और सदक़ात के साथ वाबस्ता नहीं है, उसने जिस क़दर ज़्यादा तर्ग़ीबें अपने पाक कलाम और अपने पाक रसूल सल्ल॰ के ज़रिए से फ़रमायी हैं, वे हमारे ही नफ़े के वास्ते हैं, चुनांचे पहली फ़स्ल में बहुत से दीनी और दुन्यवी फ़वाइद सदक़े के गुज़र चुके हैं और जब एक हाकिम, मालिक, ख़ालिक किसी शख़्स को ऐसे काम का हुक्म करे, जिससे हुक्म करने वाले का कोई नफ़ा न हो, बल्कि जिसको हुक्म दिया है, उसी का नफ़ा हो और फिर भी वह हुक्म उदूली करे तो यक़ीनन उसका जितना ख़मियाज़ा भी भुगते, वह ज़ाहिर है।

एक हदीस में है कि हक़ तआला शानुहू बहुत से लोगों को नेमतें इसलिए देता है कि लोगों को नफ़ा पहुँचाये, जब तक वे लोग ऐसा करते हैं, वे नेमतें उनके पास रहती हैं, जब वे उससे रू-गरदानी करने लगते हैं, वे नेमतें उनसे छीन कर हक़ तआला शानुहू दूसरों की तरफ़ मुंतक़िल कर देते हैं।

(कंज़)

और ये नेमतें माल ही के साथ मख़्सूस नहीं, इज़्ज़त, वजाहत, असर वग़ैरह सब ही चीज़ें इसमें दाख़िल हैं और सब का यही हाल है।

बाज़ (कुछ) अहादीस में आया है कि जब यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई कि अगर तुम रू-गरदानी करोगे तो, अल्लाह जल्ल शानुहू दूसरी क़ौम को पैदा कर देगा, तो बाज़ सहाबा रज़ि॰ ने पूछा कि हुज़ूर सल्ल॰! ये लोग किन में से होंगे, जो हमारी रू-गरदानी की सूरत में हमारे बदल होंगे? तो हुज़ूर सल्ल॰ ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि॰ के मोंढ़े पर हाथ रखकर इर्शाद फ़रमाया कि यह और इनकी क़ौम! क़सम है उस ज़ात की! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है कि अगर दीन सुरय्या (जो चांद सितारों के मजमूए का नाम है) पर होता तो फ़ारस के कुछ लोग वहीं से दीन को पकड़ते।

मुतअद्दद रिवायात में यह मज़्मून आया है। *(दुर्रे मंसूर)*

यानी हक़ तआला शानुहू ने उनको दीन की इतनी परवाज़ अता फ़रमायी है कि दीन और इल्म को अगर वह सुरय्या पर होता, वहां से भी हासिल करते।

मिश्कात शरीफ़ में यह रिवायत तिर्मिज़ी शरीफ़ से नक़ल की है। और इसी तरह एक और रिवायत में हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद नक़ल किया है कि हुज़ूर सल्ल० के सामने अजमी लोगों का ज़िक्र किया गया तो हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया कि मुझे उन पर या उनमें से बाज़ पर तुमसे या तुममें से बाज़ से ज़्यादा एतिमाद है। *(मिश्कात)*

और यह ज़ाहिर है कि अजम में बाज़ बाज़ अकाबिर ऐसे ऊँचे दर्जे और कमालात के पैदा हुए हैं कि सहाबी रज़ि० होने की फ़ज़ीलत को छोड़कर दूसरे एतिबारात से उनके कमालात बहुत ऊँचे हैं।

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि० के बहुत से फ़ज़ाइल हदीस में आये हैं और आने भी चाहिएं कि दीने हक़ की तलाश में उन्होंने बहुत तक्लीफ़ें उठायीं, बहुत से मुल्कों की ख़ाक छानी। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हुई, ढाई सौ साल में तो किसी मोतमद का इख़्तिलाफ़ ही नहीं है। बाज़ ने साढ़े तीन सौ साल बतायी है और बाज़ ने इससे भी ज़्यादा, हत्ताकि बाज़ ने कहा कि उन्होंने हज़रत ईसा अला नबीय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना पाया और हुज़ूर सल्ल० के और हज़रत ईसा अलै० के ज़माने में छः सौ साल का फ़र्क़ है। उनको पहली किताबों से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नबी-ए-आख़िरूज़्ज़मां के मब्ऊस होने की ख़बर मालूम हुई। यह हुज़ूर सल्ल० की तलाश में निकल पड़े और राहिबों से और उस ज़माने के आलिमों से तह्क़ीक़ करते रहे और वे लोग हुज़ूर सल्ल० के अंक़रीब पैदा होने की बशारत और हुज़ूर सल्ल० की अलामात बताते रहे। यह फ़ारस के शहज़ादों में थे इसी तलाश में मुल्क दर मुल्क तलाश करते फिरते थे। किसी ने उनको क़ैद करके अपना गुलाम बना कर फ़रोख़्त कर दिया। फिर यह इसी तरह बिकते रहे। ख़ुद फ़रमाते हैं, बुख़ारी शरीफ़ में रिवायत है कि मुझे दस आक़ाओं से ज़्यादा ने ख़रीदा और फ़रोख़्त किया। आख़िर में मदीना मुनव्वरा के एक यहूदी ने उनको ख़रीदा। उस वक़्त हुज़ूर सल्ल० हिजरत फ़रमा कर मदीना तशरीफ़ ले गये। उनको इसकी ख़बर हुई। यह हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुए और जो अलामात उनको बताई गई थीं उन अलामात को जांचा और इम्तिहान किया। उसके बाद मुसलमान हुए और अपने यहूदी आक़ा से फ़िद्या देकर (जिसको मुकातब बनना कहते हैं) आज़ाद हुए।

एक हदीस में है हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया कि हक़ तआला शानुहू

चार आदमियों को महबूब रखते हैं, जिनमें सलमान रज़ि॰ भी हैं। *(इसाबा)*

इसका मतलब यह नहीं कि और किसी से मुहब्बत नहीं, बल्कि यह है कि यह चार महबूबों में हैं।

हज़रत अली रज़ि॰ की एक हदीस में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हर नबी के लिए हक् तआला शानुहू ने सात नुजबा बनाये हैं (यानी मख़्सूस जमाअत बर्गुज़ीदा लोगों की, जो उस नबी के काम की ज़ाहिरी और बातिनी निगरानी करने वाले और मदद करने वाले हों।) लेकिन मेरे लिए हक् तआला शानुहू ने 14 नुजबा मुक़र्रर फ़रमाये हैं। किसी ने अर्ज़ किया वे कौन हैं? आपने फ़रमाया मैं यानी हज़रत अली रज़ि॰, और मेरे दोनों बेटे, (हज़रत हसन रज़ि॰, हज़रत हुसैन रज़ि॰) और जाफ़र रज़ि॰, और हमज़ा रज़ि॰, अबूबक्र रज़ि॰, उमर रज़ि॰, मुसअ्ब बिन उमैर रज़ि॰, बिलाल रज़ि॰, सलमान रज़ि॰, अम्मार रज़ि॰, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि॰, अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰, मिक़्दाद रज़ि॰। *(मिश्कात)*

हालात की तफ़्सील से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि दीन के किसी अहम अम्र में इन हज़रात की ख़ुसूसियात हैं।

बुख़ारी शरीफ़ में है कि जब सूरः जुमा की आयत –

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ

"व आ ख़ री-न मिन् हुम् लम्मा यल् हक़ू बि हिम॰"

नाज़िल हुई तो सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! ये लोग कौन हैं? हुज़ूर सल्ल॰ ने सुकूत फ़रमाया। सहाबा रज़ि॰ ने मुकर्रर (दोबारा) दर्याफ़्त किया हत्ताकि तीन दफ़ा सवाल किया, तो हुज़ूर सल्ल॰ ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि॰ के ऊपर हाथ रखकर फ़रमाया कि अगर ईमान सुरय्या पर होता तो इनमें से बाज़ आदमी वहां से भी ले आते।

एक और हदीस में है कि अगर इल्म सुरय्या पर होता, दूसरी हदीस में है कि अगर दीन सुरय्या पर होता तो फ़ारस के कुछ लोग वहां से भी ले आते। *(मिश्कात)*

अल्लामा सुयूती रह॰, जो ख़ुद मुहक़्क़िक़ीने शाफ़इय्यः में हैं,

फ़रमाते हैं कि यह हदीस हज़रत इमाम अबू-हनीफ़ा के फ़ज़ाइल में पेशीनगोई के तौर पर ऐसी सही चीज़ है जिस पर एतिमाद किया जाता है। (मुक़द्दमा औजज़)

(١٠) مَآاَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ o لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ o الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ o (حديد ع ٣)

10. कोई मुसीबत न दुनिया में आती है और न ख़ास तुम्हारी जानों में मगर वह(सब) एक किताब में (यानी लौहे महफ़ूज़ में) इन जानों के पैदा होने से पहले लिखी हुई है और यह बात (कि वक़ूअ् से इतना पहले लिख देना) अल्लाह तआला के नज़दीक आसान काम है (और यह इसलिए बतला दिया) ताकि जो चीज़ (आफ़ियत, माल या औलाद वग़ैरह) तुम से जाती रहे, उस पर ज़्यादा रंज न करो और जो तुमको मिले, उस पर इतराओ नहीं, (इसलिए कि इतरावे वह जिस को अपने इस्तिह्क़ाक़ से मिले और जो दूसरे के हुक्म से एक चीज़ मिले उस पर क्या इतराना) और अल्लाह तआला किसी इतराने वाले शेख़ीबाज़ को पसंद नहीं करता, (बिल ख़ुसूस) जो लोग ऐसे हैं कि ख़ुद भी बुख़्ल करते हैं और दूसरों को भी बुख़्ल की तालीम करते हैं और जो (अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से या दीनी कामों से) ऐराज़ करेगा तो अल्लाह तआला (का क्या नुक़सान करेगा, वह तो) बे-नियाज़ है, हम्द के लायक़ है। (हदीद 3)

फ़ायदा:- मुसीबतों पर रंज तो तब्ई चीज़ है, मक़्सद यह है कि इतना ज़्यादा रंज न हो कि दीन और दुनिया के सब ही कामों से रोक दे और यह भी तब्ई बात है कि जब किसी बात के मुताल्लिक़ यह पुख़्ता यक़ीन पहले से हो जाए कि फ़लां बात होकर रहेगी, किसी सई और कोशिश से वह मुलतवी नहीं हो सकती तो फिर उस पर रंज व ग़म हल्का हो जाया करता है, बर ख़िलाफ़

इसके कि कोई बात ख़िलाफ़े उम्मीद पेश आए तो उस पर रंज ज़्यादा हुआ करता है, इसलिए इस आयते शरीफ़ा में इस पर मुतनब्बह कर दिया कि मौत व हयात, रंज व ख़ुशी, राहत आफ़त ये सब चीज़ें हमने पहले से तै कर रखी हैं, वे इसी तरह होकर रहेंगी, फिर इसमें इतराने या ग़म से हलाकत के क़रीब हो जाने की क्या बात है?

आयते शरीफ़ा में दो लफ़्ज़ वारिद हुए हैं, "मुख़्ताल फ़ख़ूर" जिसका तर्जुमा इतराने वाले शैख़ीबाज़ का किया है। इतराना अपने आप से होता है यानी दूसरे के बग़ैर भी होता है और शैख़ी दूसरे के सामने और दूसरे के मुक़ाबले में हुआ करती है और बाज़ उलमा ने लिखा है "इख़्तियाल" तो ऐसी चीज़ों पर इतराना होता है जो आदमी के अंदर ज़ाती कमाल हों और फ़ख़्र ऐसी चीज़ों पर होता है जो ख़ारिजी हों जैसा कि माल व जाह वग़ैरह। *(बयानुल क़ुरआन)*

हज़रत क़ज़अः रह॰ कहते हैं कि मैं ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ को मोटे कपड़े पहने देखा। मैं ने अर्ज़ किया कि मैं ख़ुरासान के बने हुए नरम कपड़े यह लाया हूँ। अगर आप इनको पहन लें तो आपके बदन पर ये कपड़े देखकर मेरी आंखों को ठंडक पहुँचेगी। उन्होंने फ़रमाया, मुझे डर यह है कि ये कपड़े पहन कर कहीं मैं "मुख़्ताल" "फ़ख़ूर" न बन जाऊं।

(दुर्रे मंसूर)

यानी उनके पहनने से कहीं मुझ में उज्ब और तफ़ाख़ुर पैदा न होने लगे।

(١١) هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ○ (منافقون ع ١)

11. यही (मुनाफ़िक़ीन) वे लोग हैं, जो यह कहते हैं कि ये लोग रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास जमा हैं, उन पर ख़र्च कुछ न करो, यहां तक कि यह आप ही (ख़र्च न मिलने की वजह से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास से) मुंतशिर हो जाएंगे और (बेवक़ूफ़ ये नहीं जानते कि) अल्लाह तआला ही के लिए हैं सब ख़ज़ाने आसमानों के और ज़मीनों के, लेकिन ये मुनाफ़िक़ (अहमक़ हैं), समझते नहीं हैं। *(मुनाफ़िक़ून-1)*

फ़ायदाः- मुतअद्द रिवायात में यह मज़्मून वारिद हुआ है कि अब्दुल्लाह बिन उब्बी मुनाफ़िक़ीन का सरदार और उसकी ज़ुर्रियात ने यह कहा कि ये लोग जो हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास जमा हैं, उन की इआनत (मदद) करना छोड़ दी जाए, ये भूख से परेशान होकर ख़ुद ब ख़ुद मुंतशिर हो जाएंगे, उस पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई और बिल्कुल हक़ है, रोज़मर्रा का मुशाहदा है सैंकड़ों मर्तबा इसका तजुर्बा हुआ कि जब भी किसी दीनी काम करने वालों के मुताल्लिक़ इनाद (दुश्मनी) और बद-बातिनियत से लोगों ने या किसी ख़ास फ़र्द ने इआनत रोकी अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने लुत्फ़ व करम से दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। यह हर शख़्स को यक़ीन के साथ समझ लेना चाहिए कि रोज़ी अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने और सिर्फ़ अपने ही कब्ज़े में रखी है, वह किसी के बाप के बंद करने से भी बंद नहीं होती। लेकिन बंद करने वाले, दीन की इआनत से हाथ रोक कर आख़िरत में अल्लाह जल्ल शानुहू के यहां जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। जहां न तो झूठ चल सकता है, कि हमारी यह ग़रज़ थी और वह ग़रज़ थी, न कोई बैरिस्टर या वकील काम दे सकता है, फ़र्ज़ी हीला तलाश करके अल्लाह के और दीन के कामों से पहलू तही करने से सिवाए इसके कि अपनी ही आक़िबत ख़राब की जाए और कोई फ़ायदा नहीं, ज़ाती इनाद और दुन्यवी अग़राज़े फ़ासिदा की वजह से किसी दीनी काम में रोड़े अटकाना या किसी दीनी काम करने वाले की इआनत से हाथ रोकना या दूसरों को रोकना अपना ही नुक़्सान करना है, किसी दूसरे का नुक़्सान नहीं।

हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख़्स किसी मुसलमान की मदद से ऐसे वक़्त पहलू तही करे, जबकि उसकी आबरू गिरायी जा रही हो, उसका एहतिराम तोड़ा जा रहा हो, तो हक़ तआला शानुहू उस शख़्स की मदद करने से ऐसे वक़्त बे-इल्तिफ़ाती फ़रमाते हैं जबकि यह किसी मदद करने वाले की मदद का ख़्वाहिशमंद हो। *(मिश्कात)*

हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अमल उम्मत के लिए शाहराह है। हर चीज़ में इसकी कोशिश हर उम्मती का फ़र्ज़ है कि हुज़ूर सल्ल॰ का तरीक़ा क्या था? और इस राह पर चलने की जितनी हो सके कोशिश करना चाहिए। हुज़ूर सल्ल॰ का मामूल था कि दुश्मनों की इआनत से भी दरेग़ न था, सैंकड़ों वाक़िआत अहादीस व तारीख़ की किताबों में इस पर शाहिद हैं, ख़ुद यही अब्दुल्ला बिन उब्बी मुनाफ़िक़ों का सरदार जिस क़द्र तक्लीफ़ें और अज़ीयतें

पहुंचा सकता था उसने कभी दरेग़ नहीं किया। उसी शख़्स का मक़ूला इसी सफ़र का, जिसमें आयते बाला नाज़िल हुई, यह है कि जब हम लोग मदीना वापिस पहुंच जाएंगे तो इज़्ज़तदार लोग यानी हम लोग इन ज़लीलों को (यानी मुसलमानों को) मदीना से निकाल देंगे, लेकिन इन सब हालात के बावजूद उसी सफ़र से वापसी के चंद रोज़ बाद यह बीमार हुआ तो अपने बेटे से जो बहुत बड़े पक्के मुसलमान थे, कहा कि तुम जाकर हुज़ूर सल्ल॰ को मेरे पास बुला लाओ। तुम्हारे बुलाने से वह ज़रूर आ जाएंगे। यह हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुए और बाप की दर्ख़्वास्त नक़ल की।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसी वक़्त जूते पहन कर साथ हो लिए। जब हुज़ूर सल्ल॰ को उसने देखा तो रोने लगा। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, ऐ अल्लाह के दुश्मन, क्या घबरा गया? उसने कहा कि मैं ने इस वक़्त आप को तंबीह के वास्ते नहीं बुलाया, बल्कि इस वास्ते बुलाया है कि इस वक़्त मुझ पर रहम करें। यह कलिमा सुनकर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंखों में आँसू भर आये और इर्शाद फ़रमाया कि क्या चाहते हो? उसने अर्ज़ किया कि मेरी मौत का वक़्त क़रीब है, जब मैं मर जाऊं तो मेरे ग़ुस्ल देने में आप मौजूद हों और अपने मल्बूस में मुझे कफ़न दें और मेरे जनाज़े के साथ क़ब्र तक जाएं और मेरी नमाज़े जनाज़ा पढ़ें।

हुज़ूर सल्ल॰ ने सारी दर्ख़्वास्तें क़ुबूल फ़रमायीं, जिस पर आयते शरीफ़ा "व ला तुसल्लि अला अ-ह-दिम् मिन्हुम" नाज़िल हुई। (दुर्रे मंसूर)

जिसमें हक़ तआला जल्ल शानुहू ने मुनाफ़िक़ीन के जनाज़े की नमाज़ पढ़ाने की मुमानअत फ़रमायी। यह था हुज़ूर सल्ल॰ का बर्ताव अपने जानी दुश्मनों के साथ, और यह करम था उन कमीनों के साथ जो किसी वक़्त भी सब्ब व शतम और ऐब तराशी[1] में कमी न करते थे। क्या हम लोग भी अपने दुश्मनों के साथ इस क़िस्म का कोई मामला कर सकते हैं कि उस जानी दुश्मन की तक्लीफ़ को देखकर रहमतुल्लिल आलमीन की आंखों में आंसू भर आये और जितनी फ़रमाइशें उसने अपने कुफ़्र के बावजूद कीं, हुज़ूर सल्ल॰ ने अपने करम से सब पूरी कीं, अपना कुर्ता मुबारक उतार कर उसको कफ़न के लिए मरहमत

1. गाली देने बुरे नामों से याद करने और ऐब निकालने में कोई कमी न करते थे।

फ़रमा दिया और बाक़ी सब दर्ख़्वास्तें भी पूरी कीं। गो कुफ़्र की वजह से उसको कारआमद न हो सकीं। बल्कि आइन्दा के लिए हक़ तआला शानुहू की तरफ़ से इस इंतिहाई करम की मुमानअत (मनाही) उतर आयी।

(١٢) اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ج
اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۙ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ٥ فَطَافَ
عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ٥ فَاَصْبَحَتْ
كَالصَّرِيْمِ ۙ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ۙ اَنِ اغْدُوْا عَلٰى
حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ ٥ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ
ۙ اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ۙ وَّغَدَوْا عَلٰى
حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ٥ فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ۙ بَلْ نَحْنُ
مَحْرُوْمُوْنَ ٥ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا
تُسَبِّحُوْنَ ٥ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ٥ فَاَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ٥ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا
طٰغِيْنَ ٥ عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا
رٰغِبُوْنَ ٥ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۙ (قلم ع ١)

12. हमने (इन मक्का वालों को सामाने ऐश देकर) उनकी आज़माइश कर रखी है (कि ये इन नेमतों में क्या अमल करते हैं) जैसा कि इनसे पहले हमने बाग़ वालों की आज़माइश की थी, जब कि उन बाग़ वालों ने आपस में क़सम खायी और अह्द किया कि उस बाग़ का फल ज़रूर सुबह को जाकर तोड़ लेंगे और (उनको ऐसा पुख़्ता यक़ीन था कि) इन्शाअल्लाह भी न कहा, पस उस बाग़ पर आपके रब की तरफ़ से एक अज़ाब फिर गया (जो एक आग थी या लू) और वे लोग सो रहे थे, पस सुबह को वह बाग़ ऐसा रह गया, जैसा कटा हुआ खेत (कि ख़ाली ज़मीन

रह जाती है और बाज़ जगह उसको काट कर उस जगह आग भी लगा दी जाती है) पस सुबह को सवेरे वे बाग़ वाले एक दूसरे को आवाज़ देने लगे कि अगर फल तोड़ना है तो सवेरे चलो, पस चलते हुए आपस में चुपके चुपके बातें करते जा रहे थे कि आज कोई मुहताज तुम तक न आने पाए, वह अपने ख़्याल में इसके रोक लेने पर अपने आपको क़ादिर समझ कर चले (कि सब कुछ ख़ुद ही ले आएंगे) जब वहां पहुँच कर उसको देखा तो कहने लगे कि हम रास्ता भूल गये (कहीं और पहुंच गये, यह तो वह बाग़ नहीं है, लेकिन जब क़राइन से मालूम हुआ कि यह वही जगह है तो कहने लगे), कि हमारी क़िस्मत ही फूट गयी, उनमें जो एक आदमी (किसी क़दर) नेक था (लेकिन अमल में उन का शरीके हाल था) कहने लगा कि मैं ने तुमसे कहा न था (कि ऐसी बद-नीयती न करो, ग़रीबों के देने से बरकत होती है, अब) अल्लाह तआला की पाकी क्यों नहीं बयान करते। तौबा (यानी इस्तिग़फ़ार करो) वे बाग़ वाले कहने लगे, हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हम क़ुसूरवार हैं। फिर एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगे (जैसा कि आम तौर से आदत है कि जब कोई काम बिगड़ जाए तो हर एक दूसरे को क़ुसूरवार बताया करता है।) फिर सब के सब कहने लगे कि बेशक, हम सब ही हद से तजावुज़ करने (बढ़ने) वाले थे, (किसी एक पर इल्ज़ाम नहीं, सब की यही सलाह थी, सब मिल कर तौबा करो, उसकी बरकत से) शायद हमारा परवरदिगार हमको इससे अच्छा बाग़ दे दे, अब हम तौबा करते हैं (इसके बाद अल्लाह जल्ल शानुहू तंबीह के तौर पर फ़रमाते हैं कि) इसी तरह (दुनिया का) अज़ाब हुआ करता है (कि हम बद-नीयती से चीज़ ही को फ़ना कर देते हैं) और आख़िरत का अज़ाब इससे भी बढ़कर है। क्या अच्छा होता कि ये लोग इस बात को जान लेते (कि ग़रीबों से बुख़्ल का नतीजा अच्छा नहीं।)

फ़ायदाः- यह बड़ी इब्रत का क़िस्सा है जो इन आयात में ज़िक्र फ़रमाया है। जो लोग ग़ुरबा, मसाकीन, अह्ले ज़रूरत को न देने के अह्द व पैमान करते हैं, क़समें खा खाकर वायदे करते हैं कि इन ज़रूरत मंदों को एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा, एक वक़्त की रोटी भी न दी जाएगी, ये नालायक़ हरगिज़ इआनत के मुस्तहिक़ नहीं, इनको देना बेकार है, वे अपने सारे माल से यों बग़ैर

वक़्त हाथ धो लेते हैं और जो नेक दिल इस तर्ज़ को पसंद नहीं करते, लेकिन अमलन लिहाज़ मुलाहज़ा में उनके शरीके हाल हो जाते हैं वे भी अज़ाब की बला से निजात नहीं पाते।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि इन आयात में जो वाक़िआ गुज़रा है, वह हब्शा के रहने वाले आदमियों का है। उनके बाप का एक बहुत बड़ा बाग़ था, वह उसमें से मांगने वालों को भी दिया करता था। जब उसका इंतिक़ाल हो गया, तो उसकी औलाद कहने लगी कि अब्बा जान तो बेवक़ूफ़ थे, सब कुछ इन लोगों पर बांट देते थे, फिर क़समें खाकर कहने लगे कि हम सुबह ही सारा बाग़ काट लाएंगे और किसी फ़क़ीर को उसमें से कुछ नहीं देंगे।

हज़रत क़तादा रज़ि॰ कहते हैं कि उस बाग़ के मालिक बड़े मियां का दस्तूर यह था कि उसकी पैदावार में से अपना एक साल का ख़र्च रखकर बाक़ी सब का सब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर देते थे। उनकी औलाद उनको इस तर्ज़ से रोकती रहती थी, मगर वह मानते न थे। जब उनका इंतिक़ाल हुआ तो उनकी औलाद ने यह कोशिश की जो ऊपर ज़िक्र की गयी कि सारा का सारा रोक लें और किसी ग़रीब को कुछ न दें।

सईद बिन जुबैर रह॰ कहते हैं कि यह बाग़ यमन में था उस जगह का नाम ज़र्वान था जो (यमन के मशहूर शहर) सुनआ से छः मील था।

इब्ने जुरैज रह॰ कहते हैं कि वह अज़ाब जो उस बाग़ पर मुसल्लत हुआ, जहन्नम की घाटी से एक आग निकली, जो उस पर फिर गयी। मुजाहिद रह॰ कहते हैं कि यह बाग़ अंगूर का था।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद नक़ल करते हैं कि अपने आपको गुनाहों से बचाते रहा करो। आदमी बाज़ गुनाह ऐसे करता है कि उसको नहूसत से इल्म का एक हिस्सा भूल जाता है। (यानी हाफ़िज़ा ख़राब हो जाता है और पढ़ा हुआ भूल जाता है) और बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से तहज्जुद को आंख नहीं खुलती और बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं, जिनकी वजह से उसकी आमदनी जो बिल्कुल उसके लिए आने को तैयार होती है, जाती रहती है। उसके बाद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयते शरीफ़ा तिलावत फ़रमायीः-

"फ़ ता फ़ अलैहा ताइफ़ुम मिर्रब्बि-क॰" (आयत)

और फ़रमाया कि ये लोग गुनाह की वजह से अपने बाग़ की पैदावार से महरूम हो गये। (दुर्रे मंसूर)

ख़ुद हक़ सुब्हा नहू व तक़द्दुस का क़ुरआन पाक में दूसरी जगह इर्शाद है:- وَمَآ اَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ۝ (شوری ع٤)

"व मा अ सा-ब कुम मिम मुसीब-तिन फ़-बिमा क-स-बत ऐदीकुम व यअ़फ़ू अन कसीर॰" (सूर: शूरा, रूकूअ़ 4)

तर्जुमा:- जो मुसीबत तुमको पहुँचती है, वह तुम्हारे ही आमाल की बदौलत पहुँचती है और (हर गुनाह पर नहीं पहुँचती बल्कि) बहुत से गुनाह तो हक़ तआ़ला शानुहू माफ़ फ़रमा देते हैं।

हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू फ़रमाते हैं कि मुझसे हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इस आयत की तफ़्सीर तुम्हें बताऊं? ऐ अली, जो कुछ भी तुम्हें पहुँचे, मर्ज़ हो या किसी क़िस्म का अज़ाब या दुनिया की और कोई मुसीबत हो, वह अपने ही हाथों की कमाई है इस मज़्मून को बंदा अपने रिसाला "एतिदाल"[1] में तफ़्सील से लिख चुका है, वहां देखा जाए।

(١٣) وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۝ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝ مَآ اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ۝ هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ۝ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۝ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝ لَّا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخٰطِئُوْنَ ۝ (الحاقہ ع١)

13. और जिस शख़्स का नामा-ए-आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वह (निहायत ही हसरत से) कहेगा, क्या अच्छा होता कि

1. जो 'इस्लामी सियासत' के नाम से मशहूर है।

मुझको मेरा नामा-ए-आमाल ही न मिलता और मुझको ख़बर ही न होती कि मेरा हिसाब क्या है? क्या अच्छा होता कि मौत ही सब ख़त्म कर देती, (क़ियामत ही न आती जो हिसाब किताब होता) मेरा माल भी मेरे कुछ काम न आया, मेरी जाह (आबरू) भी जाती रही। (उसके लिए फ़रिश्तों को हुक्म होगा) इसको पकड़ो और इसको तौक़ पहना दो, फिर जहन्नम में उस को दाख़िल कर दो, फिर एक सत्तर गज़ लम्बी ज़ंजीर में उसको जकड़ दो, इसलिए कि यह शख़्स अल्लाह तआला पर ईमान न रखता था, (और ख़ुद तो क्या खिलाता) दूसरे आदमियों को भी ग़रीब के खिलाने की तर्ग़ीब न देता था। पस न तो आज उसका कोई यहां दोस्त है और न उसके लिए कोई चीज़ खाने को है सिवाए ग़िस्लीन के, जिसको बजुज़ बड़े गुनाहगारों के और कोई न खायेगा।

फ़ायदाः- ग़िस्लीन का मशहूर तर्जुमा धोवन का है यानी ज़ख़्मों वग़ैरह के धोने से जो पानी जमा हो जाए वह ग़िस्लीन कहलाता है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि ज़ख़्मों के अंदर से जो लहू पीप वग़ैरह निकलती है, वह ग़िस्लीन है।

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि ग़िस्लीन का एक डोल अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो उसकी बदबू से सारी दुनिया सड़ जाए।

नौफ़ शामी रह॰ से नक़ल किया गया कि वह ज़ंजीर जो सत्तर गज़ लम्बी है, उसका हर गज़ सत्तर बाअ् (हाथ) है और हर बाअ इतना लंबा है कि मक्का मुकर्रमा से कूफ़ा तक पहुंचे।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ से और दूसरे मुफ़स्सिरीन से नक़ल किया गया यह ज़ंजीर पाख़ाने की जगहों को दाख़िल करके नाक में को निकाली जाएगी और फिर उस पर लपेट दी जायेगी, जिससे वह बिल्कुल जकड़ा जाएगा।

(दुर्रे मंसूर)

इस आयते शरीफ़ा में मिस्कीन को खाना खिलाने की तर्ग़ीब न देने पर भी इताब है, इसलिए आपस में अपने अज़ीज़ों को, अपने अहबाब को, मिलने वालों को, ग़ुरबा-परवरी पर, मसाकीन को खिलाने पिलाने पर ख़ास तौर से तर्ग़ीब देते रहना चाहिए कि दूसरों को तर्ग़ीब देने से अपने अंदर से भी बुख़्ल का माद्दा कम होगा।

(١٤) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ○ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ○ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۚ○ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ○ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ○ؕ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ○ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ○ؕ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ○ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ○ؕ (الهمزة)

14. बड़ी ख़राबी है ऐसे शख़्स के लिए जो पसे पुश्त ऐब निकालने वाला हो, मुंह दर मुंह ताना देने वाला हो, जो माल जमा करके रखता है और (ग़ायत मुहब्बत से) उसको बार बार गिनता है, वह यह गुमान करता है कि उसका यह माल उसके पास हमेशा रहेगा। हरगिज़ नहीं। (यह माल हमेशा नहीं रहेगा) ख़ुदा की क़सम, यह शख़्स ऐसी आग में डाल दिया जाएगा कि उसमें जो चीज़ पड़ जाएगी वह आग उसको तोड़ फोड़ कर डाल दे।

आपको ख़बर भी है, वह कैसी तोड़ देने वाली आग है वह अल्लाह तआला की ऐसी आग है जो दिलों तक पहुँच जायेगी (यानी दुनिया की आग तो जहां बदन में लगी, आदमी मर गया और वहां चूंकि मौत नहीं, इसलिए बदन में लगते ही दिल तक पहुँच जायेगी। और दिल की ज़रा सी ठेस भी आदमी को बहुत महसूस होती है) और वह आग उन लोगों पर बंद कर दी जाएगी। इस तरह पर कि वे लोग लम्बे लम्बे स्तूनों में घिरे हुए होंगे।

फ़ायदा:- "*हु-म ज़: लु-म ज़:*" की तफ़्सीर में मुख़्तलिफ़ अक़्वाल उलमा के हैं। एक तफ़्सीर यह भी है जो ऊपर नक़ल की गयी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ और मुजाहिद रह॰ से "*हु-म ज़:*" की तफ़्सीर "तान देने वाला" और "*लु-म ज़:*" की तफ़्सीर ग़ीबत करने वाला नक़ल की गयी है।

इब्ने जुरैज रह॰ कहते हैं कि "हु-म ज़:" इशारे से होता है, आंख के, मुंह के, हाथ के, जिसके भी इशारे से हो और "लु-म ज़:" ज़बान से होता है।

एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी मेराज का हाल बयान फ़रमाते हुए इर्शाद फ़रमाया कि मैं ने मर्दों की एक जमाअत देखी, जिनके बदन क़ैंचियों से कतरे जा रहे थे। मैं ने जिब्रील अलै॰ से दर्याफ़्त किया कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने फ़रमाया कि ये वे लोग हैं जो ज़ीनत इख़्तियार करते थे। (यानी हरामकारी के लिए बन संवर कर निकलते थे।) फिर मैं ने एक

कुंवा देखा, जिसमें निहायत सख़्त बदबू आ रही थी और उसमें से चिल्लाने की आवाज़ें आ रहीं थीं, मैं ने जिब्रील अलै॰ से पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया कि ये वे औरतें हैं जो (हरामकारी के लिए) बनती संवरती थीं और नाजायज़ काम करती थीं। फिर मैं ने कुछ मर्द और औरतें मुअल्लक़ देखें (लटके हुए) जो पिस्तानों के ज़रिए से लटक रहे थे। मैं ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलै॰ ने बताया कि ये ताना देने वाले, चुगल ख़ोरी करने वाले हैं। (दुर्रे मंसूर)

अल्लाह जल्ल शानुहू अपने फ़ज़्ल से इन चीज़ों से महफ़ूज़ रखे, बड़ी सख़्त वईदें हैं।

इस सूरः शरीफ़ा में बुख़्ल और हिर्स की ख़ास तौर से मज़म्मत इर्शाद फ़रमायी है कि बुख़्ल की वजह से माल जमा करके रखता है और हिर्स की वजह से बार बार गिनता है कि कहीं कम न हो जाए और इतनी मुहब्बत उससे है कि उसके बार बार गिनने में भी बड़ा मज़ा आता है और यह बुरी आदत तकब्बुर और तअल्ली का सबब बनती है, जिसकी वजह से दूसरों की ऐबजोई और उन पर तान व तश्नीअ् पैदा होता है, इसी वजह से इस सूरः के शुरू में इन ऐबों पर तंबीह फ़रमाने के बाद इस बुरी ख़स्लत की मज़म्मत ज़िक्र की है और हर शख़्स इस ख़ब्त में मुब्तला है कि माल की अफ़ज़ाइश (ज़्यादती) उसको आफ़ात और हवादिस से बचा सकती है, गोया मालदार को मौत आती ही नहीं। इसलिए इस पर तंबीह फ़रमायी गयी है। वाक़िआत भी कसरत से इसकी ताईद करते हैं कि जब कोई आफ़त और मुसीबत मुसल्लत होती है, यह माल व मताअ् सब रखा रह जाता है, बल्कि माल की कसरत बसा औक़ात ख़ुद आफ़ात को खींचती है, कोई ज़हर देने की फ़िक्र में होता है, कोई क़त्ल करने की, और लूट मार, चोरी डाका, सैकड़ों आफ़ात इस माल की बदौलत आदमी पर मुसल्लत रहती हैं और जब माल ज़्यादा हो जाता है, फिर तो अज़ीज़ व अक़ारिब, बीवी, बेटा सब ही दिल से इसकी ख़्वाहिश करने लगते हैं कि बुड्ढा कहीं मरे तो यह हमारे हाथ आये।

(١٥) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۙ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۙ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۙ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۙ (ماعون)

15. क्या आपने उस शख़्स को देखा जो क़ियामत के दिन को झुठलाता है, (पस उस शख़्स का हाल यह है कि) यतीम को धक्के देता है और ग़रीब को (ख़ुद तो क्या देता, दूसरों को भी उनके) खाना खिलाने की तर्ग़ीब नहीं देता। पस हलाकत है ऐसे नमाज़ियों के लिए जो अपनी नमाज़ों को भुला बैठते हैं। (यानी नहीं पढ़ते और अगर कभी नमाज़ पढ़ते भी हैं तो) वे लोग दिखावा करते हैं और "माऊन" को रोकते हैं। (बिल्कुल देते ही नहीं।)

फ़ायदा:- हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि यतीम को धक्के देना यह है कि उसका हक़ रोकते हैं।

क़तादा रह॰ कहते हैं कि धक्के देने से उस पर ज़ुल्म करना मुराद है और यह चीज़ क़ियामत के दिन को ग़लत समझने से पैदा होती है जिसको आख़िरत के दिन का यक़ीन होगा वहां की जज़ा और सज़ा का पूरा यक़ीन होगा वह किसी पर ज़ुल्म नहीं करेगा और अपने माल को जमा करके नहीं रखेगा। बल्कि ख़ूब ख़र्च करेगा, इसलिए कि जिसको इसका कामिल यक़ीन हो जाए कि आज अगर मैं इस तिजारत में दस रूपये लगा दूँ तो कल को ज़रूर मुझे एक हज़ार जायज़ तरीक़े से मिलेंगे, वह कभी भी इसमें ताम्मुल न करेगा। और जिन नमाज़ियों का इसमें ज़िक्र है, उनके मुताल्लिक़ हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि वे मुनाफ़िक़ लोग मुराद हैं जो लोगों के सामने तो दिखलावे के वास्ते नमाज़ पढ़ते हैं और जहां कहीं अकेले हों, उसको छोड़ दें।

हज़रत सअद रज़ि॰ वग़ैरह मुतअद्दद हज़रात से नक़ल किया गया कि नमाज़ को छोड़ने से मुराद ताख़ीर से पढ़ना है कि बेवक़्त पढ़ते हैं।

माऊन की तफ़्सीर में उलमा के कई क़ौल हैं। इसकी तफ़्सीर कुछ उलमा से ज़कात नक़ल की गयी है, लेकिन अक्सर उलमा से जो तफ़्सीरें मंक़ूल हैं, उनके मुवाफ़िक़ मामूली रोज़मर्रा के बरतने की चीज़ें हैं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हम हुज़ूर सल्ल॰ के ज़माने में माऊन का मिस्दाक़ ये चीज़ें क़रार देते थे, कि डोल मांगा दे देना, हांडी, कुल्हाड़ी, तराज़ू और इस क़िस्म की जो चीज़ें एक दूसरे को मांगी दे दी जाती हैं कि अपना काम पूरा करके वापस कर दें

हज़रत अबू-हुरैरह रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से

नक़ल करते हैं कि माऊन से मुराद वे चीज़ें हैं, जिनसे लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर देते हैं जैसाकि कुल्हाड़ी, देगची, डोल वग़ैरह।

और भी मुतअद्द रिवायात में यह मज़्मून कसरत से ज़िक्र किया गया।

इक्रमा रज़ि॰ से किसी ने "माऊन" का मतलब पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि इसकी जड़ तो ज़कात है और अद्ना दर्जा, छलनी, डोल, सुई का देना है। *(दुर्रे मंसूर)*

इस सूरः शरीफ़ा में कई चीज़ों पर तंबीह की गयी है। मिनजुम्ला उनके यतीमों के बारे में ख़ास तंबीह है कि हलाकत के अस्बाब में से यतीम को धक्के देकर निकाल देना भी है। बहुत से लोग यतीमों के वाली वारिस बन कर उनका माल अपने तसर्रूफ़ में लाते हैं और जब वह या उसकी तरफ़ से कोई मुतालबा करे तो उसको डांटते हैं, उन पर हलाकत और अज़ाबे शदीद में तो कोई शुबह ही नहीं है।

यही नौअ् इस सूरः शरीफ़ा का शाने नुज़ूल बताया जाता है।

क़ुरआन पाक में बहुत कसरत से यतीमों के बारे में तंबीहात और आयात नाज़िल हुई हैं। चंद आयात की तरफ़ इशारा करता हूँ, जिससे अंदाज़ा होगा कि अल्लाह जल्ल शानुहू व अम्म नवालुहू ने किस एहतिमाम से इस पर तंबीह बार बार फ़रमायी है।

(١) وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ (بقرہ ع ١٠)

1. "व बिल् वालि दै नि इह्सानंव् व ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल् मसा कीन॰" *(सूरः बक़रः रूकूअ् 10)*

(٢) وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ (بقرہ ع ٢٢)

2. "व आतल् मा-ल अला हुब्बि-ही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसा कीन॰" *(सूरः बक़रः रूकूअ् 22)*

(٣) قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى (بقرہ ع ٢٦)

3. "क़ुल मा अन्फ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल् वालिदैनि वल अक़्र-बी-न वल यतामा॰" *(सूरः बक़रः रूकूअ् 26)*

(٤) وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ط قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ط (بقره ع ٢٧)

4. "व यस् अलू-न-क अनिल यतामा क़ुल इस्लाहु ल्लहुम ख़ैर॰"

(सूर: बक़र: रूकूअ् 27)

(٥) وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ (نسآء ع ١)

5. *"व आतुल् यतामा अम्वा-ल हुम॰" (सूर: निसा, रूकूअ् 1)*

(٦) وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى (نسآء ع ١)

6. "व इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़्सितू फ़िल यतामा॰"

(सूर: निसा, रूकूअ 1)

(٧) وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى (اِلٰى قَوْلِهٖ) وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا (نسآء ع ١)

7. "वब्त-लुल यतामा (इला क़ौलिही) व ला ताकुलूहा इस्राफ़ंव् व बिदारन् अंय्यक्ब रू॰" *(सूर: निसा, रूकूअ् 1)*

(٨) وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى (نسآء ع ١)

8. "व इ ज़ा ह-ज़-रल् कि स्म-त उलुल् क़ुर्बा वल् यतामा॰"

(सूर: निसा, रूकूअ् 1)

(٩) اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا (نسآء ع ١)

9. "इन्नल्लज़ी-न यअ्कुलू न अम्वालल् यतामा ज़ुल्मा॰"

(सूर: निसा, रूकूअ 1)

(١٠) وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى (نسآء ع ٦)

10. "व बिल वालिदैनि एह्सानंव् व बिज़िल् क़ुर्बा वल यतामा॰"

(सूर: निसा, रूकूअ् 6)

(١١) وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ (نسآء ع ١٩)

11. "व मा युत्ला अलैकुमि फ़िल् किताबि फ़ी यतामन्निसा-इ॰"

(सूर: निसा, रूकूअ् 9)

(١٢) وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ط (نسآء ع ١٩)

12. "व अन तक़ूमू लिल् यतामा बिल् कि स्त॰"

(सूर: निसा, रूकूअ् 19)

(١٣) وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ (انعام ع ١٩، ١٤ بنى اسرآئيل ع ٤)

13, 14. "व ला तक़र बू मालल् यती-मि इल्ला बिल्लती हि-य

अह्स-नु॰" *(सूर: अन्आम रूकूअ् 19, बनी इस्राईल रूकूअ् 4)*

(١٥) مَا اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ (حشر ع ١)

15. "मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही॰" *(हश्र, रूकूअ् 1)*

(١٦) وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا (دهر ع ١)

16. "वयुत्अिमूनत्तआ-म अला हुब्बिही मिस्की नंव् व यतीमा॰" *(दह्र, रूकूअ् 1)*

(١٧) كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۙ (فجر ع ١)

17. "कल्ला बल् ला तुक्रिमूनल् यतीम॰" *(फ़ज्र, रूकूअ् 1)*

(١٨) اَوْ اِطْعٰمٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ ۙ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۙ (بلد ع ١)

18. "औ इत् आमुन् फ़ी यौमिन् ज़ी मस्-ग़-ब तिन् यतीमन् ज़ा मक़्रब:॰" *(बलद, रूकूअ् 1)*

(١٩) اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا (والضحى)

19. "अ लम् यजिद्-क यतीमन्॰" *(वज़्ज़ुहा)*

(٢٠) فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ (والضحى)

20. "फ़-अम्मल् यती-म फ़ला तक़्हर्॰" *(वज़्ज़ुहा)*

ये बीस आयात नमूने के तौर पर ज़िक्र की गयी हैं। आयात की सूर: और रूकूअ भी लिख दिए गये हैं। अगर किसी तर्जुमे वाले क़ुरआन शरीफ़ में इन आयात को निकाल कर तर्जुमा देखा जाए तो मालूम होगा कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने बार बार मुख़्तलिफ़ उन्वानों से इस पर तंबीह फ़रमायी है कि यतीमों के बारे में उनकी, इस्लाह, उनकी ख़ैरख़्वाही, उनके माल में एहतियात, उनके साथ नर्मी का बर्ताव, उनकी सलाह और फ़लाह की कोशिश हत्ताकि अगर किसी यतीम लड़की से निकाह करे तो उसके मह्र को कम न करने पर भी तंबीह की गयी कि कस्मपुर्सी की वजह से उसके मह्र में भी कमी न की जाए।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद कई हदीसों में वारिद हुआ है- मैं और वह शख़्स जो किसी यतीम की किफ़ालत करता हो,

जन्नत में ऐसे क़रीब होंगे, जैसे दो उंगलियां, इस इर्शाद पर हुज़ूर सल्ल० ने अपनी दो उंगलियों, शहादत की उंगली और बीच की उंगली मिलाकर उनकी तरफ़ इशारा फ़रमाया कि जैसे ये दो क़रीब हैं, मिली हुई हैं ऐसे ही मैं और वह शख़्स जन्नत में क़रीब होंगे।

और बाज़ उलमा ने फ़रमाया है कि बीच की उंगली शहादत की उंगली से थोड़ी सी आगे निकली हुई होती है, तो इस सूरत में मतलब यह होगा कि मेरा दर्जा नुबुव्वत की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ होगा और उसके क़रीब ही उस शख़्स का दर्जा होगा।

एक हदीस में इर्शाद है कि जो शख़्स किसी यतीम के सर पर (शफ़्क़त से) हाथ फेरे और सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहू की रिज़ा के वास्ते ऐसा करे तो उसका हाथ यतीम के सिर के जितने बालों पर फिरेगा, हर एक बाल के बदले में उसको नेकियां मिलेंगी और जो शख़्स किसी यतीम लड़के या लड़की पर एहसान करे तो मैं और वह शख़्स जन्नत में इस तरह होंगे। वही दो उंगलियों से इशारा फ़रमाया, जैसा ऊपर गुज़रा। और भी कई हदीसों में मुख़्तलिफ़ उन्वान से यही मज़्मून वारिद है। *(दुर्रे मंसूर)*

एक हदीस में है कि क़ियामत के दिन कुछ लोग क़ब्रों से ऐसे उठेंगे कि उनके मुंह में आग भड़क रही होगी। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये कौन लोग होंगे? तो हुज़ूर सल्ल० ने आयाते गुज़िश्ता में से नवीं आयत तिलावत फ़रमायी:-

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ

"इन्नल्लज़ी-न यअ् कुलू-न अम्वालल् यतामा" जिसका तर्जुमा यह है कि जो लोग यतीमों का माल ज़ुल्म से खाते हैं, वे अपने पेट में आग भरते हैं। शबे मेराज में हुज़ूर सल्ल० ने एक क़ौम को देखा कि उनके होंट ऊँट के होंटो की तरह से बड़े बड़े हैं और फ़रिश्ते उन पर मुसल्लत हैं कि वे उनके होटों को चीर कर उनमें आग के बड़े बड़े पत्थर ठूंस रहे हैं कि वह आग मुँह से दाख़िल होकर पाख़ाना की जगह से निकलती है और वे लोग निहायत आह व ज़ारी से चिल्ला रहे हैं। हुज़ूर सल्ल० ने हज़रत जिब्रील अलै० से दर्याफ़्त किया कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने फ़रमाया कि ये वे लोग हैं, जो यतीमों का माल ज़ुल्म से खाते थे, इनको आग खिलायी जा रही है।

एक हदीस में है कि चार क़िस्म के आदमी ऐसे हैं, जिनकी अल्लाह जल्ल शानुहू न तो जन्नत में दाख़िल फ़रमायेंगे, न जन्नत की नेमतें उनको चखना नसीब होंगी।

1. एक वह शख़्स जो शराब पीता हो,

2. दूसरे सूदख़ोर

3. तीसरे वह शख़्स जो नाहक़ यतीम का माल खाये,

4. चौथे वह शख़्स जो वालिदैन की नाफ़रमानी करे। *(दुर्रे मंसूर)*

हज़रते अक़्दस शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रह० ने तफ़्सीर में तहरीर फ़रमाया है कि यतीमों पर एहसान दो क़िस्म का है:-

1. एक तो वह जो वारिसों पर वाजिब है, मसलन उसके माल की हिफ़ाज़त, कि उसमें ज़राअत या तिजारत वग़ैरह से तरक़्क़ी हो, ताकि उसका नफ़्क़ा और ज़रूरियात पूरी हो सकें। और उसकी ख़ुराक पोशाक वग़ैरह की ख़बरगीरी नीज़ उसके लिखने पढ़ने और तालीमे आदाब वग़ैरह की ख़बरगीरी।

2. दूसरी क़िस्म वह है जो आम आदमियों पर वाजिब है और वह उसकी ईज़ा को तर्क करना है और नर्मी और मेहरबानी से उससे पेश आना है, महफ़िलों और मजालिस में अपने पास बिठाना, उसके सर पर हाथ फेरना, अपनी औलाद की तरह उसको गोद में लेना, उससे मुहब्बत ज़ाहिर करना, इसलिए कि जब वह यतीम हो गया और उसका बाप न रहा, तो हक़ तआला शानुहू ने सब बंदों को हुक्म किया कि उसके साथ बाप जैसा बर्ताव करें और उसको अपनी औलाद की तरह समझें, ताकि बाप के मरने की वजह से जो हुक्मी कमज़ोरी व आजज़ी उसको लाहिक़ हो गयी, इस क़ुव्वते हक़ीक़ी के साथ कि हज़ारों आदमी उसके बाप की जगह हो जाएं, दूर हो जाए। पस यतीम भी क़राबते शरई रखता है जैसा कि दूसरे अक़ारिब क़राबते उर्फ़ी रखते हैं। *(सूरः बक़रः)*

दूसरा मज़्मून जो आयते बाला में ख़ुसूसी मज़्कूर है, वह मिस्कीन के खाने पर तर्ग़ीब न देने पर तंबीह है और गोया बुख़्ल के इंतिहाई दर्जे की तरफ़ इशारा है कि ख़ुद तो वह अपना माल क्या ख़र्च करता, वह यह भी गवारा नहीं करता कि दूसरा भी कोई फ़क़ीरों पर ख़र्च करे। क़ुरआन पाक में मिस्कीनों के खाना खिलाने पर बहुत सी आयात में तर्ग़ीब दी गयी, जिनमें से कुछ पहले मज़्कूर हो चुकी हैं। सूरः फ़ज्र में है-

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

"कल्ला बल् ला तुक्रिमूनल् यती-म व ला तहाज़्ज़ू-न अला तआमिल् मिस्की-नि॰"

इसमें भी तंबीह की गयी कि तुम लोग न तो यतीमों का इक्राम करते हो, न मिस्कीनों को खाना खिलाने की तर्ग़ीब देते हो।

तीसरी चीज़ जो आयते बाला में ज़िक्र की गयी वह माऊन का रोकना है, जिसकी तफ़्सीर पहले गुज़र चुकी है।

हज़रते अक़्दस शाह अब्दुल अज़ीज़ रह॰ ने तहरीर फ़रमाया कि इस सूरः का नाम "माऊन" इस वजह से है कि यह एहसान का अदना दर्जा है और जबकि एहसान न करने का अदना दर्जा भी मुजिबे हिजाब व इताब है तो आला दर्जा यानी अल्लाह के हक़ और बन्दों के हक़ के ज़ाया करने से ब-तरीक़े औला डरना चाहिए। यहां तक इस मज़्मून के मुताल्लिक़ चंद आयात ज़िक्र की गयी हैं।

आगे चंद अहादीस इस मज़्मून के मुताल्लिक़ लिखी जाती हैं, जिन से मालूम होगा कि बुख़्ल और माल को जमा करके रखना किस क़दर सख़्त चीज़ है।

अहादीस मज़म्मते बुख़्ल

(١) عن ابی سعیدؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق رواہ الترمذی کذافی المشکوٰۃ

1. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि दो ख़स्लतें ऐसी हैं कि वह मोमिन में जमा नहीं हो सकतीं, एक तो बुख़्ल दूसरे बद-ख़ुलक़ी।

फ़ायदाः- यानी कोई शख़्स मोमिन होकर बख़ील भी हो और बद-ख़ुल्क़ भी, यह मोमिन की शान हरगिज़ नहीं। ऐसे शख़्स को अपने ईमान की बड़ी फ़िक्र चाहिए। ख़ुदा न-ख़्वास्ता ऐसा न हो कि उसी से हाथ धो बैठे कि जैसे हर ख़ूबी दूसरी ख़ूबी को खींचती है, ऐसे ही हर ऐब दूसरे ऐब को खींचता है।

दूसरी हदीस में इससे भी बढ़कर हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि शुह्ह (यानी बुख़्ल की आला क़िस्म) ईमान के साथ जमा नहीं हो सकती। *(मिश्कात)*

कि इन दोनों चीज़ों का इज्तिमाअ् गोया ज़िद्दैन का इज्तिमाअ् है। जैसा कि आग और पानी का जमा होना कि जौन सी चीज़ ग़ालिब होगी वह दूसरे को फ़ना कर देगी। अगर पानी ग़ालिब है, आग को बुझा देगा, आग ग़ालिब है, तो पानी को जला देगी। ऐसे ही ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के मनाफ़ी हैं। जौन सी चीज़ ग़ालिब होगी, रफ़्ता रफ़्ता दूसरी को फ़ना कर देगी।

एक हदीस में आया है कि कोई वली ऐसा नहीं हुआ जिसमें अल्लाह जल्ल शानुहू ने दो आदतें न पैदा की हों, एक सख़ावत, दूसरी ख़ुश ख़ुल्क़ी। (कंज़)

दूसरी हदीस में है कि अल्लाह का कोई वली ऐसा नहीं कि जो सख़ावत का आदी न बनाया गया हो। (कंज़)

बहुत ज़ाहिर बात है कि अगर अल्लाह जल्ल शानुहू से ताल्लुक़ और मुहब्बत है तो उसकी मख़्लूक़ पर ख़र्च करने को बे इख़्तियार दिल चाहेगा कि महबूब के अज़ीज़ व अक़ारिब की ख़ातिर मुहब्बत के लवाज़िमात से है और जब मख़्लूक़ अल्लाह की अयाल है तो उन पर ख़र्च करने को वली का दिल ज़रूर चाहेगा और उसके अयाल में भी जिसका ताल्लुक़ उसके साथ जितना ज़्यादा क़वी होगा, उतना ही उस पर ख़र्च करने को ज़्यादा चाहेगा और अगर न चाहे तो मालूम हुआ कि माल की मुहब्बत अल्लाह की मुहब्बत से ज़्यादा है और अल्लाह तआला के साथ मुहब्बत का दावा झूठ है।

(۲) عن ابی بکر الصدیقؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لایدخل الجنۃ خب ولا بخیل ولا منان (رواہ الترمذی کذا فی المشکوۃ)

2. हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल किया है कि जन्नत में न तो चालबाज़, (धोखेबाज़) दाख़िल होगा, न बख़ील, न सदक़ा करके एहसान रखने वाला।

फ़ायदाः- उलमा ने इर्शाद फ़रमाया है कि इन सिफ़ात के साथ कोई शख़्स भी जन्नत में दाख़िल न हो सकेगा। अगर किसी मोमिन में ये बुरी सिफ़ात ख़ुदा न-ख़्वास्ता पायी जाती होंगी, तो अव्वल तो हक़ तआला शानुहू उसको दुनिया ही में उनसे तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमावेंगे और अगर यह न हुआ तो

अव्वल जहन्नम में दाख़िल होकर इन सिफ़ात का तन्क़िया (सफ़ाई) होने के बाद जन्नत में दाख़िल हो सकेगा। लेकिन जहन्नम में दाख़िल होना, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, क्या कोई मामूली और आसान काम है? दुनिया की आग में थोड़ी देर के लिए डाला जाना क्या असरात पैदा करता है, हालांकि यह आग जहन्नम की आग के मुक़ाबले में कुछ भी हक़ीक़त नहीं रखती।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि दुनिया की आग जहन्नम की आग का सत्तरवां हिस्सा है। सहाबा रज़ि० ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्ल० यह आग क्या कुछ कम है, यह तो ख़ुद ही बहुत काफ़ी अज़ीयत (तक्लीफ़) पहुँचाने वाली है। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि वह इससे उनहत्तर दर्जा बढ़ी हुई है। *(मिश्कात)*

एक दूसरी हदीस में है कि जहन्नम में सबसे कम अज़ाब वाला वह शख़्स होगा जिसको जहन्नम की आग की सिर्फ़ दो जूतियां पहनाई जाएंगी और उनकी वजह से उसका दिमाग़ ऐसे जोश मारेगा जैसे कि हंडिया आग पर जोश मारती है। *(मिश्कात)*

एक हदीस में आया है कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने जन्नते अदन को अपने दस्ते मुबारक से बनाया, फिर उसको सजाया और मुज़य्यन किया।

फिर फ़रिश्तों को हुक्म फ़रमाया कि इसमें नहरें जारी करें और फल इसमें लटकाएं जब हक़ तआला शानुहू ने उसकी ज़ेब व ज़ीनत को मुलाहज़ा फ़रमाया तो इर्शाद फ़रमाया कि मेरी इज़्ज़त की क़सम! मेरे जलाल की क़सम! मेरे बुलंदी वाले अर्श की क़सम! तुझ में बख़ील नहीं आ सकता। *(कंज़)*

(٣) عن ابی ذرؓ قال انتهيت الى النبی صلی الله عليه وسلم وهو جالس فی ظل الكعبة فلما رانی قال هم الاخسرون ورب الكعبة فقلت فداك ابی وامی من هم قال هم الاكثرون مالا الامن قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ماهم متفق عليه كذا فی المشكوٰة.

3. हज़रत अबूज़र रज़ि० फ़रमाते हैं, मैं एक मर्तबा हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हुज़ूर सल्ल० काबा शरीफ़ की दीवार के साए में तशरीफ़ रखते थे। मुझे देखकर हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि काबा के रब की क़सम ! वे लोग बड़े ख़सारे (घाटे) में हैं। मैं ने अर्ज़ किया मेरे

मां, बाप आप पर क़ुर्बान। कौन लोग? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि जिनके पास माल ज़्यादा हो, मगर वे लोग जो इस तरह, इस तरह (ख़र्च करें), अपने दाएं से बाएं से ,आगे से, पीछे से, लेकिन ऐसे आदमी बहुत कम हैं।

फ़ायदाः- हज़रत अबूज़र रज़ि॰ ज़ाहिदीन सहाबा रज़ि॰ में हैं, जैसा कि पहले भी गुज़र चुका। उनको देखकेर यह इर्शाद हक़ीक़तन उनकी तसल्ली थी कि अपने फ़क्र व ज़ुह्द पर किसी वक़्त भी ख़्याल न करें, यह माल व मताअ् की कसरत अपने आप में कोई महबूब चीज़ नहीं, बल्कि बड़े ख़सारे और नुक्सान की चीज़ है, और ज़ाहिर है कि यह अल्लाह जल्ल॰ शानुहू से ग़फ़लत का सबब बनता है। रोज़मर्रा का मुशाहदा है कि बग़ैर तंगदस्ती के अल्लाह की तरफ़ रुजू बहुत ही कम होता है। अलबत्ता जिन लोगों को अल्लाह जल्ल शानुहू ने तौफ़ीक़ अता फ़रमायी है और वे ज़रूरत के मवाक़े में जहां और जिस तरफ़ ज़रूरत हो, चारों तरफ़ बख़्शिश का हाथ फैलाते हों, उनके लिए माल मुज़िर (नुक़सान देह) नहीं है। लेकिन हुज़ूर सल्ल॰ ने ख़ुद ही इर्शाद फ़रमा दिया कि ऐसे आदमी कम हैं। आम तौर से यही होता है कि जहां माल की कसरत होती है फ़िस्क व फ़ुजूर आवारगी, अय्याशी अपने साथ लाती है और बेमहल ख़र्च करना, नाम व नमूद पर सर्फ़ करना तो दौलत के अदना करिश्मों में से है। ब्याह, शादियों और दूसरी तक़रीबात पर बेजा और बेमहल हज़ारों रूपये ख़र्च कर दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह के नाम पर ज़रूरत मंदों और भूखों पर ख़र्च करने की गुंजाइश ही न निकलेगी।

एक हदीस में है कि जो लोग दुनिया में ज़्यादा मालदार हैं, वही लोग आख़िरत में कम सरमाया वाले हैं। मगर वह शख़्स जो हलाल ज़रिए से कमाये और यों यों ख़र्च कर दे। *(कंज़)*

पहली हदीस की तरह "यों यों" का इशारा इधर उधर ख़र्च करने की तरफ़ है। हक़ीक़त में माल उसके लिए ज़ीनत और इज़्ज़त है, जो उस को इधर उधर ख़र्च कर दे और जो गिन गिन कर, बांध बांध कर रखे, उसके लिए हर क़िस्म की आफ़ात का पेश ख़ेमा है उसको भी हलाक करता है और ख़ुद भी उसके पास से ज़ाया होता है। यह बे-मुरव्वत किसी शख़्स को दीन या दुनिया का फ़ायदा उस वक़्त तक नहीं पहुँचाता, जब तक उसके पास से जुदा न हो।

(٤)عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم السخی قریب من اللّٰہ قریب من الجنۃ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللّٰہ بعید من الجنۃ بعید من الناس قریب من النار والجاھل السخی احب الی اللّٰہ من عابد بخیل رواہ الترمذی کذا فی المشکوٰۃ

4. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि सख़ी आदमी अल्लाह के क़रीब है, जन्नत से क़रीब है, लोगों से क़रीब है, जहन्नम से दूर है, और बख़ील आदमी अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, आदमियों से दूर है और जहन्नम से क़रीब है। बेशक जाहिल सख़ी अल्लाह के नज़दीक आबिद बख़ील से ज़्यादा महबूब है।

फ़ायदाः- यानी जो शख़्स इबादत बहुत कसरत से करता हो, नवाफ़िल बहुत लम्बी लम्बी पढ़ता हो, उससे वह शख़्स अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है, जो नवाफ़िल कम पढ़ता हो, लेकिन सख़ी हो। आबिद से मुराद नवाफ़िल कसरत से पढ़ने वाला है, फ़राइज़ का पढ़ना तो हर शख़्स के लिए ज़रूरी है, चाहे सख़ी हो या न हो।

इमाम गज़ाली रह० ने नक़ल किया है कि हज़रत यह्या बिन ज़करीया अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलामु ने एक मर्तबा शैतान से दर्याफ़्त फ़रमाया कि तुझे सबसे ज़्यादा महबूब कौन शख़्स है और सबसे ज़्यादा नफ़रत किससे है? उसने कहा मुझे सबसे ज़्यादा मुहब्बत मोमिन बख़ील से है और सबसे ज़्यादा नफ़रत फ़ासिक़ सख़ी से है। उन्हों ने फ़रमाया यह क्या बात है? उसने अर्ज़ किया कि बख़ील तो अपने बुख़्ल की वजह से मुझे बेफ़िक्र रखता है, यानी उसका बुख़्ल ही जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है, लेकिन फ़ासिक़ सख़ी पर मुझे हर वक़्त फ़िक्र सवार रहता है कि कहीं हक़ तआला शानुहू उसकी सख़ावत की वजह से उससे दर गुज़र न फ़रमावें। *(एह्या)*

यानी अगर हक़ तआला शानुहू उसकी सख़ावत की वजह से किसी वक़्त उससे राज़ी हो गये, तो उसके दरिया-ए-मग़्फ़िरत व रहमत में उम्र भर के फ़िस्क़ व फ़ुजूर की क्या हक़ीक़त है, वह सब कुछ माफ़ फ़रमा सकता है। ऐसी सूरत में मेरी उम्र भर की मेहनत, जो उस से गुनाह सादिर कराने में की थी, सारी ज़ाया हो गयी।

एक हदीस में है कि जो शख़्स सख़ावत करता है, वह अल्लाह जल्ल शानुहू के साथ हुस्ने ज़न की वजह से करता है और जो बुख़्ल करता है वह हक़ तआला के साथ बदज़नी करता है। (कंज़)

हुस्ने ज़न का मतलब यह है कि वह यह समझता है कि जिस मालिक ने यह अता फ़रमाया, वह फिर भी अता फ़रमा सकता है और ऐसे शख़्स के अल्लाह से क़रीब होने में क्या तरद्दुद है और बदज़नी का मतलब यह है कि वह यह समझता है कि ये ख़त्म हो गये, तो फिर कहां से आएंगे ऐसे शख़्स का अल्लाह जल्ल शानुहू से दूर होना ज़ाहिर है, कि वह अल्लाह तआला के ख़ज़ाने को भी महदूद समझता है, हालांकि आमदनी के असबाब उसी के पैदा किए हुए हैं और इन असबाब से पैदावार का न होना उसी के क़ब्ज़ा-ए-क़ुदरत में है। वह न चाहे तो दुकानदार हाथ पर हाथ रखे बैठा रहे, काश्तकार बोए और पैदावार न हो और जबकि यह सब उसी की अता की वजह से है, फिर इसका क्या मतलब कि फिर कहां से आयेगा? मगर हम लोग ज़बान से इसका इक़रार करने के बाद दिल से यह नहीं समझते कि यह सिर्फ़ अल्लाह तआला शानुहू ही की अता है, हमारा इसमें कोई दख़ल नहीं और सहाबा-ए-किराम रज़ि॰ दिल से यह समझते थे कि यह सब उसी की अता है, जिसने आज दिया, वह कल भी देगा, इसलिए उनको सब कुछ ख़र्च कर देने में ज़रा ताम्मुल न होता था।

(٥) عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخاء شجرۃ فی الجنۃ فمن کان سخیا اخذ بغصن منہا فلم یترکہ الغصن حتی یدخلہ الجنۃ والشح شجرۃ فی النار فمن کان شحیحا اخذ بغصن منہا فلم یترکہ الغصن حتی یدخلہ النار رواہ البیہقی فی شعب الایمان کذا فی المشکوٰۃ

5. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि सख़ावत जन्नत में एक दरख़्त है, पस जो शख़्स सख़ी होगा, वह उसकी एक टहनी पकड़ लेगा, जिसके ज़रिए से वह जन्नत में दाख़िल हो जाएगा और बुख़्ल जहन्नम का एक दरख़्त है, जो शख़्स शहीह् (बख़ील) होगा, वह उसकी एक टहनी पकड़ लेगा, यहां तक कि वह टहनी उसको जहन्नम में दाख़िल करके रहेगी।

फ़ायदाः- शुह्ह बुख़्ल का आला दर्जा है, जैसाकि पहली फ़स्ल की

आयात में नं॰ 28 पर गुज़र चुका है। मतलब ज़ाहिर है कि जब बुख़्ल जहन्नम का दरख़्त है तो उसकी टहनी पकड़ कर जो शख़्स चढ़ेगा, वह जहन्नम ही में पहुँचेगा।

एक हदीस में है कि जन्नत में एक दरख़्त है, जिसका नाम सख़ा है, सख़ावत उसी से पैदा हुई है और जहन्नम में एक दरख़्त है जिसका नाम शुह्ह् है, शुह्ह उसी से पैदा हुआ है। जन्नत में शहीह् दाख़िल न होगा। *(कंज़)*

यह पहले मुतअद्दद मर्तबा मालूम हो चुका कि शुह्ह बुख़्ल का आला दर्जा है।

एक और हदीस में है कि सख़ावत जन्नत के दरख़्तों में से एक दरख़्त है, जिसकी टहनियां दुनिया में झुक रही हैं, जो शख़्स उसकी किसी टहनी को पकड़ लेता है, वह टहनी उसको जन्नत तक पहुँचा देती है। और बुख़्ल जहन्नम के दरख़्तों में से एक दरख़्त है जिसकी टहनियां दुनिया में झुक रही हैं। जो शख़्स उसकी किसी टहनी को पकड़ लेता है, वह टहनी उसको जहन्नम तक पहुँचा देती है। *(कंज़)*

यह ज़ाहिर चीज़ है कि जो सड़क स्टेशन पर जाती है, जब आदमी उस सड़क पर चलता रहेगा तो ला महाला किसी वक़्त स्टेशन पर पहुँचेगा। इसी तरह से ये टहनियां जिन दरख़्तों की हैं, जब उनको कोई पकड़ कर चढ़ेगा तो जहां वह दरख़्त खड़ा है वहां पहुँच कर रहेगा।

(٦) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر مافی الرجل شح ہالع وجبن رواہ ابو داؤد و کذا فی المشکوۃ.

6. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बदतरीन आदतें जो आदमी में हों (दो हैं) एक वह बुख़्ल जो बेसब्र कर देने वाला हो, दूसरे वह नामर्दी और ख़ौफ़ जो जान निकाल देने वाला हो।

फ़ायदा:- इन दो ऐबों की तरफ़ अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने पाक कलाम में भी तंबीह फ़रमायी है, चुनांचे इर्शाद है-

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۙ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۙ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۙ اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۚ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ

مَأْمُوْنٍ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا
مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ
بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ
فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۝ (معارج ع١)

पूरी आयाते शरीफ़ा का तुर्जमा यह है कि बेशक इंसान कम हिम्मत (थोड़े और कच्चे दिल) का पैदा हुआ है, जब उसको तक्लीफ़ पहुँचती है तो जज़अ-फ़ज़अ करने लगता है और जब उसको ख़ैर (माल) पहुँचती है तो बुख़्ल करने लगता है, मगर वे नमाज़ी जो अपनी नमाज़ पर पाबंदी करने वाले हैं, और जिनके मालों में सवाल करने वालों के लिए और सवाल न करने वालों के लिए मुक़र्रर हक़ है, और वे लोग जो क़ियामत के दिन का एतक़ाद रखते हैं और वे लोग जो अपने परवरदिगार के अज़ाब से डरने वाले हैं। बेशक उनके रब का अज़ाब बेख़ौफ़ होने की चीज़ नहीं। (यक़ीनन उससे हर शख़्स को हर वक़्त डरते रहना चाहिए।) और वे लोग जो अपनी शर्मगाहों को (हराम जगह से) महफ़ूज़ रखते हैं लेकिन अपनी बीवियों से, या बांदियों से (हिफ़ाज़त की ज़रूरत नहीं), क्योंकि उन पर उनमें कोई इल्ज़ाम नहीं (यानी उन लोगों पर बीवियों और बांदियों से सोहबत करने में कोई एतिराज़ की बात नहीं है।), हाँ जो लोग इनके अलावा और जगह शहवत पूरी करने के तलबगार हों, वे हुदूद से तजावुज़ करने वाले हैं। और वे लोग जो अपने (सुपुर्द की हुई) अमानतों और अपने अह्द (क़ौल व क़रार) का ख़्याल रखने वाले हों और अपनी गवाहियों को ठीक ठीक अदा करते हों, और जो अपनी फ़र्ज़ नमाज़ की पाबन्दी करने वाले हों, यही लोग हैं जो जन्नतों में इज़्ज़त से दाख़िल होंगे। *(फ़क़त)*

यह उन आयात का तर्जुमा है और इस क़िस्म का पूरा मज़्मून इसके क़रीब-क़रीब दूसरी जगह सूरः मूमिनून के शुरू में भी गुज़र चुका है। हज़रत इम्रान बिन हसीन रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरे अमामे का सिरा पकड़ कर इर्शाद फ़रमाया कि इम्रान! हक़ तआला शानुहू को ख़र्च करना बहुत पसंद है और रोक कर रखना ना पसंद है। तू ख़र्च किया कर और लोगों को खिलाया कर, किसी को मज़र्रत न पहुँचा कि

तुझ पर तेरी तलब में मज़र्रत होने लगेगी। ग़ौर से सुन, हक़ तआला शानुहू शुबहात के वक़्त तेज़ नज़र को पसंद करते हैं। (यानी जिस अम्र (मामले) में जायज़ नाजायज़ का शुबह हो उसमें बारीक नज़र से काम लेना चाहिए, वैसे ही सरसरी तौर पर जो चाहे कर गुज़रना न हो।) और शह्वतों के वक़्त कामिल अक़्ल को पसंद करते हैं (कि शह्वत के ग़लबे में अक़्ल न खो दे) और सख़ावत को पसंद करते हैं चाहे चंद खजूरें ही ख़र्च करे। (यानी अपनी हैसियत के मुवाफ़िक़ ज़्यादा न हो सके तो कम में शर्म न करे जो हो सके ख़र्च करता रहे) और बहादुरी को पसंद करते हैं चाहे सांप और बिच्छु ही के क़त्ल में क्यों न हो। *(कंज़)*

लिहाज़ा ज़रा सी ख़ौफ़ की चीज़ से डर जाना अल्लाह जल्ल शानुहू को पसंद नहीं है। अगर दिल में ख़ौफ़ पैदा भी हो तो उसका इज़्हार न करना चाहिए, बल्कि क़ुव्वत के साथ उसको दफ़ा करना चाहिए।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जो दुआएं उम्मत की तालीम के लिए मंक़ूल हैं उनमें ना-मर्दी से पनाह मांगना भी नक़ल किया गया है और मुतअद्दद दुआओं में उससे पनाह मांगना नक़ल किया गया। *(बुख़ारी)*

(۷) عن ابن عباسؓ قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس المؤمن بالذی یشبع وجاره جائع الی جنبه رواه البیهقی فی الشعب کذافی المشکوٰة

7. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि वह शख़्स मोमिन नहीं जो ख़ुद तो पेट भर खाना खा ले और पास ही उसका पड़ोसी भूखा रहे।

फ़ायदा:- यक़ीनन जिस शख़्स के पास इतना है कि वह पेट भर कर खा सकता है और पास ही भूखा पड़ोसी है तो उसके लिए हरगिज़ हरगिज़ ज़ेबा नहीं कि ख़ुद पेट भर कर खाये और वह ग़रीब भूख में तिलमिलाता रहे, ज़रूरी है कि अपने पेट को कुछ कम पहुंचाए और पड़ोसी की भी मदद करे।

एक हदीस में है हुज़ूर सल्ल॰ इर्शाद फ़रमाते हैं कि वह शख़्स मुझ पर ईमान नहीं लाया जो ख़ुद पेट भर कर रात गुज़ारे और उसको यह बात मालूम है कि उसका पड़ोसी उसके बराबर में भूखा है। *(तर्ग़ीब)*

एक और हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि क़ियामत में कितने आदमी ऐसे होंगे जो अपने पड़ोसी का दामन पकड़े हुए अल्लाह तआला से अर्ज़

करेंगे, या अल्लाह! इससे पूछें कि इसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था और मुझे अपनी ज़रूरत से ज़ायद जो चीज़ होती थी वह भी न देता था। *(तर्ग़ीब)*

एक हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद वारिद हुआ है कि लोगो ! सदक़ा करो, मैं क़ियामत के दिन इसकी गवाही दूँगा, शायद तुममें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जिनके पास रात को सेर होने के बाद बच रहे और उसका चचाज़ाद भाई भूख की हालत में रात गुज़ारे, तुममें शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खुद तो अपने माल को बढ़ाते रहें और उनका मिस्कीन पड़ोसी कुछ न कमा सके। *(कंज़)*

एक और हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद वारिद हुआ है कि आदमी के बुख़्ल के लिए यह काफ़ी है कि वह यों कहे कि मैं अपना हक़ पूरा का पूरा लूँगा। उसमें से ज़रा सा भी नहीं छोड़ूँगा। *(कंज़)*

यानी तक़्सीम वग़ैरह में रिश्तेदारों से हो या पड़ोसियों से, अपना पूरा हक़ वसूल करने की फ़िक्र में लगा रहे। ज़रा-ज़रा सी चीज़ पर कंज व काव करे, यह भी बुख़्ल की अलामत है। अगर थोड़ा बहुत दूसरे के पास चला जाएगा तो इसमें क्या मर जायेगा?

(٨) عن ابی عمرؓ وابی هریرةؓ قالا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عذبت امرأة فی هرة امسکتها حتی ماتت من الجوع فلم تکن تطعمها ولا ترسلها فتاکل من خشاش الارض متفق علیه کذافی المشکوٰة.

8. हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ दोनों ने हुज़ूर सल्ल॰ का यह इर्शाद नक़ल किया कि एक औरत को इस पर अज़ाब किया गया कि उसने एक बिल्ली को बांध रखा था, जो भूख की वजह से मर गयी, न तो उसने उसको खाने को दिया न उसको छोड़ा कि वह ज़मीन के जानवरों (चूहे वग़ैरह) से अपना पेट भर लेती।

फ़ायदा:- जो लोग जानवरों को पालते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी सख़्त है कि वे बे-ज़बान जानवर अपनी ज़रूरियात को ज़ाहिर भी नहीं कर सकते, ऐसी हालत में उनके खाने पीने की ख़बरगीरी बहुत अहम और ज़रूरी है। इसमें बुख़्ल से काम लेना अपने आप को अज़ाब में मुब्तला करने के लिए तैयार करना है। बहुत से आदमी जानवरों के पालने का तो बड़ा शौक़ रखते हैं लेकिन उनके घास दाने पर ख़र्च करते हुए जान निकलती है।

हुज़ूरे अक़्दस सल्ल॰ से मुख़्तलिफ़ अहादीस में मुख़्तलिफ़ उन्वानात से यह मज़्मून नक़ल किया गया कि इन जानवारों के बारे में अल्लाह तआला से डरते रहा करो।

एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक ऊँट नज़रे अक़्दस से गुज़रा, जिसका पेट कमर से लग रहा था। (भूख की वजह से या दुबलेपन की वजह से।) हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि इन बे-ज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरते रहा करो, उनकी अच्छी हालत में उन पर सवार हुआ करो और अच्छी हालत में उनको खाया करो। हुज़ूर सल्ल॰ की आदते शरीफ़ा यह थी कि इस्तिंजे के लिए जंगल में तशरीफ़ ले जाया करते थे, किसी बाग़ में या किसी टीले वग़ैरह की आड़ में ज़रूरत से फ़राग़त हासिल करते। एक मर्तबा इस ज़रूरत से एक बाग़ में तशरीफ़ ले गये, तो वहां एक ऊँट था, जो हुज़ूर सल्ल॰ को देखकर बड़ाने लगा और उसकी आँखों से आंसू जारी हो गये। (एक मारूफ़ चीज़ है कि हर मुसीबत-ज़दा का किसी ग़मख़्वार को देखकर दिल भर आता है।) हुज़ूर सल्ल॰ उसके पास तशरीफ़ ले गये, उसके कानों की जड़ पर शफ़्क़त का हाथ फेरा, जिससे वह चुपका हुआ।

हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि इस ऊँट का मालिक कौन है? एक अंसारी तशरीफ़ लाये और अर्ज़ किया कि मेरा है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि तुम उस अल्लाह से जिसने तुम्हें इसका मालिक बनाया है, डरते नहीं हो? यह ऊँट तुम्हारी शिकायत करता है कि तुम इसको भूखा रखते हो और काम ज़्यादा लेते हो।

एक और हदीस में है कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्ल॰ ने एक गधे को देखा कि उसके मुंह पर दाग़ दिया गया। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि तुमको अब तक यह मालूम नहीं कि मैं ने उस शख़्स पर लानत की है, जो जानवर के मुंह को दाग़ दे या मुँह पर मारे। अबू-दाऊद शरीफ़ में ये रिवायात ज़िक्र की गयीं, इनके अलावा और भी मुख़्तलिफ़ रिवायात में इस पर तंबीह की गयी है कि जानवरों की ख़बरगीरी में कोताही न की जाए और जब जानवरों का यह हाल है और उनके बारे में ये तंबीहात हैं तो आदमी जो अशरफ़ुल मख़्लूक़ात[1] है उसका हाल ख़ूब ज़ाहिर है और ज़्यादा अहम है।

1. जानदारों में सबसे अच्छा और बुज़ुर्ग जानदार।

हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद है कि आदमी के गुनाह के लिए यह काफ़ी है कि जिसकी रोज़ी अपने ज़िम्मे है, उसको ज़ाया करे, इसलिये अगर किसी जानवर को अपनी किसी ज़रूरत से रोक कर रखा है तो उसके खाने में कंजूसी करना और यह समझना कि कौन जाने किस को ख़बर होगी, अपने ऊपर सख़्त ज़ुल्म है। जानने वाला सब कुछ जानता है और लिखने वाले हर चीज़ की रिपोर्ट लिखते हैं, चाहे कितनी ही मख़्फ़ी की जाए और यह आफ़त बुख़्ल से आती है कि जानवरों को अपनी ज़रूरत से, सवारी की हो या खेती की हो, दूध की हो या कोई और काम लेने की हो, पालते हैं, लेकिन कंजूसी से उन पर पैसा ख़र्च करते हुए दम निकलता है।

(۹) عن انسؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجاء بابن ادم یوم القیٰمۃ کانہ بذج فیوقف بین یدی اللہ فیقول لہ اعطیتک وخولتک وانعمت علیک فما صنعت فیقول یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان فارجعنی اٰتک بہ کلہ فیقول ارنی ماقدمت فیقول رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان فارجعنی اٰتک بہ کلہ فاذا عبد لم یقدم خیرًا فیمضی بہ الی النار رواہ الترمذی وضعفہ کذا فی المشکوٰۃ.

9. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल किया गया कि क़ियामत के दिन आदमी ऐसा (ज़लील व ज़ईफ़) लाया जाएगा जैसा कि भेड़ का बच्चा होता है। और अल्लाह जल्ल शानुहू के सामने खड़ा किया जायेगा। इर्शाद होगा कि मैं ने तुझे माल अता किया, हशम, ख़दम दिए, तुझ पर नेमतें बरसायीं, तूने इन सब इन्आमात में क्या कारगुज़ारी की? वह अर्ज़ करेगा कि मैं ने ख़ूब माल जमा किया, उसको अपनी कोशिश से बहुत बढ़ाया और जितना शुरू में मेरे पास था, उससे बहुत ज़्यादा करके छोड़ आया। आप मुझे दुनिया में वापस कर दें। मैं वह सब आपकी ख़िदमत में हाज़िर कर दूँ। इर्शाद होगा मुझे तो वह बता जो तूने ज़िन्दगी में (ज़ख़ीरे के तौर पर आख़िरत के लिए) आगे भेजा हो। वह फिर अपना पहला कलाम दोहराएगा कि मेरे परवरदिगार! मैंने उसको ख़ूब जमा किया और ख़ूब बढ़ाया और जितना शुरू में था, उससे बहुत ज़्यादा करके छोड़ आया। आप मुझे दुनिया में वापस कर दें।, मैं वह सब लेकर हाज़िर हूँ (यानी ख़ूब सदक़ा करूँ, ताकि वह सब यहां मेरे पास आ जाए।) चूँकि उसके पास कोई ज़ख़ीरा ऐसा न निकलेगा, जो उसने

अपने लिए आगे भेज दिया हो, इसलिए उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।

फ़ायदाः- हम लोग तिजारत में, ज़राअत में और दूसरे ज़राए से रूपया कमाने में जितनी मेहनत और दर्दसरी करके जमा करते हैं, वह सब इसी लिए होता है कि कुछ ज़ख़ीरा अपने पास मौजूद रहे, जो ज़रूरत के वक़्त काम आये, न मालूम किस वक़्त क्या ज़रूरत पेश आ जाए। लेकिन जो असल ज़रूरत का वक़्त है, और उसका पेश आना भी ज़रूरी है और उसमें अपनी सख़्त एहतियाज भी ज़रूरी है और यह भी यक़ीनी कि उस वक़्त सिर्फ़ वही काम आएगा जो अपनी ज़िन्दगी में ख़ुदाई बैंक में जमा कर दिया गया हो कि वह तो जमाशुदा ज़ख़ीरा भी पूरे का पूरा मिलेगा और उसमें अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से इज़ाफ़ा भी होता रहेगा। लेकिन उसकी तरफ़ बहुत ही कम इल्तिफ़ात करते हैं, हालांकि दुनिया की यह ज़िंदगी चाहे कितनी ही ज़्यादा हो जाए, बहरहाल एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है और आख़िरत की ज़िंदगी कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। दुनिया की ज़िन्दगी में अगर अपने पास सरमाया न रहे तो उस वक़्त मेहनत मज़दूरी भी की जा सकती है, भीख मांग कर भी ज़िन्दगी के दिन पूरे किये जा सकते हैं लेकिन आख़िरत की ज़िन्दगी में कोई सूरत कमाई की नहीं है। वहां सिर्फ़ वही काम आएगा जो ज़ख़ीरे के तौर पर आगे भेज दिया गया।

एक हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद वारिद हुआ है कि मैं जन्नत में दाख़िल हुआ तो मैं ने उसकी दोनों जानिब तीन सतरें सोने के पानी से लिखी हुई देखीं। पहली सतर में:-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह॰ लिखा था दूसरी सतर में:-

مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا وَمَا أَكَلْنَا رَبِحْنَا وَمَا خَلَّفْنَا خَسِرْنَا

"मा क़द्दम्ना व जद्ना व मा अकल्ना रबिह्ना व मा ख़लफ़्ना ख़सिर्ना॰" (जो हमने आगे भेज दिया, वह पा लिया और जो दुनिया में खाया, वह नफ़ा में रहा और जो कुछ छोड़ आये वह नुक़्सान रहा।) और तीसरी सतर में लिखा था -

أُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ

उम्मतुम मुज़्निब-तुन व रब्बुन ग़फ़ूर॰ (उम्मत गुनाहगार और रब

बख़्शने वाला) (बरकाते ज़िक्र)

पहली फ़स्ल की आयात में नं॰ 6 पर गुज़र चुका कि उस दिन न तिजारत है, न दोस्ती है, न सिफ़ारिश। इसी फ़स्ल में नं॰ 30 पर अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद गुज़रा है कि हर शख़्स यह देख ले कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। एक हदीस में आया है कि जब आदमी मर जाता है तो फ़रिश्ते यह पूछते हैं कि क्या ज़ख़ीरा अपने हिसाब में जमा कराया? क्या चीज़ कल के लिए भेजी? और आदमी यह पूछते हैं, क्या माल छोड़ा? (मिश्कात)

एक और हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल॰ ने दर्याफ़्त फ़रमाया कि तुम में कौन शख़्स ऐसा है जिसको अपने वारिस का माल अपने से ज़्यादा महबूब हो? सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! हममें कोई भी ऐसा नहीं जिसको अपना माल अपने वारिस से ज़्यादा महबूब न हो। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया आदमी का अपना माल वह है जो उसने आगे भेज दिया और जो छोड़ गया, वह उसका माल नहीं उसके वारिस का माल है। (मिश्कात)

एक और हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद वारिद है कि आदमी कहता है कि मेरा माल, मेरा माल, उसके माल में से उसके लिए सिर्फ़ तीन चीज़ें हैं, जो खाकर ख़त्म कर दिया या पहन कर पुराना कर दिया, या अल्लाह के यहां अपने हिसाब में जमा करा दिया। इसके अलावा जो कुछ है, वह उसका माल नहीं है, लोगों के लिए छोड़ जाएगा। (मिश्कात)

बड़ा लुत्फ़ यह है कि आदमी अक्सर ऐसे लोगों के लिए जमा करता है, मेहनत उठाता है, मुसीबत झेलता है, तंगी बरदाश्त करता है, जिनको वह अपनी ख़्वाहिश से एक पैसा देने का रवादार नहीं है। लेकिन जमा करके छोड़ जाता है। और मुक़द्दरात उन्हीं को सारे का वारिस बना देते हैं। जिनको वह ज़रा सा भी देना नहीं चाहता था।

अर्तात रह॰ बिन सहिय्यह् का जब इंतिक़ाल होने लगा तो उन्होंने चंद शेर पढ़े, जिनका तर्जुमा यह है कि आदमी कहता है कि मैं ने बहुत माल जमा किया, लेकिन अक्सर कमाने वाला दूसरों के यानी वारिसों के लिए जमा करता है।, वह ख़ुद तो अपनी ज़िन्दगी में अपना भी हिसाब लेता रहता है कि कितना कहाँ ख़र्च हुआ, कितना कहाँ हुआ, लेकिन बाद में ऐसे लोगों को लूटने के लिए छोड़ जाता है जिनसे हिसाब भी नहीं ले सकता कि सारा कहाँ उड़ा दिया । पस

अपनी ज़िन्दगी में खा ले और खिला दे और बख़ील वारिस से छीन ले। आदमी ख़ुद तो मरने के बाद ना-मुराद रहता है (कोई उसको उस माल में याद नहीं रखता) दूसरे लोग उसको खाते उड़ाते हैं। आदमी ख़ुद तो उस माल से महरूम हो जाता है और दूसरे लोग उससे अपनी ख़्वाहिशात पूरी करते हैं।

(इत्तिहाफ़)

एक हदीस में यह क़िस्सा, जो ऊपर की हदीस में ज़िक्र किया गया, दूसरे उन्वान से वारिद हुआ है कि हुज़ूर सल्ल॰ ने एक मर्तबा सहाबा रज़ि॰ से दर्याफ़्त फ़रमाया, तुममें कोई ऐसा है, जिसको अपना माल अपने वारिस के माल से ज़्यादा महबूब हो, सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ! हममें हर शख़्स ऐसा ही है, जिसको अपना माल ज़्यादा महबूब है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, सोचकर कहो, देखो क्या कह रहे हो? सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! हम तो ऐसा ही समझते हैं कि हममें से हर शख़्स को अपना माल ज़्यादा महबूब है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, तुममें से कोई भी ऐसा नहीं जिसको अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब न हो। सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्ल॰ यह किस तरह? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया तुम्हारा माल वह है जो आगे भेज दिया और वारिस का माल वह है जो पीछे छोड़ गया।

(कंज़)

यहां एक बात यह भी क़ाबिले लिहाज़ है कि इन रिवायात का मक़्सद वारिसों को महरूम करना नहीं है, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ुद इस पर तंबीह फ़रमायी है।

हज़रत सअ्द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि॰ फ़त्हे मक्का के ज़माने में ऐसे सख़्त बीमार हुए कि ज़िन्दगी की उम्मीद न रही। हुज़ूर सल्ल॰ इयादत के लिए तशरीफ़ ले गये, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्ल॰ मेरे पास माल ज़्यादा है और मेरी वारिस सिर्फ़ एक बेटी है। मेरा दिल चाहता है कि अपने सारे माल की वसीयत करूँ, (कि इस वक़्त उनकी औलाद सिर्फ़ एक बेटी ही थी और उसका तकफ़्फ़ुल उसके ख़ाविंद के ज़िम्मे) हुज़ूर सल्ल॰ ने मना फ़रमा दिया। उन्होंने दो तिहाई की इजाज़त चाही। हुज़ूर सल्ल॰ ने इसका भी इंकार फ़रमाया। फिर निस्फ़ (आधे) की दरख़्वास्त भी क़ुबूल नहीं फ़रमायी, तो उन्होंने एक तिहाई वसीयत की इजाज़त चाही। हुज़ूर सल्ल॰ ने इसकी इजाज़त फ़रमा दी और इर्शाद फ़रमाया कि एक तिहाई भी बहुत है, तुम अपने वारिसों को (यानी मरने के वक़्त जो भी

हों चुनांचे इस वाक़िए के बाद और भी औलाद हो गयी थी) ग़नी छोड़ो, यह इससे बेहतर है कि उनको फ़क़ीर छोड़ो कि लोगों के सामने हाथ फैलायें, जो ख़र्च अल्लाह के वास्ते किया जाए वह सवाब का मूजिब है, हत्ताकि अल्लाह के लिए अगर एक लुक़्मा बीवी को दिया जाए तो उस पर भी अज्र है।

(मिश्कात)

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० फ़रमाते हैं कि हज़रत सअ्द रज़ि० का यह क़िस्सा पहली हदीस यानी "तुममें से कौन ऐसा है कि उसको वारिस का माल महबूब हो" को मनाफ़ी नहीं है, इसलिए कि इस हदीस का मक़्सद अपनी सेहत और ज़रूरत के वक़्त में सदक़ा करने की तर्ग़ीब है और हज़रत सअ्द रज़ि० के क़िस्से में मौत की बीमारी में सारा या अक्सर हिस्सा माल को वसीयत करना मक़्सूद है। *(फ़त्ह)*

बन्दा-ए-नाकारा के नज़्दीक सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि वारिसों को नुक़्सान पहुँचाने के इरादे से वसीयत करना मूजिबे इताब व इक़ाब है। हुज़ूर सल्ल० का पाक इर्शाद है कि बाज़ मर्द और औरत अल्लाह की फ़रमांबरदारी में साठ साल गुज़ारते हैं और जब मरने का वक़्त आता है तो वसीयत में नुक़्सान पहुँचाते हैं। जिसकी वजह से जहन्नम की आग उनके लिए ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद इसकी ताईद में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने क़ुरआन पाक की आयत –

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ (نساء ع ٢)

"मिम् बअ-दि वसिय्य-तिय् यूसा बिहा औ दैनिन् ग़ै-र मुज़ार्र०"

(सूर: निसा, रूकूअ् 2)

पढ़ी जिसका तर्जुमा और मतलब यह है कि ऊपर की आयत में जो वारिसों को तक़्सीमे माल की तफ़्सील बयान हुई है, वसीयत के बक़द्र माल निकालने के बाद है और अगर उसके ज़िम्मे क़र्ज़ हो तो क़र्ज़ की मिक़्दार भी निकालने के बाद इस हाल में कि वसीयत करने वाला किसी वारिस को ज़रर न पहुंचाये।

एक हदीस में है कि जो किसी वारिस की मीरास को क़ता करे, अल्लाह जल्ल शानुहू उसकी मीरास को जन्नत से क़ता करेगा। *(मिश्कात)*

लिहाज़ा इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए कि वसीयत और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने में यह इरादा और नीयत हरगिज़ न हो कि कहीं

फ़लां वारिस न बन जाए, बल्कि इरादा और नीयत अपनी ज़रूरत का पूरा करना, अपने लिए ज़ख़ीरा बनाना हो, आदमी के इरादे और नीयत को इबादात में बहुत ज़्यादा दख़ल है।

हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद जो बहुत ज़्यादा मशहूर है "इन्-न मल् अअ्मालु बिन्निय्याति" कि आमाल का दारोमदार नीयत और इरादे पर है। नमाज़ जैसी अहम इबादत अल्लाह के वास्ते पढ़ी जाए, तो कितना ज़्यादा मूजिबे अज्र, मूजिबे सवाब, मूजिबे क़ुर्बत कि कोई दूसरी इबादत उसके बराबर नहीं। यही चीज़ रियाकारी और दिखावे के वास्ते पढ़ी जाए तो शिर्के असग़र और वबाल बन जाए, इसलिए ख़ालिस नीयत अल्लाह ही की रिज़ा और अपनी ज़रूरत में काम आना होना चाहिए, जिसकी बेहतरीन सूरत यह है कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी तन्दुरूस्ती में, इस हालत में जबकि यह भी मालूम न हो कि मैं पहले मरूंगा या वारिस पहले मर जाएगा और कौन वारिस होगा, कौन न होगा, ऐसे वक़्त में ख़र्च करे और ख़ूब ख़र्च करे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा कर सकता है करे, वसीयत करे, वक़्फ़ करे और जिन ख़ैर के मौक़ों में ज़्यादा सवाब की उम्मीद हो, उनकी फ़िक्र व जुस्तजू में रहे, यह नहीं कि अपने वक़्त में तो बुख़्ल करे और जब मरने लगे तो सख़ी बन जाए जैसा कि हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद पहली फ़स्ल की अहादीस में नं॰ 5 पर गुज़र चुका है कि अफ़ज़ल सदक़ा वह है जो हालते सेहत में किया जाए, न यह कि जब जान निकलने लगे तो कहे कि इतना फ़लां का, इतना फ़लां का, हालांकि माल फ़लां का (यानी वारिस का) हो गया। ख़ूब समझ लो, मैं सब से पहले अपने नफ़्स को नसीहत करता हूँ, इसके बाद अपने दोस्तों को कि साथ जाने वाला सिर्फ़ वही माल है जिसको अल्लाह के बैंक में जमा कर दिया और जिसको जमा करके और ख़ूब ज़्यादा बढ़ा कर छोड़ दिया, वह अपने काम नहीं आता, बाद में न कोई मां बाप याद रखता है, न बीवी औलाद पूछते हैं, इल्ला माशाअल्लाह अपना ही किया अपने काम आता है। इन सब की सारी मुहब्बतों का ख़ुलासा दो चार दिन हाय-हाय, करना है और पांच सात मुफ़्त के आँसू बहाना है। अगर इन आंसुओं में भी पैसे ख़र्च करना पड़ें तो ये भी न रहें। यह ख़्याल कि औलाद की ख़ैर ख़्वाही की वजह से माल को जमा करके छोड़ता है, नफ़्स का महज़ धोखा है, सिर्फ़ माल जमा करके उनके लिए छोड़ जाना उनके साथ ख़ैर ख़्वाही नहीं है, बल्कि शायद बद-ख़्वाही बन जाए। अगर वाक़ई औलाद की ख़ैर ख़्वाही मक़्सूद है, अगर

वाक़ई यह दिल चाहता है कि वे अपने मरने के बाद परेशान हाल, ज़लील व ख़्वार न फिरें, तो उनको मालदार छोड़ने से ज़्यादा ज़रूरी उनको दीनदार छोड़ना है कि, बद-दीनी के साथ माल भी अव्वलन उनके पास बाक़ी न रहेगा, चंद यौम की लज़्ज़ात व शहवात में उड़ जायेगा। और अगर रहा भी तो अपने किसी काम का नहीं है, और दीनदारी के साथ अगर माल न भी हो तो उनकी दीनदारी उनके लिए भी काम आने वाली है और अपने लिए भी काम आने वाली चीज़ है और माल में से तो अपने काम आने वाला सिर्फ़ वही है, जो साथ ले गया।

हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू का इर्शाद है कि हक़ तआला शानुहू ने दो ग़नी और दो फ़क़ीरों को वफ़ात दी। इसके बाद एक ग़नी से मुतालबा फ़रमाया कि अपने वास्ते आगे क्या भेजा? और अपने अयाल के वास्ते क्या छोड़ कर आया? उसने अर्ज़ किया या अल्लाह! तूने मुझे भी पैदा किया और उनको भी तूने ही पैदा किया और हर शख़्स की रोज़ी का तूने ही ज़िम्मा लिया और तूने क़ुरआन पाक में फ़रमाया:-

مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًا حَسَنًا

"मन ज़ल्लज़ी युक़्रिज़ुल्ला-ह क़र्ज़न् ह-स-ना॰ (पहली फ़स्ल की आयात में नं॰ 5 पर गुज़र चुकी है।) इस बिना पर मैंने अपना माल आगे भेज दिया और मुझे यह बात मुहक़्क़क़ थी कि आप उनको रोज़ी देंगे ही। इर्शाद होगा, अच्छा जाओ, अगर तुम्हें (दुनिया में) मालूम हो जाता कि तुम्हारे लिए मेरे पास क्या क्या (इनाम-इक्राम) है तो दुनिया में बहुत ख़ुश होते और बहुत कम रंजीदा होते, इसके बाद दूसरे ग़नी से मुतालबा हुआ कि तूने क्या अपने लिए भेजा और क्या अयाल के लिए छोड़ा। उसने अर्ज़ किया, या अल्लाह! मेरी औलाद थी, मुझे उनकी तक्लीफ़ और फ़क्र का डर हुआ। इर्शाद हुआ कि क्या मैंने ही तुझको और उन सबको पैदा न किया था, मैंने सब की रोज़ी का ज़िम्मा नहीं उठाया था? उसने अर्ज़ किया या अल्लाह! बेशक ऐसा ही था, लेकिन मुझे उनके फ़क्र का ख़ौफ़ ही बहुत हुआ। इर्शाद हुआ कि फ़क्र तो उनको पहुँचा, क्या तूने उसको उनसे रोक दिया, अच्छा जा, अगर तुझे (दुनिया में) मालूम हो जाता कि तेरे लिए मेरे पास क्या क्या (अज़ाब) है तो बहुत कम हंसता और बहुत ज़्यादा रोता। फिर एक फ़क़ीर से मुतालबा हुआ कि तूने क्या अपने लिए जमा किया और क्या अयाल के लिए छोड़ा? उसने अर्ज़ किया, या अल्लाह, आपने मुझे सही, सालिम, तन्दुरूस्त पैदा किया और गोयाई बख़्शी, अपने पाक नाम मुझे सिखाये, अपने से

दुआ करना सिखाया, अगर आप मुझे माल दे देते तो मुझे यह अंदेशा था कि मैं उसमें मशग़ूल हो जाता,. मैं अपनी उस हालत पर जो थी, बहुत राज़ी हूँ। इर्शाद हुआ कि अच्छा जाओ मैं भी तुम से राज़ी हूँ। अगर तुम्हें (दुनिया में) मालूम हो जाता कि तुम्हारे लिए मेरे पास क्या है? तो बहुत ज़्यादा हंसते और बहुत कम रोते। फिर दूसरे फ़क़ीर से मुतालबा हुआ कि तूने अपने लिए क्या भेजा? और अयाल के लिए क्या छोड़ा?

उसने अर्ज़ किया, या अल्लाह! आपने मुझे दिया ही क्या था, जिसका अब सवाल है। इर्शाद हुआ कि क्या हमने तुझे सेहत नहीं दी थी, गोयाई न दी थी, कान आंख न दिए थे, और क़ुरआन पाक में यह न कहा था। "उद्‌ऊनी अस्त जिब् लकुम" (मुझ से दुआएं मांगो, मैं क़ुबूल करूँगा) उसने अर्ज़ किया या अल्लाह! यह तो बेशक सब सही है, मगर मुझ से भूल हुई। इर्शाद हुआ कि अच्छा, आज हमने भी तुझे भूला दिया, जा चला जा, अगर तुझे ख़बर होती कि तेरे लिए हमारे यहां क्या क्या अज़ाब है. तो तू बहुत कम हंसता और बहुत ज़्यादा रोता। *(कंज़)*

(١٠) عن عمرؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الجالب مرزوق والمحتکر ملعون رواہ ابن ماجہ والدارمی کذا فی المشکوٰۃ.

10. हज़रत उमर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि जो शख़्स रिज़्क़ (ग़ल्ला वग़ैरह) बाहर से लाये (ताकि लोगों को अरज़ां (सस्ता) दे) उसको रोज़ी दी जाती है और जो शख़्स रोक कर रखे, वह मलऊन है।

फ़ायदाः- फ़क़ीह अबुल्लैस समरक़ंदी रह० फ़रमाते हैं कि बाहर से लाने वाले से वह शख़्स मुराद है, जो तिजारत की ग़रज़ से दूसरे शहरों से ग़ल्ला ख़रीद कर लाये ताकि लोगों के हाथ (अरज़ां) फ़रोख़्त करे, तो उसको (अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से) रोज़ी दी जाती है, क्योंकि लोग उस से मुंतफ़ा होते हैं। उनकी दुआएं उसको लगती हैं और रोकने वाले से वह शख़्स मुराद है जो रोकने की नीयत से ख़रीद कर रखे और लोगों को इससे नुक़्सान पहुँचे। *(तंबीहुल ग़ाफ़िलीन)*

यानी गरानी के इंतिज़ार में रोके रखे और बावजूद लोगों की हाजत के फ़रोख़्त न करे, उस पर लानत है यानी बुख़्ल और लालच और नफ़ा कमाने की

ग़रज़ से ग़ल्ला वग़ैरह जिन चीज़ों की लोगों को अपनी ज़िन्दगी के लिए एहतियाज है, ख़रीद कर रोके रखे और गरानी की ज़्यादती का दिन ब दिन इंतिज़ार करता रहे। उस पर हुज़ूर सल्ल० की तरफ़ से लानत की गयी।

एक और हदीस में हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद नक़ल किया गया कि जो शख़्स मुसलमानों पर उनके खाने को चालीस दिन तक (बावजूद सख़्त एहतियाज के) रोके रखे, (फ़रोख़्त न करे), हक़ तआला शानुहू उसको कोढ़ के मर्ज़ में और इफ़्लास में मुब्तला करते हैं। *(मिश्कात)*

इससे मालूम हुआ कि जो शख़्स मुसलमानों को नुक़्सान पहुँचाता है और फ़क़्र में मुब्तला करता है उस पर बदनी अज़ाब (कोढ़) भी मुसल्लत होता है और माली अज़ाब इफ़्लास व फ़क़्र भी और इसके बिल मुक़ाबिल पहली हदीस में गुज़र चुका है कि जो दूसरी जगह से लाकर अर्ज़ानी से फ़रोख़्त करता है, अल्लाह जल्ल शानुहू ख़ुद उसको रोज़ी (और नफ़ा) पहुँचाते हैं।

एक हदीस में है कि ग़ल्ला रोकने वाला भी कैसा बुरा आदमी है अगर नर्ख़ (भाव) अरज़ां (सस्ता) होता है तो उसको रंज होता है गरां होता है तो ख़ुश होता है।

एक और हदीस में है कि जो शख़्स चालीस दिन (एहतियाज के बावजूद) ग़ल्ला रोके रखे (फ़रोख़्त न करे), फिर उसको लोगों पर सदक़ा कर दे, तो यह सदक़ा करना भी उस रोकने का कफ़्फ़ारा न होगा। *(मिश्कात)*

एक हदीस में आया है कि पहली उम्मतों में एक बुज़ुर्ग रेत के एक टीले पर गुज़रे, गरानी का ज़माना था। वह अपने दिल में यह तमन्ना करने लगे कि अगर यह रेत का टीला ग़ल्ले का ढेर होता तो मैं इस से बनी इस्राईल को ख़ूब खिलाता, हक़ तआला शानुहू ने उस ज़माने के नबी अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही इर्साल की कि फ़लां बुज़ुर्ग को बशारत सुना दो कि हमने तुम्हारे लिए उतना ही अज्र व सवाब लिख दिया जितना कि यह टीला ग़ल्ले का होता और तुम उसको लोगों में तक़्सीम कर देते।

(तंबीहुल ग़ाफ़िलीन)

हक़ तआला शानुहू के यहां सवाब की कमी नहीं है, उसको अज्र व सवाब देने के लिए न ज़ख़ीरे की ज़रूरत है, न आमदनी और कमाई की। उसके एक इशारे में सारी दुनिया की पैदावार है, वहां लोगों का अमल और इख़्लास

देखा जाता है और जो उसकी मख़्लूक़ पर रहमत और शफ़्क़त करता है उस पर रहमत और शफ़्क़त में वहां कोई कमी नहीं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि॰ की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि मुझे कुछ नसीहत फ़रमा दें। आपने फ़रमाया कि तुम्हें छः चीज़ों की नसीहत करता हूं:-

1. सबसे पहली चीज़ अल्लाह पर भरोसा और यक़ीन उन चीज़ों का, जिनका अल्लाह जल्ल शानुहू ने ख़ुद ज़िम्मा ले रखा है (मसलन रोज़ी वग़ैरह),

2. दूसरे अल्लाह के फ़राइज़ को अपने अपने वक़्त पर अदा करना,

3. तीसरे ज़बान हर वक़्त अल्लाह के ज़िक्र से तर व ताज़ा रहे,

4. चौथे शैतान का कहा न मानना, वह सारी मख़्लूक़ से हसद रखता है,

5. पांचवें दुनिया के आबाद करने में मश्ग़ूल न होना कि वह आख़िरत को बर्बाद करेगी।

6. छठे मुसलमानों की ख़ैर ख़्वाही का हर वक़्त ख़्याल रखना।

फ़क़ीह अबुल्लैस रह॰ फ़रमाते हैं कि आदमी की सआदत की ग्यारह अलामतें हैं और उसकी बदबख़्ती की भी ग्यारह अलामात (निशानियां) हैं। सआदत की ग्यारह अलामात ये हैं -

7. दुनिया से बे रग़्बती और आख़िरत की तरफ़ रग़्बत करना,

2. इबादत और तिलावते क़ुरआन की कसरत,

3. फ़ुज़ूल बात से एहतिराज़,

4. नमाज़ का अपने औक़ात पर ख़ुसूसी एहतिमाम,

5. हराम चीज़ से चाहे अद्ना दर्जे की हराम हो, बचना,

6. सुलहा (नेक लोग) की सोहबत इख़्तियार करना,

7. मुतवाज़े रहना, तकब्बुर न करना,

8. सख़ी और करीम होना,

9. अल्लाह की मख़लूक़ात पर शफ़्क़त करना,

10. मख़्लूक़ को नफ़ा पहुंचाना,

11. मौत को कसरत से याद रखना।

बद-बख़्ती की अलामात ये हैं:- 1. माल के जमा करने की हिर्स, 2. दुन्यवी लज़्ज़तों और शहवतों में मश्गूली, 3. बेहयाई की गुफ़्तगू और बहुत बोलना, 4. नमाज़ में सुस्ती करना, 5.-हराम और मुश्तबह चीज़ों का खाना और फ़ासिक़ फ़ाजिर लोगों से मेल जोल, 6. बद-ख़ुल्क़ होना, 7. मुतकब्बिर और फ़ख़्र करने वाला होना, 8. लोगों के नफ़ा पहुँचाने से यक्सू रहना, 9. मुसलमानों पर रहम न करना, 10. बख़ील होना, 11. मौत से ग़ाफ़िल होना।

(तंबीहुल ग़ाफ़िलीन)

बन्दा-ए-नाकारा के नज़दीक इन सब की जड़ मौत को कसरत से याद रखना है, जब वह हर वक़्त याद आती रहेगी तो पहली ग्यारह इन्शाअल्लाह पैदा हो जाएंगी और दूसरी ग्यारह से बचाव हासिल हो जाएगा।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हुक्म है कि लज़्ज़तों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। *(मिश्कात)*

(١١) عن انسؓ قال توفی رجل من الصحابة فقال رجل ابشر بالجنة فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا تدری لعله تکلم فیما لایعنیه اوبخل بما لا ینقصه رواه الترمذی کذا فی المشکوٰة

11. हज़रत अनस रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतिक़ाल हुआ, तो मज्मे में से किसी ने उनको बज़ाहिर हालात के एतिबार से जन्नती बताया। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया तुम्हें क्या ख़बर है, मुम्किन है कभी उन्होंने बेकार बात ज़बान से निकाल दी हो या कभी ऐसी चीज़ में बुख़्ल किया हो, जिससे उनको कोई नुक़्सान नहीं पहुँचता था।

फ़ायदा:- यानी ये चीज़ें भी इब्तिदाअन जन्नत में जाने से मानेअ् बन जाती हैं, हालांकि बेकार बातों में मुनहमिक रहना और फ़ुज़ूल गुफ़्तगू में औक़ात ज़ाया करना हम लोगों का ऐसा दिलचस्प मश्ग़ला है कि शायद ही किसी की कोई मज्लिस इससे ख़ाली होती हो, लेकिन हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत पर शफ़क़त और रहमत के क़ुर्बान कि हुज़ूर सल्ल॰ ने हर मुश्किल का हल बताया और 23 वर्ष के क़लील ज़माने में सारी दुनिया की हर क़िस्म की ज़रूरतों का हल तज्वीज़ फ़रमाया।

हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद है कि मज्लिस का कफ़्फ़ारा यह दुआ है,

मज्लिस ख़त्म होने के बाद उठने से पहले यह दुआ पढ़ लिया करे।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

"सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हा-न कल्लाहुम्-म व बिहम्दि-क अश्हदु अल्लाइला-ह इल्ला अन्-त अस्तग़्फ़िरू-क व अतूबु इलैक॰"

(हिस्ने हसीन)

दूसरी चीज़ हदीसे बाला में वही बुख़्ल है कि शायद ऐसी चीज़ में बुख़्ल कर लिया हो जिससे कोई नुक़्सान नहीं था।

एक और हदीस में यह क़िस्सा ज़रा तफ़्सील से आया है। उसमें हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि शायद किसी ला यानी (बेकार) चीज़ में गुफ़्तगू कर ली हो या किसी ला यानी चीज़ में बुख़्ल कर लिया हो। *(कंज़)*

हम लोग बहुत सी चीज़ों को बहुत सरसरी समझते हैं, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहू के यहां सवाब के एतिबार से भी और अज़ाब के एतिबार से भी उनका बहुत ऊँचा दर्जा होता है।

बुख़ारी शरीफ़ की एक हदीस में है कि आदमी अल्लाह तआला की रिज़ा की कोई बात ज़बान से निकालता है जिसको वह कुछ अहम भी नहीं समझता, लेकिन उसकी वजह से उसके दरजात बहुत बुलंद हो जाते हैं और कोई कलिमा (बात) अल्लाह की नाराज़ी का कह देता है, जिसकी परवाह भी नहीं करता, लेकिन इसकी वजह से जहन्नम में फेंक दिया जाता है और एक हदीस में है कि इतना नीचे फेंक दिया जाता है, जितनी मश्रिक़ से मग़्रिब दूर है। *(मिश्कात)*

(۱۲)عن مولیٰ لعثمان قال اهدی لام سلمة بضعة من لحم وكان النبی صلی الله عليه وسلم يعجبه اللحم فقالت للخادم ضعيه فی البيت لعل النبی صلی الله عليه وسلم ياكله فوضعته فی كوة البيت وجاء سائل فقام علی الباب فقال تصدقوا بارك الله فيكم فقالوا بارك الله فيكَ فذهب السائل فدخل النبی صلی الله عليه وسلم فقال يا ام سلمة هل عندكم شئی ا طعمه فقالت نعم قالت للخادم اذهبی فاتی رسول الله صلی الله عليه وسلم بذالك اللحم فذهبت فلم تجد فی الكوة الاقطعة مروة فقال النبی صلی الله عليه وسلم فان ذلك اللحم عادمروة لما لم تعطوه السائل رواه البيهقی فی دلائل النبوة كذا فی المشكوٰة.

12. उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ि॰ की ख़िदमत में किसी शख़्स ने गोश्त का एक टुकड़ा (पका हुआ) हदूए के तौर पर पेश किया, चूंकि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गोश्त का बहुत शौक़ था इसलिए हज़रत उम्मे सलमा रज़ि॰ ने ख़ादिमा से फ़रमाया कि उस को अंदर रख दे, शायद किसी वक़्त हुज़ूर सल्ल॰ नोश फ़रमा लें। ख़ादिमा ने उसको अंदर ताक़ पर रख लिया, इसके बाद एक साइल आया और दरवाज़े पर खड़े होकर सवाल किया कि कुछ अल्लाह के वास्ते दे दो। अल्लाह जल्ल शानुहू तुम्हारे यहां बरकत फ़रमाये। घर में से जवाब मिला कि अल्लाह तुझे बरकत दे। (यह इशारा था कि कोई चीज़ देने के लिए मौजूद नहीं।) वह साइल तो चला गया इतने में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये और इर्शाद फ़रमाया कि उम्मे सलमा, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, कोई चीज़ तुम्हारे यहां है? हज़रत उम्मे सलमा ने ख़ादिमा से फ़रमाया कि जाओ, वह गोश्त हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में पेश करो। वह अन्दर गयी और जाकर देखा कि ताक़ में गोश्त तो है नहीं, सफ़ेद पत्थर का एक टुकड़ा रखा हुआ है (हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वाक़िआ मालूम हुआ तो) हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि तुम ने वह गोश्त चूंकि साइल (फ़क़ीर) को न दिया, इसलिए वह गोश्त पत्थर का टुकड़ा बन गया।

फ़ायदा:- बड़ी इब्रत का मक़ाम है, अज़्वाजे मुतह्हरात की सख़ावत और फ़ैयाज़ी का कोई क्या मुक़ाबला कर सकता है। एक टुकड़ा गोश्त का अगर उन्होंने ज़रूरत से रोक लिया और वह भी अपनी ज़रूरत से नहीं, बल्कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़रूरत से रोका तो उस का यह हश्र हुआ और यह भी हक़ीक़तन अल्लाह जल्ल शानुहू का ख़ास लुत्फ़ व करम हुज़ूर सल्ल॰ के घर वालों के साथ था कि उस गोश्त का जो असर फ़क़ीर को न देने से हुआ, वह हुज़ूर सल्ल॰ की बरकत से अपनी असली हालत में घर वालों पर ज़ाहिर हो गया, जिसका मतलब यह हुआ कि ज़रूरत मंद से बचा कर और इंकार करके जो शख़्स खाता है वह असर और समरे के एतिबार से ऐसा है जैसा कि पत्थर खा लिया हो कि उससे उस चीज़ का असल फ़ायदा हासिल न होगा, बल्कि सख़्त दिली और मुनाफ़े से महरूमी हासिल होगी। यही वजह है कि हम लोग बहुत सी अल्लाह तआला शानुहू की नेमतें खाते हैं लेकिन उनसे

वे फ़वाइद बहुत कम हासिल होते हैं। जो होना चाहिएं और कहते हैं कि चीज़ों में असर नहीं रहा, हालांकि हक़ीक़त में अपनी नीयतें ख़राब हैं, इसलिए बद-नीयती से फ़वाइद में कमी होती है।

(۱۳)عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدّہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول صلاح ھذہ الامّۃ الیقین والزھد واول فسادھا البخل والامل رواہ البیہقی فی الشعب کذا فی المشکوٰۃ

13. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि इस उम्मत की सलाह की इब्तिदा (अल्लाह तआला के साथ) यक़ीन और दुनिया से बे रग़बती से हुई और उसके फ़साद की इब्तिदा बुख़्ल और लम्बी लम्बी उम्मीदों (से होगी)।

फ़ायदाः- हक़ीक़त में बुख़्ल भी लम्बी लम्बी उम्मीदों से ही पैदा होता है कि आदमी दूर दूर के मंसूबे सोचता है, फिर उसके लिए जमा करने की फ़िक्र होती है। अगर आदमी को अपनी मौत याद आती रहे और यह सोचता रहे कि न मालूम कितने दिन की ज़िन्दगी है, तो फिर न तो ज़्यादा दूर की सोच व फ़िक्र हो, न ज़्यादा जमा करने की ज़रूरत हो, बल्कि मौत याद आती रहे तो फिर उस घर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने की फ़िक्र हर वक़्त सवार रहे।

(١٤) عن ابی ھریرۃؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی بلال وعندہ صبرۃ من تمر فقال ما ھذا یا بلال قال شیٔ اذخرتہ لغدٍ فقال اما تخشی ان تری لہ غدًا بخارًا فی نار جھنم انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا رواہ البیہقی فی الشعب کذا فی المشکوٰۃ

14. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मर्तबा हज़रत बिलाल रज़ि॰ के पास दाख़िल हुए तो उनके सामने खजूरों का एक ढेर लगा हुआ था। हुज़ूर सल्ल॰ ने दर्याफ़्त फ़रमाया कि बिलाल, यह क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्ल॰ आइन्दा की ज़रूरियात के लिए ज़ख़ीरे के तौर पर रख लिया। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि बिलाल, तुम इससे नहीं डरते कि इसकी वजह से कल को क़ियामत के दिन जहन्नम की आग का धुवां तुम देखो। बिलाल ! ख़र्च कर डालो और अर्श वाले (जल्ल जलालुहू) से किसी कमी का ख़ौफ़ न करो।

फ़ायदाः- हर शख़्स की एक शान और एक हालत हुआ करती है हम

जैसे कमज़ोर, ज़ुअफ़ा, कमज़ोर ईमान, कमज़ोर यक़ीन लोगों के लिए शरअन इसकी गुंजाइश हो भी कि वह ज़ख़ीरे के तौर पर आइन्दा की ज़रूरियात के लिए कुछ रख लें, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ि॰ जैसे जलीलुल क़द्र कामिलुल ईमान, कामिलुल यक़ीन की यही शान थी कि उनको अल्लाह जल्ल शानुहू से कमी का ज़रा भी ख़ौफ़ या वहम न हो। जहन्नम का धुवां देखने से उसमें जाना लाज़िम नहीं आता, लेकिन उन लोगों के एतिबार से कमी तो ज़रूर होगी, जिनको यह भी नज़र न आए और कम से कम हिसाब का क़िस्सा तो लम्बा हो ही जाएगा।

कुछ अहादीस में मामूली रक़म एक दो दीनार किसी शख़्स के पास निकलने पर भी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ से जहन्नम की आग की वईद वारिद हुई है, जैसा कि छठी फ़स्ल की अहादीस के सिलसिले में नं॰ 2 के ज़ैल में आ रहा है और हिसाब का मामला तो हर शख़्स के लिए है कि जितना माल ज़्यादा होगा उतना ही हिसाब तवील (लम्बा) होगा।

हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद है कि मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हूं। मैं ने देखा कि उसमें कसरत से दाख़िल होने वाले फ़ुक़रा हैं और वुस्अत वाले अभी रोके हुऐ हैं और जहन्नमी लोगों को जहन्नम में फेंक दिया गया और मैं जहन्नम के दरवाज़े पर खड़ा हुआ, तो मैं ने उसमें कसरत से दाख़िल होने वाली औरतें देखीं। *(मिश्कात)*

औरतों के जहन्नम में कसरत से दाख़िल होने की वजह एक और हदीस में आयी है। हज़रत अबू सईद रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ईद के दिन ईदगाह में तशरीफ़ ले गये। जब औरतों के मज्मे पर गुज़र हुआ तो हुज़ूर सल्ल॰ ने औरतों से ख़िताब फ़रमा कर इर्शाद फ़रमाया कि तुम सदक़ा बहुत कसरत से किया करो। मैं ने औरतों को बहुत कसरत से जहन्नम में देखा है। उन्होंने दर्याफ़्त किया कि या रसूलल्लाह ! यह क्या बात है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि औरतें लानत (बद-दुआएं) बहुत करती हैं और ख़ाविंद की ना-शुक्री बहुत करती हैं। *(मिश्कात)*

और ये दोनों बातें औरतों में ऐसी कसरत से आम हैं कि हद नहीं। जिस औलाद पर दम देती हैं, हर वक़्त उसकी राहत और आराम की फ़िक्र में रहती हैं, ज़रा-ज़रा सी बात पर उसको हर वक़्त बद-दुआएं तू मर जा, तू गड़ जा, तेरा नास हो जा, वग़ैरह-वग़ैरह अल्फ़ाज़ उनका तकिया-ए-कलाम होता है और ख़ाविंद की नाशुक्री का तो पूछना ही क्या है, वह ग़रीब जितनी भी नाज़ बरदारी

करता रहे उनकी निगाह में वह लापरवाह ही रहता है। हर वक़्त इस ग़म में मरी रहती हैं कि उसने मां को कोई चीज़ क्यों दे दी, बाप को तंख़्वाह में से कुछ क्यों दे दिया, बहन भाई से सुलूक क्यों कर दिया। एक और हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल॰ ने 'सलातुल कसूफ़' में दोज़ख़ जन्नत का मुशाहदा फ़रमाया तो दोज़ख़ में कसरत से औरतों को देखा, सहाबा रज़ि॰ ने जब इसकी वजह दर्याफ़्त की तो हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि वे एहसान फ़रामोशी करती हैं, ख़ाविंद की नाशुक्री करती हैं। अगर तू तमाम उम्र उनमें से किसी पर एहसान करता रहे, फिर कोई ज़रा सी बात पेश आ जाए तो कहने लगती हैं कि मैंने तुझ से कभी कोई भलाई न देखी। *(मिश्कात)*

हुज़ूर सल्ल॰ का यह भी इर्शाद है कि औरतों की आम आदत है कि जितना भी उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, अगर किसी वक़्त कोई बात उनकी ख़िलाफ़े मरज़ी पेश आ जाए तो ख़ाविंद के उम्र भर के एहसान सब ज़ाया होकर कहती हैं कि इस घर में मुझे कभी चैन न मिला। यह उनका ख़ास तकिया-ए-कलाम है।

इन रिवायात से औरतों के कसरत से जहन्नम में दाख़िल होने की वजह मालूम होने के अलावा यह भी मालूम हुआ कि उससे बचाव और हिफ़ाज़त की चीज़ भी सदक़े की कसरत है, चुनांचे इस वईद वाली हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल॰ जब यह इर्शाद फ़रमा रहे थे हज़रत बिलाल रज़ि॰ हुज़ूर सल्ल॰ के साथ थे और सहाबी औरतें कसरत से हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद सुनने के बाद अपने कानों का ज़ेवर और गले का ज़ेवर निकाल निकाल कर हज़रत बिलाल के कपड़े में, जिसमें वह चंदा जमा कर रहे थे, डाल रही थीं।

हमारे ज़माने में अव्वल तो औरतों को इस क़िस्म की सख़्त हदीसें सुन कर ख़्याल भी नहीं होता और अगर किसी को होता भी है तो फिर उसका नज़्ला भी ख़ाविंद पर ही गिरता है कि वही उनकी ज़कात अदा करे, उनकी तरफ़ से सदक़े करे। अगर वे ख़ुद भी करेंगी, तो ख़ाविंद से ही वसूल करके। मजाल है कि उनके ज़ेवरों को कोई आंच आ जावे, वैसे चाहे सारा ही चोरी हो जावे, खोया जाए या ब्याह शादियों और लग्व तक़रीबात में गिरवी रख कर हाथ से जाता रहे। मगर उसको अपनी ख़ुशी से अल्लाह के यहां जमा करना, इसका कहीं ज़िक्र नहीं इसी हाल में उसको छोड़कर मर जाती हैं, फिर वह वारिसों में तक़्सीम होकर कम दामों में फ़रोख़्त होता है, बनते वक़्त निहायत गरां (महंगा) बनता है,

बिकते वक़्त निहायत अरज़ां (सस्ता) हो जाता है, लेकिन उनको इससे कुछ ग़रज़ नहीं कि यह घड़ाई के दाम बिल्कुल ज़ाया जा रहे हैं उनको बनवाते रहने से ग़रज़, यह तुड़वा कर वह बनवा लिया, वह तुड़वा कर यह बनवा लिया और अपने काम आने वाला न वह है, न यह है। और बार बार तुड़वाने में माल की बर्बादी के अलावा घड़ाई की उज्रत ज़ाया होती रहती है।

यह मज़्मून दर्मियान में औरतों के कसरत से जहन्नम में जाने की वजह से आ गया था। असल मज़्मून तो यह था, कि माल की कसरत कुछ न कुछ रंग तो लाती ही है हत्ताकि हज़रात मुहाजिरीन रज़ियाल्लाहु तआला अन्हुम अज्मईन के बारे में हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद है कि क़ियामत के दिन फ़ुक़रा-ए-मुहाजिरीन अग़्निया से चालीस साल पहले जन्नत की तरफ़ बढ़ जाएंगे। *(मिश्कात)*

हालांकि इन हज़रात के ईसार और सदक़ात की कसरत और इख़्लास का न तो अंदाज़ा किया जा सकता है, न मुक़ाबला हो सकता है।

एक मर्तबा हुज़ूर सल्ल० ने यह दुआ की –

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَّاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا
وَّاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنَ

"अल्लाहुम्-म अह्यिनी मिस्कीनंव् व अ-मित्नी मिस्कीनंव् वह्शुर्नी फ़ी ज़ुम्रतिल् मसाकीन०"

"ऐ अल्लाह, ज़िंदगी में भी मुझे मिस्कीन रख और मिस्कीनी की हालत में मौत अता कर और मेरा हश्र भी मिस्कीनों की जमाअत में फ़रमा"। हज़रत आइशा रज़ि० ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, यह क्यों? (यानी आप मिस्कीनी की दुआ क्यों फ़रमाते हैं?) हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि मसाकीन अपने अग़्निया से चालीस साल क़ब्ल (पहले) जन्नत में जाएंगे। आइशा! मिस्कीन को नामुराद वापस न करो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों न हो, मसाकीन से मुहब्बत रखा करो। उनको अपना मुक़र्रब बनाया करो। अल्लाह जल्ल शानुहू क़ियामत के दिन तुम्हें अपना मुक़र्रब बनाएंगे। *(मिश्कात)*

कुछ उलमा को इस हदीस पर यह इश्काल हो गया कि इससे आम

फ़ुक़रा का अंबिया से मुक़द्दम होना लाज़िम आता है। बन्दे के नाक़िस ख़्याल में यह इश्काल नहीं है। इस हदीसे पाक में अपने अग़्निया का लफ़्ज़ मौजूद है, हर जमाअत के फ़ुक़रा का उस जमाअत के अग़्निया से मुक़ाबला है, अंबिया का अंबिया से, सहाबा रज़ि० का सहाबा रज़ि० से और इसी तरह और जमाअतें।

(١٥) عن كعب بن عياضؓ قال سمعت رسول اللهﷺ صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل امة فتنة وفتنةُ امّتي المالُ رواه الترمذي كذا في المشكوٰة

15. हज़रत कअब रज़ि० फ़रमाते हैं कि मैं ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह इर्शाद फ़रमाते हुए सुना है कि हर उम्मत के लिए एक फ़ित्ना होता है (जिसमें मुब्तला होकर वह फ़ित्ने में पड़ जाती है) मेरी उम्मत का फ़ित्ना माल है।

फ़ायदाः- हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद बिल्कुल ही हक़ है, कोई एतिक़ादी चीज़ नहीं है। रोज़मर्रा के मुशाहदे की चीज़ है कि माल की कसरत से जितनी आवारगी, अय्याशी, सूदख़ोरी, ज़िनाकारी, सिनेमा बीनी, जुआबाज़ी, ज़ुल्म व सितम, लोगों को हक़ीर समझना, अल्लाह के दीन से ग़ाफ़िल होना, इबादात में तसाहुल, दीन के कामों के लिए वक़्त न मिलना वग़ैरह वग़ैरह होते हैं, नादारी में इनका तिहाई चौथाई, बल्कि दसवां हिस्सा भी नहीं होता। इसी वजह से एक मसल मशहूर है "ज़र नेस्त इश्क़ टें-टें" पैसा पास न हो तो फिर बाज़ारी इश्क़ भी ज़बानी जमा ख़र्च ही रह जाता है, और ये सब चीज़ें न भी हों तो कम से कम दर्जा माल की बढ़ोतरी का हर वक़्त फ़िक्र तो कहीं गया ही नहीं, सिर्फ़ तीन हज़ार रूपये किसी को दे दीजिए, फिर जो हर वक़्त किसी काम में लगाकर बढ़ाने का फ़िक्र दामनगीर होगा, तो कहां का सोना कहां का राहत व आराम, कैसी नमाज़ कैसा रोज़ा, कैसा हज व ज़कात। अब दिन भर, रात भर दुकान के बढ़ाने की फ़िक्र है, दुकान की मशग़ूली, न किसी दीनी काम में शिर्कत की इजाज़त देती है, न दीन के लिये कहीं बाहर जाने का वक़्त मिलता है कि दुकान का हरज हो जाएगा, हर वक़्त यह फ़िक्र सवार कि कौन सा कारोबार ऐसा है, जिसमें नफ़ा ज़्यादा हो, काम चलता हुआ हो, इसी लिए हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद जो कई हदीसों में आया है कि अगर किसी आदमी के लिए दो वादियां (दो जंगल) माल के हासिल हो जाएं तो वह तीसरी की तलाश में लग जाता है, आदमी का पेट क़ब्र

(की मिट्टी) ही भर सकती है। (मिश्कात)

एक हदीस में है कि अगर आदमी के लिए एक वादी माल की हो तो दूसरी को तलाश करता है, और दो हों तो तीसरी को तलाश करता है। आदमी का पेट मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भरती।

एक हदीस में है कि आदमी के लिए एक जंगल खजूरों का हो तो दूसरे की तमन्ना करता है और दो हों तो तीसरे की और इसी तरह तमन्नाएं करता रहता है। उसका पेट मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भरती। (कंज़)

एक हदीस में है कि अगर आदमी को एक वादी सोने की दे दी जाए तो यह दूसरी को तलाश करता है आदमी का पेट मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। (बुख़ारी)

मिट्टी से भरने का मतलब यह है कि क़ब्र की मिट्टी में जाकर ही वह अपनी इस "हल मिम् मज़ीद" की ख़्वाहिश से रूक सकता है, दुनिया में रहते रहते तो हर वक़्त उस पर इज़ाफ़ा और ज़्यादती की फ़िक्र रहती है। एक कारख़ाना अच्छी तरह चल रहा है, उसमें बक़द्रे ज़रूरत आमदनी हो रही है, कहीं कोई दूसरी चीज़ सामने आ गयी, उसमें भी अपनी टांग अड़ा दी, एक से दो हो गयी, दो से तीन हो गयी, ग़रज़ जितनी आमदनी बढ़ती जाएगी, उसको मज़ीद कारोबार में लगाने की फ़िक्र रहेगी, यह नहीं होगा कि उस पर क़नाअत करके कुछ वक़्त अल्लाह की याद में मश्ग़ूली का निकल आए। इसी लिए हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुआ फ़रमायी है –

"अल्लाहुम्-मज्अल् रिज़्-क़ आलि मुहम्मदिन क़ूतन्॰"

(ऐ अल्लाह!) मेरी औलाद का रिज़्क़ क़ूत हो यानी बक़द्रे किफ़ायत हो ज़ायद हो ही नहीं, जिसके चक्कर में मेरी औलाद फंस जाए।

एक हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि बेहतरी और ख़ूबी उस शख़्स के लिए है जो इस्लाम अता किया गया हो और उसका रिज़्क़ बक़द्रे किफ़ायत हो और उस पर क़ानेअ् हो।

एक और हदीस में है कि कोई फ़क़ीर या ग़नी क़ियामत में ऐसा न होगा जो इसकी तमन्ना न करता हो कि दुनिया में उसकी रोज़ी सिर्फ़ क़ूत (यानी बक़द्रि किफ़ायत) होती। (एहया)

बुख़ारी शरीफ़ की हदीस में है हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि ख़ुदा की क़सम! मुझे तुम्हारे ऊपर फ़क़्र व फ़ाक़ा का ख़ौफ़ नहीं है, बल्कि इसका ख़ौफ़ है कि तुम पर दुनिया की वुसअ़त हो जाए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर हो चुकी है, फिर तुम्हारा उसमें दिल लगने लगे जैसा कि उनका लगने लगा था, पस यह चीज़ तुम्हें भी हलाक न कर दे जैसा कि पहली उम्मतों को कर चुकी है। *(मिश्कात)*

इनके अलावा और भी बहुत सी रिवायात में मुख़्तलिफ़ उनवानात से, मुख़्तलिफ़ क़िस्म की तंबीहात से माल की कसरत और उसके फ़ित्ने पर मुतनब्बह फ़रमाया, इसलिए नहीं कि माल अपनी ज़ात में कोई नापाक या ऐब की चीज़ है, बल्कि इस वजह से कि हम लोगों के क़ुलूब के फ़साद की वजह से बहुत जल्द हमारे दिलों में माल की वजह से तअफ़्फ़ुन और बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अगर कोई शख़्स उसकी मज़र्रतों से बचते हुए, उसकी ज़्यादती से एहतराज़ करते हुए, शराइत के साथ उसको इस्तेमाल करे तो मुज़िर नहीं, बल्कि मुफ़ीद हो जाता है, लेकिन चूंकि आमतौर से न शराइत की रियायत होती है, न इस्लाह की फ़िक्र होती है। इस बिना पर यह अपना ज़हरीला असर बहुत जल्द पैदा कर देता है। इसकी बेहतरीन मिसाल हैज़े के ज़माने में अमरूद का खाना है कि अपनी ज़ात में अमरूद के अंदर कोई ऐब नहीं, उस के जो फ़वाइद हैं वे अब भी उसमें मौजूद हैं लेकिन हवा के फ़साद की वजह से उसके इस्तेमाल से ख़ास कर कसरते इस्तेमाल से बहुत जल्द उसमें तग़य्युर पैदा हो कर मज़र्रत और हलाकत का सबब बन जाता है। इसी वजह से आमतौर पर डाक्टर हैज़ा के ज़माने में अमरूदों की सख़्ती से मुमानअत कर देते हैं। टोकरे के टोकरे ज़ाया करा देते हैं। हैरत की बात यह है कि अगर मामूली हकीम या डाक्टर किसी चीज़ को मुज़िर बताता है तो तव्अन हमारे क़ुलूब उससे डरने लगते हैं। चुनांचे डाक्टरों के इन एलानात के बाद अच्छे अच्छे सूरमाओं की हिम्मत अमरूद खाने की नहीं रहती। लेकिन वह हस्ती जिसके जूतों की ख़ाक तक भी कोई हकीम या डाक्टर नहीं पहुंच सकता, जिसकी तज्वीज़ात नूरे नुबुव्वत से मुस्तफ़ाद हैं, उसके एलान पर उसकी तज्वीज़ पर ज़रा भी ख़ौफ़ पैदा न हो।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब बार बार उसके फ़ित्नों और उसकी मज़र्रतों पर तंबीह फ़रमा रहे हैं, तो यक़ीनन हर शख़्स को बहुत ज़्यादा उसकी मज़र्रतों से डरते रहना चाहिए, उसके इस्तेमाल के लिए शरई

क़वानीन के मातहत, जो उसके लिए ऐसे हैं, जैसा कि अमरूद के लिए नमक मिर्च लीमूं वग़ैरह मुस्लिहात हैं, इनका बहुत ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए. अल्लाह के हुक़ूक़ की अदाएगी का बहुत ज़्यादा इसमें फ़िक्र करते रहना चाहिए।

ख़ुद हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद है कि ग़िना में उस शख़्स के लिए नुक़्सान नहीं, जो अल्लाह से डरता है। *(मिश्कात)*

मेरे नसबी बुज़ुर्गों में मुफ़्ती इलाही बख़्श कांधलवी रह० मशहूर फ़क़ीह हज़रते अक़्दस मर्जअुलकुल शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब देहलवी नव्वरल्लाहु मर्क़दहू के ख़ास शागिर्द हैं। उनकी बयाज़ में उनके शैख़ की बयाज़ से नक़ल किया है कि दुनिया (यानी माल) आदमी के लिए हक़ तआला शानुहू की मरज़िय्यात पर अमल करने के लिए बेहतरीन मदद है।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब लोगों को हक़ तआला शानुहू की तरफ़ बुलाया तो इन चीज़ों के छोड़ देने का हुक्म नहीं फ़रमाया बल्कि अस्बाबे मईशत और अह्ल व अयाल में रहने की तर्ग़ीब दी, लिहाज़ा माल का और अपने अह्ल व अयाल में रहने का इंकार ना वाक़िफ़ शख़्स ही कर सकता है।

हज़रत उस्मान रज़ि० के विसाल के वक़्त उनके ख़ज़ांची के पास एक लाख पचास अशर्फ़ियां और दस लाख दिरम थे। और जायदाद ख़ैबर वादी-ए-क़ुरा वग़ैरह की थी, जिसकी क़ीमत दो लाख दीनार थे और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि० के माल की क़ीमत पचास हज़ार दीनार थी और एक हज़ार घोड़े और एक हज़ार ग़ुलाम छोड़े थे और अम्र बिन आस रज़ि० ने तीन लाख दीनार छोड़े थे और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि० के माल का तो शुमार ही मुश्किल है। इसके बावजूद हक़ तआला शानुहू ने उनकी तारीफ़ क़ुरआन पाक में फ़रमायी:-

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ (كهف ع ٤)

"यद् अू-न रब्ब-हुम बिल् ग़दाति वल् अशिय्यि युरीदू-न वज्ह-हू"

(सूरः कह्फ़, रूकूअ् 4)

"अपने रब की इबादत सुबह व शाम (यानी हमेशा) महज़ उसकी रिज़ा जोई के वास्ते करते हैं और इर्शाद है"।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (نور ع ٥)

"रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजा-र तुंव्-व ला बै-अुन् अन् ज़िक्रिल्लाहि॰" (सूरः नूर रूकूअ् 5)

"ये ऐसे लोगे हैं कि इनको तिजारत वग़ैरह अल्लाह के ज़िक्र से नहीं रोकती, फ़क़त, बयाज़ की इबारत अरबी है, यह उसका तुजर्मा है और सही है कि उस ज़माने में फ़ुतूहात की कसरत से आम तौर पर इन हज़रात की माली हालत ऐसी ही थी, दुनिया और सरवत उनके जूतों से लिपटती थी, ये उसको फेंकते थे और वह उनको चिपटती थी। लेकिन इस सब के बावजूद उसके साथ उनकी दिलबस्तगी और अल्लाह तआला के साथ मश्ग़ूली क्या थी? "फ़ज़ाइले नमाज़" और "हिकायाते सहाबा" (ये दोनों किताबें हमारे यहां मिल सकती हैं।) में इन हज़रात के कुछ वाक़िआत ज़िक्र किये गये हैं। उनको इब्रत और ग़ौर से देखो।

यही अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि॰ अपनी इस दौलत के साथ जब नमाज़ को खड़े होते तो जैसे एक कील कहीं गाड़ दी हो। सज्दा इतना लम्बा होता कि चिड़िया कमर पर आकर बैठ जाती और हरकत का ज़िक्र नहीं। जिस ज़माने में ख़ुद उन पर चढ़ाई हो रही थी और उन पर गोला बारी हो रही थी, नमाज़ पढ़ रहे थे। एक गोला मस्जिद की दीवार पर लगा, जिससे उसका एक हिस्सा गिरा। उनके दाढ़ी के पास से गुज़रा, मगर उनको उसका पता भी न चला। एक सहाबी रज़ि॰ का बाग़ खजूरों का ख़ूब पक रहा था, यह उस बाग़ में नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ में बाग़ का ख़्याल आ गया। इसका रंज और सदमा इस क़दर हुआ कि नमाज़ के बाद फ़ौरन बाग़ को हज़रत उस्मान रज़ि॰ की ख़िदमत में, जो उस वक़्त अमीरूल मोमिनीन थे, पेश कर दिया। उन्होंने पचास हजार में उसको फ़रोख़्त करके उसकी क़ीमत दीनी कामों में ख़र्च कर दी।

हज़रत आइशा रज़ि॰ की ख़िदमत में दो बोरियां दिरम की नज़राने में आयीं, जिनमें एक लाख से ज़्यादा दिरम थे, तबाक़ मंगा कर और भर भर कर सब तक़्सीम कर दीं। अपना रोज़ा था। यह भी ख़्याल न आया कि अपने इफ़्तार के लिए कुछ रख लें या कोई चीज़ मंगा लें। इफ़्तार के वक़्त जब बांदी ने अफ़सोस किया कि अगर एक दिरम का गोश्त मंगा लेतीं तो आज हम भी गोश्त से खाना खा लेते, तो फ़रमाया, अब अफ़सोस से क्या होता है? जब याद दिला देती तो मैं मंगा देती। हिकायाते सहाबा रज़ि॰ में ये और इस क़िस्म के चंद वाक़िआत ज़िक्र किये गये हैं। इनके अलावा हज़ारों वाक़िआत इन हज़रात के

तारीख़ में मौजूद हैं। उनको माल क्या नुक़्सान दे सकता था। जिनके नज़दीक उसमें और घर के कूड़े में कोई फ़र्क़ ही न हो। काश, अल्लाह जल्ल शानुहू इस सिफ़त का कोई शम्मा इस नापाक को भी अता कर देता।

यहां एक बात ख़ास तौर से क़ाबिले लिहाज़ है, वह यह कि इन हज़राते मुतमव्वल (मालदार) सहाबा-ए-किराम रज़ि॰ के इन अह्वाल से माल की कसरत के जवाज़ पर इस्तिद्लाल तो हो सकता है कि ख़ैरूल क़ुरून और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर में ये मिसालें भी मिलती हैं, लेकिन हम लोगों को इस ज़हर के अपने पास रखने में उनके इत्तिबाअ को आड़ बनाना ऐसा ही है जैसा कि कोई तपे दिक़ का बीमार किसी जवान क़वी तन्दुरूस्त के इत्तिबाअ में रोज़ाना सोहबत किया करे कि वह तीन चार दिन में क़ब्र का गढ़ा ही देखेगा।

रिसाले के ख़त्म पर हिकायात के सिलसिले में नं॰ 54 पर एक आरिफ़ का इर्शाद ग़ौर से देखना चाहिए।

इमाम गज़ाली रह॰ फ़रमाते हैं कि माल ब मंज़िला एक सांप के है, जिसमें ज़हर भी है और तिरयाक़ भी है। इसके फ़वाइद ब मंज़िला तिरयाक़ के हैं और इसके नुक़्सानात ब मंजिला ज़हर के। जो उस के फ़वाइद और नुक़्सानात से वाक़िफ़ हो जाए इस पर क़ादिर हो सकता है कि उसके फ़वाइद हासिल करे और नुक़्सानात से महफ़ूज़ रहे। इसमें फ़वाइद दो क़िस्म के हैं, दुन्यवी और दीनी।

दुन्यवी फ़वाइद तो हर शख़्स जानता है। उन्हीं की वजह से सारा जहान उसके कमाने में मर मिट रहा है।

दीनी फ़वाइद तीन हैं -

1. अव्वल यह कि ब वास्ता या बिला वास्ता इबादत का सबब है। बिला वास्ता तो जैसे हज, जिहाद वग़ैरह कि ये रूपये ही से हो सकते हैं और ब वास्ता यह कि अपने खाने पीने और ज़रूरियात में ख़र्च करे कि अगर ये ज़रूरतें पूरी न हों तो आदमी का दिल उधर मश्ग़ूल रहता है जिस की वजह से दीनी मशाग़िल में इश्तिग़ाल का वक़्त नहीं मिलता और जब यह बवास्ता इबादत का ज़रिया है तो ख़ुद भी इबादत हुआ, लेकिन सिर्फ़ उतनी ही मिक़्दार जिससे दीनी मशाग़िल में इआनत (मदद) मिले। इससे ज़्यादा मिक़्दार इसमें दाख़िल नहीं।

2. दूसरा दीनी फ़ायदा उससे किसी दूसरे पर ख़र्च करने के मुताल्लिक़ है और यह चार क़िस्म पर है

(अ) सद्क़ा जो गुरबा पर किया जाए। इसके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं, जैसा कि पहले गुज़र चुके।

(ब) मुरव्वत जो अग़्निया पर दावत, हदया, वग़ैरह में ख़र्च किया जाए कि वह सदक़ा नहीं है, इसलिए कि सदक़ा फ़ुक़रा पर होता है। यह क़िस्म भी दीनी फ़वाइद लिए हुए है कि इससे आपस में ताल्लुक़ात क़वी होते हैं। सख़ावत की बेहतरीन आदत पैदा होती है। बहुत सी अहादीस हदाया और खाना खिलाने के फ़ज़ाइल में वारिद हुई हैं इस क़िस्म में उन लोगों के फ़क़्र की क़ैद नहीं है, जिन पर ख़र्च किया जाए।

बंदे के नाक़िस ख़्याल में यह फ़ायदा बसा औक़ात पहले नम्बर से भी बढ़ जाता है, मगर जब ही तो, जब उसमें ख़र्च भी किया जाए, लेकिन जो शख़्स निन्नानवे के फेरे में पड़ जाए। उसके लिए न ये फ़ज़ाइल कार आमद हैं, न वे सब अहादीस जो इनके फ़ज़ाइल में आयी हैं उस पर असर करती हैं।

(ज) अपनी आबरू का तहफ़्फ़ुज़ यानी माल का ऐसी जगह ख़र्च करना, जिसमें अगर ख़र्च न किया जाए तो कमीना लोगों की तरफ़ से बदगोई, फ़ह्श वग़ैरह मज़र्रतों का अंदेशा है यह भी सदक़े के हुक्म में आ जाता है।

हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद है कि आदमी अपनी आबरू की हिफ़ाज़त के लिए जो ख़र्च करता है वह भी सदक़ा करता है।

बन्दा-ए-नाकारा के नज़दीक दफ़ूए ज़ुल्म के लिए रिश्वत देना भी इसमें दाख़िल है। रिश्वत का देना किसी नफ़ा के हासिल करने के वास्ते हराम है, ना जायज़ है, देने वाला भी ऐसा ही गुनाहगार है जैसा कि लेने वाला। लेकिन ज़ालिम के ज़ुल्म को हटाने के वास्ते देने वाले को जायज़ है, लेने वाले को हराम है।

(द) मज़दूरों की उज्रत देना कि आदमी बहुत से काम ख़ुद अपने हाथ से नहीं कर सकता और बाज़ काम ऐसे भी होते हैं कि जिनको आदमी ख़ुद कर तो सकता है लेकिन उनमें बहुत सा अज़ीज़ वक़्त सर्फ़ होता है। अगर उन कामों को उज्रत पर करा ले तो अपना यह वक़्त इल्म व अमल, ज़िक्र व फ़िक्र वग़ैरह ऐसे उमूर पर ख़र्च हो सकता है। जिनमें दूसरा नायब नहीं हो सकता।

3. तीसरा दीनी फ़ायदा उमूमी इख़राजाते ख़ैर हैं जिनमें किसी दूसरे मुअय्यन शख़्स पर तो ख़र्च नहीं किया जाता है कि यह दूसरे नम्बर में गुज़र चुके हैं, अलबत्ता उमूमी फ़वाइद उससे हासिल होते हैं जैसे मसाजिद का बनाना, मुसाफ़िर ख़ाने, पुल वग़ैरह बनाना, मदारिस, शफ़ाख़ाने वग़ैरह ऐसी चीज़ें बनवाना

जो अपने मरने के बाद भी उनके अज्र व सवाब और उनसे फ़वाइद हासिल करने वाले सुलहा की दुआएं पहुँचती रहें। यह तो इज्माल है इसके फ़वाइद का, और सारे फ़वाइद जो इससे हासिल हो सकते हैं, वे इसमें आ गये।

हज़रते अक़दस शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब क़द्दस सिर्रहू फ़रमाते हैं कि माल का ख़र्च करना सात तरह से इबादत है-

1. ज़कात, जिसमें उश्र भी दाख़िल है।

2. सदक़ा-ए-फ़ित्र,

3. नफ़्ल ख़ैरात जिस में मेहमानी भी दाख़िल है और क़र्ज़दारों की इआनत भी।

4. वक़्फ़े मसाजिद, सराय, पुल वग़ैरह बनाना।

5. हज, फ़र्ज़ हो या नफ़्ल या किसी दूसरे की हज में मदद हो, तोशा से या सवारी से।

6. जिहाद में ख़र्च करना कि एक दिरम उसमें सात सौ दिरम के बराबर है।

7. जिनके इख़राजात अपने ज़िम्मे हैं उनको अदा करना जैसा कि बीवी का और छोटी औलाद का ख़र्च है और अपनी वुसअत के बाद मुहताज रिश्तेदारों का ख़र्च वग़ैरह। *(तफ़्सीरे अज़ीज़ी)*

इमाम ग़ज़ाली रह० फ़रमाते हैं कि माल के नुक़सानात भी दो क़िस्म के हैं, दीनी और दुन्यवी।

दीनी नुक़सानात तीन क़िस्म पर हैं -

(अ) मआसी (गुनाहों) की कसरत का सबब होता है कि आदमी अक्सर व बेशतर उसी की वजह से शह्वतों में मुब्तला होता है और नादारी और इज्ज़ (कमज़ोरी) इन की तरफ़ मुतवज्जह भी नहीं होने देता। जब आदमी को किसी मासियत के हुसूल से ना उम्मीदी होती है तो दिल उसकी तरफ़ ज़्यादा मुतवज्जह भी नहीं होता और जब अपने को उस पर क़ादिर समझता है तो कसरत से उधर तवज्जोह रहती है और माल क़ुदरत के बड़े असबाब में से है। इसी वजह से माल का फ़ित्ना फ़क़्र के फ़ित्ने से बढ़ा हुआ है।

(ब) जायज़ चीज़ों में तनअ़ुम की कसरत का सबब है। अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा लिबास वग़ैरह वग़ैरह। भला मालदार से यह कब

हो सकता है कि जौ की रोटी और मोटा कपड़ा पहने और इन तनअ़्अुमात का हाल यह है कि एक चीज़ दूसरे को खींचती है और शुदा शुदा इख़्राजात में इज़ाफ़ा होता रहता है और आमदनी जब उनको काफ़ी नहीं होती, तो नाजायज़ तरीक़ों से माल हासिल करने की फ़िक्रें पैदा होने लगती हैं और निफ़ाक़ वग़ैरह बुरी आदात की बुनियाद इसी से पड़ती है कि माल की कसरत की वजह से मुलाक़ाती भी कसीर होंगे और उनके ताल्लुक़ात की बक़ा और हिफ़ाज़त के वास्ते इस क़िस्म के उमूर कसरत से पैदा होंगे और ताल्लुक़ात की कसरत में बुग़्ज़, अदावत, हसद, कीना वग़ैरह उमूर तरफ़ैन में कसरत से पैदा होंगे और ऐसे बे इंतिहा अवारिज़ आदमी के साथ लग जायेंगे, जिनसे माल के होते हुए ख़लासी दुश्वार है और ग़ौर करने से ये मज़र्रतें वसीअ पैमाने पर पहुँच जाती हैं और इन सब का पैदा होना माल ही के सबब से होता है।

(ज) और कम से कम इस बात से तो कोई भी मालदार ख़ाली नहीं हो सकता कि उसका दिल माल की सलाह व फ़लाह के ख़्याल में अल्लाह के ज़िक्र व फ़िक्र से ग़ाफ़िल रहेगा और जो चीज़ अल्लाह जल्ल शानुहू से ग़ाफ़िल कर दे, वह ख़सारा ही ख़सारा है। इसी वास्ते हज़रत ईसा अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलामु ने फ़रमाया कि माल में तीन आफ़तें हैं-

1. अव्वल यह है कि ना जायज़ तरीक़े से कमाया जाता है। किसी ने अर्ज़ किया कि अगर जायज़ तरीक़े से हासिल हो तो, आपने फ़रमाया कि बे जगह ख़र्च होता है। किसी ने अर्ज़ किया कि अगर अपने महल ही पर ख़र्च किया जाए तो, आपने फ़रमाया कि उसकी इस्लाह का फ़िक्र अल्लाह जल्ल शानुहू से तो मश्ग़ूल ही कर देगा और यह ला इलाज बीमारी है कि सारी इबादात का लुब्बे लुबाब और मग़्ज़ अल्लाह जल्ल शानुहू का ज़िक्र व फ़िक्र है और उसके लिए फ़ारिग़ दिल की ज़रूरत है और साहिबे जायदाद शख़्स दिन भर, रात भर, काश्तकारों के झगड़ों की सोच में रहता है, उनसे वसूली के हिसाब किताब में रहता है। शरीकों के मामलात की फ़िक्र में रहता है। कहीं उनके हिस्सों का झगड़ा है, कहीं उनसे पानी की बांट पर झगड़ा है, कहीं डोल बन्दियों में लड़ाई है और हुक्काम और उनके एलचियों का अलाहिदा क़िस्सा हर वक़्त का है, नौकरों, मजदूरों की ख़बरगीरी, उनके कामों की निगरानी एक मुस्तक़िल मश्ग़ला है। इसी तरह ताजिर का हाल है कि अगर शिरकत में तिजारत हो तो शरीकों की हरकतें हर वक़्त की एक मुस्तक़िल मुसीबत और मुस्तक़िल मश्ग़ला है और तंहा

तिजारत हो तो नफ़े के बढ़ने का फ़िक्र हर वक़्त, अपनी मेहनत में कोताही का ख़्याल, तिजारत में नुक़्सान का फ़िक्र ऐसे उमूर हैं जो हर वक़्त मुसल्लत रहते हैं। मशाग़िल के एतिबार से सब से कम वह ख़ज़ाना है जो नक़द की सूरत में अपने पास हो, लेकिन उसकी हिफ़ाज़त और इज़ाअत (ज़ाया होने) का अंदेशा, चोरों का फ़िक्र और उसके ख़र्च करने के मसारिफ़ का फ़िक्र और जिन लोगों की निगाहें उसकी तरफ़ लगी रहती हैं, उनका ख़्याल, ऐसे तफ़क्कुरात हैं कि जिनकी कोई इंतिहा नहीं है और यही वे सब दुन्यवी मज़र्रात हैं जो माल के साथ लगी रहती हैं और जिसके पास बक़द्रे ज़रूरत हो वह इन सब फ़िकरों से फ़ारिग़:-

लुगें ज़ेर व लुगें बाला!
ने ग़मे दुज़्द व ने ग़मे काला !!

एक लुंगी नीचे, एक लुंगी ऊपर, न चोर का डर, न पूंजी का (कि इसकी किस तरह हिफ़ाज़त करूँ? रोज़ अफ़्ज़ूं इख़राजात किस तरह पूरे करूँ?) पस माल का तिरयाक़ उसमें बक़द्रे ज़रूरत अपने ज़ाती मसारिफ़ में ख़र्च करने के बाद जो कुछ बचे, उसको ख़ैर के मसारिफ़ में ख़र्च कर देना है। इसके अलावा जो कुछ है, वह ज़हर ही ज़हर है, आफ़त ही आफ़त है। हक़ तआला शानुहू अपने लुत्फ़ व करम से इस ज़हर से इस नाकारा को भी महफ़ूज़ रखे और नेक मसरफ़ पर ख़र्च की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। *(एहया)*

इसकी मिसाल बिल्कुल सांप की सी है, जो लोग उसके पकड़ने के माहिर हैं, उसके तरीक़ों से वाक़िफ़ हैं, उनके लिए उसके पकड़ने में कोई नुक़्सान नहीं, बल्कि वे उस से तिरयाक़ बना सकते हैं और दूसरे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। लेकिन कोई ना वाक़िफ़ इन माहिरों की हिर्स कर के सांप को पकड़ेगा तो हलाक होगा। इसी तरह मुतमव्वल (मालदार) सहाबा-ए-किराम रज़ि० की हिर्स करके हम लोग अगर उस ज़हर का इस्तेमाल कसरत से करें तो हलाकत के सिवा कुछ नहीं है, और इन हज़राते सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन के मुताल्लिक़ महज़ एतिक़ादी बात नहीं, उनकी जिन्दगी का एक एक वाक़िआ इसकी खुली शहादत देता है कि उनके यहां इसकी वक़अत ईंधन से ज़्यादा न थी। उनके लिए इसका वजूद हक़ तआला शानुहू से ज़रा सी तवज्जोह भी हटाने वाला न था और इसके बावजूद वे इससे डरते रहते थे जैसा कि उनकी पूरी तारीख़ इस की शाहिद है।

"वल्लाहुल् मुवफ़्फ़िक़ु लिमा युहिब्बु व यर्ज़ा०"

तीसरी फ़स्ल

सिला-रहमी के बयान में

यह फ़स्ल दर हक़ीक़त पहली ही फ़स्लों का ततिम्मा है, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने पाक कलाम में और हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने पाक इर्शादात में इस पर ख़ुसूसियत से ताकीदें फ़रमायी हैं और ताल्लुक़ात के तोड़ने पर ख़ुसूसी वईदें फ़रमायी हैं, इसलिए इस मज़्मून को एहतिमाम की वजह से मुस्तक़िल फ़स्ल में ज़िक्र किया है। हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि अह्ले क़राबत पर सदक़े का सवाब दो गुना है। *(कंज़)*

उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ि॰ ने एक बांदी आज़ाद की तो हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि अगर तुम उसको अपने मामुओं को दे देतीं तो वह अफ़ज़ल था। *(कंज़)*

लिहाज़ा सदक़ात के अंदर अगर कोई दीनी ज़रूरत अहम न हो तो आम सदक़े से अह्ले क़राबत पर सदक़ा करना अफ़ज़ल है, अलबत्ता अगर कोई दीनी ज़रूरत दरपेश हो तो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का सवाब सात सौ गुना तक हो जाता है।

क़ुरआन पाक में और अहादीस में बहुत कसरत से सिला-रहमी की तर्ग़ीबात और क़ता-रहमी पर वईदें आयी हैं। मगर ख़ौफ़ है इस रिसाले के बढ़ जाने का, इस लिए सिर्फ़ तीन आयात तर्ग़ीब की और तीन आयात वईद की ज़िक्र करके चंद अहादीस इस मज़्मून की ज़िक्र करता हूँ कि ज़रा भी तूल हो गया तो हम लोगों को उनके पढ़ने की भी फ़ुर्सत न मिलेगी, मगर ये सारे मज़ामीन इस क़दर अहम हैं कि बावजूद इख़्तिसार के भी यह रिसाला बढ़ता ही जा रहा है

और एक हिस्से के बजाए शायद दो हिस्से करने पड़ जाएं।

(१) اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیْتَآءِ ذِی الْقُرْبٰی وَیَنْھٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوْنَ۝ (نحل ع ۱۳)

1. बेशक अल्लाह जल्ल शानुहू एतिदाल का और एहसान का और अह्ले क़राबत को देने का हुक्म फ़रमाते हैं और मना करते हैं बेहयाई से और बुरी बात से और किसी पर ज़ुल्म करने से और तुमको (इन उमूर की) नसीहत फ़रमाते हैं ताकि तुम नसीहत क़ुबूल करो।

फ़ायदा:- हक़ तआला शानुहू ने क़ुरआन पाक में बहुत सी जगह अह्ले क़राबत की ख़ैर ख़्वाही, उनको देने का हुक्म और उसकी तर्ग़ीब फ़रमायी है। चंद आयात की तरफ़ यहां इशारा किया जाता है, जिसका दिल चाहे किसी मुतर्जम (तर्जुमे वाले) क़ुरआन शरीफ़ को लेकर देख ले।

وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَّذِی الْقُرْبٰی (بقرہ ع ۱۰)

"व बिल् वालिदैनि इह्सानंव् व ज़िल् क़ुर्बा॰"

(सूर: बक़र: रूकूअ् 10)

قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالْاَقْرَبِیْنَ (بقرہ ع ۲۶)

"क़ुल् मा अन्फ़क़्तुम् मिन् ख़ैरिन् फ़-लिल् वालिदैनि वल् अक़्र-बीन॰"

(बक़र: रूकूअ् 26)

وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِی الْقُرْبٰی (نساء ع۶)

"व बिल् वालिदैनि इह्सानंव् व बिज़िल् क़ुर्बा॰"

(निसा, रूकूअ् 6)

وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا (انعام ع۱۹)

"व बिल् वालिदैनि इह्सानन्॰"

(अन्आम, रूकूअ् 19)

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُھُمْ اَوْلٰی بِبَعْضٍ فِیْ کِتٰبِ اللّٰہِ ط (انفال ع ۱۰)

"व उलुल् अर्हा मि बअ्ज़ुहुम् औला बिबअ्ज़िन् फ़ी किताबिल्लाहि॰"

(अन्फ़ाल, रूकूअ् 10)

لَا تَثْرِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ ط یَغْفِرُ اللّٰہُ لَکُمْ (یوسف ع ۱۰)

"ला तस्री-ब अलैकुमुल् यौ-म यग्फ़िरूल्लाहु लकुम॰"

(यूसुफ़, रूकूअ् 10)

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآاَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ (رعد ع ٣)

"वल्लज़ी-न यसिलू-न मा अ-म-रल्लाहु बिही अंय्यू-स-ल॰"

(रअ्द, रूकूअ् 3)

رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ (ابراهيم ع ٦)

"रब्बनग्फ़िर् ली व लि वालिदय्-य॰" (इब्राहीम॰ रूकूअ् 6)

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط (بنی اسرآئیل ع ٣)

"व बिल् वालिदैनि इह्सानन्" (बनी इस्राईल, रूकूअ् 6)

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ (بنی اسرآئیل ع ٣)

"वख़्फ़िज़् ल-हुमा जनाहज़्ज़ुल्लि॰" (बनी इस्राईल, रूकूअ् 3)

واٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ (بنی اسرآئیل ع ٣)

"व आति ज़ल् क़ुर्बा हक़्क़-हू॰" (बनी इस्राईल, रूकूअ् 3)

وَكَانَ تَقِيًّا ۙ وَّبَرًّاۢ بِوَالِدَيْهِ (مریم ع ١)

"व का-न तक़िय्यंव् व बर्रम् बिवालिदै-हि॰" (मर्यम, रूकूअ् 1)

وَبَرًّاۢ بِوَالِدَتِيْ (مریم ع ٢)

"व बर्रम् बिवालिद-ती॰" (मर्यम, रूकूअ् 2)

اِذْقَالَ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ الخ (مریم ع٣)

"इज़् क़ा-ल लि अबी-हि या अ-ब-ति" (मर्यम, रूकूअ् 3)

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص (مریم ع ٤)

"व का-न यअ्मुरू अह्ल-हू बिस्सला-ति वज़्ज़का-ति॰"

(मर्यम रूकूअ् 4)

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ (طٰهٰ ع٨)

"वअ् मुर अह्ल-क बिस्सलाति॰" (ताहा, रूकूअ् 8)

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا (فرقان ع٦)

"वल्लज़ी-न यक़ूलू-न रब्ब-ना हब् लना मिन् अज़्वाजिना व ज़ुर्रीय् यातिना॰" (फ़ुर्क़ान, रूकूअ् 6)

وَاَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ ط (احقاف ع ۲)

"व अस्लिह् ली फ़ी ज़ुर्रियृय-ती॰" (अह्क़ाफ़, रूकूअ 2)

رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ (نوح ع ۲)

"रब्बिग़्फ़िर् ली व लिवालिदय्-य॰" (नूह, रूकूअ् 2)

ये चंद आयात नमूने के तौर पर ज़िक्र की गयीं कि सब के लिखने में और तर्जुमे में तूल का डर था। ये उन तीन आयात के अलावा हैं जो मुफ़स्सल यहां ज़िक्र की गयीं। इनके अलावा और भी आयात मिलेंगी। जिस चीज़ को अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने पाक कलाम में बार बार इर्शाद फ़रमाया हो, उसकी अहमियत का क्या पूछना?

हज़रत कअब अहबार रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि क़सम है उस पाक ज़ात की, जिसने समुन्दर को हज़रत मूसा अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इस्राईल के लिए दो टुकड़े कर दिया था। तौरात में लिखा है कि अल्लाह से डरता रह और सिला-रहमी करता रह, मैं तेरी उम्र बढ़ा दूँगा। सहूलत की चीज़ों में तेरे लिए सहूलत पैदा कर दूँगा, मुश्किलात को दूर कर दूँगा। हक़ तआला शानुहू ने क़ुरआन पाक में कई जगह सिला-रहमी का हुक्म किया है। चुनांचे इर्शाद है -

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط (نسآء ع ۱)

"वत्त-क़ुल्ला हल्लज़ी तसा अलू-न बिही वल् अर्हा-म॰"
(निसा, रूकूअ् 1)

यानी अल्लाह तआला शानुहू से डरते रहो, जिससे कि अपनी हाजत तलब करते हो और रिश्तों से डरते रहो यानी उनको जोड़ते रहो, तोड़ो नहीं।

दूसरी आयत में इर्शाद है -

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰی حَقَّهٗ

"व आति ज़ल् क़ुर्बा हक़्क़-हू॰"

यानी रिश्तेदार का जो हक़ नेकी और सिला-रहमी का है, वह अदा करते रहो।

तीसरी जगह इर्शाद है –

اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

"इन्नल्ला–ह यअ् मुरू बिल अद्लि वल एहसान॰"

यानी अल्लाह जल्ल शानुहू तौहीद का और "ला इला–ह इल्लल्लाहु" की शहादत का हुक्म फ़रमाते हैं और लोगों के साथ एहसान करने का और उनसे दर गुज़र करने का हुक्म फ़रमाते हैं। और रिश्तेदारों को देने का यानी सिला–रहमी का हुक्म फ़रमाते हैं, तीन चीज़ों का हुक्म फ़रमाने के बाद तीन चीज़ों से मना किया है। फ़ह्श से यानी गुनाह से और मुन्कर से यानी ऐसी बात से, जिसकी शरीअत में और सुन्नत में असल न हो, और ज़ुल्म से यानी लोगों पर तअल्ली से फिर, फ़रमाया कि अल्लाह इन चीज़ों की तुमको नसीहत फ़रमाते हैं ताकि तुम नसीहत क़ुबूल करो।

हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ से मुझे मुहब्बत थी और उसी की शर्म में मुसलमान हुआ था कि हुज़ूर सल्ल॰ मुझसे मुसलमान होने को फ़रमाते थे, इस वजह से मैं मुसलमान हो गया, लेकिन इस्लाम मेरे दिल में न जमा था। एक मर्तबा मैं हुज़ूर सल्ल॰ के पास बैठा हुआ कुछ बातें कर रहा था कि मुझसे बातें करते करते हुज़ूर सल्ल॰ किसी दूसरी तरफ़ ऐसे मुतवज्जह हो गये जैसे किसी और से बातें कर रहे हों। थोड़ी देर बाद मेरी तरफ़ मुतवज्जह हुए और इर्शाद फ़रमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर आये थे और यह आयते शरीफ़ा "इन्नल्ला–ह यअ्मुरू बिल अद्लि" आख़िर तक नाज़िल हुई। मुझे इस मज़्मून से बहुत मसर्रत हुई और इस्लाम मेरे दिल में जम गया। मैं वहां से उठकर हुज़ूर सल्ल॰ के चचा अबू तालिब के पास गया, (जो मुसलमान न थे) उनसे जाकर मैं ने कहा कि मैं तुम्हारे भतीजे के पास था। उन पर इस वक़्त यह आयत नाज़िल हुई। वह कहने लगे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का इत्तिबाअ करो, फ़लाह को पहुँचोगे। ख़ुदा की क़सम, वह अपनी नुबुव्वत के दावे में सच्चे हों या झूठे, लेकिन तुम्हें तो अच्छी आदतों की ही तालीम और करीमाना अख़्लाक़ सिखाते हैं। *(तंबीहुल ग़ाफ़िलीन)*

यह ऐसे शख़्स की नसीहत है, जो ख़ुद मुसलमान भी नहीं, मगर वह भी इसका इक़रार करते हैं कि नुबुव्वत का दावा सच्चा हो या झूठा, लेकिन इस्लाम की तालीम बेहतरीन तालीम है, वह करीमाना अख़्लाक़ सिखाती है मगर

अफ़सोस कि आज हम मुसलमानों ही के अख़्लाक़ सब से ज़्यादा गिरे हुए हैं।

(۲) وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○(نور ع ۳)

फ़ायदाः- यह आयते शरीफ़ा और इसका तर्जुमा पहली फ़स्ल की नं॰ 18 पर गुज़र चुका है, मुझे इसके इआदे (लौटाने) से इस पर तंबीह करना मक़्सूद है कि हम लोग अपने उन अस्लाफ़ के मामूलात पर भी ग़ौर करें और हक़ तआला शानुहू की इस तर्ग़ीब पर भी। कितना सख़्त और अहम वाक़िआ है कि हुज़ूर सल्ल॰ की बीवी सारे मुसलमानों की मां, उन पर औलाद की तरफ़ से बे-बुनियाद तोहमत लगायी जाये और उसको फैलाने वाले वो क़रीबी रिश्तेदार हों, जिनका गुज़र औक़ात भी उनके बाप ही की इआनत पर हो, इस पर बाप यानी हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ को जिस क़दर भी रंज और सदमा हो वह ज़ाहिर है, इस पर भी अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से यह तर्ग़ीब कि माफ़ करें और दर गुज़र करें और हज़रते सिद्दीक़ अक्बर रज़ि॰ की तरफ़ से यह अमल कि जितना पहले ख़र्च करते थे, उसमें इज़ाफ़ा फ़रमाया जैसा कि पहले गुज़र चुका है। क्या हम भी अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा मामला कर सकते हैं कि कोई हम पर इल्ज़ाम रखे, हमारे घर वालों को ऐसी सख़्त चीज़ के साथ मुत्तहम करे और फिर हम क़ुरआन पाक की इस आयते शरीफ़ा को तिलावत करें और उस रिश्तेदार की क़राबत पर निगाह रखते हुए किसी क़िस्म की इआनत (मदद) उसको गवारा कर लें। हाशा व कल्ला ! उम्र भर की उसी से नहीं उस की औलाद से भी दुश्मनी बंध जाएगी। बल्कि जो दूसरे रिश्तेदार उससे ताल्लुक़ रखेंगे उनका भी बाईकाट कर देंगे और जिस किसी तक़रीब में वे शरीक होंगे, मजाल है कि हम उसमें शिर्कत कर लें। क्यों, फ़क़त इसलिए कि ये लोग ऐसे शख़्स की तक़रीब में या दावत में शरीक हो गये, जिसने हमें गाली दे दी, हमारी आबरू गिरा दी, हमारी बहू बेटी पर तोहमत लगा दी, चाहे ये लोग उस गाली देने वाले के फ़ेल से कितने ही नाराज़ हों, मगर उसकी तक़रीब में शिर्कत के जुर्म में उनसे भी हमारा क़ता ताल्लुक़ है। अल्लाह तआला का पाक इर्शाद यह है कि हम ख़ुद भी उसकी इआनत से हाथ न रोकें। और हमारा अमल यह है कि कोई दूसरा भी उसकी दावत कर दे तो हम उस दूसरे से भी ताल्लुक़ मुंक़ता

कर दें। लेकिन जिनके दिल में हक़ीक़ी ईमान है, अल्लाह जल्ल शानुहू की अज़्मत उन में रासिख़ है। उसके पाक इर्शाद की उनको वक़्अत है, उन्होंने इस पर अमल करके दिखा दिया कि इताअत करना इसको कहते हैं, मुतीअ ऐसे होते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहू अपनी आली शान के मुवाफ़िक़ उन पर रहमतें नाज़िल फ़रमाये और उनकी शान के मुवाफ़िक़ उनके दरजात बुलन्द फ़रमाये, आख़िर यह भी जज़्बात रखते थे, ग़ैरत हमिय्यत रखते थे, उनके सीनों में दिल और उसमें जज़्बात भी थे, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहू की रिज़ा के सामने कैसा दिल और कहाँ के जज़्बात, कैसी ग़ैरत और कहाँ की बदनामी, अल्लाह की रिज़ा के मुक़ाबले में सब चीज़ फ़ना थी।

(٣) وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ط اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ط وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۝ (احقاف ع٢)

3. और हमने इंसान को अपने मां बाप के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया, (बिल खुसूस मां के साथ एहसान का और भी ज़्यादा, क्योंकि) उसकी मां ने बड़ी मशक़्क़त के साथ उसको पेट में रखा और बड़ी मशक़्क़त के साथ उसको जना और उसको पेट में रखने और दूध छुड़ाने में (अक्सर कम से कम) तीस महीने हो जाते हैं, (कितनी तवील मशक़्क़त है) यहां तक कि बच्चा जब जवान होता है (और दानाई के ज़माना) में चालीस वर्ष को पहुँचता है तो (जो सईद होता है वह) कहता है, ऐ मेरे, परवरदिगार ! मुझे इस पर मुदावमत दीजिए कि मैं उन नेमतों का शुक्र अदा करूँ। जो आपने मुझको और मेरे वालिदैन को अता फ़रमाई, (और इस की तौफ़ीक़ दीजिए कि) मैं ऐसे नेक काम किया करूँ, जिनसे आप राज़ी हो जाएं और मेरी औलाद में भी मेरे (नफ़ा के) लिए सलाहियत पैदा फ़रमायें। मैं (अपने सारे गुनाहों से) तौबा करता हूँ और मैं आपके फ़रमांबरदारों में से हूँ। (आगे हक़ तआला शानुहू इन लोगों

के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं कि) यही लोग हैं जिनके नेक कामों को हम क़ुबूल कर लेंगे और उनकी बुराईयों से दरगुज़र करेंगे इस तरह पर कि ये जन्नत वालों में से होंगे, यह उस वायदे की वजह से है, जिसका उन से इस दुनिया में वायदा किया जाता था, (कि नेक आमाल का सिला जन्नत है।)

फ़ायदाः- हक़ ताआला शानुहू ने अह्ले क़राबत और वालिदैन के बारे में बार बार ताकीद फ़रमायी जैसा कि पहली आयते शरीफ़ा के ज़ैल में भी गुज़र चुका। इस आयते शरीफ़ा में ख़ास तौर से वालिदैन के बारे में एहसान की ख़ुसूसी ताकीद फ़रमायी कि हमने वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म दिया है। यह मज़्मून इसी उन्वान से कि हमने "वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म दिया है" तीन जगह क़ुरआन पाक में वारिद है- पहली जगह सूरः अन्कबूत रूकूअ् 1 में, फिर सूरः लुक्मान रूकूअ् 2 में, तीसरी मर्तबा यहाँ जिस से बहुत ज़्यादा ताकीद मालूम होती है।

साहिबे ख़ाज़िन रह० ने लिखा है कि यह आयते शरीफ़ा हज़रत अबूबक्र रज़ि० की शान में नाज़िल हुई कि इब्तिदाअन उनकी रिफ़ाक़त हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ शाम के सफ़र में हुई थी। जबकि उनकी उम्र 18 साल की थी और हुज़ूर सल्ल० की उम्र शरीफ़ 20 साल की थी। इस सफ़र में रास्ते में एक बेरी के दरख़्त के पास इन दोनों हज़रात का क़ियाम हुआ। हज़रत अबूबक्र रज़ि० वहां एक राहिब था उससे मिलने तशरीफ़ ले गये और हुज़ूर सल्ल० दरख़्त के साए में तशरीफ़ फ़रमा रहे। उस राहिब ने हज़रत अबूबक्र रज़ि० से पूछा कि यह शख़्स जो दरख़्त के नीचे है कौन है? आपने फ़रमाया, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। राहिब ने कहा, ख़ुदा की क़सम! यह नबी है, हज़रत ईसा (अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलामु) के बाद से इस दरख़्त के नीचे कोई नहीं बैठा। यही नबी-ए-आख़िरूज़्ज़मां हैं। जब हुज़ूर सल्ल० की उम्र शरीफ़ चालीस साल की हुई और आपको नुबुव्वत मिली तो हज़रत अबूबक्र रज़ि० मुसलमान हुए और दो साल बाद जब आप की उम्र शरीफ़ बयालीस साल की हुई तो यह दुआ की "रब्बि औज़िअ्नी" कि मुझे तौफ़ीक़ दीजिए कि मैं उस नेमत का शुक्र अदा करूँ जो मुझ पर और मेरे वालिदैन पर हुई।

हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू फ़रमाते हैं कि यह फ़ज़ीलत मुहाजिरीन

में और किसी को हासिल नहीं हुई कि उसके मां बाप दोनों मुसलमान हुए हों और दूसरी दुआ औलाद के मुताल्लिक़ सलाहियत की फ़रमायी, जिसका समरा यह है कि आपकी औलाद भी मुसलमान हुई। *(ख़ाज़िन)*

सबसे पहली आयत सूरः अंकबूत वाली और भी ज़्यादा सख़्त है कि उसमें उन वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म है जो काफ़िर हों और जब काफ़िर वालिदैन के साथ भी हक़ तआला शानुहू की तरफ़ से अच्छा बर्ताव और भलाई करने का हुक्म है तो मुसलमान वालिदैन के साथ भलाई और एहसान की ताकीद बतरीक़े औला।

हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मेरी मां ने यह अह्द कर लिया कि मैं न खाना खाऊँगी, न पानी पियूँगी, जब तक कि तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दीन से न फिरेगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया हत्ताकि ज़बरदस्ती उस के मुंह में डाला जाता था। इस पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई। *(दुर्रे मंसूर)*

इब्रत का मक़ाम है कि ऐसी सख़्त हालत में भी अल्लाह पाक का इर्शाद है कि हमने आदमी को अपने वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म दिया है, अलबत्ता अगर वे मुश्रिक बनाने की कोशिश करें तो इसमें इताअत नहीं है।

हज़रत हसन रज़ि॰ से किसी ने पूछा कि वालिदैन के साथ नेकी करने की क्या मिक़्दार है। उन्होंने फ़रमाया कि जो कुछ तेरी मिल्क में है उन पर ख़र्च करे और जो वे हुक्म करें उसकी इताअत करे सिवाए इसके कि वे किसी गुनाह का हुक्म करें कि उसमें इताअत नहीं है।

यह थी इस्लाम की तालीम, मुसलमानों का अमल कि मुश्रिक वालिदैन अगर औलाद को मुश्रिक बनाने की कोशिश भी करें तब भी उन के साथ भलाई का हुक्म है। अलबत्ता शिर्क करने में उनकी इताअत और फ़रमांबरदारी नहीं, इसलिए कि यह ख़ालिक़ का हक़ है, वालिदैन का हक़ ख़्वाह कितना ही क्यों न हो जाए, मालिक के हक़ के मुक़ाबले में किसी का हक़ नहीं है। "ला ताअ-त लिल मख़्लूक़ि फ़ी मअ्सिय-तिल् ख़ालि-क़ि" (ख़ालिक़ की ना-फ़रमानी में मख़्लूक़ की कोई इताअत नहीं) लेकिन उन के इस हुक्म और औलाद को मुश्रिक बनाने की कोशिश पर भी उनके साथ एहसान का भलाई का हुक्म है।

एक और हदीस में सूरः लुक़्मान वाली आयत के मुताल्लिक़ वारिद

हुआ है कि यह हज़रत सअद रज़ि॰ के वाक़िए में नाज़िल हुई। उस हदीस में हज़रत सअद रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मैं अपनी वालिदा के साथ बहुत सुलूक किया करता था। जब मैं मुसलमान हो गया तो मेरी वालिदा ने कहा, सअद ये क्या किया? या तो इस दीन को छोड़ दे, वरना मैं खाना पीना छोड़ दूँगी, यहां तक कि मर जाऊँगी। हमेशा तेरे लिए यह तान की चीज़ रहेगी, लोग तुझे अपनी मां का क़ातिल कहेंगे। मैं ने उनसे कहा कि ऐसा न करें, मैं अपना दीन तो नहीं छोड़ सकता। उसने एक दिन बिल्कुल न खाया, न पिया, दूसरा दिन भी इसी हाल में गुज़र गया, तो मैं ने उससे कहा कि अगर तुम्हारी सौ जानें हों और एक एक करके सब ख़त्म हो जाएं, तब भी दीन तो छोड़ नहीं सकता। जब उसने यह पुख़्तगी देखी तो खाना पीना शुरू कर दिया। *(दुर्रे मंसूर)*

इस आयते शरीफ़ा में वालिदैन के साथ नेक सुलूक का हुक्म है। फ़क़ीह अबुल्लैस फ़रमाते हैं कि अगर हक़ तआला शानुहू वालिदैन के हक़ का हुक्म न भी फ़रमाते तब भी अक़्ल से यह बात समझ में आती है कि उनका हक़ बहुत ज़रूरी है और अहम है, चे-जाएकि अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपनी सब किताबों, तौरात, इंजील, ज़बूर, क़ुरआन शरीफ़ में उनके हक़ का हुक्म फ़रमाया, तमाम अंबिया-ए-किराम को उनके हक़ के बारे में वही भेजी और ताकीद फ़रमायी। *(तंबीहुल ग़ाफ़िलीन)*

ये तीन आयात हुस्ने सुलूक के मुताल्लिक़ थीं, इसके बाद सिर्फ़ तीन आयात बद सुलूकी पर तंबीह के मुताल्लिक़ भी ज़िक्र करता हूँ।

(١) وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ o الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ o (بقرہ ع ۳)

1. और नहीं गुमराह करते अल्लाह तआला शानुहू इस मिसाल से (जिस का पहली आयत में ज़िक्र हुआ) मगर ऐसे फ़ासिक़ लोगों को जो तोड़ते रहते हैं उस मुआहदे को जो अल्लाह तआला से कर चुके थे, इस मुआहदे की पुख़्तगी के बाद और क़ता करते रहते हैं उन ताल्लुक़ात को, जिनके वाबस्ता रखने का अल्लाह तआला ने हुक्म दिया था और फ़साद करते रहते हैं ज़मीन में, यही लोग हैं ख़सारे वाले।

फ़ायदा:- जैसा कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने क़ुरआन पाक में कई जगह

सिला-रहमी बिल्ख़ुसूस वालिदैन के हुक़ूक़ की रिआयत का हुक्म और तर्ग़ीब फ़रमायी जैसा कि ऊपर गुज़रा, इसी तरह से बहुत सी जगह अपने पाक कलाम में क़ता-रहमी, बिलख़ुसूस वालिदैन के साथ बद सुलूकी पर तंबीह भी फ़रमायी। पहले की तरह से इनमें से भी चंद आयात का हवाला लिखता हूं। दोस्तो ग़ौर करो, अल्लाह के पाक कलाम में जब बार बार इस पर तंबीह है तो इसको सोचो और इब्रत हासिल करो अल्लाह का पाक इर्शाद है -

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط (نسآء ع ۱)

"वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसा-अलू-न बिही वल् अर्हा-म॰"

(*निसा रुकूअ् 1*)

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ط (انعام ع ۱۹)

"व ला तक़्तुलू औलाद कुम मिन् इम्लाक़॰"

(*अन आम रुकूअ् 19*)

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط (بنی اسرآئیل ع ٤)

"व ला तक़्तुलू औलाद कुम ख़श्य-त इम्लाक़॰"

(*बनी इस्राईल, रुकूअ् 4*)

وَالَّذِیْ قَالَ لِوَالِدَیْهِ (احقاف ع ۲)

"वल्लज़ी क़ा-ल लिवालि दैहि॰" (*अह्क़ाफ़, रुकूअ 3*)

اَنْ تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ (محمد ع ۳)

"अन् तुफ़्सिदू फ़िल् अर्ज़ि व तुक़त्तिअू अर्हा-म कुम॰"

(*सूर: मुहम्मद, रुकूअ् 3*)

हज़रत मुहम्मद बाक़र रह॰ को उनके वालिद ने जो ख़ास तौर से एहतिमाम से वसीयत फ़रमायी है जो पहली फ़स्ल की अहादीस के सिलसिले में नं॰ 23 पर भी गुज़र चुकी है, वह बहुत तजुर्बे की बात है, वह इर्शाद फ़रमाते हैं कि मुझे मेरे वालिद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रह॰ ने वसीयत फ़रमाई है कि पांच क़िस्म के आदमियों के पास न फटकना, उन से बात न कीजियो, हत्ताकि रास्ते चलते हुए इत्तिफ़ाक़न भी उनके साथ न चलना।

1. अव्वल फ़ासिक़ शख़्स कि वह एक लुक़्मे के बदले में तुझको बेच

देगा, बल्कि एक लुक़्मे से कम में भी, मैं ने पूछा कि एक लुक़्मे से कम में किस तरह बेचेगा? फ़रमाने लगे कि महज़ लुक़्मे की उम्मीद पर तुझको बेच देगा और वह लुक़्मा उसको मयस्सर भी न होगा।

2. दूसरे बख़ील कि वह तेरी सख़्त एहितयाज के वक़्त भी तेरे से किनारा कश हो जायेगा।

3. तीसरे झूठा शख़्स कि वह बालू (धोखा) की तरह से तुझे धोखे में रखेगा, जो चीज़ दूर होगी, उसको क़रीब बतायेगा, जो क़रीब होगी उसको दूर ज़ाहिर करेगा।

4. चौथे बेवक़ूफ़ के पास न लगना कि वह तुझे नफ़ा पहुँचाने का इरादा करेगा, तब भी अपनी हिमाक़त से नुक़्सान पहुँचा देगा। मसल मशहूर है कि दाना (अक़्लमन्द) दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर है।

5. पांचवें क़ता-रहमी करने वाले के पास न जाईयो कि मैं ने क़ुरआन पाक में तीन जगह उस पर अल्लाह की लानत पायी है। (रौज़)

(٢) وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ ۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ
وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝ (رعد ع ٣)

2. और जो लोग अल्लाह तआला के मुआहदे को उसकी पुख़्तगी के बाद तोड़ते हैं और अल्लाह तआला ने जिन ताल्लुक़ात के जोड़ने का हुक्म फ़रमाया, उनको तोड़ते हैं और दुनिया में फ़साद करते हैं, यही लोग हैं जिन पर लानत है और उनके लिए उस जहां में ख़राबी है।

फ़ायदा:- हज़रत क़तादा रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि इससे बहुत एहतिराज़ करो कि अहद करके तोड़ दो, अल्लाह जल्ल शानुहू ने इसको बहुत नापसंद किया है और 20 आयतों से ज़ायद में इस पर वईद फ़रमायी है, जो नसीहत के तौर पर और ख़ैर ख़्वाही के तौर पर और हुज्जत क़ायम करने के लिए वारिद हुई है। मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने अह्द के तोड़ने पर जितनी वईदें फ़रमायी हैं, उससे ज़ायद किसी और चीज़ पर फ़रमायी हों, पस जो शख़्स अल्लाह के वास्ते से अह्द कर ले, उसको ज़रूर पूरा करे।

हज़रत अनस रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम ने ख़ुत्बे में फ़रमाया कि जो शख़्स अमानत को अदा न करे, उस का ईमान ही नहीं और जो अह्द को पूरा न करे, उसका दीन नहीं।

हज़रत अबूअमामा रज़ि० और हज़रत उबादा रज़ि० से भी यह मज़्मून नक़ल किया गया। *(दुर्रे मंसूर)*

हज़रत मैमून बिन महरान रज़ि० फ़रमाते हैं कि तीन चीज़ें ऐसी हैं कि उनमें काफ़िर मुसलमान की कोई तफ़रीक़ नहीं, सब का हुक्म बराबर है।

1. अव्वल जिससे मुआहदा किया जाए, उसको पूरा किया जाए, चाहे वह मुआहदा काफ़िर से किया हो या मुसलमान से, इसलिए कि अह्द हक़ीक़त में अल्लाह तआला से है।

2. दूसरे जिस से रिश्ते का ताल्लुक़ हो, उसकी सिला-रहमी की जाए, चाहे वह रिश्तेदार मुसलमान हो या काफ़िर हो।

3. तीसरे जो शख़्स अमानतें रखवाए उसकी अमानत वापस की जाए, चाहे अमानत रखवाने वाला मुसलमान हो या काफ़िर। *(तंबीहुल ग़ाफ़िलीन)*

क़ुरआन पाक में बहुत सी आयात के अलावा एक जगह ख़ास तौर से इसी का हुक्म है।

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ٥ (بنی اسرائیل ع ٤)

"व औफ़ू बिल् अह्दि इन् नल् अह्-द का-न मस्ऊ-ला०"

(बनी इस्राईल, रूकूअ् 4)

"अहद को पूरा किया करो, बेशक अहद की बाज़पुर्स (पूछताछ) होगी"

हज़रत क़तादा रज़ि० फ़रमाते हैं कि जिन ताल्लुक़ात को जोड़ने का हुक्म फ़रमाया, उससे रिश्तेदारियां क़रीब की और दूर की मुराद हैं। *(दुर्रे मंसूर)*

दूसरी चीज़ ताल्लुक़ात के तोड़ने के मुताल्लिक़ इर्शाद फ़रमायी है।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० फ़रमाते हैं कि जो शख़्स क़राबत के ताल्लुक़ात को तोड़ने वाला हो, उससे मेल जोल पैदा न कीजियो कि मैं ने क़ुरआन पाक में दो जगह उन लोगों पर लानत पायी है, एक इस आयते शरीफ़ा में, दूसरे सूरः मुहम्मद में। *(दुर्रे मंसूर)*

सूरः मुहम्मद की आयते शरीफ़ा का हवाला क़रीब ही गुज़र चुका है

जिस में क़ता-रहमी के बाद इर्शाद फ़रमाया है, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है। फिर (उनको अल्लाह तआला ने अपने अह्काम सुनने से) बहरा कर दिया और (राहे हक़ देखने से) अंधा कर दिया।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० ने दो जगह लानत का लफ़्ज़ फ़रमाया और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रह० ने जैसा कि अभी गुज़रा है, तीन जगह फ़रमाया। इसकी वजह शायद यह हो कि दो जगह तो लानत ही का लफ़्ज़ है, सूरः रअद् में और सूरः मुहम्मद में और तीसरी जगह इनको गुमराह और ख़सारे वाला फ़रमाया है, जो लानत ही के क़रीब है, जैसा कि इससे पहले नम्बर पर सूरः बक़रः की आयत में अभी गुज़रा है।

हज़रत सुलैमान रज़ि० हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद नक़ल करते हैं कि जिस वक़्त कि क़ौल ज़ाहिर हो जाये और अमल ख़ज़ाने में चला जाए यानी तक़रीरें तो बहुत होने लगें, मज़ामीन बहुत कसरत से लिखे जायें लेकिन अमल नदारद हो जाए, गोया मुक़फ़्फ़ल रखा हुआ है और ज़बानी इत्तिफ़ाक़ तो आपस में हो जाए, लेकिन क़ुलूब मुख़्तलिफ़ हों और रिश्तेदार आपस के ताल्लुक़ात तोड़ने लगें, तो उस वक़्त में अल्लाह जल्ल शानुहू उनको अपनी रहमत से दूर कर देते हैं और अंधा बहरा कर देते हैं।

(दुर्रे मंसूर)

कि फिर न सीधा रास्ता उनको नज़र आता है, न हक़ बात उनके कानों में पहुँचती है।

हज़रत हसन रज़ि० से भी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नक़ल किया गया कि जब लोग उलूम को ज़ाहिर करें और अमल को ज़ाया कर दें और ज़बानों से मुहब्बत ज़ाहिर करें और दिलों में बुग़्ज़ रखें और क़ता-रहमी करने लगें तो अल्लाह जल्ल शानुहू उस वक़्त उनको अपनी रहमत से दूर कर देते हैं और अंधा बहरा कर देते हैं कि फिर न सीधा रास्ता उनको नज़र आता है, न हक़ बात उनके कानों में पहुँचती है।

एक हदीस में आया है कि जन्नत की ख़ुश्बू इतनी दूर तक जाती है कि वह रास्ता पांच सौ साल में तय हो, वालिदैन की ना-फ़रमानी करने वाला और क़ता रहमी करने वाला जन्नत की ख़ुश्बू भी नहीं सूँघ सकेगा। *(एह्या)*

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबीऔफ़ा रज़ि० फ़रमाते हैं कि हम अर्फ़ा की

शाम को हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हल्क़े के तौर पर चारों तरफ़ बैठे थे। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि मज्मे में कोई शख़्स क़ता-रहमी करने वाला हो तो वह उठ जाए, हमारे पास न बैठे। सारे मज्मे में से सिर्फ़ एक साहब उठे, जो दूर बैठे हुए थे और फिर थोड़ी देर में वापस आकर बैठ गये। हुज़ूर सल्ल॰ ने उनसे दर्याफ़्त फ़रमाया कि मेरे कहने पर मज्मे में से सिर्फ़ तुम उठे थे और फिर आकर बैठ गये, यह क्या बात है? उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद सुनकर मैं अपनी ख़ाला के पास गया था और उसने मुझसे क़ता ताल्लुक़ कर रखा था। मेरे जाने पर उसने कहा कि तू ख़िलाफ़े आदत कैसे आ गया? मैं ने उससे आप का इर्शादे मुबारक सुनाया। उसने मेरे लिए दुआ-ए-मग़्फ़िरत की। मैं ने उसके लिए दुआ-ए-मग़्फ़िरत की। (और आपस में सुलह करके वापस हाज़िर हो गया) हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया तुमने बहुत अच्छा किया, बैठ जाओ, उस क़ौम पर अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होती, जिस में कोई क़ता-रहमी करने वाला हो।

फ़क़ीह अबुल्लैस रह॰ ने इसको नक़ल किया है, लेकिन साहिबे कंज़ रह॰ ने इसके एक रावी के मुताल्लिक़ इब्ने मुईन से किज़्ब (झूठ) की निस्बत नक़ल की है। *(कंज़)*

फ़क़ीह अबुल्लैस रह॰ फ़रमाते हैं, कि इस क़िस्से से मालूम हुआ कि क़ता-रहमी इतना सख़्त गुनाह है कि उसकी वजह से उसके पास बैठने वाले भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि जो शख़्स इस में मुब्तला हो, वह इससे तौबा करे और सिला रहमी का एहतिमाम करे।

हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद है कि कोई नेकी जिस का सवाब बहुत जल्दी मिलता हो, सिला रहमी से बढ़ कर नहीं है। और कोई गुनाह जिस का वबाल दुनिया में उसके अलावा मिले, जो आख़िरत में मिलेगा, क़ता-रहमी और ज़ुल्म से बढ़कर नहीं है। *(तंबीहुल ग़ाफ़िलीन)*

मुतअद्दद रिवायात में यह मज़्मून वारिद हुआ है कि क़ता-रहमी का वबाल आख़िरत के अलावा दुनिया में भी पहुँचता है और आख़िरत में बुरे ठिकाने का तो ख़ुद इस आयते शरीफ़ा ही में ज़िक्र है।

फ़क़ीह अबुल्लैस रह॰ ने एक अजीब क़िस्सा लिखा है, वह फ़रमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा में एक नेक शख़्स अमानतदार ख़ुरासान के रहने वाले थे। लोग उनके पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे। एक शख़्स उनके पास दस

हज़ार अशर्फ़ियां अमानत रखवा कर अपनी किसी ज़रूरत से सफ़र में चला गया। जब वह सफ़र से वापस आया तो इन ख़ुरासानी का इंतिक़ाल हो चुका था। उनके अह्ल व अयाल से अपनी अमानत का हाल पूछा। उन्होंने ला इल्मी ज़ाहिर की। उनको बड़ा फ़िक्र हुआ कि बहुत बड़ी रक़म थी। उलमा-ए-मक्का मुकर्रमा से कि इत्तिफ़ाक़ से उस वक़्त एक मज्मा उनका मौजूद था, मस्अला पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह आदमी तो बड़ा नेक था, हमारे ख़्याल में जन्नती आदमी था। तू एक तर्कीब कर। जब आधी या तिहाई रात गुज़र जाए जो ज़मज़म के कुएं पर जाकर उसका नाम लेकर पुकार के उससे दर्याफ़्त कर। उसने तीन दिन तक ऐसा ही किया। वहां से कोई जवाब न मिला। उसने फिर जाकर उलमा से तज़्किरा किया। उन्होंने "इन्ना लिल्लाह" पढ़ा और कहा कि हमें तो डर यह हो गया कि वह शायद जन्नती न हो, तू फ़लां जगह जा, वहां एक वादी है, जिस का नाम बरहूत है, उसमें एक कुआं है। उस कुएं पर आवाज़ दे। उसने ऐसा ही किया। वहां से पहली ही आवाज़ में जवाब मिला कि तेरा माल वैसा ही महफ़ूज़ रखा है, मुझे अपनी औलाद पर इत्मीनान न हुआ, इसलिए मैं ने फ़लां जगह मकान के अंदर गाड़ दिया है। मेरे लड़के से कह कि तुझे उस जगह पहुँचा दे। वहां से ज़मीन खोद कर उसको निकाल ले। चुनांचे उसने ऐसा ही किया और माल मिल गया। उस शख़्स ने वहां बहुत ताज्जुब से उससे यह भी दर्याफ़्त किया कि तू तो बहुत नेक आदमी था, तू यहां क्यों पहुँच गया? कुएं से आवाज़ आयी कि ख़ुरासान में मेरे कुछ रिश्तेदार थे, जिनसे मैं ने क़ता-ताल्लुक़ कर रखा था। इसी हाल में मेरी मौत आ गयी। उसकी गिरफ़्त में मैं यहां पकड़ा हुआ हूँ। *(तंबीहुल ग़ाफ़िलीन)*

हज़रत अली रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि सब से बेहतरीन वादी तमाम वादियों में मक्का मुकर्रमा की वादी है और हिन्दुस्तान की वह वादी, जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरे थे, उसी जगह उन ख़ुश्बुओं की कसरत है, जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं और बदतरीन वादी अह्क़ाफ़ है और वादी हज़रमौत जिसको बरहूत कहते हैं। और सब से बेहतरीन कुआं दुनिया में ज़मज़म का है और बदतरीन कुआं बरहूत का है। जिस में कुफ़्फ़ार की रूहें जमा होती हैं। *(दुर्रे मंसूर)*

इन रूहों का किसी वक़्त इन मवाक़े में होना शरअी हुज्जत नहीं है, कश्फ़ी उमूर से ताल्लुक़ रखता है, जो हक़ तआला शानुहू जिस पर चाहे किसी

वक़्त मुंकशिफ़ फ़रमा देते हैं, लेकिन कश्फ़ शरअी हुज्जत नहीं है।

(۳) اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْ هُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۝ (بنی اسرآئیل ع ۳)

3. अगर वे (यानी मां बाप) तेरे सामने (यानी तेरी ज़िंदगी में) बुढ़ापे को पहुँच जायें चाहे एक उनमें से पहुँचे या दोनों (और बुढ़ापे की बाज़ बातें जवानों को गरां होने लगती हैं और इस वजह से उनकी कोई बात तुझे गरां होने लगे,) तब भी उनसे कभी "हूँ" भी मत करना और न उनसे झिड़क कर बोलना, उनसे ख़ूब अदब से बात करना और उनके सामने शफ़्क़त से, इंकिसारी के साथ झुके रहना और यों दुआ करते रहना कि ऐ हमारे परवरदिगार ! तू इन पर रहमत कर जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझे पाला है (और सिर्फ़ ज़ाहिर दारी ही नहीं, बल्कि दिल से उनका एहतिराम करना) तुम्हारा रब तुम्हारे दिल की बात को ख़ूब जानता है, अगर तुम सआदतमंद हो (और ग़लती से कोई बात ख़िलाफ़े अदब सरज़द हो जाए और तुम तौबा कर लो) तो वह तौबा करने वालों की ख़ताएं बड़ी कसरत से माफ़ करने वाला है।

फ़ायदाः- हज़रत मुजाहिद रह० से इसकी तफ़सीर में नक़ल किया गया कि अगर वे बूढ़े हो जाएं और तुम्हें उनका पेशाब पाख़ाना धोना पड़ जाए, तो कभी उफ़ भी न करो, जैसा कि वे बचपन में तुम्हारा पेशाब पाख़ाना धोते रहे हैं।

हज़रत अली रज़ि० फ़रमाते हैं कि अगर बे अदबी में उफ़ कहने से कोई अदना दर्जा होता तो अल्लाह जल्ल शानुहू उसको भी हराम फ़रमा देते। हज़रत हसन रज़ि० से किसी ने पूछा कि ना फ़रमानी की मिक़्दार क्या है? उन्होंने फ़रमाया कि माल से उनको महरूम रखे और मिलना छोड़ दे और उनकी तरफ़ तेज़ निगाह से देखे।

हज़रत हसन रज़ि० से किसी ने पूछा कि उनसे "क़ौले करीम" का क्या

मतलब है? उन्होंने फ़रमाया कि उनको "अम्मां-अब्बा" करके खिताब करे, उनका नाम न ले।

हज़रत ज़ुबैर बिन मुहम्मद रज़ि॰ से इसकी तफ़्सीर में नक़ल किया गया कि जब वे पुकारें तो "हाज़िर हूँ, हाज़िर हूँ" से जवाब दे।

हज़रत क़तादा रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि नर्मी से बात करें।

हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रज़ि॰ से किसी ने अर्ज़ किया कि क़ुरआन पाक में हुस्ने सुलूक का हुक्म तो बहुत जगह है, और मैं उसको समझ गया, लेकिन "क़ौले करीम" का मतलब समझ में नहीं आया, तो उन्होंने फ़रमाया जैसा कि बहुत सख़्त मुजरिम गुलाम सख़्त मिज़ाज आक़ा से बात करता है।

हज़रत आइशा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर हुए, उनके साथ एक बड़े मियां भी थे। हुज़ूर सल्ल॰ ने उनसे पूछा कि यह कौन हैं? उन्होंने अर्ज़ किया यह मेरे वालिद हैं। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि इनसे आगे न चलना, इनसे पहले न बैठना, इनका नाम लेकर न पुकारना और इनको बुरा न कहना।

हज़रत उर्वः रज़ि॰ से किसी ने पूछा कि क़ुरआन पाक में उनके सामने झुकने का हुक्म फ़रमाया है, इसका क्या मतलब है? उन्होंने फ़रमाया कि अगर वह कोई बात तेरी ना गवारी की कहें तो तिरछी निगाह से उनको मत देख कि आदमी की नागवारी अव्वल उसकी आंख से ही पहचानी जाती है।

हज़रत आइशा रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल करती हैं कि जिस ने अपने बाप की तरफ़ तेज निगाह कर के देखा, वह फ़रमांबरदार नहीं है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मैं ने हुज़ूर सल्ल॰ से दर्याफ़्त किया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि नमाज़ का अपने वक़्त पर पढ़ना। मैं ने अर्ज़ किया कि इसके बाद कौन सा अमल है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना। मैं ने अर्ज़ किया, इस के बाद? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि जिहाद।

एक और हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद वारिद है कि अल्लाह की

रिज़ा वालिद की रिज़ा में है और अल्लाह की नाराज़ी वालिद की नाराज़ी में है।
(दुर्रे मंसूर)

साहिबे मज़ाहिर रह॰ ने लिखा है कि मां बाप के हुक़ूक़ में है कि ऐसी तवाज़ो और तमल्लुक़ करे और अदा-ए-ख़िदमत करे कि वे राज़ी हो जाएं, जायज़ कामों में उनकी इताअत करे, बे अदबी न करे, तकब्बुर से पेश न आये, अगरचे वे काफ़िर ही हों, अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से बुलंद न करे, उनको नाम लेकर न पुकारे, किसी काम में उनसे पहल न करे अम्र बिल मारूफ़, (अच्छे काम का हुक्म करने) और नही अनिल मुन्कर[1] में नर्मी करे। एक बार कहे, अगर वे क़ुबूल न करें तो ख़ुद सुलूक करता रहे और उनके लिए दुआ व इस्तिग़्फ़ार करता रहे और यह बात क़ुरआन पाक से निकाली है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपने बाप को नसीहत करने से।
(मज़ाहिर, तब्दीली के साथ)

यानी हज़रत इब्राहीम अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा नसीहत करने के बाद कह दिया था कि अच्छा, अब मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, जैसा कि सूर: मरयम के तीसरे रूकूअ में आया है, हत्ताकि बाज़ उलमा ने लिखा है कि उनकी इताअत हराम में तो ना जायज़ है, लेकिन मुश्तब्ह उमूर में वाजिब है, इसलिए कि मुश्तब्ह उमूर से एहतियाते तक़्वा और उनकी रिज़ा जोई वाजिब है, पस अगर उनका माल मुश्तब्ह हो और वे तेरे अलाहिदा खाने से मुकद्दर (नाराज़) हों तो उनके साथ खाना चाहिए।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं, कोई मुसलमान ऐसा नहीं, जिसके वालिदैन हयात (ज़िन्दा) हों और वह उनके साथ अच्छा सुलूक करता हो, उसके लिए जन्नत के दरवाज़े न खुल जाते हों और अगर उनको नाराज़ कर दे तो अल्लाह जल्ल शानुहू उस वक़्त तक राज़ी नहीं होते, जब तक उनको राज़ी न कर ले। किसी ने अर्ज़ किया कि अगर वे ज़ुल्म करते हों? इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने फ़रमाया, अगरचे वे ज़ुल्म करते हों।

हज़रत तल्हा रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर हुए और जिहाद में शिर्कत की

1. यानी भलाईयों को फैलाने और बुराईयों से रोकने में नर्मी से काम लें।

दरख़्वास्त की। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, तुम्हारी वालिदा ज़िंदा हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, ज़िंदा हैं। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि उनकी ख़िदमत को मज़बूत पकड़ लो। जन्नत उनके पांव के नीचे है। फिर दोबारा और तिबारा हुज़ूर सल्ल॰ ने यही इर्शाद फ़रमाया।

हज़रत अनस रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक शख़्स हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरा जिहाद को बहुत दिल चाहता है, लेकिन मुझमें क़ुदरत नहीं। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया तुम्हारे वालिदैन में से कोई ज़िन्दा हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, वालिदा ज़िंदा हैं? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि उनके बारे में अल्लाह से डरते रहो। (यानी उनके हुक़ूक़ की अदाएगी में फ़त्वा से आगे बढ़कर तक़्वा पर अमल करते रहो) जब तुम ऐसा करोगे तो तुम हज करने वाले भी हो, उमरा करने वाले भी हो, जिहाद करने वाले भी हो यानी जितना सवाब इन चीज़ों में मिलता है, उतना ही तुम्हें मिलेगा।

हज़रत मुहम्मद बिन मुन्कदिर रह॰ कहते हैं कि मेरा भाई उमर तो नमाज़ पढ़ने में रात गुज़ारता था, और मैं वालिदा के पांव दबाने में रात गुज़ारता था, मुझे इसकी कभी तमन्ना न हुई कि उनकी रात (का सवाब) मेरी रात के बदले में मुझे मिल जाए।

हज़रत आइशा रज़ि॰ कहती हैं कि मैं ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दर्याफ़्त किया कि औरत पर सब से ज़्यादा हक़ किसका है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि ख़ाविंद का। मैं ने फिर पूछा कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया मां का।

एक हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि तुम लोगों की औरतों के साथ अफ़ीफ़ (पाक दामन) रहो, तुम्हारी औरतें भी अफ़ीफ़ रहेंगी। तुम अपने वालिदैन के साथ नेकी का बर्ताव करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ नेकी का बर्ताव करेगी। *(दुर्रे मंसूर)*

हज़रत ताऊस रह॰ कहते हैं कि एक शख़्स के चार बेटे थे, वह बीमार हुआ। उन बेटों में से एक ने अपने तीन भाईयों से कहा कि अगर तुम बाप की तीमारदारी इस शर्त पर करो कि तुम को बाप की मीरास में से कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम करो, वरना मैं इस शर्त पर तीमारदारी करता हूँ कि मीरास से कुछ न लूँगा। वे इस पर राज़ी हो गये कि तू ही इस शर्त पर तीमारदारी कर, हम नहीं

करते। उसने खूब ख़िदमत की, लेकिन बाप का इंतिक़ाल ही हो गया और शर्त के मुवाफ़िक़ उसने कुछ न लिया। रात को ख़्वाब में देखा, कोई शख़्स कहता है, फ़लां जगह सौ दीनार अशर्फ़ियां गड़ी हुई हैं वे तू ले ले। उसने ख़्वाब ही में दर्याफ़्त किया कि उनमें बरक़त भी होगी? उसने कहा कि उनमें बरकत नहीं है, सुबह को बीवी से ख़्वाब का ज़िक्र किया। उसने उनके निकालने पर इस्रार किया। उसने न माना। दूसरे दिन फिर ख़्वाब देखा, जिसमें किसी ने दूसरी जगह दस दीनार बताए। उसने फिर वही बरकत का सवाल किया। उसने कहा कि बरकत उनमें नहीं है। उसने सुबह को बीवी से इसका भी ज़िक्र किया। उसने फिर इस्रार किया, मगर उसने न माना। तीसरे दिन उसने फिर ख़्वाब देखा कोई शख़्स कहता है, फ़लां जगह जा, वहां तुझे एक दीनार (अशर्फ़ी) मिलेगा, वह ले ले। उसने फिर वही बरकत का सवाल किया। उस शख़्स ने कहा। हां उसमें बरकत है। यह जाकर वह दीनार ले आया और बाज़ार में जाकर उससे दो मछलियां ख़रीदीं जिनमें से हर एक के अन्दर से एक ऐसा मोती निकला, जिस क़िस्म का उम्र भर किसी ने नहीं देखा था। बादशाहे वक़्त ने उन दोनों को बहुत इस्रार से नब्बे ख़च्चरों के बोझ के बक़द्र (बराबर) सोने से ख़रीदा।

अहादीस

(۱) عن ابی ہریرۃؓ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك وفی روایۃ قال امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم ادناك فادناك متفق علیه

1. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किसी ने दर्याफ़्त किया कि मेरे बेहतरीन ताल्लुक़ात (एहसान, सुलूक) का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया मां। फिर दोबारा तिबारा मां को ही बताया। फिर फ़रमाया कि बाप, फिर दूसरे रिश्तेदार, अल अक़रब फ़ल, अक़रब (जो जितना क़रीब हो उतना ही मुक़द्दम है।)

फ़ायदा:- इस हदीस शरीफ़ से बाज़ उलमा ने इस्तिंबात किया है कि हुस्ने सुलूक और एहसान में मां का हक़ तीन हिस्से हैं और बाप का एक हिस्सा, इसलिए कि हुज़ूर सल्ल० ने तीन मर्तबा मां को बताकर चौथी मर्तबा बाप को बताया। इस की वजह उलमा यह बताते हैं कि औलाद के लिए मां तीन

मशक़्क़तें बर्दाश्त करती है। हमल की, जनने की, दूध पिलाने की। इसी वजह से फ़ुक़्हा ने इसकी तस्रीह की है कि एहसान और सुलूक में मां का हक़ बाप पर मुक़द्दम है। अगर कोई शख़्स ऐसा हो कि वह अपनी नादारी की वजह से दोनों के साथ सुलूक नहीं कर सकता, तो मां के साथ सुलूक करना मुक़द्दम है, अल बत्ता एज़ाज़ और अदब ताज़ीम में बाप का हक़ मां पर मुक़द्दम है।

(मज़ाहिरे हक़)

और यह भी ज़ाहिर है कि औरत होने की वजह से मां एहसान की ज़्यादा मुहताज होती है, और इन दोनों के बाद दूसरे रिश्तेदार हैं जिस की क़राबत जितनी क़रीब होगी, उतना ही मुक़द्दम होगा।

एक हदीस में है कि अपनी मां के साथ हुस्ने सुलूक की इब्तिदा करो, उसके बाद बाप के साथ, फिर बहिन के साथ फिर भाई के साथ "अल अक़्रबु फ़ल अक़्रबु" और अपने पड़ोसियों और हाजतमंदों को न भूलना। *(कंज़)*

हज़रत बह्ज़ बिन हकीम रह० अपने दादा से नक़ल करते हैं कि उन्होंने हुज़ूर सल्ल० से नक़ल किया कि हुज़ूर सल्ल०! मैं सुलूक व एहसान किस के साथ करूँ? हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, अपनी मां के साथ। उन्होंने फिर यही दर्याफ़्त फ़रमाया। हुज़ूर सल्ल० ने फिर यही जवाब दिया। इसी तरह तीसरी मर्तबा भी, चौथी मर्तबा में हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि बाप के साथ, उसके बाद फिर दूसरे रिश्तेदार, जो जितना क़रीब हो, उतना ही मुक़द्दम है।

एक और हदीस में है कि एक शख़्स हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया मुझे कोई हुक्म दें ताकि तामीले इर्शाद करूँ। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि अपनी मां के साथ एहसान करो। दूसरी और तीसरी मर्तबा के बाद हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि बाप के साथ एहसान करो।

(दुर्रे मंसूर)

एक हदीस में है कि तीन चीज़ें ऐसी हैं, जिसमें ये पायी जाएं, हक़ तआला शानुहू मरने के वक़्त को उस पर आसान कर देते हैं, और जन्नत में उसको दाख़िल कर देते हैं। ज़ईफ़ पर मेहरबानी, वालिदैन पर शफ़्क़त और मातहतों पर एहसान। *(मिश्कात)*

(۲) عن انسؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط
لهٗ في رزقه وينسالهٗ في اثره فليصل رحمهٗ متفق عليه كذا في المشكوٰة

2. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख़्स यह चाहता है कि उसके रिज़्क़ में वुसअत की जाए और उसके निशानाते क़दम में ताख़ीर की जाए, उसको चाहिए कि सिला-रहमी करे।

फ़ायदाः- निशानाते क़दम में ताख़ीर किये जाने से उम्र की दराज़ी मुराद ली जाती है, इसलिए कि जिस शख़्स की जितनी उम्र ज़्यादा होगी, उतने ही ज़माने तक उसके चलने से निशानाते क़दम ज़मीन पर पड़ेंगे, और जो मर गया, उसके पांव का निशान ज़मीन से मिट गया, इस पर यह इश्काल किया जाता है कि उम्र हर शख़्स की मुतअय्यन है। क़ुरआन पाक में कई जगह यह मज़्मून सराहत से मज़्कूर है कि हर शख़्स का एक मुक़र्ररा वक़्त है, जिस में एक साअत की न तो तक़्दीम हो सकती है, न ताख़ीर हो सकती है, इस वजह से दराज़ी-ए-उम्र को बाज़ उलमा ने वुसअते रिज़्क़ की तरह से बरकत पर महमूल फ़रमाया है कि उसके औक़ात में इस क़दर बरकत होती है कि जो काम दूसरे लोग दिनों में करते हैं वह घंटों में कर लेता है और जिस काम को दूसरे लोग महीनों में करते हैं, वह दिनों में कर गुज़रता है, और बाज़ उलमा ने दराज़ी-ए-उम्र से उसका ज़िक्रे ख़ैर मुराद लिया है कि बहुत दिनों तक उसके कारनामों के निशानात और ज़िक्रे ख़ैर जारी रहता है।

बाज़ उलमा ने लिखा है कि उसकी औलाद में ज़्यादती होती है, जिसका सिलसिला उसके मरने के बाद देर तक रहता है और यही वुजूह इसकी हो सकती हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, जिनका क़ौल सच्चा है, इर्शाद बर हक़ है, इसकी इत्तिला दी है। तो सूरत उसकी जो भी हो उसका हासिल होना यक़ीनी है और अल्लाह जल्ल शानुहू की पाक ज़ात क़ादिरे मुतलक़ और मुसब्बिबुल अस्बाब है, उसको अस्बाब पैदा करना क्या मुश्किल है। वह हर चीज़ का, जिसको वह करना चाहे, ऐसा सबब पैदा कर देता है कि आक़िलों की अक़्लें दंग रह जाती हैं, इसलिए इसमें न कोई इश्काल है, न कोई मानेअ है। *(मज़ाहिर)*

मुक़द्दरात का मसअला अपनी जगह पर अटल है लेकिन इस दुनिया को अल्लाह जल्ल शानुहू ने दारूल अस्बाब बनाया है और हर चीज़ के लिए ज़ाहिरी या बातिनी सबब पैदा किया है। अगर हैज़ा के बीमार के लिए हकीम, डाक्टर वग़ैरह के लिए एक एक मिनट में आदमी दौड़ सकता है कि शायद इस दवा से फ़ायदा हो, उस दवा से फ़ायदा हो, क्यों? ताकि उम्र बाक़ी रहे। हालांकि वह

एक मुक़र्ररा, मुतअय्यना चीज़ है फिर कोई वजह नहीं कि बक़ा-ए-उम्र के लिए उससे ज़्यादा जिद्दो जुहद सिला-रहमी में न की जाए, इसलिए कि उसका बक़ा और तूले उम्र के लिए सबब होना यक़ीनी है। और ऐसे हकीम का इर्शाद है, जिसके नुस्ख़े में न कभी ग़लती हुई हो और इन मामूली हकीम डाक्टरों के नुस्ख़ों और तश्ख़ीस में गलतियों के सैकड़ों एहतिमालात हैं।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह पाक इर्शाद जो ऊपर गुज़रा, मुख़्तलिफ़ अहादीस में मुख़्तलिफ़ उन्वानात से वारिद हुआ है, इसलिए इसमें तरद्दुद नहीं।

एक हदीस में हज़रत अली रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि जो शख़्स एक बात का ज़िम्मा ले ले, मैं उसके लिए चार बातों का ज़िम्मा ले लेता हूं। जो शख़्स सिला-रहमी करे, उसकी उम्र दराज़ होती है, अइज़्ज़ा उस से मुहब्बत करते हैं, रिज़्क़ में उसके वुसअत होती है और जन्नत में दाख़िल होता है। (कंज़)

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ से फ़रमाया कि तीन बातें बिल्कुल हक़ (और पक्की) हैं

1. जिस शख़्स पर ज़ुल्म किया जाए और वह चश्मपोशी करे, उसकी इज़्ज़त बढ़ती है।

2. जो शख़्स माल की ज़्यादती के लिए सवाल करे, उसके माल में कमी होती है

3. जो शख़्स अता और सिला-रहमी का दरवाज़ा खोल दे, उसके माल में कसरत होती है। (दुर्रे मंसूर)

फ़क़ीह अबुल्लैस रह॰ फ़रमाते हैं कि सिला-रहमी में दस चीज़ें क़ाबिले मदह (तारीफ़) हैं:-

1. अव्वल यह है कि उसमें अल्लाह जल्ल शानुहू अम्म नवालुहू की रिज़ा व ख़ुश्नूदी है कि अल्लाह पाक का हुक्म सिला-रहमी का है।

2. दूसरे रिश्तेदारों पर मसर्रत पैदा करना है और हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद है कि अफ़्ज़ल तरीन अमल मोमिन को ख़ुश करना है।

3. तीसरे इस से फ़रिश्तों को भी बहुत मसर्रत होती है।

4. चौथे मुसलमानों की तरफ़ से उस शख़्स की मदद और तारीफ़ होती है

5. पांचवें शैतान (उस पर लानत हो) को इस से बड़ा रंज व ग़म होता है।

6. छठे इसकी वजह से उम्र में ज़्यादती होती है।

7. सातवें रिज़्क़ में बरकत होती है।

8. आठवें मुर्दों को इससे मसर्रत होती है कि बाप दादा जिनका इंतिक़ाल हो गया, उनको जब इसकी ख़बर होती है तो उनको बड़ी खुशी इससे हासिल होती है।

9. नवें आपस के ताल्लुक़ात में इस से कुव्वत होती है। जब तुम किसी की मदद करोगे, उस पर एहसान करोगे, तुम्हारी ज़रूरत और मशक़्क़त के वक़्त में वह दिल से तुम्हारी इआनत (मदद) करने का ख़्वाहिशमंद होगा।

10. दसवें मरने के बाद तुम्हें सवाब मिलता रहेगा कि जिसकी भी तुम मदद करोगे, तुम्हारे मरने के बाद वह हमेशा तुम्हें याद करके दुआ-ए-ख़ैर करता रहेगा।

हज़रत अनस रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि क़ियामत के दिन रहमान के अर्श के साए में तीन क़िस्म के आदमी होंगे।

1. एक सिला-रहमी करने वाला कि उसके लिए दुनिया में भी उस की उम्र बढ़ायी जाती है, रिज़्क़ में भी वुसअत की जाती है और उसकी क़ब्र में भी वुसअत कर दी जाती है।

2. दूसरे वह औरत जिसका ख़ाविंद मर गया हो और वह छोटी औलाद की परवरिश की ख़ातिर उनके जवान होने तक निकाह न करे ताकि उनकी परवरिश में मुश्किलात पैदा न हों।

3. तीसरे वह शख़्स जो खाना तैयार करे और यतीमों मसाकीन की दावत करे।

हज़रत हसन रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल करते हैं कि दो क़दम अल्लाह के यहां बहुत महबूब हैं:-

1. एक वह क़दम जो फ़र्ज़ नमाज़ अदा करने के लिए उठा हो।

2. दूसरा वह क़दम जो किसी मेहरम की मुलाक़ात के लिए उठा हो।

कुछ उलमा ने लिखा है कि पांच चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर दवाम और इस्तिक़्लाल से अल्लाह जल्ल शानुहू के यहां ऐसी नेकियां मिलती हैं, जैसे कि ऊँचे ऊँचे पहाड़ और उनकी वजह से रिज़्क़ में भी वुसअत होती है –

1. एक सदक़े की मुदावमत थोड़ा हो या ज़्यादा,
2. दूसरे सिला-रहमी पर मुदावमत, चाहे क़लील हो या कसीर,
3. तीसरे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना,
4. चौथे हमेशा बा वुज़ू रहना,
5. पांचवे वालिदैन की फ़रमांबरदारी पर मुदावमत करना।

(तंबीहुल ग़ाफ़िलीन)

एक हदीस में आया है कि जिस अमल का सवाब और बदला सबसे जल्दी मिलता है, वह सिला-रहमी है। बाज़ आदमी गुनाहगार होते हैं, लेकिन सिला-रहमी की वजह से उनके मालों में भी बरकत होती है और उनकी औलाद में भी। *(एहया)*

एक हदीस में है कि सदक़ा तरीक़े के मुवाफ़िक़ करना और मारूफ़ (भलाई) का इख़्तियार करना, वालिदैन के साथ एहसान करना और सिला-रहमी आदमी को बद-बख़्ती से नेक बख़्ती की तरफ़ फेर देता है, उम्र में ज़्यादती का सबब है और बुरी मौत से हिफ़ाज़त है। *(कंज़)*

उम्र और रिज़्क़ में ज़्यादती जितनी कसरत से रिवायात में ज़िक्र की गयी है, उसका नमूना मालूम हो गया और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, जिन पर हर शख़्स मरता है और दुनिया की सारी कोशिशें इन्हीं दो चीज़ों की ख़ातिर हैं। हुज़ूर सल्ल० ने इन दोनों के लिए बहुत सह्ल तद्बीर बता दी कि सिला-रहमी किया करें, दोनों तमन्नाएं हासिल होंगी। अगर हुज़ूर सल्ल० के इर्शाद के हक़ होने पर यक़ीन है तो फिर उम्र और रिज़्क़ की ज़्यादती के ख़्वाहिशमंदों को इस नुस्ख़े पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना चाहिए और जो मयस्सर हो, अक़रबा पर ख़र्च करना चाहिए कि रिज़्क़ में ज़्यादती के वायदे से उसका बदला भी मिलेगा, और उम्र में इज़ाफ़ा मुफ़्त में है।

(۳) عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ودابیہ بعد ان یولی رواہ مسلم کذا فی المشکوٰۃ

3. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बाप के साथ हुस्ने सुलूक का आला दर्जा यह है कि उसके चले जाने के बाद उसके साथ ताल्लुक़ात रखने वालों के साथ हुस्ने सुलूक करे।

फ़ायदाः- "चले जाने" से मुराद आरज़ी चला जाना भी हो सकता है और मुस्तक़िल चला जाना यानी मर जाना भी हो सकता है। और यह दर्जा बढ़ा हुआ इसलिए है कि ज़िन्दगी में तो उसके दोस्तों के साथ हुस्ने सुलूक में अपने ज़ाती अग़राज़ का शायबा भी हो सकता है कि उनके साथ ताल्लुक़ की क़ुव्वत और अच्छा सुलूक उन अग़राज़ के पूरा होने में मुईन (मददगार) होगा जो वालिद से वाबस्ता हैं। लेकिन बाप के मरने के बाद उनके साथ सुलूक और एहसान करना अपने ज़ाती अग़राज़ से बाला तर होता है। इस में बाप का एहतिराम ख़ालिस रह जाता है।

एक हदीस में है, इब्ने दीनार रह० कहते हैं कि हज़रत इब्ने उमर रज़ि० मक्का के रास्ते में तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में एक बद्दू जाता हुआ नज़र पड़ गया। हज़रत इब्ने उमर रज़ि० ने उसको अपनी सवारी दे दी और अपने सरे मुबारक से अमामा उतार कर उसको नज़्र कर दिया। इब्ने दीनार रह० ने अर्ज़ किया कि हज़रत ! यह शख़्स तो इससे कम दर्जा एहसान पर भी बहुत ख़ुश हो जाता (आपने अमामा भी दे दिया और सवारी भी) हज़रत इब्ने उमर रज़ि० ने फ़रमाया कि इसका बाप मेरे बाप के दोस्तों में था और मैं ने हुज़ूर सल्ल० से यह सुना कि बेहतरीन सिला आदमी का अपने बाप के दोस्तों पर एहसान करना है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० फ़रमाते हैं कि मैं मदीना तय्यिबा हाज़िर हुआ तो हज़रत इब्ने उमर रज़ि० मुझसे मिलने तशरीफ़ लाये और यह फ़रमाया कि तुम्हें मालूम है, मैं क्यों आया हूँ? मैं ने हुज़ूर सल्ल० से सुना है कि जो शख़्स चाहे कि अपने बाप के साथ उसकी क़ब्र में सिला-रहमी करे, उसको चाहिए कि अपने बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करे और मेरे बाप उमर रज़ि० म और तुम्हारे वालिद में दोस्ती थी, इसलिए आया हूँ। *(तर्ग़ीब)*

कि दोस्त की औलाद भी दोस्त ही होती है।

एक और हदीस में है, हज़रत अबू उसैद मालिक बिन रबीअः रज़ि० फ़रमाते हैं कि हम हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर थे। क़बीला बनू सलमा के एक साहब हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या

रसूलल्लाह! मेरे वालिदैन के इंतिक़ाल के बाद उनके साथ हुस्ने सुलूक का कोई दर्जा बाक़ी है? हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, हां, हां। उनके लिए दुआएं करना, उनकी मग़्फ़िरत की दुआ मांगना, उनके अह्द को, जो किसी से कर रखा हो, पूरा करना और उनके रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करना, उनके दोस्तों का एहतिराम करना। *(मिश्कात)*

एक और हदीस में इस क़िस्से के बाद है, उस शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, यह कैसी बेहतरीन और बढ़िया बात है। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया तो फिर इस पर अमल करो। *(तर्ग़ीब)*

(٤) عن انسؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد ليموت والده او احدهما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارًا رواه البيهقي في الشعب كذا في المشكوٰة.

4. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जिस शख़्स के मां बाप दोनों या उनमें से कोई एक मर जाए और वह शख़्स उनकी नाफ़रमानी करने वाला हो, तो अगर वह उनके लिए हमेशा, दुआ-ए-मग़्फ़िरत करता रहे, इसके अलावा उनके लिए और दुआएं करता रहे तो वह शख़्स फ़रमांबरदारों में शुमार हो जाएगा।

फ़ायदा:- यह अल्लाह तआला का किस क़दर इनआम व एहसान और लुत्फ़ व करम है कि वालिदैन की ज़िन्दगी में बसा औक़ात नागवार उमूर पेश आ जाने से दिलों में मैल आ जाता है, लेकिन जितना भी रंज हो जाए, वालिदैन ऐसी चीज़ नहीं, जिनके मरने के बाद भी दिलों में रंज रहे, उनके एहसानात याद आकर आदमी बेताब न हो जाए। लेकिन अब वह मर गये, अब क्या तलाफ़ी हो सकती है? अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने फ़ज़्ल से उसका दरवाज़ा भी खोल दिया कि उनके मरने के बाद अब उनके लिए दुआएं करे, उनकी मग़्फ़िरत को अल्लाह से मांगता रहे। उनके लिए ईसाले सवाब, जानी और माली करता रहे कि यह अब उनकी ज़िन्दगी के ज़माने में, जो उनके हुक़ूक़ ज़ाया हुए हैं, उसकी तलाफ़ी कर देगा और बजाए ना-फ़रमानों में शुमार होने के फ़रमांबरदारों में शुमार हो जाए। यह अल्लाह तआला का किस क़दर एहसान है कि हाथ से वक़्त निकल जाने के बाद भी उसका रास्ता खोल दिया। किस क़दर बे-ग़ैरती और दिली क़सावत होगी, अगर इस मौक़े को भी हाथ से खो दिया जाए। ऐसा कौन

होगा जिससे हमेशा वालिदैन की रिज़ा ही के काम होते रहे हों और अदा-ए-हुक़ूक़ में क़ोताही तो कुछ न कुछ होती ही है। अगर अपना मामूल और कोई ज़ाब्ता ऐसा मुक़र्रर कर लिया जाए, जिससे उनको सवाब पहुँचता रहे, तो किस क़दर आला चीज़ हासिल हो सकती है?

एक हदीस में है कि जो शख़्स अपने वालिदैन की तरफ़ से हज करे, तो यह उनके लिए हज्जे बदल हो सकता है, उनकी रूह को आसमान में उस की ख़ुशख़बरी दी जाती है और यह शख़्स अल्लाह के नज़दीक फ़रमांबरदारों में शुमार होता है, अगरचे पहले से ना फ़रमान हो।

एक और रिवायत में है कि जो शख़्स अपने वालिदैन में से किसी की तरफ़ से हज करे तो उनके लिए एक हज का सवाब होता है और हज करने वाले के लिए नौ हजों का सवाब होता है। *(रहमतुल मवद्दत)*

अल्लामा ऐनी रह० ने शरहे बुख़ारी में एक हदीस नक़ल की है कि जो शख़्स एक मर्तबा यह दुआ पढ़े –

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ لِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَلَهُ الْعَظَمَةُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ هُوَ الْمَلِكُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَهُ النُّوْرُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आल-मी-न रब्बिस्समावाति वल् अर्ज़ि रब्बिल आल-मी-न वल-हुल् किब्रिया-उ फ़िस्समावाति वल् अर्ज़ि व हुवल् अज़ीज़ुल हकीमु लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस्समावाति व रब्बिल् अर्ज़ि रब्बिल आल-मी-न व ल-हुल् अज़्म-तु फ़िस्समावाति वल अर्ज़ि व हुवल् अज़ीज़ुल् हकीमु हुवल् मलिकु रब्बुस्समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल आल-मी-न व लहुन्नू-रू फ़िस्समावाति वल अर्ज़ि व हुवल् अज़ीज़ुल हकीम०"

और इसके बाद यह दुआ करे कि या अल्लाह, इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुँचा दे, उसने वालिदैन का हक़ अदा कर दिया।

एक और हदीस में है कि आदमी अगर कोई नफ़्ली सदक़ा करे तो इसमें क्या हरज है कि उसका सवाब अपने वालिदैन को बख़्श दिया करे, बशर्ते कि वे मुसलमान हों कि इस सूरत में उनको सवाब पहुँच जाएगा और सदक़ा करने वाले के सवाब में कोई कमी न होगी। (कंज़)

इस हदीस शरीफ़ के मुवाफ़िक़ कुछ करना भी नहीं पड़ता जो कुछ भी किसी मौक़े पर ख़र्च किया जाए, उसका सवाब अपने वालिदैन को पहुँचा दिया करे।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि॰ फ़रमाते हैं, उस पाक ज़ात की क़सम जिसने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हक़ बात के साथ भेजा है, यह अल्लाह के पाक कलाम में है कि जो शख़्स तेरे बाप के साथ सिला-रहमी करता हो तू उसके साथ क़ता-रहमी न कर, इससे तेरा नूर जाता रहेगा।

एक हदीस में है कि जो अपने वालिदैन की या उनमें से एक की क़ब्र की हर जुमा को ज़ियारत करे, उसकी मग़्फ़िरत की जाएगी और वह फ़रमांबरदारों में शुमार होगा।

औज़ाओ रह॰ कहते हैं कि मुझे यह बात पहुँची है कि जो शख़्स अपने वालिदैन की ज़िन्दगी में ना-फ़रमान हो, फिर उनके इंतिक़ाल के बाद उनके लिए इस्तिग्फ़ार करे, अगर उनके ज़िम्मे क़र्ज़ हो तो उसको अदा करे, और उनको बुरा न कहे, तो वह फ़रमांबरदारों में शुमार हो जाता है। और जो शख़्स वालिदैन की ज़िन्दगी में फ़रमांबरदार था, लेकिन उनके मरने के बाद उनको बुरा भला कहता है, उनका क़र्ज़ भी अदा नहीं करता उनके लिए इस्तिग़्फ़ार भी नहीं करता, वह ना फ़रमान शुमार हो जाता है। (दुर्रे मंसूर)

(٥) عن سراقة بن مالكؓ ان النبی صلی الله علیه وسلم قال الا ادلکم علی افضل الصدقة ابنتك مردودة الیك لیس لها کاسبٌ غیرك رواه ابن ماجة کذا فی المشکوٰة

5. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मर्तबा इर्शाद फ़रमाया कि मैं तुम्हें बेहतरीन सदक़ा बताता हूँ, तेरी वह लड़की (उसका महल) है जो लौट कर तेरे ही पास आ गयी हो और उसके लिए तेरे सिवा कोई कमाने वाला न हो (कि ऐसी लड़की पर जो भी ख़र्च

किया जाएगा, वह बेहतरीन सदक़ा है।)

फ़ायदा:- "लौट कर आ जाने" से मुराद यह है कि लड़की का निकाह कर दिया था, उसके ख़ाविंद का इंतिक़ाल हो गया या ख़ाविंद ने तलाक़ देदी या कोई और सबब ऐसा पेश आ गया, जिसकी वजह से वह लड़की फिर बाप के ज़िम्मे हो गयी, तो उसकी ख़बरगीरी, उस पर ख़र्च करना अफ़्ज़ल तरीन सदक़ा है और उसका अफ़्ज़ल होना साफ़ ज़ाहिर है कि उसमें एक सदक़ा है, दूसरे मुसीबत ज़दा की इम्दाद है, तीसरे सिला-रहमी है, चौथे औलाद की ख़बरगीरी है, पांचवे ग़म ज़दा की दिलदारी है कि औलाद का इब्तिदा में वालिदैन के ज़िम्मे होना रंज के बजाए ख़ुशी का सबब होता है लेकिन उसका अपना घर हो जाने के बाद अपना ठिकाना बन जाने के बाद, फिर वालिदैन के ज़िम्मे हो जाना ज़्यादा रंज का सबब हुआ करता है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख़्स किसी मुसीबत ज़दा की फ़रियादरसी करे, उसके लिए तिहत्तर दर्जे मग़्फ़िरत के लिखे जाते हैं, जिनमें से एक में उसके तमाम उमूर की इस्लाह और दुरूस्ती है और बहत्तर दर्जे उसके लिए क़ियामत में तरक़्क़ियात का सबब हैं इस मज़्मून की बहुत सी रिवायात पहली फ़स्ल की अहादीस में नं॰ 26 के ज़ैल में गुज़र चुकी हैं।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ि॰ ने हुज़ूर सल्ल॰ से दर्याफ़्त किया कि मेरे पहले ख़ाविंद अबू सलमा की जो औलाद मेरे पास है, उन पर ख़र्च करने का भी मुझे सवाब मिलेगा, वह तो मेरी ही औलाद है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, उन पर ख़र्च किया कर, इसका तुझे सवाब मिलेगा। *(मिश्कात)*

और औलाद पर रहमत और शफ़्क़त तो बग़ैर उसकी एहतियाज और ज़रूरत के भी मुस्तक़िल मंदूब और मत्लूब है।

एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास दोनों नवासे हज़रत हसन रज़ि॰ और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु में से एक मौजूद थे। हुज़ूर सल्ल॰ ने उनको प्यार किया।

अक़्रअ बिन हाबिस रज़ि॰ क़बीला तमीम का सरदार भी वहां मौजूद था, कहने लगा कि मेरे दस बेटे हैं। मैं ने उनमें से कभी भी किसी को प्यार नहीं किया। हुज़ूर सल्ल॰ ने उसकी तरफ़ तेज़ निगाह से देखा और फ़रमाया कि जो

रहम नहीं करता, उस पर रहम किया भी नहीं जाता।

एक और हदीस में है कि एक बद्दू ने अर्ज़ किया तुम बच्चों को प्यार करते हो, हम तो नहीं करते। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमया मैं इसका क्या इलाज करूँ कि अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत का माद्दा निकाल दिया। *(तर्ग़ीब)*

औलाद होने के अलावा उसका मुसीबतज़दा होना मुस्तक़िल अज्र का सबब है।

(٦) عن سلیمان بن عامرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وھی علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ رواہ احمد والترمذی وغیرھما کذافی المشکوٰۃ

6. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि ग़रीब पर सदक़ा करना सिर्फ़ सदक़ा है और रिश्तेदार पर सदक़ा करना सदक़ा भी है और सिला-रहमी भी, दो चीज़ें हो गयीं।

फ़ायदा:- जहां तक अहले क़राबत और रिश्तेदारों का ताल्लुक़ है, उन पर सदक़ा आम ग़ुरबा पर सदक़े से मुकद्दम और अफ़ज़ल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुख़्तलिफ़ रिवायात में मुख़्तलिफ़ उन्वानात से यह मज़्मून भी बहुत कसरत से नक़ल किया गया।

हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि एक अशर्फ़ी तू अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करे, एक अशर्फ़ी तू ग़ुलाम के आज़ाद करने में ख़र्च करे, एक अशर्फ़ी तू किसी फ़क़ीर को दे, एक अशर्फ़ी तू अपने अहल व अयाल पर ख़र्च करे, उनमें सबसे अफ़ज़ल यही है जो तू अपने अहल व अयाल पर ख़र्च करे (बशर्ते कि महज़ अल्लाह के वास्ते ख़र्च किया जाए और वे ज़रूरतमंद भी हों, जैसा कि आगे आ रहा है।)

एक और हदीस में है कि हज़रत मैमूना रज़ि॰ ने एक बांदी आज़ाद की। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि अगर उसको अपने मामुओं को दे देतीं तो ज़्यादा सवाब होता।

एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरतों को ख़ास तौर से सदक़ा करने की तर्ग़ीब दी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि॰ मशहूर सहाबी और फ़ुक़हा-ए-सहाबा में हैं, उनकी बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ि॰ ने उनसे कहा कि आज हुज़ूर सल्ल॰ ने

हमें सदक़ा करने का हुक्म दिया है, तुम्हारी माली हालत कमज़ोर है, अगर तुम हुज़ूर सल्ल॰ से जाकर यह दर्याफ़्त कर लो कि मैं सदक़े का माल तुम्हें दे दूँ तो यह काफ़ी है या नहीं। उन्होंने फ़रमाया कि तुम ख़ुद ही जाकर दर्याफ़्त कर लो (कि उनको अपनी ज़ात के लिए दर्याफ़्त करने में ग़ालिबन हिजाब और ख़ुद ग़रज़ी का ख़्याल हुआ होगा) हज़रत ज़ैनब रज़ि॰ हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुईं, वहां दरवाज़े पर देखा कि एक और औरत भी खड़ी है और वह भी यही मसअला दर्याफ़्त करना चाहती है, लेकिन हुज़ूर सल्ल॰ के रौब की वजह से दर्याफ़्त करने की हिम्मत न हुई। इतने में हज़रत बिलाल रज़ि॰ आ गये। इन दोनों ने उनसे दर्ख़्वास्त की कि हुज़ूर सल्ल॰ से अर्ज़ कर दें कि दो औरतें खड़ी हैं और यह दर्याफ़्त करती हैं कि अगर वे अपने ख़ाविंदों पर और जो यतीम बच्चे पहले ख़ाविंदों से उनके पास हैं, उन पर सदक़ा कर दें तो यह काफ़ी है? हज़रत बिलाल रज़ि॰ ने हुज़ूर सल्ल॰ को पयाम पहुँचाया। हुज़ूर सल्ल॰ ने दर्याफ़्त फ़रमाया कि कौन औरतें हैं? हज़रत बिलाल रज़ि॰ ने अर्ज़ किया कि एक फ़लां औरत अन्सारिया हैं और एक अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि॰ की बीवी ज़ैनब रज़ि॰ हैं। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि हां उनके लिए दो गुना सवाब है सदक़े का भी और क़राबत का भी। *(मिश्कात)*

हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू का इर्शाद है कि मैं अपने किसी भाई की एक दिरम से मदद करूँ, यह मुझे ज़्यादा पसंद है, दूसरे पर बीस दिरम ख़र्च करने से, और मैं उस पर सौ दिरम ख़र्च कर दूँ, यह ज़्यादा महबूब है एक ग़ुलाम आज़ाद करने से। *(एह्या, इत्तिहाफ़)*

एक हदीस में है कि जब आदमी ख़ुद ज़रूरतमंद हो तो वह मुक़द्दम है, जब अपने से ज़ायद हो तो अयाल मुक़द्दम है, उससे ज़ायद हो तो दूसरे रिश्तेदार मुक़द्दम हैं, उनसे ज़ायद हो तो फिर इधर उधर ख़र्च कर। *(कंज़)*

यह मज़्मून कंज़ुल उम्माल वग़ैरह मे कई रिवायात में ज़िक्र किया गया। इससे मालूम हुआ कि दूसरों को मुअख़्ख़र करना जब ही है, जबकि अपने को और अपने अहल व अयाल को एहतियाज ज़्यादा हो और अगर अपने से ज़्यादा मुहताज दूसरे हों या ख़ुद बावजूद एहतियाज के सबर पर क़ादिर है और अल्लाह पर एतमादे कामिल है तो दूसरों को मुक़द्दम कर देना कमाल का दर्जा है। पहली फ़स्ल की आयात में नं॰ 28 पर "व युअसिरू-न अला अन्फ़ुसिहिम" के ज़ैल में यह मज़्मून मुफ़स्सल गुज़र चुका है।

हज़रत अली रज़ि॰ इर्शाद फ़रमाते हैं कि मैं तुम्हें अपना और (अपनी बीवी) हज़रत फ़ातिमा रज़ि॰ का, जो हुज़ूर सल्ल॰ की सबसे ज़्यादा लाडली औलाद थीं, क़िस्सा सुनाऊँ। वह मेरे घर रहती थीं, ख़ुद चक्की पीसतीं जिसकी वजह से हाथों में गट्टे पड़ गये, ख़ुद पानी भर कर लातीं, जिसकी वजह से मश्कीज़ा की रगड़ से बदन पर रस्सी के निशान पड़ गये, ख़ुद घर में झाड़ू लगातीं जिससे कपड़े मैले रहते, ख़ुद खाना पकातीं जिससे धुएं के असर से कपड़े काले रहते। ग़रज़ हर क़िस्म की मशक़्क़तें उठाती रहती थीं। एक मर्तबा हुज़ूर सल्ल॰ के पास कुछ ग़ुलाम बांदी वग़ैरह आये, तो मैंने कहा कि तुम भी जाकर एक ख़ादिम मांग लो कि इस मशक़्क़त से कुछ अम्न मिले। वह हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुईं, वहां कुछ मज्मा था, शर्म की वजह से कुछ अर्ज़ न कर सकीं, वापस चली आयीं।

एक हदीस में है कि हज़रत आइशा रज़ि॰ से अर्ज़ कर के चली आयीं। दूसरे दिन हुज़ूर सल्ल॰ तश्रीफ़ लाये और इर्शाद फ़रमाया कि फ़ातिमा ! तुम कल क्या कहने गयीं थीं, वह तो शर्म की वजह से चुपकी हो गयीं।

हज़रत अली रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मैं ने उनकी सारी हालत पानी वग़ैरह भरने की बयान करके अर्ज़ किया कि मैं ने उनको भेजा था कि एक ख़ादिम आप से मांग लें। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि मैं तुम्हें ख़ादिम से बेहतर चीज़ बताऊँ? जब सोने लेटा करो तो "सुब्हानल्लाह" 33 मर्तबा, "अल हम्दु लिल्लाह" 33 मर्तबा, "अल्लाहु अक्बर" 34 मर्तबा पढ़ा करो। यह ख़ादिम से बढ़ कर है। *(अबू दाऊद)*

एक और हदीस में इस क़िस्से में हुज़ूर सल्ल॰ का यह इर्शाद भी नक़ल किया गया है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में हरगिज़ नहीं दे सकता कि अह्ले सुफ़्फ़ा के पेट भूख की वजह से लिपट रहे हों, मैं इन ग़ुलामों को बेच कर इनकी क़ीमत अह्ले सुफ़्फ़ा पर ख़र्च करूँगा। *(फ़त्हुल बारी)*

(٧) عن اسماء بنت ابی بکرؓ قالت قدمت علی امی وھی مشرکۃ فی عھد قریش فقلت یا رسول ان امی قدمت علی وھی راغبۃ افاصلھا قال نعم صلیھا متفق علیہ کذا فی المشکوۃ۔

7. हज़रत अस्मा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि जिस ज़माने में हुज़ूर

सल्ल॰ का क़ुरैश से मुआहदा हो रहा था उस वक़्त मेरी काफ़िर वालिदा (मक्का मुकर्रमा से) मदीना तैय्यबा आयीं मैं ने हुज़ूर सल्ल॰ से दर्याफ़्त किया कि मेरी वालिदा, (मेरी इआनत की) तालिब बन कर आयी हैं उनकी इआनत कर दूँ? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, हां, उनकी इआनत करो।

फ़ायदा:- इब्तिदा-ए-ज़माना में कुफ़्फ़ार की तरफ़ से मुसलमानों पर जिस क़दर मज़ालिम हुए वे बयान से बाहर हैं। तवारीख़ की कुतुब उनसे पुर हैं। हत्ताकि मुसलमानों को मजबूर होकर मक्का मुकर्रमा से हिजरत करनी पड़ी। मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद भी मुश्रिकीन की तरफ़ से हर तरीक़े से लड़ाई और ईज़ा रसानी (तक्लीफ़ पहुंचाने) का सिलसिला रहा।

हुज़ूरे अक़्दस सल्ल॰ सहाबा रज़ि॰ की एक जमाअत के साथ महज़ उमरा करने की नीयत से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये तो काफ़िरों ने मक्के में दाख़िल भी न होने दिया, बाहर ही से वापस होना पड़ा। लेकिन उस वक़्त आपस में एक मुआहदा चंद साल के लिए हो गया था, जिसमें चंद साल के लिए कुछ शर्तों पर आपस में लड़ाई न होने का फ़ैसला हुआ था। मश्हूर क़िस्सा है उसी मुआहदा की तरफ़ हज़रत अस्मा रज़ि॰ ने इस हदीस में इशारा फ़रमाया है कि जिस ज़माने में क़ुरैश से मुआहदा हो रहा था उस मुआहदे के ज़माने में हज़रत अबूबक्र रज़ि॰ की एक बीवी जो हज़रत अस्मा रज़ि॰ की वालिदा थीं और मुसलमान नहीं हुई थीं अपनी बेटी हज़रत अस्मा रज़ि॰ के पास कुछ इआनत (मदद) की ख़्वाहिश लेकर गयीं, चूँकि वह मुश्रिक थीं, इसलिए हज़रत अस्मा रज़ि॰ को इश्काल पेश आया कि उनकी इआनत की जाए या नहीं, इसलिए हुज़ूर सल्ल॰ से दर्याफ़्त किया। हुज़ूर सल्ल॰ ने इआनत का हुक्म फ़रमाया।

इमाम ख़त्ताबी रह॰ फ़रमाते हैं कि इस क़िस्से से मालूम हुआ कि काफ़िर रिश्तेदारों की सिला-रहमी भी माल से ज़रूरी है जैसा कि मुसलमान रिश्तेदारों की है।

एक रिवायत में है कि इसी क़िस्से में क़ुरआन पाक की आयत:-

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○ (ممتحنه ۱ع)

"ला यन्हा कुमुल्लाहु अनिल्लज़ी-न लम् युक़ातिलू कुम फ़िद्दीनि व लम युख़्रिजू कुम मिन दियारि कुम अन् तबर्रू हुम व तुक़्सितू इलैहिम इन्नल्ला-ह युहिब्बुल मुक़सिती-न॰" *(सूरः मुम्तहिनः रूकूअ् 1)*

नाज़िल हुई। *(फ़त्हुल बारी)*

जिसका तर्जुमा यह है किः-

तर्जुमाः- अल्लाह तआला तुमको उन लोगों के साथ एहसान और इंसाफ़ का बर्ताव करने से मना नहीं करता जो तुम से दीन के बारे में नहीं लड़े और तुमको तुम्हारे घरों से उन्होंने नहीं निकाला। अल्लाह तआला इंसाफ का बर्ताव करने वालों से मुहब्बत रखते हैं।

हज़रते अक़्दस हकीमुल उम्मत मौलाना थानवी क़द्दस सिर्रहू फ़रमाते हैं कि मुराद वे काफ़िर हैं जो ज़िम्मी या मुसालेह हों यानी मुहसिनानः बर्ताव उनसे जायज़ है और इसी को मुंसिफ़ाना बतार्व फ़रमाया, पस इंसाफ़ से मुराद ख़ास इंसाफ़ है यानी उनकी ज़िम्मियत या मुसालहत के एतिबार से इंसाफ़ इसी को मुतक़ाज़ी है कि उनके साथ इंसाफ़ से दरेग़ न किया जाए, वरना मुतलक़ इंसाफ तो हर काफ़िर बल्कि जानवर के साथ भी वाजिब है। *(बयानुल क़ुरआन)*

हज़रत अस्मा रज़ि॰ की यह वालिदा, जिनका नाम क़तीला बिन्त अब्दुल उज़्ज़ा है, चूंकि मुसलमान न हुई थीं, इसलिए हज़रत अबूबक्र रज़ि॰ ने उनको तलाक़ दे दी थी। बाज़ रिवायात में है कि यह कुछ घी पनीर वग़ैरह हद्या के तौर पर लेकर अपनी बेटी हज़रत अस्मा के पास गयीं। उन्होंने उनको अपने घर में दाख़िल न होने दिया और अपनी अल्लाती हमशीरा हज़रत आइशा रज़ि॰ के पास मसअला दर्याफ़्त करने के लिए आदमी भेजा, कि हुज़ूर सल्ल॰ से दर्याफ़्त करके इत्तिला दें। हुज़ूर सल्ल॰ ने इजाज़त फ़रमा दी और यह आयते शरीफ़ा इसी क़िस्से में नाज़िल हुई। *(फ़त्ह, दुर्रे मंसूर)*

यह उन हज़रात की दीन पर पुख़्तगी और क़ाबिले रश्क जज़्बा था कि मां घर पर आयी है। महज़ बेटी से मिलने के वास्ते आयी है कि उस वक़्त तक इआनत की तलब का तो वक़्त ही न आया था, लेकिन हज़रत अस्मा रज़ि॰ ने मसअला तहक़ीक़ करने के लिए आदमी दौड़ा दिया कि मैं अपनी मां को घर में दाख़िल होने की इजाज़त दे सकती हूँ या नहीं ?

मुतअद्दद रिवायात में यह मज़्मून वारिद हुआ है कि सहाबा-ए-किराम

रज़ि॰ ग़ैर मुस्लिमों पर सदक़ा करना इब्तिदा में पसंद नहीं करते थे, जिस पर हक़ तआला शानुहू ने आयते शरीफ़ा :-

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط (بقره ع ٣٧)

"लै-स अलै-क हुदाहुम व ला किन्नल्ला-ह यह्दी मंय्यशा-उ व मा तुन्फ़िक़ू मिन ख़ैरिन फ़-लि अन्फ़ुसिकुम्"।

(आयत, सूर: बक़र: रूकूअ् 37)

नाज़िल फ़रमायी कि आप के ज़िम्मे उनकी हिदायत नहीं है, यह तो ख़ुदा-ए-तआला का काम है, जिसको चाहे हिदायत पर लावे, जो कुछ तुम (ख़ैरात वग़ैरह) ख़र्च करते हो अपने नफ़े के वास्ते करते हो और अल्लाह तआला की रिज़ाजोई के अलावा किसी और फ़ायदे की ग़रज़ से नहीं करते, यानी तुम तो सदक़ा वग़ैरह अल्लाह तआला शानुहू की रिज़ा के वास्ते करते हो, इसमें हर हाजतमंद दाख़िल है, काफ़िर हो या मुसलमान।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि लोग अपने काफ़िर रिश्तेदारों पर एहसान करना पसंद नहीं करते थे, ताकि वे भी मुसलमान हो जाएं। उन्होंने इस बारे में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस्तिफ़सार (मालूम) किया, उस पर यह आयते शरीफ़ा "लै-स अलै-क हुदाहुम" नाज़िल हुई और भी मुतअद्दद रिवायात में यह मज़्मून वारिद हुआ है। *(दुर्रे मंसूर)*

इमाम ग़ज़ाली रह॰ ने लिखा है कि एक मजूसी हज़रत इब्राहीम अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपका मेहमान बनने की दर्ख़्वास्त की। आपने फ़रमा दिया कि अगर तू मुसलमान हो जाए तो मैं तेरी मेहमानी क़ुबूल करता हूँ। वह मजूसी चला गया। अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से वही नाज़िल हुई कि इब्राहीम, तुम एक रात का खाना तब्दीली-ए-मज़हब बग़ैर न खिला सके, हम सत्तर साल से उसके कुफ़्र के बावजूद उसको खाना दे रहे हैं, एक वक़्त का खाना खिला देते तो क्या मुज़ाइक़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन उसकी तलाश में दौड़ने लगे, वह मिल गया। उसको अपने साथ वापस लाये और उसको खाना खिलाया। उस मजूसी ने पूछा कि क्या बात पेश आयी कि तुम ख़ुद मुझे तलाश करने निकले। हज़रत इब्राहीम अलै॰ ने वही का क़िस्सा सुनाया। वह मजूसी कहने लगा, उसका

मेरे साथ यह मामला है तो मुझे इस्लाम की तालीम दीजिए और उसी वक़्त मुसलमान हो गया। *(एहया)*

एक हदीस में है कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनमें किसी शख़्स को कोई गुंजाईश नहीं –

1. वालिदैन के साथ एहसान करना, चाहे वालिदैन मुसलमान हों या काफ़िर।

2. जिस से अहद कर लिया जाए, उसको पूरा करना चाहे मुसलमान से अहद किया हो या काफ़िर से।

3. अमानत को वापस करना, चाहे मुसलमान की हो या काफ़िर की। *(जामिउस्सग़ीर)*

मुहम्मद बिन हनफ़िया रह०, अत्तार रह० और क़तादा रह० तीनों हज़रात से यह नक़ल किया गया कि हक़ तआला शानुहू के पाक इर्शाद–

إِلَّآ أَنْ تَفْعَلُوْٓا إِلٰٓى أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوْفًا (احزاب ع ۱)

"इल्ला अन तफ़्अलू इला औलियाइकुम मअ्रूफ़न्०"

(अह्ज़ाब, रूकूअ् 1)

में मुसलमान की यहूद व नसारा ग़ैर मुस्लिम रिश्तेदारों के लिए वसीयत मुराद है। *(मुग़्नी)*

(۸) عن انسؓ وعبد اللهؓ قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله رواه البيهقى فى الشعب كذا فى

8. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मख़्लूक़ सारी की सारी अल्लाह तआला की अयाल है, पस अल्लाह तआला को वह शख़्स बहुत महबूब है जो उसकी अयाल के साथ एहसान करे।

फ़ायदा:– मख़्लूक़ के अंदर मुसलमान, काफ़िर, इंसान, हैवान सब ही दाख़िल हैं हर मख़्लूक़ के साथ एहसान का बर्ताव करना, इस्लाम की तालीम है और अल्लाह जल्ल शानुहू को महबूब है। पहली फ़स्ल के नं० 10 पर यह हदीस गुज़र चुकी कि एक फ़ाहिशा औरत की इस पर बख़्शीश हो गयी कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया।

दूसरी फ़स्ल की नं० 8 पर यह हदीस गुज़री है कि एक औरत को इस बिना पर अज़ाब हुआ कि उसने एक बिल्ली पाल रखी थी और उस को खाने को न दिया। जब जानवर का यह हाल है तो आदमी तो अशरफ़ुल मख़्लूक़ात है, उस पर एहसान और अच्छे बर्ताव का क्या अज्र होगा।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मशहूर इर्शाद है कि-

اِرْحَمُوْا مَنْ فِی الْاَرْضِ یَرْحَمُکُمْ مَّنْ فِی السَّمَآءِ

इर्ह-मू मन फ़िल अर्ज़ि यर्हम्कुम मन फ़िस्समा-इ

'तुम ज़मीन पर रहने वालों पर रहम करो, तुम पर आसमान वाले रहम करेंगे।

दूसरी हदीस में हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद है कि जो शख़्स आदमियों पर रहम नहीं करता, अल्लाह जल्ल शानुहू उस पर रहम नहीं फ़रमाता।

एक और हदीस में है कि रहम उसी शख़्स के दिल से निकाला जाता है जो बद बख़्त हो। *(मिश्कात)*

ख़ुद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सारी ज़िंदगी सारी दुनिया के लिए रहमत थी। आप की ज़िन्दगी का एक एक वाक़िआ इस की शहादत देता है। उम्मत के लिए ज़रूरी है कि हुज़ूर सल्ल० की ज़िन्दगी के वाक़िआत की तहक़ीक़ करे और उसका इत्तिबाअ करे। हक़ तआला शानुहू का पाक इर्शाद है:-

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ٥ (انبیآء ع ٧)

"व मा अर्सलना-क इल्ला रहम-तल्लिल आल-मी-न०"

(अंबिया, रूकूअ् 7)

'और हमने आप को और किसी बात के लिए नहीं भेजा, मगर दुनिया जहान के लोगों पर मेहरबानी करने के लिए।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० इस आयते शरीफ़ा की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं कि जो लोग हुज़ूर सल्ल० पर ईमान ले आये, उनके लिए तो आप का वजूद दुनिया और आख़िरत की रहमत है ही, लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाये, उनके लिए भी आप का वजूद इस लिहाज़ से रहमत है कि वे पहली उम्मतों की तरह दुनिया के अज़ाब, मस्ख़ हो जाने से, ज़मीन में धंस जाने से, आसमानों से पत्थर

बरसने से महफ़ूज़ हो गये।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि बाज़ लोगों ने हुज़ूर सल्ल॰ से दर्ख़्वास्त की कि क़ुरैश ने मुसलमानों को बहुत अज़ीयत पहुँचायी, बहुत नुक़सानात दिए, आप इन लोगों पर बद दुआ फ़रमाएं। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि मैं बद दुआएं करने के लिए नहीं भेजा गया, मैं लोगों के लिए रहमत बना कर भेजा गया हूँ। और भी मुतअद्दद रिवायात में यह मज़्मून वारिद हुआ है। *(दुर्रे मंसूर)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ताइफ़ के सफ़र का जां-गुदाज़ वाक़िआ 'हिकायाते सहाबा' के शुरू में लिख चुका हूँ कि इन बद नसीबों ने कितनी सख़्त सख़्त तक्लीफ़ें पहुँचायीं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बदने मुबारक से ख़ून जारी हो गया और ठस पर जब उस फ़रिश्ते ने जो पहाड़ों पर मुतअय्यन था, आकर दर्ख़्वास्त की कि अगर आप फ़रमावें तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूँ जिस से ये सब बीच में कुचल जायेंगे, तो हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि मुझे अल्लाह की ज़ात से यह उम्मीद है कि अगर ये लोग मुसलमान न भी हों तो इन की औलाद में से कुछ लोग अल्लाह का नाम लेने वाले पैदा हो जायेंगे।

उहद की लड़ाई में जब हुज़ूर सल्ल॰ पर सख़्त हमला किया गया हुज़ूर सल्ल॰ का दन्दाने (दांत) मुबारक शहीद हो गया। लोगों ने कुफ़्फ़ार पर बद दुआ की दर्ख़्वास्त की। हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया या अल्लाह, मेरी क़ौम को हिदायत फ़रमा कि ये लोग ना वाक़िफ़ हैं। हज़रत उमर रज़ि॰ ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर आप भी हज़रत नूह अलै॰ की तरह बद दुआ फ़रमा देते तो हम सब के सब हलाक हो जाते कि आप को हर क़िस्म की तक्लीफ़ें पहुँचायी गयीं लेकिन आप हर वक़्त यही फ़रमाते रहे कि या अल्लाह मेरी क़ौम की मग़फ़िरत फ़रमा कि वे जानते नहीं।

क़ाज़ी अयाज़ रह॰ फ़रमाते हैं कि इन हालात को बड़े ग़ौर से देखना चाहिए कि किस क़दर हुज़ूर सल्ल॰ का हिल्म और अख़्लाक़ का आला नमूना और जूद व करम की इंतिहा है कि इन सख़्त सख़्त तक्लीफ़ों पर हुज़ूर सल्ल॰ कभी मग़फ़िरत की, कभी हिदायत की दुआएं ही करते रहे।

ग़ौरास बिन हारिस का वाक़िआ मशहूर है कि जब एक सफ़र में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तंहा सो रहे थे, वह तलवार हाथ में लेकर

हुज़ूरे अक़्दस सल्ल० के पास पहुँच गया और हुज़ूर सल्ल० की आंख उस वक़्त खुली, जबकि वह तलवार लिए सूंते हुए पास खड़ा था। उसने ललकार कर कहा कि बता, अब तुझे बचाने वाला कौन है? हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू। हुज़ूर सल्ल० का यह फ़रमाना था कि उसके हाथ को कपकपी हुई और तलवार हाथ से गिर गयी। हुज़ूर सल्ल० ने वह तलवार अपने दस्ते मुबारक में लेकर फ़रमाया कि अब तू बता तुझे बचाने वाला कौन है? वह कहने लगा कि आप बेहतरीन तलवार लेने वाले हैं। (यानी माफ़ फ़रमायें) हुज़ूर सल्ल० ने माफ़ फ़रमा दिया।

यहूदी औरत का हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ज़हर देने का वाक़िआ भी मशहूर है और उस औरत ने इसका इक़रार भी कर लिया कि मैं ने हुज़ूर सल्ल० को ज़हर दिया, लेकिन हुज़ूर सल्ल० ने अपना इंतिक़ाम नहीं लिया।

लबीद बिन अअ्सम ने हुज़ूर सल्ल० पर जादू किया। हुज़ूर सल्ल० को इसका इल्म भी हो गया, मगर हुज़ूर सल्ल० ने इस वाक़िए का चर्चा भी गवारा नहीं किया। ग़रज़ दो चार वाक़िआत नहीं हज़ारों वाक़िआत हुज़ूर सल्ल० के दुश्मनों पर रहम व करम के हैं। *(शिफ़ा)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि तुम उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते, जब तक एक दूसरे के साथ रहम का बर्ताव न करो। सहाबा रज़ि० ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम में से हर शख़्स रहम तो करता ही है। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, यह रहम नहीं है जो अपने ही के साथ हो, बल्कि रहम वह है जो आम हो।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मकान में तश्रीफ़ ले गये, वहां चंद क़ुरैश के हज़रात बैठे हुए थे, हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि यह सलतनत और हुकूमत का सिलसिला क़ुरैश में रहेगा जब तक कि वे यह मामूल रखें कि जो उनसे रहम की दर्ख़्वास्त करे, उस पर रहम करें, जब कोई हुक्म लगायें तो अद्ल का लिहाज़ रखें, जब कोई चीज़ तक़्सीम करें तो इंसाफ़ को इख़्तियार करें। और जो शख़्स इन उमूर का ख़्याल न करे उस पर अल्लाह की लानत, फ़रिश्तों की लानत, सारे आदमियों की लानत।

एक मर्तबा हुज़ूर सल्ल० एक मकान में तश्रीफ़ ले गये जहां मुहाजिरीन

और अंसार की एक जमाअत तशरीफ़ रखती थी। हुज़ूर सल्ल॰ को तशरीफ़ लाता देख कर हर शख़्स अपनी जगह से हट गया, इस उम्मीद पर कि हुज़ूर सल्ल॰ वहां तशरीफ़ रखें हुज़ूर सल्ल॰ दरवाज़े पर तशरीफ़ फ़रमा रहे और दरवाज़े के दोनों जानिबों पर हाथ रख कर इर्शाद फ़रमाया कि मेरा तुम पर बहुत हक़ है। यह अम्र सल्तनत का क़ुरैश में रहेगा, जब तक वे तीन बातों का एहतिमाम रखें।

1. जो शख़्स उनसे रहम की दर्ख़्वास्त करे, उस पर रहम करें।

2. जो फ़ैसला करें, इंसाफ़ से करें

3. जो मुआहदा किसी से कर लें उसको पूरा करें और जो शख़्स ऐसा न करे, उस पर अल्लाह की लानत है, फ़रिश्तों की लानत है, तमाम आदमियों की लानत है।

हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद है कि जो शख़्स एक चिड़िया को भी बग़ैर हक़ के ज़िब्ह करेगा, क़ियामत के दिन उससे मुतालबा होगा। सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया कि उसका हक़ क्या है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि ज़िब्ह करके उसको खाया जाए यह नहीं कि वैसे ही ज़िब्ह करके फेंक दी जाए।

बहुत सी अहादीस में यह मज़्मून वारिद हुआ है कि ग़ुलाम जो तुम्हारे मातहत हैं, उनको उस चीज़ से खिलाओ, जिससे ख़ुद खाते हो, उस चीज़ से पहनाओ, जिससे ख़ुद पहनते हो और जिससे मुवाफ़क़त न आए उसको फ़रोख़्त कर दो, उसको अज़ाब में मुब्तला करने का कोई हक़ नहीं। *(तर्ग़ीब)*

हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि जब तुम्हारा कोई ख़ादिम तुम्हारे लिए कोई चीज़ पका कर लाये कि उसकी गर्मी और धुएं की मशक़्क़त उसने उठायी है, तो तुम्हें चाहिए कि उसको खाने में अपने साथ शरीक करो। अगर इतनी मिक़्दार न हो कि उसको शरीक कर सको तो उसमें से थोड़ा सा उसे भी दे दो। *(मिश्कात)*

हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि मातहतों के साथ अच्छा बर्ताव करना मुबारक है और उनके साथ बद ख़ुल्क़ी बरतना बद बख़्ती है। *(मिश्कात)*

ग़रज़ हर नौअ से हुज़ूर सल्ल॰ ने मख़्लूक़ पर रहम की ताकीद फ़रमायी, मुख़्तलिफ़ नौअ से उन पर इक्राम की तर्ग़ीब दी।

(٩) عن ابن عمرؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها رواه البخارى كذا فى المـ

9. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि वह शख़्स सिला-रहमी करने वाला नहीं है जो, बराबर-सराबर का मामला करने वाला हो, सिला-रहमी करने वाला तो वह है जो दूसरे के तोड़ने पर सिला-रहमी करे।

फ़ायदाः- बिल्कुल ज़ाहिर और आम बात है, जब आप हर बात में यह देख रहे हैं कि जैसा बर्ताव दूसरा करेगा वैसा ही मैं भी करूँगा तो आपने क्या सिला-रहमी की ? यह बात तो हर अजनबी के साथ भी होती है कि जब दूसरा शख़्स आप पर एहसान करेगा तो आप ख़ुद उस पर एहसान करने में मजबूर हैं। सिला-रहमी तो दर हक़ीक़त यही है कि अगर दूसरे की तरफ़ से बे इल्तिफ़ाती, बे नियाज़ी, क़ता-ए-ताल्लुक़ हो तो तुम उसके जोड़ने कि फ़िक्र में रहो, इसको मत देखो कि वह क्या बर्ताव करता है, इस को हर वक़्त सोचो कि मेरे ज़िम्मे क्या हक़ है? मुझे क्या करना चाहिए? दूसरे के हुक़ूक़ अदा करते रहो, ऐसा न हो कि उसका कोई हक़ अपने ज़िम्मे रह जाए, जिसका क़ियामत में अपने से मुतालबा हो जाए और अपने हुक़ूक़ के पूरा होने का वहम भी दिल में न लो, बल्कि अगर वे पूरे नहीं होते तो और भी ज़्यादा मसरूर हो कि दूसरे आलम में जो अज्र व सवाब इसका मिलेगा, वह उससे बहुत ज़्यादा होगा जो यहां दूसरे के अदा करने से वसूल होता।

एक सहाबी, रज़ि० ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ सिला-रहमी करता हूँ, वे क़ता-रहमी करते हैं, मैं उन पर एहसान करता हूँ वे मेरे साथ बुराई करते हैं, मैं हर मामले में तहम्मुल से काम लेता हूँ वे जहालत पर उतरे रहते हैं। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया अगर यह सब कुछ सही है तो तू उनके मुँह में ख़ाक डाल रहा है (यानी ख़ुद ज़लील होंगे) और तेरे साथ अल्लाह तआला शानुहू की मदद शामिले हाल रहेगी, जब तक तू अपनी इस आदत पर जमा रहेगा। (मिश्कात) और जब तक अल्लाह जल्ल शानुहू की मदद किसी के शामिले हाल रहे न किसी की बुराई से नुक़्सान पहुँच सकता है, न किसी का क़ता ताल्लुक़ नफ़ा पहुँचने से मानेअ (रोक) हो सकता है:-

तू न छूटे मुझ से या रब तेरा छुटना है ग़ज़ब,
यूं मैं राज़ी हूँ मुझे चाहे ज़माना छोड़ दे !!

यह खुली हुई हक़ीक़त है कि अल्लाह तआला शानुहू किसी का मददगार हो जाए तो उसको कब किसी दूसरे की मदद की एहतियाज बाक़ी रह सकती है, फिर सारी दुनिया उसकी मजबूरन मुईन (मददगार) है और सारी दुनिया मिल कर उसको कोई नुक़्सान पहुँचाना चाहे तो नुक़्सान नहीं पहुँचा सकती।

एक हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मुझे मेरे रब ने नौ बातों का हुक्म फ़रमाया है:-

1. हक़ तआला शानुहू का ख़ौफ़ ज़ाहिर में भी और बातिन में भी (यानी दिल से और ज़ाहिर से या ख़लवत में और जलवत में)

2. इंसाफ़ की बात खुशी में भी गुस्से में भी (आदमी जब किसी से खुश हुआ करता है तो उयूब छुपा कर तारीफ़ों के पुल बांधा करता है, जब ख़फ़ा होता है तो झूठे इल्ज़ाम तराशा करता है। मुझे हुक्म है कि हर हालत में इंसाफ़ की बात कहूँ।)

3. मियाना रवी फ़क़्र की हालत में भी और वुसअत की हालत में भी (न तंगी में कंजूसी करूँ, न वुसअत में इसराफ़ करूँ, या न फ़क़्र में जज़अ् फ़ज़अ् करूँ, न ग़िना में उज्ब और फ़ख़्र करूँ)

4. नीज़ (तथा) यह कि जो शख़्स मुझसे क़ता ताल्लुक़ करे मैं उसके साथ भी ताल्लुक़ात वाबस्ता करूँ।

5. और जो शख़्स मुझे अपनी अता से महरूम करे, मैं उसके साथ हुस्ने सुलूक करूं।

6. और जो शख़्स मुझ पर ज़ुल्म करे, उसको माफ़ कर दूँ (इंतिक़ाम लेने की फ़िक्र में न पड़ूं।)

7. यह कि मेरा सुकूत यानी ख़ामोशी (आख़िरत का) या अल्लाह तआला की आयात की फ़िक्र हो।

8. मेरी गोयाई यानी बोलना अल्लाह तआला का ज़िक्र हो (तस्बीह वग़ैरह या अल्लाह के अहकाम का बयान)

9. मेरी नज़र इब्रत हो (यानी जिस चीज़ को देखूँ, इब्रत की निगाह से देखूं।)

10. और मैं नेक काम का हुक्म करता रहूँ। *(मिश्कात)*

शुरू में नौ चीज़ें फ़रमायी थीं, तफ़्सील में दस हो गयीं, मगर यह दसवीं चीज़ साबिक़ा नौ चीज़ों का इज्माल भी हो सकता है। और नं॰ 7 और नं॰ 8 दो मुक़ाबिल होने की वजह से एक भी शुमार हो सकते हैं। जैसा कि शुरू में ज़ाहिर, बातिन एक शुमार हुए, ख़ुशी और गुस्सा एक हुए।

हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक शख़्स ने हुज़ूर सल्ल॰ से दर्याफ़्त किया कि अफ़ज़ल तरीन सदक़ा क्या है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, काशेह रिश्तेदार के साथ हुस्ने सुलूक करना। *(तर्ग़ीब)*

काशेह उस शख़्स को कहते हैं जो दिल में किसी से बुग़्ज़ व कीना रखे।

एक हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद वारिद हुआ है कि जो शख़्स यह पसंद करे कि क़ियामत में उसको बुलंद मकानात मिलें, उसको ऊँचे दर्जे मिलें, उसको चाहिए कि जो शख़्स उस पर ज़ुल्म करे, उससे दरगुज़र करे, जो उसको अपनी अता से महरूम रखे, उस पर एहसान करे और जो उस से ताल्लुक़ात तोड़े उससे ताल्लुक़ात जोड़े। *(दुर्रे मंसूर)*

एक हदीस में है कि जब आयते शरीफ़ा –

خُذِالْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ (اعراف ع ٢٤)

"ख़ुज़िल अफ़्-व वअ्मुर बिल् उर्फ़ि व अअ् रिज़् अनिल् जाहिली-न॰"
(आराफ़, रूकूअ् 24)

"माफ़ी को इख़्तियार करो, नेकी का हुक्म करो और जाहिलों से एराज़ करो" नाज़िल हुई तो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इसकी तफ़्सीर दर्याफ़्त फ़रमायी तो उन्होंने अर्ज़ किया, जानने वाले (हक़ तआला शानुहू) से दर्याफ़्त करके अर्ज़ करूँगा। वह वापस तशरीफ़ ले गये और फिर आकर अर्ज़ किया, अल्लाह तआला का इर्शाद है कि जो आप पर ज़ुल्म करे, उसको माफ़ करें और जो आपको अपनी अता से महरूम रखे, उसको अता फ़रमाएं और जो आपसे ताल्लुक़ात तोड़े उससे ताल्लुक़ात जोड़ें।

एक और हदीस में इस वाक़िए के बाद यह भी है कि इसके बाद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों से ख़िताब करके फ़रमाया कि

मैं तुमको दुनिया और आख़िरत के बेहतरीन अख़्लाक़ बताऊँ? सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया ज़रूर बतायें हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया, जो तुम पर ज़ुल्म करे, उसको माफ़ करो, जो तुम्हें अपनी अता से महरूम रखे, उसको अता करो, जो तुमसे ताल्लुक़ात तोड़े उससे सिला-रहमी करो। हज़रत अली रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मुझे हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि मैं तुम्हें अव्वलीन और आख़िरीन के बेहतरीन अख़्लाक़ बताऊँ। मैं ने अर्ज़ किया ज़रूर इर्शाद फ़रमायें, हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि जो तुम्हें अपनी अता से महरूम रखे, उसको अता करो, जो तुम पर ज़ुल्म करे, उसको माफ़ करो, और जो तुमसे क़राबत के ताल्लुक़ात तोड़े उसके साथ ताल्लुक़ात जोड़ो।

हज़रत उक़्बा रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ ने मुझसे फ़रमाया कि मैं तुम्हें दुनिया और आख़िरत के बेहतरीन अख़्लाक़ बताऊँ? फिर यही तीन चीज़ें इर्शाद फ़रमायीं। और भी मुतअद्दद सहाबा-ए-किराम रज़ि॰ से यह मज़्मून ज़िक्र किया गया।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि आदमी ख़ालिस ईमान तक उस वक़्त तक नहीं पहुँच सकता जब तक कि यह काम न करे कि अपने से ताल्लुक़ तोड़ने वालों के साथ ताल्लुक़ात जोड़ा करे। अपने ऊपर ज़ुल्म करने वालों को माफ़ किया करे, अपने को गालियां देने वाले को बख़्श दिया करे और जो अपने साथ बुराई करे, उसके साथ भलाई करे। *(दुर्रे मंसूर)*

(١٠) عن ابی بکرةؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامن ذنب احری ان یعجل اللہ لصاحب العقوبة فی الدنیا مع ما یدخرلہ فی الاخرة من البغی وقطیعة الرحم رواہ الترمذی وابوداؤد کذا فی المشکوٰة

10. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि नहीं है कोई गुनाह, जो ज़्यादा मुस्तहिक़ इस बात का हो कि उसका वबाल आख़िरत में ज़ख़ीरा रहने के बावजूद दुनिया में उसकी सज़ा बहुत जल्द न भुगतनी पड़े, इन दो के अलावा एक ज़ुल्म दूसरा क़ता-रहमी।

फ़ायदाः- यानी ये दो गुनाह ज़ुल्म और क़ता-रहमी ऐसे हैं कि आख़िरत में उन पर जो कुछ वबाल होगा, वह होगा ही; आख़िरत के अलावा दुनिया में भी उनकी सज़ा बहुत जल्द मिलती है।

एक और हदीस में है कि हक़ तआला शानुहू हर गुनाह की, जब चाहे, मग़्फ़िरत फ़रमा देते हैं, मगर वालिदैन की क़ता रहमी की सज़ा मरने से पहले पहले दे देते हैं। *(मिश्कात)*

एक हदीस में है कि हर गुनाह की सज़ा अल्लाह जल्ल शानुहू आख़िरत पर मुअख़्ख़र फ़रमा देते हैं। *(जामिअुस्सग़ीर)*

बहुत सी अहादीस में यह भी मज़्मून है कि हक़ तआला शानुहू क़ियामत के दिन रहम (क़राबत) को ज़बान अता फ़रमा देंगे। वह अर्श मुअल्ला को पकड़ कर दर्ख़्वास्त करता रहेगा कि या अल्लाह जिसने मुझे मिलाया, तू उसको मिला और जिसने मुझे क़ता किया तू उसको क़ता कर।

बहुत सी अहादीस में है कि हक़ तआला शानुहू फ़रमाते हैं कि रहम का लफ़्ज़ अल्लाह तआला के पाक नाम रहमान से निकाला गया है, जो इसको मिलाएगा, रहमान उसको मिलाएगा। जो इसको क़ता करेगा, रहमान उसको क़ता करेगा।

एक हदीस में है कि उस क़ौम पर रहमत नाज़िल नहीं होती, जिसमें कोई क़ता-रहमी करने वाला हो।

एक हदीस में है कि हर जुमेरात को अल्लाह जल्ल शानुहू के यहां आमाल पेश होते हैं, क़ता रहमी करने वाले का कोई अमल क़ुबूल नहीं होता। *(दुर्रे मंसूर)*

फ़क़ीह अबुल्लैस रह० फ़रमाते हैं कि क़ता-रहमी इस क़दर बदतरीन गुनाह है कि पास बैठने वालों को भी रहमत से दूर कर देता है इसलिए ज़रूरी है कि हर शख़्स इससे बहुत जल्द तौबा करे और सिला रहमी का एहतिमाम करे।

हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद है कि सिला-रहमी के अलावा कोई नेकी ऐसी नहीं जिसका बदला बहुत जल्द मिलता हो और क़ता-रहमी और ज़ुल्म के अलावा कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसका वबाल आख़िरत में बाक़ी रहने के साथ साथ दुनिया में जल्दी न मिल जाता हो। *(तंबीहुल ग़ाफ़िलीन)*

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० एक मर्तबा सुबह की नमाज़ के बाद एक मज्मे में तशरीफ़ फ़रमा थे, फ़रमाने लगे कि मैं तुम लोगों को क़सम

देता हूँ कि अगर इस मज्मे में कोई शख़्स क़ता-रहमी करने वाला हो, तो वह चला जाए हम लोग अल्लाह तआला शानुहू से एक दुआ करना चाहते हैं। और आसमान के दरवाज़े क़ता-रहमी करने वाले के लिए बंद हो जाते हैं। *(तर्ग़ीब)*

यानी उसकी दुआ आसमान पर नहीं जाती। इससे पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और जब उसके साथ हमारी दुआ होगी तो वह दरवाज़ा बंद हो जाने की वजह से रह जायेगी।

इनके अलावा बहुत सी रिवायात से यह मज़्मून मालूम होता है और दुनिया के वाक़िआत बहुत कसरत से इसकी शहादत देते हैं कि क़ता-रहमी करने वाला दुनिया में भी ऐसे मसाइब में फंसता है कि फिर रोता ही फिरता है और अपनी हिमाक़त और जहालत से उसको यह ख़बर भी नहीं होती कि इतने इस गुनाह से तौबा न करे, उसकी तलाफ़ी न करे, उसका बदल न करे, इतने उस आफ़त और उस अज़ाब से, जिसमें मुब्तला है, ख़लासी न होगी, चाहे लाख तदबीरें कर ले, और अगर किसी दुन्यवी आफ़त में मुब्तला हो जाए तो वह इससे बहुत हल्की है कि किसी बद दीनी में ख़ुदा न करे, मुब्तला हो जाए कि इस सूरत में उसको पता भी न चलेगा कि तौबा ही कर ले। हक़ तआला शानुहू ही अपने फ़ज़्ल से महफ़ूज़ फ़रमाये।

चौथी फ़स्ल

ज़कात की ताकीद और फ़ज़ाइल में

ज़कात को अदा करना इस्लाम के अर्कान में से अहम तरीन रूक्न है। हक़ तआला शानुहू ने अपने पाक कलाम में मशहूर क़ौल के मुवाफ़िक़ बयासी जगह नमाज़ के साथ साथ ज़कात का हुक्म फ़रमाया और जहां जहां सिर्फ़ ज़कात का हुक्म है वे उनके अलावा हैं।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मशहूर इर्शाद है कि इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है:- 1. कलिमा-ए-तय्यिबा का इक़रार,

2. नमाज़, 3. ज़कात, 4. रोज़ा, 5. हज।

एक हदीस में है कि अल्लाह तआला उस शख़्स की नमाज़ क़ुबूल नहीं करते जो ज़कात अदा न करे, इसलिए कि अल्लाह तआला ने (क़ुरआन पाक) में इसको नमाज़ के साथ जमा किया है पस इन दोनों में फ़र्क़ न करो।

(कंज़)

उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि इनमें से किसी चीज़ का इंकार करने वाला काफ़िर है। यही पांच चीज़ें इस्लाम की बुनियाद हैं, यही अहम इबादात हैं यही वे चीज़ें हैं जिन पर इस्लाम का गोया मदार है, लेकिन अगर ग़ौर की निगाह से देखा जाए, तो इनका ख़ुलासा क्या है, इक़रारे अब्दियत के बाद सिर्फ़ दो हाज़िरियां हैं, आक़ा के दरबार की, महबूब की बारगाह की।

1. पहली हाज़िरी रूहानी है जो नमाज़ के ज़रिये से है, इसीलिए हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि नमाज़ी अल्लाह तआला से बातें करता है, इसलिए उसको मेअ्राजुल मोमिनीन कहा जाता है। यह हाज़िरी अपनी हर वक़्त की हाजात और ज़रूरतें मालिक के हुज़ूर में पेश करने का वक़्त है। इसलिए बार बार हाज़िरी की ज़रूरत पेश आती है कि आदमी की ज़रूरतें हर वक़्त पेश आती रहती हैं। इसी वजह से अहादीस में कसरत से यह मज़्मून आया है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सारे अंबिया-ए-किराम अलै॰ को जब कोई हाजत पेश आती नमाज़ की तरफ़ रूजू करते। इस हाज़िरी में बंदे की तरफ़ से हम्द व सना के बाद इआनत की दर्ख़्वास्त है, और अल्लाह तआला की तरफ़ से इजाबत का वायदा है, जैसा कि अहादीस में सूरः फ़ातिहा की तफ़्सीर में इसकी तस्रीह है। इसलिए जब नमाज़ के लिए पुकारा जाता है, तो नमाज़ के लिए आओ के साथ ही एलान किया जाता है कि फ़लाह के लिए आओ यानी दोनों जहान की कामियाबी के लिए आओ।

इसकी ताईद में कसरत से अहादीस का ज़ख़ीरा मौजूद है और नमाज़ पर चूंकि दोनों जहान की फ़लाह और कामियाबी ही मौला और आक़ा के दरबार से मिलती है, दीन और दुनिया दोनों ही अता होती हैं, इसलिए ज़कात गोया इसका तक्मिला और ततिम्मा है, कि हमारे दरबार से जो अता हो, उसमें से निहायत क़लील मिक़्दार ढाई रूपया सैंकड़ा हमारे नाम लेवा फ़क़ीरों को भी दे दिया करो, गोया शुक्राना है दरबार की अता का, जो अक़्ली भी है, फ़ितरी भी

है, और मोताद भी है कि दरबार की अताओं में से दरबार के नौकरों को भी दिया ही जाता है।

यही वजह है कि क़ुरआन पाक में कसरत से जहां जहां नमाज़ का हुक्म आता है, उसके साथ ही उसके बाद अक्सर ज़कात का हुक्म होता है, कि नमाज़ के ज़रिए हमसे मांगो और लो। फिर जो मिले उसमें से थोड़ा सा हमारे नाम लेवाओं को देते जाओ। फिर लुत्फ़ पर लुत्फ़ यह कि उस क़लील मिक़्दार की अदाएगी पर मुस्तक़िल अज्र है, मुस्तक़िल सवाब और इनआमाते कसीरा का वायदा है।

2. दूसरी हाज़िरी जिस्मानी महबूब के घर की है, जिसको हज कहते हैं। इसमें चूंकि फ़िल जुम्ला मशक़्क़त है जानी भी, माली भी, इसलिए इस्तिताअत पर उम्र भर में एक मर्तबा की हाज़िरी ज़रूरी क़रार दी और वहां की हाज़िरी के लिए, अपने आपको गंदगियों से पाक करने के लिए चंद यौम का रोज़ा ज़रूरी क़रार दिया गया कि सारी गंदगियों की जड़ पेट और शर्मगाह है। इसकी चंद यौम एहतिमाम से हिफ़ाज़त की जाए ताकि वहां की हाज़िरी की क़ाबिलियत पैदा हो जाए, इसीलिए रोज़े का महीना ख़त्म होते ही हज का ज़माना शुरू हो जाता है। इसी मस्लहत से ग़ालिबन फ़ुक़हा-ए-किराम इसी तर्तीब से इन इबादात को अपनी किताबों में ज़िक्र फ़रमाते हैं।

इसके अलावा रोज़े में दूसरी मसालेह का मलहूज़ होना उसके मनाफ़ी नहीं, माल ख़र्च न करने पर आयात में जो वईदें आयी हैं जिनमें से बाज़ दूसरी फ़स्ल में गुज़र चुकी हैं, वे अक्सर उलमा के नज़दीक ज़कात अदा न करने पर ही नाज़िल हुई हैं। उन सब आयात या अहादीस का ज़िक्र करना तो ज़ाहिर है कि दुश्वार है, नमूने के तौर पर चंद आयात और चंद अहादीस इस बारे में ज़िक्र की जाती हैं। मुसलमान के लिए तो एक आयत या हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का एक इर्शाद भी काफ़ी है और जो महज़ नाम का मुसलमान है, उसके लिए तमाम क़ुरआन पाक और अहादीस का सारा दफ़्तर भी बेकार है। फ़रमांबरदार के लिए तो इसका एक मर्तबा मालूम हो जाना भी काफ़ी है कि आक़ा का यह हुक्म है और ना-फ़रमान के लिए हज़ार तंबीहें भी बेकार हैं। इतने अज़ाब का जूता न पड़े, इतने कब समझ में आ सकता है?

आयात

(١) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ٥ (بقرہ ع٥)

1. और क़ायम करो तुम लोग नमाज़ को और दो ज़कात को और आजिज़ी करो, आजिज़ी करने वालों के साथ या रूकूअ करो, रूकूअ् करने वालों के साथ *(बक़रः रूकूअ् 5)*

फ़ायदाः- हज़रत मौलाना थानवी क़द्दस सिर्रहू तहरीर फ़रमाते हैं, फ़ुरूए इस्लामिया में आमाल दो क़िस्म के हैं, आमाले ज़ाहिरी और आमाले बातिनी।

फिर आमाले ज़ाहिरी दो क़िस्म के हैं, इबादते बदनी और इबादते माली, तो ये तीन कुल्लियात हुईं। इन तीनों कुल्लियात में से एक एक जुज़्ई को ज़िक्र कर दिया।

नमाज़ इबादते बदनी है और ज़कात इबादते माली है और ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ इबादते बातिनी है। चूंकि तवाज़ो-ए-बातिनी में अह्ले तवाज़ो की मअिय्यत (साथ) को बड़ा दख़ल है और तासीरे अज़ीम है, इसलिए "म-अ रॉकिअ़ीन" का लफ़्ज़ बढ़ाना निहायत बर महल हुआ। *(बयानुल क़ुरआन)*

इस क़ौल के मुवाफ़िक़ रूकूअ से ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ मुराद है और बड़े लतीफ़ उमूर आयते शरीफ़ा से ज़ाहिर होते हैं।

1. एक यह कि सारी इबादात में अहम्मुल इबादत (सबसे अहम इबादत) नमाज़ है, इसीलिए इसको सबसे मुक़द्दम किया।

2. दूसरे दर्जे में ज़कात है, इसलिए इसको दूसरे नम्बर पर ज़िक्र किया।

3. ज़कात इस अता का शुक्राना है, जैसा कि अभी मुफ़स्सल गुज़रा है।

4. यह कि इबादात में बदनी इबादात माली इबादात पर मुक़द्दम हैं, इसलिए बदनी इबादात को अव्वल और माली को दूसरे नम्बर पर ज़िक्र फ़रमाया।

5. यह कि इबादात में उनकी ज़ाहिरी सूरत बातिनी हक़ीक़त पर मुक़द्दम है, इसीलिए ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ को तीसरे नम्बर पर ज़िक्र फ़रमाया।

6. यह कि ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ पैदा करने में इस जमाअत के साथ शिर्कत को बड़ा दख़ल है। इसी वजह से मशाइख़ ख़ानक़ाहों के क़ियाम को अहमियत

देते हैं कि इन हज़रात की ख़िदमत में रहने से यह सिफ़त जल्दी पैदा होती है।

7. तीनों क़िस्म की इबादात में मुसलमानों के उमूमी अफ़राद के अमल को बहुत अहमियत है, इसलिए सब जगह जमा के सीग़े इर्शाद हुए।

ग़ौर से और भी लताइफ़ पैदा होते हैं-

दूसरा क़ौल यह है कि रूकूअ से मुराद नमाज़ का रूकूअ है। हमारे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब क़द्दस सिर्रहू ने 'तफ़सीरे अज़ीज़ी' में जो लिखा है, उसका खुलासा यह है कि नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने वालों के साथ, यानी जमाअत से नमाज़ अदा करो। इस लफ़्ज़ में गोया जमाअत की ताकीद है और जमाअत की नमाज़ इसी मज़हब का ख़ास्सा है, और दीनों में नहीं है। और इसको रूकूअ के लफ़्ज़ से इसलिए ताबीर किया कि यहूद का ऊपर से बयान हो रहा है और उनकी नमाज़ में रूकूअ नहीं होता। पस गोया इशारा है इस तरफ़ कि नमाज़ मुसलमानों की तरह पढ़ो। *(तफ़सीरे अज़ीज़ी)*

नमाज़ के ज़ैल में जमाअत को बहुत ख़ुसूसी दख़ल है जैसा कि रिसाला 'फ़ज़ाइले नमाज़' (हमारे यहां से हिंदी में मिल सकती है।) में इस का बयान तफ़्सील से गुज़र चुका है। हत्ताकि फ़ुक़हा ने बग़ैर जमाअत की नमाज़ को नाक़िस अदा बताया है।

(۲) وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ط فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ (اعراف ع ١٩)

2. और मेरी रहमत (ऐसी आम है कि) तमाम चीज़ों को मुहीत है, पस उसको उन लोगों के लिए (कामिल तौर पर, ख़ास तौर से) लिखूँगा, जो ख़ुदा-ए-तआला से डरते हैं और ज़कात देते हैं और हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। *(आराफ़, रूकूअ 19)*

फ़ायदा:- हज़रत हसन रज़ि० और क़तादा रज़ि० से मंक़ूल है कि अल्लाह जल्ल शानुहू की रहमत दुनिया में हर शख़्स को शामिल है, नेक हो या बद हो, लेकिन आख़िरत में ख़ास तौर से मुत्तक़ी लोगों ही के लिए है। एक आराबी मस्जिद में आए और नमाज़ पढ़ कर उन्होंने दुआ की, या अल्लाह ! मुझ पर और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर रहमत फ़रमा और हमारे साथ रहमत में किसी और को शरीक न कर। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम ने उनको दुआ करते हुए सुन लिया, तो फ़रमाया कि तुमने अल्लाह की वसीअ रहमत को तंग किया। अल्लाह जल्ल शानुहू ने रहमत के सौ हिस्से फ़रमा कर एक हिस्सा दुनिया में उतारा जिसको सारी दुनिया में तक़सीम फ़रमा दिया, इसी की वजह से मख़्लूक़ सारी की सारी, जिन्नात हों या इंसान या चौपाए एक दूसरे पर (आल-औलाद पर, अपने पर, बेगाने पर) रहम करते हैं, और 99 हिस्से अपने पास रख ली।

एक और हदीस में है कि अल्लाह की रहमत के सौ हिस्से हैं, जिनमें से एक की वजह से मख़्लूक़ एक दूसरे पर रहम खाती है, उसी की वजह से जानवर अपनी औलाद पर रहम करते हैं और 99 हिस्से क़ियामत के दिन के लिए मुअख़्ख़र कर दिए। और भी मुतअद्दद अहादीस में यह मज़्मून आया है। *(दुर्रे मंसूर)*

किस क़दर मसर्रत की बात है, किस क़दर लुत्फ़ की चीज़ है कि माएं अपनी औलाद पर जितनी शफ़्क़त करती हैं कि उसकी ज़रा सी तक्लीफ़ से बे-चैन हो जाती हैं, बाप अपनी औलाद को किसी मुसीबत में देखते हैं, परेशान हो जाते हैं, अज़ीज़ व अक़रबा, मियां बीवी अपने और अजनबी किसी पर मुसीबत देख कर तिलमिलाने लगते हैं। ये सारी चीज़ें उस रहमत ही का तो असर है जो अल्लाह तआला ने क़ुलूब में रखी है। सारी दुनिया की सारी रहमतें मिला कर एक बटा सौ (1/100) हिस्सा है उस रहमत का, जिसके निन्नानवे हिस्से अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने लिए इख़्तियार फ़रमाये, इतने बड़े रहीम इतने बड़े शफ़ीक़ के अहकाम की परवाह न करना किस क़दर बे-ग़ैरती है, किस क़दर ज़ुल्म है, कोई मां अपने लड़के पर इंतिहाई करम करती हो और फिर वह लड़का उसके कहने की परवाह न करे तो मां को किस क़दर रंज हो, हालांकि मां का लुत्फ़ व करम अल्लाह के लुत्फ़ व करम के मुक़ाबले में कुछ भी नहीं। इसी से हक़ तआला शानुहू के अहकाम की परवाह न करने का अंदाज़ा कर लिया जाए।

(۳)وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ٥(روم ع ٤)

3. और जो चीज़ तुम इस ग़रज़ से दोगे कि सूद बन कर लोगों

के माल में बढ़ौतरी का सबब बने, यह तो अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ता और जो कुछ ज़कात (वग़ैरह) दोगे, जिससे कि अल्लाह तआला की रिज़ा मक़्सूद हो तो ऐसे लोग अपने दिए हुए माल को अल्लाह तआला के पास बढ़ाते रहते हैं।

फ़ायदा:- मुजाहिद रह० कहते हैं कि बढ़ौतरी की ग़रज़ से माल देने में वह सब माल दाख़िल है जो इस नीयत से दिए जाएं कि इससे अफ़ज़ल मिले यानी चाहे दुनिया में इससे अफ़ज़ल मिलने की, ज़्यादा मिलने की उम्मीद पर ख़र्च करे या आख़िरत में ज़्यादा मिलने की उम्मीद पर ख़र्च करे, वह सब बढ़ौतरी की उम्मीद में दाख़िल है। इसीलिए रिबा (सूद) और ज़कात को साथ ज़िक्र किया।

एक और हदीस में हज़रत मुजाहिद रह० से नक़ल किया गया कि इससे हदाया मुराद हैं। *(दुर्रे मंसूर)*

यानी जो हद्या वग़ैरह किसी को इस ग़रज़ से दिया जाए कि वह उसके बदले में इससे बढ़कर देगा, मसलन किसी की दावत इस ग़रज़ से की जाए कि फिर वह नज़राना देगा जो उससे ज़्यादा होगा, जितना दावत पर ख़र्च किया गया। इसी में न्योता वग़ैरह भी दाख़िल है कि यह सब के सब बढ़ौतरी की नीयत से ख़र्च किये जाते हैं। इन सब का एक ही ज़ाब्ता है कि अल्लाह तआला के यहां इज़ाफ़ा उसी चीज़ का होता है जो उसकी रिज़ा के लिए ख़र्च किया जाए।

हज़रत सईद बिन जुबैर रह० फ़रमाते हैं कि जो कोई हद्या इस नीयत से दिया जाये कि उसका बदला दुनिया में मिले, उसका कोई सवाब आख़िरत में नहीं है और ज़ाहिर है कि जब आख़िरत की नीयत से दिया ही नहीं तो वहां क्यों मिले।

हज़रत कअब क़ुरज़ी रह० फ़रमाते हैं कि कोई शख़्स किसी को इस नीयत से दे कि वह बदले में उससे ज़्यादा देगा, वह अल्लाह तआला के यहां किसी इज़ाफ़े का सबब नहीं और जो शख़्स महज़ अल्लाह के वास्ते दे कि जिस शख़्स को दिया है, उससे किसी क़िस्म की मुकाफ़ात और बदले का उम्मीदवार न हो, यही वह माल है जो अल्लाह के नज़दीक बढ़ता रहता है।

(दुर्रे मंसूर)

लिहाज़ा जो लोग किसी को ज़कात वग़ैरह का माल देकर इसके

उम्मीदवार रहते हैं कि वे हमेशा एहसानमंद रहेंगे, वे अपने सवाब में इस बद नीयती से ख़ुद कमी कर देते हैं। सबसे पहली फ़स्ल की आयात में नं॰ 34 पर गुज़रा है –

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○

"इन्न-मा नुत् अिमुकुम लिवज्हिल्लाहि ला नुरीदु मिन्कुम जज़ा-अंव् व ला शुकूरा॰"

'हम तुमको महज़ अल्लाह के वास्ते खिलाते हैं, न तो हम इसका तुमसे बदला चाहते हैं न इसका शुक्रिया चाहते हैं, और हक़ तआला शानुहू ने ज़्यादा बदला चाहने की नीयत से ख़र्च करने को हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तो ख़ास तौर से मना फ़रमाया है, चुनांचे दूसरी जगह ख़ुसूसियत से हुज़ूर सल्ल॰ को इर्शाद है:-

"व ला तम्नुन तस्तक्सिर॰" *(मुद्दस्सिर)*

'और आप किसी को इस ग़रज़ से न दें कि उसका ज़्यादा मुआवज़ा चाहें।''

और अल्लाह जल्ल शानुहू के लिए ख़र्च करने का सवाब और उसकी ज़्यादती दीन और दुनिया में मुतअद्दद आयात और रिवायात से पहली फ़स्ल में गुज़र चुकी है, इसलिए ख़र्च करने वालों को बहुत एहतिमाम से इसका लिहाज़ रखना चाहिए कि किसी पर ख़र्च करने की सूरत में हरगिज़ उनसे किसी क़िस्म के बदले या शुक्रिए का उम्मीदवार न रहना चाहिए। यह दूसरी बात है कि लेने वाले का फ़र्ज़ है कि वह एहसानमंद हो और उसका शुक्र अदा करे, लेकिन देने वाला अगर उसकी नीयत करेगा, तो वह अल्लाह के वास्ते से निकल कर दुनिया के वास्ते में दाख़िल हो जाएगा, बिल ख़ुसूस ज़कात में तो इसका वाहमा भी न होना चाहिए कि इसमें वह ख़ुद अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है। इसमें किसी पर क्या एहसान है। इसलिए आयते शरीफ़ा में ज़कात को अल्लाह की रिज़ा के लिए देने के साथ मुक़य्यद किया है।

अहादीस

(١) عن ابن عباس قال لما نزلت وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كبر ذالك على المسلمين فقال عمر انا افرج عنكم فانطلق فقال يا نبی الله

انه كبر على اصحابك هذه الاية فقال ان الله لم يفرض الزكوٰة الا ليطيب مابقى من اموالكم وانما فرض المواريث وذكر كلمة لتكون لمن بعد كم فقال فكبّر عمرؓ ثم قال له الااخبرك بخير مايكنز المرء المراة الصالحة اذا نظر اليها سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته رواه ابو داؤد وكذا فى المشكوٰة۔

1. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जब कुरआन पाक में आयते शरीफ़ा "वल्लज़ी-न यक्निज़ू-नज़्ज़ ह ब वल फ़िज़्ज़-त" नाज़िल हुई तो सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर यह आयत बहुत शाक़ हुई। हज़रत उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया कि इस मुश्किल को मैं हल करूँगा। हज़रत उमर रज़ि॰ यह फ़रमा कर हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में तश्रीफ़ ले गये। और वहां हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ! यह आयत तो लोगों पर बड़ी शाक़ हो रही है। हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने ज़कात इसीलिए फ़र्ज़ की है कि बक़िया माल को उम्दा और तैय्यब बना दे और मीरास तो आख़िर इसी वजह से फ़र्ज़ हुई कि माल बाद में बाक़ी रहे। हज़रत उमर रज़ि॰ ने ख़ुशी में अल्लाहु अक्बर फ़रमाया, फिर हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि मैं बेहतरीन चीज़ ख़ज़ांने के तौर पर रखने की बताऊँ? वह औरत है जो नेक हो कि जब ख़ाविंद उसको देखे, तो उसकी तबीअत ख़ुश हो जाये और जब उसको कोई हुक्म करे तो वह इताअत करे, और जब वह कहीं चला जाये तो वह औरत (ख़ाविंद की छोड़ी हुई चीज़ों की) हिफ़ाज़त करे, (जिसमें अपनी इफ़्फ़त भी दाख़िल है।)

फ़ायदा:- दूसरी फ़स्ल की आयात में नं॰ 5 पर यह आयते शरीफ़ा और इसका तर्जुमा गुज़र चुका है। इस आयते शरीफ़ा के ज़ाहिर से मालूम होता था कि हर किस्म का जख़ीरा चाहे कैसी ही ज़रूरत से जमा किया जाये, वह सख़्त अज़ाब का सबब है। इसलिए सहाबा किराम रज़ि॰ को बड़ा शाक़ गुज़रा कि अल्लाह तआला और उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्शादात पर अमल तो सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन की जान थी, और ज़रूरतें बसा औक़ात रूपया वग़ैरह रखने पर मजबूर करती थीं। इसलिए

बड़ी गरानी हो रही थी, जिसको हज़रत उमर रज़ि॰ ने हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दर्याफ़्त करके हल किया। हुज़ूर सल्ल॰ ने तसल्ली फ़रमा दी कि ज़कात इसलिए फ़र्ज़ हुई है कि उसके अदा करने के बाद बाक़ी माल तैय्यब हो जाए और इससे माल के जमा रखने पर दलील हो गयी कि ज़कात तो जब ही वाजिब होगी, जब साल भर माल मौजूद रहे। अगर माल का रखना जायज़ न होता तो ज़कात क्यों वाजिब होती? नीज़ इससे ज़कात की कितनी बड़ी फ़ज़ीलत मालूम हुई कि उसके अदा करने का सवाब तो मुस्तक़िल और अलाहिदा रहा, उसकी वजह से बाक़ी माल भी पाक साफ़ और तैय्यब बन जाता है ख़ुद क़ुरआन पाक में भी इस तरफ़ इशारा है। हक़ तआला शानुहू इर्शाद फ़रमाते हैं –

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا (توبہ ع ١٢)

"ख़ुज़् मिन् अम्वालिहिम स-द-क़-तन तुतह्हिरू हुम व तुज़क्की हिम बिहा॰" *(तौबा, रुकूअ् 12)*

'आप उन मालों से सदक़ा ले लीजिए, जिसके ज़रिए से आप उन को (गुनाह के आसार से) पाक साफ़ कर देंगे।

एक हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद है कि अपने माल की ज़कात अदा किया करो कि यह तुम्हारे पाक होने का ज़रिया है। *(कंज़)*

एक और हदीस में है कि ज़कात अदा किया करो कि वह पाक करने वाली है। अल्लाह तआला तुमको (इसके ज़रिये से) पाक कर देगा।

एक और हदीस में है कि अपने मालों को ज़कात के ज़रिए से (गंदगी से या इज़ाअत से) महफ़ूज़ बनाओ और अपने बीमारों की सदक़े से दवा करो और बलाओं के लिए दुआओं को तैयार करो। *(कंज़)*

एक और हदीस में है कि ज़कात के ज़रिए से अपने माल को महफ़ूज़ बनाओ, अपने बीमारों की सदक़े से दवा करो और बलाओं के ज़वाल के लिए दुआ और आजिज़ी से मदद चाहो। *(कंज़)*

इसके बाद हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हदीसे बाला में माल जमा रखने के जवाज़ (जायज़ होने) की दूसरी दलील इर्शाद फ़रमायी, कि मीरास का हुक्म तो इसी वजह से है कि माल रखना जायज़ है, अगर माल का रखना जायज़ न हो तो फिर तक़्सीमे मीरास किस चीज़ की होगी ? इसके

बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने इस पर तंबीह फ़रमायी कि जायज़ होना अम्रे आख़र (दूसरी बात) है, लेकिन ख़ज़ानों में रखने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसको तो ख़र्च ही कर देना चाहिए। महफ़ूज़ रखने की चीज़ नेक बीवी है।

कुछ रिवायात से मालूम होता है कि सहाबा रज़ि॰ ने इस जगह सवाल फ़रमाया था जिस पर हुज़ूर सल्ल॰ का यह इर्शाद है।

हज़रत सौबान रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जब यह आयते शरीफ़ा "वल्लज़ी-न यक्नि ज़ूनज़्ज़-ह-ब" नाज़िल हुई तो हम हुज़ूर सल्ल॰ के साथ सफ़र में थे। बाज़ सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! अगर यह मालूम हो जाता कि ख़ज़ाने के तौर पर क्या चीज़ हिफ़ाज़त से रखने की है, तो हुज़ूर ने फ़रमाया, बेहतरीन चीज़ वह ज़बान है जो ज़िक्र करने वाली हो, वह दिल है जो शुक्रगुज़ार हो और वह नेक बीवी है जो दीन के कामों में मदद करने वाली हो। *(दुर्रे मंसूर)*

एक हदीस में है कि जब यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई तो हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि सोने चांदी का नास हो, कैसी बुरी चीज़ है? तीन मर्तबा हुज़ूर सल्ल॰ ने यही फ़रमाया, इस पर बाज़ सहाबा रज़ि॰ ने दर्याफ़्त किया कि ख़ज़ाने के तौर पर क़ाबिले हिफ़ाज़त क्या चीज़ बेहतर है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि ज़बान ज़िक्र करने वाली, दिल अल्लाह से डरने वाला और वह नेक बीवी जो दीन के कामों में मुईन व मददगार हो। *(तफ़्सीरे कबीर)*

कैसी पाक और जामेअ तालीम है हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कि माल रखने का जवाज़ भी बता दिया और जमा रखने का पसंदीदा न होना भी बता दिया और दुनिया में राहत की ऐसी ज़िन्दगी, जो आख़िरत में काम दे, वह भी बता दी कि ज़िक्र करने वाली ज़बान, शुक्र करने वाला दिल और दुनिया की लज़्ज़त की वह चीज़ भी बता दी जो राहत से ज़िन्दगी गुज़ारने का सबब हो और वे फ़ित्ने उसमें न हों जो माल में हैं। हर क़िस्म की राहत उससे मयस्सर हो और वह बीवी है, बशर्ते कि नेक हो, दीनदार हो, फ़रमांबरदार हो और समझदार हो कि ख़ाविंद के माल व मताअ की हिफ़ाज़त करने वाली हो।

(٢) عن ابی الدرداءؓ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام رواہ الطبرانی فی الاوسط والکبیر کذا فی الترغیب

2. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि

ज़कात इस्लाम का (बहुत बड़ा मज़बूत) पुल है।

फ़ायदा:- जैसा कि मज़बूत पुल ज़रिया और सहूलत का सबब होता है किसी जगह जाने का, इसी तरह ज़कात ज़रिया और रास्ता है इस्लाम की हक़ीक़त तक सहूलत से पहुँचने का, या अल्लाह जल्ल शानुहू के आली दरबार तक पहुँचने का।

अब्दुल अज़ीज़ बिन उमैर रह० हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० के पोते, फ़रमाते हैं कि नमाज़ तुझे आधे रास्ते तक पहुँचा देगी और रोज़ा बादशाह के दरवाज़े तक पहुंचा देगा और सदक़ा तुझे बादशाह के पास पहुँचा देगा।

(इत्तिहाफ़)

पुल के साथ एक लतीफ़ मुनासिबत हज़रत शक़ीक़ बलख़ी रह० जो मशहूर बुज़ुर्ग और सूफ़ी हैं, के कलाम से भी मालूम होती है, वह फ़रमाते हैं कि हमने पांच चीज़ें तलाश कीं, उनको पांच जगह पाया:-

1. रोज़ी की बरकत को चाश्त की नमाज़ में पाया, और
2. क़ब्र की रोशनी तहज्जुद की नमाज़ में मिली,
3. मुन्किर नकीर के जवाब को तिलावते क़ुरआन में पाया, और
4. पुल सिरात पर सहूलत से गुज़रना रोज़े और सदक़े में पाया, और
5. अर्श का साया ख़लवत में पाया। *(फ़ज़ाइले नमाज़)*

(٣) عن جابرؓ قال قال رجل یا رسول اللہ ارأیت ان ادی الرجل زکوٰۃ ماله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم من ادی زکوٰۃ ماله فقد ذهب عنه شرہ رواہ الطبرانی فی الاوسط وابن خزیمة فی صحیحه والحاکم مختصرا وقال صحیح علی شرط مسلمٌ کذا فی الترغیب.

3. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख़्स माल की ज़कात अदा कर दे तो उस माल का शर उस से जाता रहता है।

फ़ायदा:- बाज़ रिवायात में यह मज़्मून इस तरह आया है कि जब तू माल की ज़कात अदा कर दे तो तूने उस माल के शर को ज़ायल कर दिया। *(कंज़)*

यानी माल बहुत से शुरूर का सबब होता है लेकिन उसकी ज़कात अगर

एहतिमाम से अदा होती रहे तो उसके शर से हिफ़ाज़त रहती है। आख़िरत के एतिबार से तो ज़ाहिर है कि फिर उस माल पर अज़ाब नहीं होता, दुनिया के एतिबार से इस लिहाज़ से कि ज़कात का अदा करना माल के महफ़ूज़ रहने का ज़रिया है, जैसा कि इससे अगली हदीस में आ रहा है और अगर ज़कात न अदा की जाए तो वह माल ज़ाया हो जाता है, जैसा कि आइन्दा फ़स्ल के नं॰ 6 पर आ रहा है।

(٤)عن الحسنؒ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنوا اموالكم بالزكوٰة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع رواه ابو داؤد فى المراسيل و رواه الطبرانى والبيهقى وغيرهما عن جماعة من الصحابة مرفوعًا متصلا والمرسل اشبه كذا فى الترغيب

4. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अपने मालों को ज़कात के ज़रिए महफ़ूज़ बनाओ और अपने बीमारों का सदक़े से इलाज करो और बला और मुसीबत की मौजों का दुआ और अल्लाह तआला के सामने आजिज़ी से इस्तिक़बाल करो।

फ़ायदाः- तहसीन के मायने अपने चारों तरफ़ क़िला बना लेने के हैं यानी जैसा कि आदमी क़िले में बैठ जाने से हर तरफ़ से महफ़ूज़ हो जाता है, ऐसा ही ज़कात का अदा कर देना उस माल को ऐसा महफ़ूज़ कर देता है जैसा कि वह माल क़िले में महफ़ूज़ हो गया हो।

एक हदीस में है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मस्जिदे काबा में हतीम में तशरीफ़ रखते थे। किसी शख़्स ने तज़्किरा किया कि फ़लां आदमियों का बड़ा नुक़्सान हो गया, समुन्दर की मौज ने उनके माल को ज़ाया कर दिया। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि जंगल हो या समुन्दर, किसी जगह भी जो माल ज़ाया होता है, वह ज़कात न देने से ज़ाया होता है, अपने मालों की ज़कात अदा करने के ज़रिए हिफ़ाज़त किया करो, और अपने बीमारों की सदक़े से दवा किया करो। और बलाओं के नुज़ूल को दुआओं से दूर किया करो। दुआ उस बला को भी ज़ायल कर देती है, जो नाज़िल हो गयी हो और उस बला को भी रोक देती है जो अभी तक नाज़िल न हुई हो। जब अल्लाह जल्ल शानुहू किसी क़ौम की बक़ा चाहते हैं या उनकी बढ़ौतरी चाहते हैं तो उस क़ौम में गुनाहों से इफ़्फ़त और जवांमर्दी (यानी जूद व बख़्शिश) अता फ़रमाते हैं और जब किसी क़ौम को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसमें ख़ियानत पैदा कर देते हैं। *(कंज़)*

(٥) روى عن علقمةؓ انهم اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لنا النبى صلى الله عليه وسلم ان تمام اسلامكم ان تؤدوازكوٰة اموالكم رواه البزار

5. हज़रत अल्क़मा रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जब हमारी जमाअत हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुई तो हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि तुम्हारे इस्लाम की तक्मील इसमें है कि मालों की ज़कात अदा करो।

फ़ायदा:- इस्लाम की तक्मील का ज़कात पर मौक़ूफ़ होना ज़ाहिर है। कि जब ज़कात इस्लाम के पांच मशहूर अर्कान (1. कलिमा तैय्यबा का इक़रार, 2. नमाज़, 3. रोज़ा, 4. हज, 5. ज़कात) का एक रूक्न है, तो जब तक एक रूक्न भी बाक़ी रहेगा, इस्लाम की तक्मील नहीं हो सकती।

हज़रत अबू अय्यूब रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक साहब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाख़िल कर दे। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसका शरीक न करो, नमाज़ को क़ायम करो, ज़कात अदा करते रहो और सिला-रहमी करते रहो।

एक और हदीस में है, एक आराबी ने सवाल किया मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जिस पर अमल करके जन्नत में दाख़िल हो जाऊँ। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, फ़र्ज़ नमाज़ को एहतिमाम से अदा करते रहो, फ़र्ज़ ज़कात अदा करते रहो, रमज़ान के रोज़े रखते रहो। उन साहब ने अर्ज़ किया, उस ज़ात की क़सम जिस के क़ब्ज़े में मेरी जान है इसमें ज़रा भी कमी ज़्यादती न होगी। जब वह चले गये तो हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि जिस शख़्स का किसी जन्नती आदमी को देख कर दिल खुश हो, वह इस शख़्स को देखे। *(तर्ग़ीब)*

(٦) عن عبد الله بن معوية الغاضرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وعلم ان لا اله الا الله واعطىٰ زكوٰة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسئالكم خيره ولم يامركم بشره . رواه ابوداؤد كذا فى الترغيب.

6. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख़्स तीन काम कर ले, उसको ईमान का मज़ा आ जाए, सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहू की इबादत करे और इसको अच्छी तरह जान ले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ज़कात को हर साल ख़ुश दिली से अदा करे (बोझ न समझे) इसमें (जानवरों की ज़कात में) बूढ़ा जानवर या ख़ारिशी जानवर या मरीज़ या घटिया क़िस्म का जानवर न दे, बल्कि मुतवस्सित जानवर दे। अल्लाह जल्ल शानुहू ज़कात में तुम्हारे बेहतरीन माल नहीं चाहते, लेकिन घटिया माल का भी हुक्म नहीं फ़रमाते।

फ़ायदा:- इस हदीस में तज़्किरा अगरचे जानवरों की ज़कात का है लेकिन ज़ाब्ता हर ज़कात का यही है कि न तो बेहतरीन माल वाजिब है, न घटिया माल जायज़ है, बल्कि दर्मियानी माल अदा करना असल है। अलबत्ता कोई अपनी ख़ुशी से सवाब हासिल करने के लिए, अल्लाह तआला को राज़ी करने के लिए उम्दा माल अदा करे तो उसकी सआदत है, उसकी ख़ुश क़िस्मती है। इस सिलसिले में सहाबा-ए-किराम रज़ि॰ के अह्वाल को ग़ौर से देखे, उनके तर्ज़े अमल की तहक़ीक़ात करे। दो वाक़िए नमूने के तौर पर इस जगह नक़ल करता हूँ:-

मुस्लिम बिन शोअ्बा रज़ि॰ कहते हैं कि नाफ़ेअ बिन अल्क़मा रज़ि॰ ने मेरे वालिद को हमारी क़ौम का चौधारी बना दिया था। एक मर्तबा उन्होंने मेरे वालिद को हुक्म दिया कि सारी क़ौम की ज़कात जमा करके ले जाएं। मेरे वालिद ने मुझे सबसे ज़कात का माल वसूल करने और जमा करने को भेज दिया। मैं एक बड़े मियां के पास जिनका नाम हज़रत सअर रज़ि॰ था। उनकी ज़कात लेने के लिए गया, उन्होंने मुझसे पूछा, भतीजे, किस तरह का माल लोगे? मैं ने कहा अच्छे से अच्छा लूँगा, हत्ताकि बकरी के थन तक भी देखूँगा कि बड़े हैं या छोटे यानी एक एक चीज़ देखकर हर एतिबार से उम्दा से उम्दा माल छांटकर लूँगा। उन्होंने कहा कि पहले मैं तुम्हें एक हदीस सुना दूँ (ताकि मसअला तुम को मालूम हो जाए, उसके बाद जैसा दिल चाहे ले लेना) मैं हुज़ूर सल्ल॰ के ज़माने में इसी जगह रहता था। मेरे पास हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास से दो आदमी क़ासिद बन कर आए और यह कहा कि हमें हुज़ूर सल्ल॰ ने तुम्हारी ज़कात के लिए भेजा है। मैं ने उनको अपनी बकरियां दिखा कर दर्याफ़्त किया कि इनमें क्या चीज़ वाजिब है? उन्होंने शुमार कर के बताया

कि एक बकरी वाजिब है। मैं ने एक निहायत उम्दा बकरी जो चर्बी और दूध से लबरेज़ थी, निकाली कि ज़कात में दे दूँ। उन साहबों ने उसको देख कर कहा कि यह बच्चों वाली बकरी है हमें ऐसी बकरी लेने की हुज़ूर सल्ल० की तरफ़ से इजाज़त नहीं है। मैं ने पूछा फिर कैसी लोगे? उन दोनों ने कहा कि छः महीने का मेंढ़ा या एक साल की बकरी। मैं ने एक शशमाहा (छः महीने का) बच्चा निकाल कर उनको दे दिया, वे ले गये। *(अबू दाऊद)*

इस वाक़िए में हज़रत सअर की ख़्वाहिश इब्तिदाअन यही थी कि तमाम बकरियों में जो बेहतर से बेहतर हो, वह अदा की जाए और इब्ने नाफ़ेअ रज़ि० को ग़ालिबन यह वाक़िआ इसलिए सुनाया कि उनको मसअला मालूम हो जाए और इसके बाद उनका अंदाज़ा तो इस वाक़िए से ख़ुद ही मालूम हो गया कि यह ज़कात में अपना बेहतरीन माल देना चाहते हैं।

दूसरा वाक़िआ हज़रत उबई बिन काब रज़ि० फ़रमाते हैं कि मुझे हुज़ूर सल्ल० ने एक मर्तबा ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। मैं एक साहब के पास गया। जब उन्हों ने अपने ऊँट मेरे सामने किए तो मैं ने देखा कि उनमें एक साल की ऊँटनी वाजिब है। मैं ने उनसे कहा कि एक साला ऊँटनी दे दो। वह कहने लगे कि एक साला ऊँटनी किस काम आएगी, न तो वह सवारी का काम दे सकती है, न दूध का। यह कहने के बाद उन्होंने एक निहायत उम्दा, बहुत मोटी ताज़ी बड़ी ऊँटनी निकाली और कहा कि इसे ले जाओ। मैं ने कहा कि मैं तो इस को क़ुबूल नहीं कर सकता, अलबत्ता हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ुद सफ़र में ही तशरीफ़ फ़रमा हैं और तुम्हारे क़रीब ही आज मंज़िल है। अगर तुम्हारा दिल चाहे, तो बराहे रास्त हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में जाकर पेश कर दो। अगर हुज़ूर सल्ल० ने इजाज़त दे दी तो मैं ले लूँगा। वह साहब ऊँटनी को लेकर मेरे साथ चल दिए। जब हम हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में पहुँचे तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप के क़ासिद मेरे पास आए थे कि मेरी ज़कात लें और ख़ुदा की क़सम, यह सआदत मुझे अब से पहले कभी नसीब नहीं हुई कि हुज़ूर सल्ल० ने या हुज़ूर सल्ल० के क़ासिद ने कभी मुझसे माल तलब किया हो। मैं ने आप के क़ासिद के सामने अपने ऊँट कर दिए। उन्होंने उनको देख कर फ़रमाया कि इनमें एक साला ऊँटनी वाजिब है। हुज़ूर

सल्ल॰ एक साला ऊँटनी न तो दूध का काम दे सकती है न सवारी का, इसलिए मैं ने एक बेहतर सी ऊँटनी इनकी ख़िदमत में पेश की थी। जो यह मेरे साथ हाज़िर है। इन्होंने इस के क़ुबूल करने से इंकार कर दिया। इसलिए मैं आपकी ख़िदमत में लाया हूँ। या रसूलल्लाह, इस को क़ुबूल फ़रमा लीजिए। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि तुम पर वाजिब तो वही है जो उन्होंने बताया। अगर तुम नफ़्ल के तौर पर ज़्यादा उम्र की ऊँटनी देते हो, तो अल्लाह जल्ल शानुहू तुम्हें इसका अज्र देगा। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! मैं इसीलिए साथ लाया हूँ, इसको क़ुबूल फ़रमा लें। हुज़ूर सल्ल॰ ने उसके लेने की इजाज़त फ़रमा दी।

(अबू दाऊद)

इन हज़रात के दिलों में ज़कात का माल अदा करने के ये वलवले थे। वे इस पर फ़ख़्र करते थे इसको इज़्ज़त समझते थे कि अल्लाह का और इसके रसूल का क़ासिद आज मेरे पास आया और मैं इस क़ाबिल हुआ। वे उसको तावान और बेगार नहीं समझते थे। हम लोग उम्दा माल को यह सोचते हैं कि इसको रख लें कि अपने काम आएगा और ये हज़रात अपने काम आना उसी को समझते थे जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दिया हो।

हज़रत अबूज़र रज़ि॰ का वाक़िआ पहली फ़स्ल की आयात के ज़ैल में नं॰ 11 पर गुज़र चुका है, कि जब क़बीला बनी सुलैम के एक शख़्स ने आप की ख़िदमत में रहने की दर्ख़्वास्त की तो आपने उनसे यह फ़रमा दिया कि इस शर्त पर मेरे पास क़ियाम की इजाज़त है कि जब मैं किसी को कोई चीज़ देने को कहूँ तो जो चीज़ मेरे माल में सबसे उम्दा और बेहतर हो, उसको छांट कर देना होगा। यह मुफ़स्सल क़िस्सा गुज़र चुका है और आइंदा फ़स्ल की अहादीस में नं॰ 6 पर यह मज़्मून तफ़्सील से आ रहा है कि ज़कात व सदक़ात में बिलख़ुसूस ज़कात में ख़राब माल हरगिज़ न देना चाहिए।

(٧) عن ابی ھریرۃؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اديت الزكوٰة فقد قضيت ماعليك ومن جمع مالاحرامًا ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اصره عليه رواه ابن حبان و ابن خزيمة فی صحيحهما والحاكم وقال

7. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि जब तू माल की ज़कात अदा कर दे तो जो हक़ (वाजिब) तुझ पर था, वह तो अदा हो गया (आगे नवाफ़िल का सिर्फ़ दर्जा है) और जो

शख़्स हराम तरीक़े (सूद रिश्वत वग़ैरह) से माल जमा करके सदक़ा करे, उसको उस सदक़े का कोई सवाब नहीं है। बल्कि इस हराम कमाई का वबाल उस पर है।

फ़ायदा:- इस हदीस पाक में दो मज़्मून वारिद हुए हैं:-

एक तो यह कि वाजिब दर्जा ज़कात का है, इसके अलावा जो दरजात हैं, वे सदक़ात और नवाफ़िल के हैं।

एक और हदीस में है कि जो शख़्स ज़कात को अदा कर दे, उसने उस हक़ को तो अदा कर दिया जो उस पर वाजिब था, उससे ज़्यादा जो अदा करे वह अफ़ज़ल है। *(कंज़)*

हज़रत ज़िमाम बिन सालबा रज़ि॰ की मशहूर हदीस जो बुख़ारी शरीफ़ व मुस्लिम शरीफ़ वग़ैरह सब कुतुब में बहुत तरीक़ों से ज़िक्र की गयी है, जिसमें उन्होंने हुज़ूर सल्ल॰ से इस्लाम और उसके अर्कान के मुताल्लिक़ सवालात किये और हुज़ूर सल्ल॰ ने सब को तफ़्सील से बताया। उसमें मिनजुम्ला दूसरे अर्कान के हुज़ूर सल्ल॰ ने ज़कात का भी ज़िक्र फ़रमाया। हज़रत ज़िमाम रज़ि॰ ने पूछा कि ज़कात के अलावा कोई और चीज़ मुझ पर वाजिब है? हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि नहीं, अलबत्ता अगर नफ़्ल के तौर पर तुम अदा करो, तो इख़्तियार है।

हज़रत उमर रज़ि॰ के ज़माने में एक शख़्स ने मकान फ़रोख़्त किया तो हज़रत उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया कि इसकी क़ीमत को एहतियात से अपने घर में गढ़ा खोदकर उसमें रख देना। उसने अर्ज़ किया कि इस तरह कंज़ (ख़ज़ाने) में दाख़िल न हो जाएगा ? हज़रत उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया कि जिस की ज़कात अदा कर दी जाए वह कंज़ में दाख़िल नहीं होता।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ का इर्शाद है कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर सोना हो, मैं उसकी ज़कात अदा करता रहूँ और उसमें अल्लाह की इताअत करता रहूँ। *(दुर्रे मंसूर)*

इस नौअ की बहुत सी रिवायात कुतुबे अहादीस में मौजूद हैं, जिनकी बिना पर जम्हूर उलमा और चारों इमामों का यही मज़हब है कि माल में बहैसियत माल के ज़कात के अलावा किसी दूसरी चीज़ का वुजूब नहीं, अलबत्ता दूसरी हैसियात से अगर वुजूब हो तो वह अम्रे आख़र है, जैसा कि

बीवी का और छोटी औलाद का नफ़्क़ा है और इसी तरह से दूसरे नफ़क़ात हैं, और इसी तरह से मुज़्तर की ज़रूरत का पूरा करना है कि जो शख़्स भूख या प्यास की वजह से मर रहा है, उसको मौत से बचाना फ़र्ज़े किफ़ाया है।

इमाम ग़ज़ाली रह० एहयाउल उलूम में फ़रमाते हैं कि बाज़ (कुछ) ताबिईन का मज़हब यह है कि माल में ज़कात के अलावा कुछ हुक़ूक़ हैं जैसा कि नख़ई रह०, शअबी रह०, अता रह० और मुजाहिद रह० का मज़हब है।

इमाम शअबी रह० से किसी ने पूछा कि माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है? उन्होंने फ़रमाया है, और क़ुरआन पाक की आयत 'व आ तल मा-ल अला हुब्बिही' तिलावत फ़रमायी जो सबसे पहली फ़स्ल की आयात में नं० 2 पर गुज़र चुकी है। ये हज़रात यह फ़रमाते हैं कि यह हुक़ूक़े मुस्लिम में दाख़िल है कि मालदारों के ज़िम्मे यह ज़रूरी है कि जब वे किसी ज़रूरतमंद को देखें तो उसकी ज़रूरत का इज़ाला कर दें, लेकिन जो चीज़ फ़िक़्ह के एतिबार से सही है, वह यह है कि जब किसी शख़्स को इज़्तिरार का दर्जा हासिल हो जाए तो उसका इज़ाला फ़र्ज़े किफ़ाया है, लेकिन उसका इज़ाला बतौर क़र्ज़ के किया जाए या इआनत के तौर पर फ़ुक़हा के यहां इस में इख़्तिलाफ़ है। *(एह्या)*

मुज़्तर की इआनत अपनी जगह पर मुस्तक़िल वाजिब है, जबकि वह भूख से या प्यास से या किसी और वजह से हलाकत के क़रीब हो, लेकिन मालदार पर माली हैसियत से ज़कात से ज़्यादा वाजिब नहीं। यहां दो अम्र क़ाबिले लिहाज़ हैं।

अव्वल इफ़रात, (ज़्यादती) हम लोगों की आदत यह है कि जब भी किसी चीज़ की तरफ़ बढ़ते हैं तो ऐसा ज़ोर से दौड़ते हैं कि फिर हदों की ज़रा भी परवाह नहीं रहती, इसलिए इसकी रियायत ज़रूरी है कि किसी दूसरे शख़्स का माल बग़ैर उसकी तीबे ख़ातिर के लेना जायज़ नहीं है। फ़ुक़हा ने मुज़्तर के लिए दूसरे का माल खाने की ज़रूर इजाज़त दी है लेकिन इसमें ख़ुद हनफ़िय्य: के यहां भी दो क़ौल हैं कि उसको मुदार का खाना, दूसरे का माल खाने पर मुक़द्दम है या दूसरे का माल मुर्दार खाने पर मुक़द्दम है, जैसा कि कुतुबे फ़िक़्ह में मज़्कूर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वह इस हालत पर पहुँच जाए कि उसको मुर्दार खाने की इजाज़त हो जाए जब वह दूसरे का माल खा सकता है, हक़ तआला शानुहू का इर्शाद है:-

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. (بقره ع ٢٣)

"व ला तअ्कुलू अम्वा-लकुम बै-नकुम बिल् बातिलि व तुदलू बिहा इलल् हुक्का-मि लि तअ्कुलू फ़रीक़म् मिन् अम्वा लिन्ना-सि बिल इस्मि व अन्तुम तअ्ल-मून॰" *(सूर: बक़र: रूकूअ, 33)*

"और आपस में एक दूसरे का माल ना हक़ न खाओ और उनको हुक्काम के यहां इस ग़रज़ से न ले जाओ कि लोगों के माल का एक हिस्सा बतरीक़े गुनाह के खा जाओ और तुम उसको जानते हो।"

हुज़ुरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि किसी पर ज़ुल्म न करो, किसी शख़्स का माल उसकी तीबे ख़ातिर के बग़ैर लेना हलाल नहीं है। *(मिश्कात)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मशहूर इर्शाद है कि जो शख़्स एक बालिश्त ज़मीन किसी की ज़ुल्म से लेगा, क़ियामत के दिन सातों ज़मीनों का वह हिस्सा, जो उसके बलिश्त के मुक़ाबिल है तौक़ बना कर उसके गले में डाल दिया जाएगा। *(मिश्कात)*

वफ़्दे हवाज़न का क़िस्सा निहायत मशहूर है कि जब वह शकिस्त खाने के बाद मुसलमान होकर हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुए और यह दख़्र्वास्त की कि ग़नीमत में जो क़ैदी और माल उनका लिया गया है, वह उनको वापस मिल जाए। तो हुज़ूर सल्ल॰ ने बाज़ मसालेह की बिना पर यह वायदा फ़रमा लिया कि दोनों चीज़ें तो वापस नहीं हो सकतीं। उन में से एक वापस हो सकती है। उन्होंने क़ैदियों के वापस मिल जाने की दख़्र्वास्त की तो हुज़ूर सल्ल॰ ने सब मुसलमानों से, जिनका उनमें हक़ था, यह एलान फ़रमाया कि मैं ने उनके क़ैदियों को वापस करने का वायदा कर लिया है, तुममें से जो शख़्स ख़ुश दिली से अपना हिस्सा मुफ़्त दे सकें, वह दे दे और जो इसको पसंद न करे, हम उसका बदल उसको दे देंगे। भला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ईमा (इशारे) के बाद सहाबा रज़ि॰ में कौन इंकार करने वाला था? मज्मे ने अर्ज़ किया कि हम ख़ुशदिली से पेश करते हैं। हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि मज्मे के दर्मियान में यह सही तौर पर पता नहीं चल सकता कि किसको ख़ुशी से इजाज़त

है और किसकी नहीं। इसलिए तुम्हारे चौधरी तुमसे अलाहिदा-अलाहिदा बात करके तुम्हारी रिज़ा की मुझे इत्तिला करें। *(मिश्कात)*

दूसरे के माल में एहतिमात का यह उसवा (नमूना) हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का है, और इस मज़्मून की ताईद में अहादीस का बड़ा ज़ख़ीरा है कि जब्र व इक्राह (ज़बर दस्ती) से बिला रिज़ामंदी किसी दूसरे का माल लेना हरगिज़ जायज़ नहीं है।

उलमा-ए-हक़ ने इसमें इतनी एहतियात बरती है कि जो मज्मे की शर्म में किसी कारे ख़ैर में चंदा दिया जाए, उसको भी पसंद नहीं किया। इस लिए एक जानिब तो इसमें इफ़रात से बचना ज़रूरी है कि ब-जब्र व इक्राह किसी दूसरे का माल न लिया जाए। किसी वक़्ती तहरीक से मरऊब होकर हरगिज़ क़ौल व फ़ेल से, तहरीर व तक़रीर से जम्हूर असलाफ़ के ख़िलाफ़ न करना चाहिए। ग़रीब-परवरी का जज़्बा बहुत मुबारक है मगर इसमें हुदूद से तजावुज़ हरगिज़ न करना चाहिए।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि बदतरीन लोगों में से है वह शख़्स जो दूसरे की दुनिया की ख़ातिर अपनी आख़िरत को नुक्सान पहुँचाये। *(बुख़ारी)*

इसलिए इसमें एक जानिब इफ़रात से बचना ज़रूरी है और दूसरी जानिब इसमें तफ़रीत (कमी) से बचना भी अहम और निहायत ज़रूरी है। यह सही है कि माल में ज़कात ही वाजिब है, लेकिन महज़ वाजिब की अदाएगी पर किफ़ायत करना हरगिज़ मुनासिब नहीं।

अब तक जो मज़ामीन और रिवायात रिसाले में गुज़र चुकी हैं वे सब की सब ब-बांगे दुहल इसका एलान कर रही हैं कि अपने काम आने वाला सिर्फ़ वही माल है जो अपनी ज़िंदगी में दे दिया गया और अल्लाह के यहां जमा कर दिया गया, बाद में न कोई मां बाप याद रखता है न बीवी या औलाद पूछती है। सब चंद रोज़ के फ़र्ज़ी आँसू मुफ़्त के बहाकर अपने अपने मशग़ले में लग जायेंगे, किसी को महीनों और सालों भी मरने वाले का ख़्याल नहीं आएगा। इस सब से क़ता-नज़र हदीसे बाला के सिलसिले में एक और अहम और कुल्ली बात भी ज़ेहन नशीन रखना चाहिए कि दीन के मुताल्लिक़ एक मोहमल और बेहूदा लफ़्ज़ हमारी ज़बानों पर होता है। "अजी हम दुनियादारों से फ़राइज़ ही अदा हो जायें

तो ग़नीमत है, नवाफ़िल तो बड़े लोगों का काम है," यह शैतानी धोखा है, नवाफ़िल और ततव्वुआत फ़राइज़ ही की तक्मील के वास्ते होते हैं। कौन शख़्स यह यक़ीन कर सकता है कि मैं ने अल्लाह तआला के किसी फ़र्ज़ को भी पूरा का पूरा अदा कर दिया और जब उसमें कोताही रहती ही है तो उसके पूरा करने के लिए नवाफ़िल होते हैं।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि आदमी नमाज़ से ऐसी हालत में फ़ारिग़ होता है कि उसके लिए उस नमाज़ का दसवां हिस्सा लिखा जाता है, नवां हिस्सा, आठवां हिस्सा, सातवां हिस्सा, छठा हिस्सा, पांचवां हिस्सा, चौथा हिस्सा, तिहाई हिस्सा, आधा हिस्सा लिखा जाता है।

(अबू दाऊद)

यह मिसाल के तौर पर हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया हम लोग जैसी नमाज़ पढ़ते हैं, उसका तो हज़ारवां, बल्कि लाखवां हिस्सा भी लिख लिया जाए तो महज़ उसका लुत्फ़ व करम है, वरना वह तो अपनी बद-आमालियों और बे-इख़्लासी की वजह से ऐसी होती है जैसा कि दूसरी अहादीस में है, और बाज़ नमाज़ें पुराने कपड़े की तरह लपेट कर मुंह पर मार दी जायेंगी कि उनमें क़ुबूलियत का कोई दर्जा भी न होगा। ऐसे अहवाल में नहीं कहा जा सकता कि हमारे फ़राइज़ का कितना हिस्सा लिखा गया।

एक और हदीस में है कि क़ियामत में सबसे पहले नमाज़ का मुहासबा होगा। अल्लाह जल्ल शानुहू का पाक इर्शाद फ़रिश्तों को होगा कि मेरे बन्दे की नमाज़ को देखो कि नाक़िस है या पूरी है, अगर पूरी होती है तो वह पूरी लिख ली जाती है और अगर नाक़िस होती है तो जितना नुक़्सान होता है, वह दर्ज हो जाता है। फिर इर्शाद होता है कि देखो, इस के पास कुछ नवाफ़िल हैं या नहीं। अगर नवाफ़िल उसके पास होते हैं तो उनसे फ़राइज़ की तक्मील कर दी जाती है। इसके बाद फिर इसी तरह ज़कात का हिसाब किताब होता है यानी अव्वल फ़राइज़ का हिसाब होता है, फिर नवाफ़िल से उसकी तक्मील होती है, उसके बाद फिर इसी तरह बक़ीया आमाल का हिसाब किताब होता है।

(अबू दाऊद)

ऐसी सूरत में इस घंमड में किसी शख़्स को हरगिज़ न रहना चाहिए कि मैं ज़कात हिसाब के मुवाफ़िक़ देता रहता हूँ, न मालूम कितनी कोताहियां उसमें हो जाती होंगी। उनकी तलाफ़ी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिक़्दार में सदक़ाते

नाफ़िला का ज़ख़ीरा रहना चाहिए। अदालत में जब मुक़दमे के लिए आदमी जाता है, हमेशा ख़र्च से ज़्यादा रूपया जेब में डाल कर जाता है कि न मालूम क्या ख़र्च पेश आ जाए, वह अदालत तो सब अदालतों से ऊँची है, जहां न झूठ चलता है, न ज़बानज़ोरी, न सिफ़ारिश, हां अल्लाह की रहमत हर चीज़ से बालातर है, वह साहिबे हक़ है, बिल्कुल ही माफ़ कर दे तो किसी का क्या इजारा है, लेकिन यह ज़ाब्ते की चीज़ नहीं है और मराहिमे ख़ुसरवाना की उम्मीद पर जुर्म नहीं किये जाते, इसलिए फ़र्ज़ की मिक़्दार को बहुत एहतिमाम से उसके शराइत और आदाब की रिआयत रखते हुए अदा करते रहना चाहिए और महज़ फ़राइज़ की अदाएगी पर हरगिज़ हरगिज़ क़नाअत न करना चाहिए बल्कि उनकी कोताही के ख़ौफ़ से तक्मील के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा नवाफ़िल के ज़ख़ीरे का अपने पास रहना चाहिए।

अल्लामा सुयूती रह० ने 'मिर्अतुस्सऊद' में नक़ल किया है कि सत्तर नवाफ़िल एक फ़रीज़े की बराबरी करते हैं। इसलिए फ़र्ज़ को बहुत एहतिमाम से अदा करना चाहिए कि उसकी थोड़ी सी कोताही से नवाफ़िल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा उसमें वज़अ हो जाता है और फ़राइज़ में एहतिमाम के बावजूद एहतियात के तौर पर नवाफ़िल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अपने नामा-ए-आमाल में महफ़ूज़ रखना चाहिए।

दूसरा मज़्मून हदीसे बाला में यह था कि जो शख़्स हराम माल जमा करके उसमें से सदक़ा करे, उसको सदक़े का सवाब नहीं।

बहुत सी रिवायात में यह मज़्मून ज़िक्र किया गया है कि हक़ तआला शानुहू हलाल माल से सदक़े क़ुबूल करते हैं।

एक हदीस में है कि हक़ तआला शानुहू ग़ुलूल के माल का सदक़ा क़ुबूल नहीं करते। ग़ुलूल माले ग़नीमत में ख़ियानत को कहते हैं, उलमा ने लिखा है कि ग़लूल का तज़्किरा इस वजह से फ़रमाया है कि ग़नीमत के माल में सबका हिस्सा होता है, तो जब ऐसे माल का सदक़ा जिसमें ख़ुद भी अपना हिस्सा है, क़ुबूल नहीं होता तो, जिस माल में अपना कोई हिस्सा न हो, उसमें से सदक़ा ब-तरीक़े औला क़ुबूल न होगा।

एक हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद वारिद हुआ है कि जो शख़्स हराम माल कमाता है वह अगर ख़र्च करे तो उसमें

बरकत नहीं होती, सदक़ा करे तो क़ुबूल नहीं होता, पीछे मीरास के तौर पर छोड़ जाए तो गोया जहन्नम का तोशा छोड़ गया।

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जो शख़्स हलाल माल कमा ले, उसका ज़कात अदा न करना उस माल को ख़बीस बना देता है और जो शख़्स हराम माल कमावे उसका ज़कात अदा करना उस माल को तैय्यब नहीं बनाता। (दुर्रे मंसूर)

पांचवीं फ़स्ल

ज़कात अदा न करने की वईद में

क़ुरआन पाक में बहुत सी आयात नाज़िल हुई हैं जिनमें से मुतअद्द आयात दूसरी फ़स्ल में यानी माल ख़र्च न करने की वईद में गुज़र चुकी हैं। जिनके मुताल्लिक़ उलमा ने तस्रीह की है कि यह ज़कात अदा न करने में हैं और ज़ाहिर है कि जितनी वईदें गुज़री है वह ज़कात अदा न करने पर जब कि ज़कात बिल इज्माअ फ़र्ज़ है, ब-तरीक़े औला शामिल होंगी। चुनांचेः-

(١) وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

1. वल्लज़ी-न यक्निज़ून ज़्ज़-ह-ब वल फ़िज़्ज़ त व ला युन्फ़िक़ून-हा फ़ी सबीलिल्ला-हि॰ (आयत) जो दूसरी फ़स्ल की नं॰ 5 पर तर्जुमा के साथ गुज़र चुकी है, जम्हूर सहाबा-ए-किराम रज़ि॰ और जम्हूर उलमा के नज़दीक ज़कात के बारे में नाज़िल हुई है और जो सख़्त अज़ाब इस आयते शरीफ़ा में ज़िक्र किया गया वह ज़कात अदा न करने वालों के लिए है जैसा कि इसके ज़ैल में भी गुज़र चुका और मुतअद्द अहादीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक इर्शाद से भी इसकी ताईद होती है, कि जो अज़ाब इस आयते शरीफ़ा में ज़िक्र किया गया कि उसके माल को तपा कर उस शख़्स की पेशानी को और पहलू वग़ैरह को उससे दाग़ दिए जायेंगे। यह ज़कात अदा न करने का अज़ाब है। अल्लाह ही अपने फ़ज़्ल से महफ़ूज़ रखे कि पकते हुए धात का ज़रा सा दाग़ भी सख़्त अज़ीयत पहुँचाने वाला होता है, चे जाये कि जितना माल ज़्यादा

हो, उतने ही ज़्यादा दाग़ आदमी को दिए जायेंगे। चंद रोज़ इन सोने चांदी के ठीकरों के अपने पास रख कर कितनी सख़्त मुसीबत का सामना है।

(۲) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ (الاية)

2. व ला यह्स-बन्नल्लज़ी-न यब्ख़ लू-न बिमा आता हुमुलल्लाहु मिन फ़ज़्लिही॰ (आयत) यह आयते शरीफ़ा भी मय तर्जुमा के दूसरी फ़स्ल के नं॰ 3 पर गुज़र चुकी है, और इसकी ताईद में बुख़ारी शरीफ़ की हदीस से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद गुज़र चुका है कि जिस शख़्स को अल्लाह जल्ल शानुहू ने माल अता किया हो और वह उसकी ज़कात अदा न करता हो, वह माल सांप बन कर उसके गले में डाल दिया जाएगा और वह कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, तेरा ख़ज़ाना हूँ। सांप जिस घर में भी निकल आता है, दहशत की वजह से अंधेरे में उस घर में भी जाना मुश्किल हो जाता है कि कहीं लिपट न जाए, लेकिन अल्लाह के पाक रसूल सल्ल॰ फ़रमाते हैं कि यही माल जिसको आज महफ़ूज़ ख़ज़ानों और लोहे की अलमारियों में रखा जाता है, ज़कात अदा न करने पर कल को सांप बन कर तुम्हें लिपटा दिया जाएगा। घर के सांप का लिपटना ज़रूरी नहीं, महज़ एहतिमाल है कि शायद वह लिपट जाए और शायद इस एहतिमाल पर बार बार फ़िक्र व ख़ौफ़ होता है कि कहीं इधर से न निकल आए, उधर से न निकल आए और ज़कात अदा न करने पर उस का अज़ाब यक़ीनी है, मगर फिर भी उसका ख़ौफ़ हम को नहीं होता।

(۳) اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ص وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ
مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ق اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْفَرِحِيْنَ ○ وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ
كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○
قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ط اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ
مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ○ فَخَرَجَ عَلٰى
قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ط قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ لا
اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا ج وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ○ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ قف فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ
يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ○ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ

بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ج
لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ط وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ○ (قصص ع٨)

3. क़ारून हज़रत मूसा अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा ज़ाद भाई था। जिसका क़िस्सा मशहूर व मारूफ़ है। क़ुरआन पाक में सूरः क़सस का आठवां रूकूअ सारा का सारा इसी क़िस्से में है, जिसका तर्जुमा मय तौज़ीह यह है कि क़ारून (हज़रत) मूसा (अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम) की बिरादरी में से (उनका चचा ज़ाद भाई) था सो वह (कसरते माल की वजह से) उन लोगों के मुक़ाबले में तकब्बुर करने लगा और हमने उसको इस क़दर ख़ज़ाने दिये थे कि उनकी कुंजियां कई कई ज़ोर आवर शख़्सों को गरांबार कर देती थीं, (यानी उन से ब-मुश्किल उठती थीं और जब ख़ज़ानों की कुंजियां इतनी थीं तो ज़ाहिर है कि ख़ज़ाने तो बहुत ही होंगे, और उसने यह तकब्बुर उस वक़्त किया था) जब कि उसको उसकी बिरादरी ने (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वग़ैरह ने समझाने के तौर पर) कहा कि तू (इस माल व दौलत पर) इतरा मत, वाक़ई अल्लाह तआला इतराने वालों को पसंद नहीं करता और तुझको ख़ुदा-ए-तआला ने जितना दे रखा है उसमें आलमे आख़िरत की भी जुस्तजू किया कर, और दुनिया से अपना हिस्सा (आख़िरत में ले जाना) फ़रामोश न कर, और जिस तरह अल्लाह तआला ने तुझ पर एहसान किया है तू भी (उसके बंदों पर) एहसान किया कर। (और ख़ुदा की नाफ़रमानी और हुक़ूक़े वाजिबा ज़ाया करके) दुनिया में फ़साद का ख़्वाहां मत हो। बेशक अल्लाह तआल फ़सादी लोगों को पसंद नहीं करता। क़ारून ने (उनकी नसीहतें सुन कर यह) कहा कि मुझको तो यह सब कुछ मेरी ज़ाती हुनरमंदी से मिला (कि मेरी हुस्ने तदबीर से यह जमा हुआ, न इसमें कुछ ग़ैबी एहसान है, न किसी दूसरे का इसमें कोई हक़ है, हक़ तआला शानुहू उसके क़ौल पर इताब फ़रमाते हैं कि) क्या उस क़ारून ने यह न जाना कि अल्लाह तआला इससे पहले गुज़िश्ता उम्मतों में ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है, जो माली क़ुव्वत में भी इससे कहीं बढ़े हुए थे और (जमाअती हैसियत से) मज्मा भी उनका ज़्यादा था (यह तो दुनिया में हुआ और आख़िरत में जहन्नम का अज़ाब अलग रहा।) और मुज्रिमों से (उनके गुनाहों का) मालूम करने की ग़रज़

से सवाल भी न होगा (कि हर शख़्स का पूरा हाल अल्लाह तआला शानहू को मालूम है (मुतालबे की वजह से सवाल अलाहिदा रहा) फिर (वह क़ारून एक मर्तबा) अपनी आराइश व शान के साथ अपनी बिरादरी के सामने निकला तो जो लोग (उसकी बिरादरी में) दुनिया के तालिब थे वे कहने लगे कि क्या अच्छा होता कि हमको भी यह साज़ व सामान मिला होता जो क़ारून को मिला है। वाक़ई यह क़ारून बड़ा साहिबे नसीब है। (यह तमन्ना और हिर्स माल की थी, इससे उन लोगों का काफ़िर होना लाज़िम नहीं है जैसा कि अब भी बहुत से मुसलमान दूसरी क़ौमों की दुन्यावी तरक़्क़ियां देखकर हर वक़्त ललचाते हैं। और इसकी फ़िक्र व सई में लगे रहते हैं। कि यह दुन्यावी फ़रोग़ हमें भी नसीब हो) और जिन लोगों को इल्मे दीन (और उसका फ़हम) अता किया गया था (उन हरीसों से) कहने लगे, अरे तुम्हारा नास हो (तुम इस दुनिया पर क्या ललचाते हो?) अल्लाह के घर का सवाब(इस चंद रोज़ा माल व दौलत से लाख लाख दर्जे) बेहतर है, जो ऐसे शख़्स को मिलता है जो ईमान लाये और अच्छे अमल करे और (उनमें से भी कामिल दर्जे का सवाब) उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो सब्र करने वाले हों और फिर (जब हमने क़ारून की सरकशी और फ़साद की वजह से) उसको और उसकी महल सराए को ज़मीन में धांसा दिया, सो कोई जमाअत ऐसी न हुई कि उसको अल्लाह के अज़ाब से बचा लेती और न वह ख़ुद ही किसी तदबीर से बच सका। (बेशक अल्लाह तआला के अज़ाब से कौन बचा सकता है और कौन बच सकता है? क़ारून पर यह अज़ाब की हालत देखकर) कल जो लोग उस जैसा होने की तमन्ना कर रहे थे, वे कहने लगे, बस जी यों मालूम होता है कि (रिज़्क़ की फ़राख़ी और तंगी का मदार ख़ुश नसीबी या बद नसीबी पर नहीं, बल्कि अल्लाह तआला अपने बंदों में से जिसको चाहता है रोज़ी की फ़राख़ी देता है और जिसको चाहता है तंगी देता है) यह हमारी ग़लती थी कि उसकी फ़राख़ी को ख़ुश नसीबी समझ रहे थे (वाक़ई) अगर हम पर अल्लाह तआला की मेहरबानी न होती तो हमको भी धांसा देता। (कि गुनाहगार तो आख़िर हम भी हैं ही) बस जी मालूम हो गया कि काफ़िरों को फ़लाह नहीं है (गो यह चंद रोज़ा ज़िन्दगी

के मज़े लूट लें।) *(बयानुल क़ुर्आन)*

फ़ायदा:- हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बिरादरी से था, उनका चचा ज़ाद भाई था। (दुन्यवी) उलूम में बहुत तरक्क़ी की थी और हज़रत मूसा अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलाम पर हसद करता था। हज़रत मूसा अलै॰ ने उससे फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने मुझे तुमसे ज़कात वसूल करने का हुक्म दिया है। उसने ज़कात देने से इंकार कर दिया और लोगों से कहने लगा कि मूसा इस नाम से तुम्हारे मालों को खाना चाहता है। उसने नमाज़ का हुक्म दिया, तुमने बर्दाश्त किया, उसने और अहकाम जारी किये जिनको तुम बर्दाश्त करते रहे, अब वह तुम्हें ज़कात का हुक्म देता है, उसको भी बर्दाश्त करो। लोगों ने कहा कि यह हमसे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हीं कोई तर्कीब बताओ। उसने कहा, मैं ने यह सोचा है कि किसी फ़ाहिशा औरत को इस पर राज़ी किया जाये, जो हज़रत मूसा अलै॰ पर इसकी तोहमत लगाए कि वह मुझसे ज़िना करना चाहते हैं। लोगों ने एक फ़ाहिशा को बहुत कुछ इनाम का वायदा करके इस पर राज़ी कर लिया कि वह हज़रत मूसा अलै॰ पर यह इल्ज़ाम लगाये।

उसके राज़ी होने पर क़ारून हज़रत मूसा अलै॰ के पास गया। उनसे कहा कि अल्लाह तआला ने जो अहकाम आपको दिए हैं, वह बनी इस्राईल को सबको जमा करके सुना दीजिए। हज़रत मूसा अलै॰ ने इसको पसंद फ़रमाया और सारे बनी इस्राईल को जमा किया और जब सब जमा हो गये तो हज़रत मूसा अलै॰ ने अल्लाह तआला के अहकाम बताना शुरू किये कि मुझे ये अहकाम दिए हैं कि उसकी इबादत करो, किसी को उसका शरीक न करो, सिला-रहमी करो और दूसरे अहकाम गिनवाये जिनमें यह भी फ़रमाया कि अगर कोई बीवी वाला ज़िना करे तो उसको संगसार किया जाए। इस पर लोगों ने कहा, और अगर आप ख़ुद ज़िना करें ? हज़रत मूसा अलै॰ ने फ़रमाया अगर मैं ज़िना करूँ तो मुझे भी संगसार किया जाए। लोगों ने कहा कि आपने ज़िना किया है। हज़रत मूसा अलै॰ ने ताज्जुब से फ़रमाया कि मैं ने ? लोगों ने कहा जी हां आपने ! और यह कह कर उस औरत को बुला कर उससे पूछा कि तू हज़रत मूसा अलै॰ के मुताल्लिक़ क्या कहती है? हज़रत मूसा अलै॰ ने भी उसको क़सम देकर फ़रमाया कि तू क्या कहती है?

उस औरत ने कहा कि जब आप क़सम देते हैं तो बात यह है कि इन लोगों ने मुझसे इतने इतने इनाम का वायदा किया है कि अगर मैं आप पर यह इल्ज़ाम लगाऊँ। आप इस इल्ज़ाम से बिल्कुल बरी हैं। यह सुनकर हज़रत मूसा अलै॰ रोते हुए सज्दे में गिर गये। अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से सज्दे ही में वही आयी कि रोने की क्या बात है? तुम्हें इन लोगों को सज़ा देने के लिए हमने ज़मीन पर तसल्लुत दे दिया। तुम जो चाहो, उनके मुताल्लिक़ ज़मीन को हुक्म फ़रमाओ। हज़रत मूसा अलै॰ ने सज्दे से सिर उठाया और ज़मीन को हुक्म फ़रमाया कि इनको निगल जा। उसने एड़ियों तक निगला था कि वे आजिज़ी से मूसा अलै॰ को पुकारने लगे। हज़रत मूसा अलै॰ ने फिर हुक्म फ़रमाया कि इनको धंसा दे, हत्ताकि वे लोग गरदन तक धंस गये, फिर बहुत ज़ोर से वे हज़रत मूसा अलै॰ को पुकारते रहे। हज़रत मूसा अलै॰ ने फिर ज़मीन को यही फ़रमाया कि इनको ले ले। वह सबको निगल गयी, इस पर अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से हज़रत मूसा अलै॰ पर वही आयी कि वे तुम्हें पुकारते रहे और तुम से आजिज़ी करते रहे। मेरी इज़्ज़त की क़सम! अगर वे मुझे पुकारते तो मैं उनकी दुआ क़ुबूल कर लेता।

एक और हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि आयते शरीफ़ा में 'दुनिया से अपना हिस्सा न भूल' का मतलब यह है कि इसमें आख़िरत के लिए अमल कर। हज़रत मुजाहिद रह॰ से नक़ल किया गया कि अल्लाह की इताअत करना दुनिया का वह हिस्सा है जिसमें आख़िरत का सवाब मिलता है।

हज़रत हसन रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि दुनिया से अपना हिस्सा न भूल, यानी जितने की दुनिया में ज़रूरत है उसको बाक़ी रख और जो ज़्यादा है उसको आगे भेज दे।

एक और हदीस में उनसे नक़ल किया गया कि एक साल की रोज़ी बाक़ी रख ले और जो उससे ज़्यादा है, वह सदक़ा कर दे। *(दुर्रे मंसूर)*

इसका कुछ हिस्सा बुख़्ल के बयान में दूसरी फ़स्ल की आयात के सिलसिले में नं॰ 8 पर भी गुज़र चुका है।

अहादीस

(١) عن ابی ہریرةؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ذہب ولا فضة لایؤدی منہا حقہا الااذاکان یوم القیٰمة صفحت لہ صفائح من نارفاحمی علیہا فی نارجہنم فیکوی بہا جنبہ وجبینہ وظہرہ کلماردت اعیدت لہ فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنة حتی یقضی بین العباد فیری سبیلہ امّا الی الجنة واما الی النار الحدیث بطولہ فی المشکوٰة عن مسلم.

1. हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि कोई शख़्स जो सोने का मालिक हो या चांदी का और उसका हक़ (यानी ज़कात) अदा न करे तो क़ियामत के दिन उस सोने चांदी के पत्तरे बनाये जायेंगे और उनको जहन्नम की आग में ऐसा तपाया जाएगा गोया कि वह खुद आग के पत्तरे हैं फिर उनसे उस शख़्स के पहलू और पेशानी और कमर दाग़ दी जाएगी और बार बार इसी तरह तपा तपा कर दाग़ दिये जाते रहेंगे। क़ियामत के पूरे दिने में, जिसकी मिक़्दार दुनिया के हिसाब से पचास हज़ार साल होगी, इसके बाद उसको जहां जाना होगा, जन्नत में या जहन्नम में चला जायेगा।

फ़ायदा:- यह बड़ी लम्बी हदीस है, जिसमें ऊँट वालों पर ऊँट की ज़कात न देने का, गाय बकरी वालों पर उनकी ज़कात न देने का अज़ाब और उसकी कैफ़ियत बतायी गयी है। यहां आम तौर से जानवरों की इतनी मिक़्दारें, जिन पर ज़कात वाजिब हो, नहीं होतीं। अरब में इन्हीं की कसरत थी। अलबत्ता सोने चांदी और इसके मुतालिक़ात ऐसी चीज़ें हैं जो यहां आम तौर से होती हैं इसलिए इतनी ही हदीस पर क़नाअत की और इससे भी सब चीज़ों का अन्दाज़ा मालूम हो सकता है कि ज़कात न देने का क्या हश्र है कि यह वबाल और अज़ाब जो इस हदीस में ज़िक्र किया गया कि सोना चांदी जहन्नम की आग के टुकड़े बन कर दाग़ दिये जायेंगे।

यह तो सिर्फ़ क़ियामत के एक दिन का अज़ाब है, जो पेशी का दिन है, लेकिन उस दिन की मिक़्दार भी पचास हज़ार साल की होगी और इतने दिन ज़कात न देने का अज़ाब भुगत कर यह मालूम होगा कि अपने दूसरे आमाल इस

क़ाबिल हैं कि उनकी वजह से माफ़ी होकर जन्नत में जाने की इजाज़त हो जाए या वे अगर इस क़ाबिल नहीं और माफ़ी की कोई सूरत नहीं, या ज़कात न देने ही का अभी कुछ और अज़ाब भुगतना बाक़ी है, तो जहन्नम में फेंक दिया जायेगा। वहां जो कुछ गुज़रेगी, वह तो तहरीर व तक़रीर में आ ही नहीं सकती।

इस हदीस में क़ियामत का दिन पचास हज़ार साल का है और क़ुरआन पाक की आयते शरीफ़ा सूरः मआरिज के शुरू में भी क़ियामत के दिन को इसी मिक़्दार का बताया है। लेकिन कुछ अहादीस में आया है कि अल्लाह तआला के फ़रमांबरदार बंदों पर यह दिन ऐसा हल्का गुज़र जाएगा जैसा कि एक फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ली हो और कुछ लोगों पर उन के आमाल के लिहाज़ से ऐसा होगा जैसा ज़ुहर से अस्र तक का वक़्त। *(दुर्रे मंसूर)*

इतनी जल्दी गुज़र जाने का मतलब यह है कि वे उस दिन सैर व तफ़रीह में होंगे। और सैर व तफ़रीह के शौक़ीन सभी इससे वाक़िफ़ हैं कि लज़्ज़त के औक़ात मिनटों में ख़त्म हो जाया करेंगे।

एक हदीस में हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद है कि यह न होगा कि रूपया पर रूपया और अशर्फ़ी पर अशर्फ़ी रख दी जाए बल्कि उसके बदन को इतना वसीअ् कर दिया जाएगा जिस पर ये सब बराबर बराबर रखे जा सकेंगे और उन लोगों से कहा जाएगा अपने ख़ज़ानों का मज़ा चखो।

हज़रत सौबान रज़ि० से नक़ल किया गया कि जितना सोना चांदी उसके पास होगा, उसके हर क़ीरात का (जो तक़रीबन तीन रत्ती का होता है फैला कर) आग का एक टुकड़ा बना दिया जाएगा, फिर उससे उसके सारे बदन को मुंह से पांव तक दाग़ दिया जाएगा। इसके बाद चाहे उस की बख़्शिश हो जाए या जहन्नम में डाल दिया जाए। *(दुर्रे मंसूर)*

आग में तपा कर दाग़ दिए जाने का जो अज़ाब इस हदीस शरीफ़ में गुज़रा है, यह क़ुरआन पाक में भी आया है, जैसा कि दूसरी फ़स्ल की आयात में नं० 5 पर गुज़रा है। कुछ अहादीस में उसके माल का सांप बन कर तौक़ पहनाना भी आया है। जैसा कि आइन्दा आ रहा है।

(۲) عن ابی هریرةؓ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اٰتٰه الله مالا فلم یؤد زکوٰته مثل له ماله یوم القیٰمة شجاعًا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیٰمة ثم یاخذ بلهزمتیه یعنی شدقیه ثم یقول انا مالك انا کنزك ثم

تلا وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الایۃرواہ البخاری کذافی المشکوٰۃ
وقدروی من مسند ثوبان وابن مسعودؓ وابن عمرؓ بمعناہ فی الترغیب

2. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जिस शख़्स को अल्लाह जल्ल शानुहू ने माल दिया हो और वह उसकी ज़कात अदा न करता हो तो वह क़ियामत के दिन एक ऐसा सांप बना दिया जाएगा जो गंजा हो और उसकी आंखों पर दो स्याह नुक़्ते होंगे फिर वह सांप उसकी गरदन में तौक़ की तरह डाल दिया जायेगा, जो उसके दोनों जबड़ों को पकड़ लेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ तेरा ख़ज़ाना हूँ। इसके बाद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (इसकी ताईद में) क़ुरआन पाक की आयत 'व ला यह्स-बन्नल्लज़ी-न यब्ख़ लू-न' पढ़ी (आयत)

फ़ायदाः- यह आयते शरीफ़ा मय इसके तर्जुमे के दूसरी फ़स्ल के नं॰ 3 पर गुज़र चुकी है। उस सांप की एक सिफ़त तो यह बयान की कि वह शुजाअ हो, जिससे बाज़ उलमा ने नर सांप मुराद लिया है और बाज़ ने कहा है कि शुजाअ वह सांप कहलाता है जो दुम के ऊपर सीधा खड़ा होकर मुक़ाबला करे। *(फ़त्हुल बारी)*

और दूसरी सिफ़त उस सांप की यह फ़रमायी कि वह गंजा होगा और गंजा इस वास्ते कहा कि सांप जब बहुत ज़्यादा ज़हरीला होता है तो ज़हर की शिद्दत से उसके सर के बाल उड़ जाया करते हैं।

और तीसरी सिफ़त उस सांप की यह बयान फ़रमायी कि उस पर दो नुक़्ते स्याह होंगे। उस पर दो नुक़्ते स्याह होना भी सांप के ज़्यादा जहरीला होने की अलामत है ऐसे सांप की उम्र भी ज़्यादा होती है और बाज़ उलमा ने दो नुक़्तों के बजाए सांप के मुंह में ज़हर की कसरत से दोनों जानिब ज़हर का झाग तर्जुमा किया है, और बाज़ ने दो दांत जो उसके मुंह से बाहर दोनों जानिब निकले हुए हों, और बाज़ ने दो ज़हर की थैलियां, जो दोनों जानिब लटकी हुई हों, तर्जुमा किया है। *(फ़त्हुल बारी)*

इस हदीसे पाक में ज़कात न देने पर उस माल का सांप बनकर तौक़ पहनाना ज़िक्र किया है और पहली हदीस में आग पर तपा कर दाग़ देना गुज़रा है और दोनों क़िस्म के अज़ाब क़ुरआन पाक की दो आयतों में भी गुज़र चुके

हैं और दोनों आयतें दूसरी फ़स्ल की आयात के ज़ैल में गुज़री हैं। दो अज़ाबों में कोई इश्काल नहीं। मुख़्तलिफ़ औक़ात के एतिबार से भी फ़र्क़ हो सकता है और मुख़्तलिफ़ अन्वाए माल के एतिबार से भी और मुख़्तलिफ़ आदमियों के एतिबार से भी और दोनों अज़ाब जमा भी हो सकते हैं।

हज़रते अक़्दस शाह वलिय्युल्लाह साहब रह० 'हुज्जतुल्लाहिल बालिग़:' में फ़रमाते हैं कि सांप बन कर पीछे लग़ने में और पत्तरे बन कर दाग़ देने में फ़र्क़ इस वजह से है कि आदमी को अगर मुज्मलन माल से मुहब्बत हो, उसकी तफ़ासील से ख़ुसूसी ताल्लुक़ न हो, उसका माल तो एक शै-वाहिद (एक चीज़) सांप बन कर उसके पीछे लग जाएगा और जिसको माल की तफ़ासील से ताल्लुक़े ख़ातिर (दिली तअल्लुक़) हो, वह रूपया और अशर्फ़ी को गिन गिन कर रखता हो और जो मिल जाए उसके रूपये बना कर रखता हो, तो उसका माल पत्तरे बना कर दाग़ दिया जायेगा।

एक हदीस में है कि जो शख़्स अपने पीछे ख़ज़ाना छोड़ जाएगा, तो वह ख़ज़ाना एक गंजा, दो नुक़्तों वाला सांप बन कर क़ियामत के दिन उस शख़्स के पीछे लग जाएगा, वह शख़्स घबरा कर कहेगा, तू क्या बला है? वह कहेगा मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ? जिसको छोड़ कर आया था। वह सांप अव्वल उसके हाथ को खा लेगा, फिर सारे बदन को। *(तर्ग़ीब)*

क़ियामत के अज़ाबों में कसरत से यह बात है कि जो शख़्स किसी अज़ाब की वजह से रेज़ा रेज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, फिर अज़ाब के मुसल्लत होने के वास्ते अपनी असली हालत पर औद (लौट) करके दोबारा अज़ाब का महल बनेगा।

(۳) عن عبداللہ بن مسعودؓ قال امرنا باقام الصلوٰۃ وایتاء الزکوٰۃ ومن لم یزک فلا صلوٰۃ لہ رواہ الطبرانی فی الکبیر باسانید احدھا صحیح کذا فی الترغیب

3. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० इर्शाद फ़रमाते हैं कि हमें नमाज़ क़ायम करने का और ज़कात अदा करने का हुक्म है और जो शख़्स ज़कात अदा न करे उसकी नमाज़ भी (क़ुबूल) नहीं।

फ़ायदा:- यानी नमाज़ पर जो सवाब अल्लाह जल्ल शानुहू के यहां से मिलता, वह भी नहीं मिलेगा, अगरचे फ़र्ज़ अदा हो जायेगा।

एक और हदीस में है कि जो शख़्स ज़कात अदा न करे वह (कामिल) मुसलमान नहीं। उसको उसके नेक अमल फ़ायदा न देंगे। *(तर्ग़ीब)*

यानी दूसरे आमाल से ज़कात न देने का वबाल नहीं टलेगा। उसका मुतालबा बदस्तूर रहेगा।

एक और हदीस में है कि बग़ैर ज़कात अदा करने के दीन (कामिल) नहीं है। *(कंज़)*

एक और हदीस में है कि हक़ तआला शानुहू उस शख़्स की नमाज़ को क़ुबूल नहीं फ़रमाते जो ज़कात न देता हो। जब अल्लाह तआला शानुहू ने (बीसियों जगह क़ुरआन पाक में) नमाज़ और ज़कात को जमा फ़रमाया है तो उसको अलाहिदा न करो। *(कंज़)*

अलाहिदा करने का मतलब यह है कि नमाज़ पढ़ी जाये और ज़कात अदा न की जाए।

(٤) عن علیؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض علی اغنیاء المسلمین فی اموالھم القدر الذی یسع فقراء ھم ولن یجھد الفقراء اذاجاعوا اوا عروا الا بما یمنع اغنیاء ھم الاوان اللہ یحاسبھم حسابا شدیدا و یعذبھم عذابا الیما ۔ کذا فی الدروقال اخرجہ الطبرانی فی الاوسط وابوبکر الشافعی فی الغیلانیات قلت ولفظ المنذری فی الترغیب ویعذبھم بالواو وقال رواہ الطبرانی فی الاوسط والصغیر وقال تفردبہ ثابت بن محمد الزاھد قال الحافظ ثابت ثقۃ صدوق روی عنہ البخاری وغیرہ وبقیۃ رواتہ لاباس بھم وروی موقوفا علی علیؓ وھواشبہ کذا فی الترغیب وعزاہ صاحب کنزالعمال الی الخطیب فی تاریخہ وابن النجار وقال فیہ محمد بن سعید البورقی کذاب یضع اھ

4. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने दौलत मंदों पर उनके मालों में इतनी मिक़्दार को फ़र्ज़ कर दिया है जो उनके फ़ुक़रा को काफ़ी है, और नहीं मशक़्क़त में डालती फ़ुक़रा को, जब कि वे भूखे या नंगे हों, मगर सिर्फ़ यह बात कि उनके ग़नी अपने फ़रीज़े को रोकते हैं यानी पूरा अदा नहीं करते। ग़ौर से सुन लो कि हक़ तआला शानुहू इन दौलत-मंदो से सख़्त मुहासबा फ़रमायेंगे और (फ़र्ज़ की कोताही पर) सख़्त अज़ाब देंगे।

फ़ायदाः- हासिल यह है कि हक़ तआला शानुहू ने अपने अल्ला मुल

ग़ूयूब होने की वजह से ज़कात की जो मिक़्दार फ़र्ज़ फ़रमा दी है, वह यक़ीनन इतनी काफ़ी मिक़्दार है कि अगर लोग उसको पूरा पूरा अदा करते रहें और उसूल से अदा करते रहें तो कोई शख़्स भूखा और नंगा नहीं रह सकता और यह बिल्कुल ज़ाहिरी और यक़ीनी चीज़ है।

हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ की हदीस में यह मक़्सूद ज़्यादा वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ज़िक्र किया गया है। यह तवील हदीस है कि जिसको फ़क़ीह अबुल्लैस समरक़न्दी रह॰ ने 'तंबीहुल ग़ाफ़िलीन' में मुफ़स्सल ज़िक्र किया है। उसमें मिन जुम्ला और सवालात के एक यह भी है, मैं ने अर्ज़ किया या नबीयल्लाह, आपने ज़कात का हुक्म फ़रमाया, ज़कात क्या है? हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया, अबूज़र, जो शख़्स अमानतदार नहीं, उसका ईमान नहीं और जो शख़्स ज़कात अदा नहीं करता, उसकी नमाज़ (मक़्बूल) नहीं। हक़ तआला शानुहू ने ग़नी लोगों पर उनके मालों की ज़कात इतनी मिक़्दार में वाजिब कर दी है जो उनके फ़ुक़रा को काफ़ी हो जाए। हक़ तआला शानुहू क़ियामत के दिन उनके माल की ज़कात का मुतालबा करेगा और उस पर उनको अज़ाब फ़रमाएगा।

यह हदीस साफ़ तौर से इस पर दलालत करती है कि हुज़ूर सल्ल॰ का यह इर्शाद ज़कात ही के मुताल्लिक़ है।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ एह्या में फ़रमाते हैं कि हक़ तआला शानुहू ने ज़कात में कोताही करने वालों के लिए सख़्त वईद इर्शाद फ़रमायी है, चुनांचे इर्शाद है:-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ

'वल्लज़ी-न यक्नि ज़ू-न ज़्ज़-ह-ब' *(आयात)*

और अल्लाह तआला के रास्ते में ख़र्च करने से मुराद ज़कात का अदा करना है। इसके बाद फ़रमाते हैं कि ज़कात अपने मुतल्लिक़ात के एतिबार से छः क़िस्म पर है -

1. जानवरों की ज़कात, 2. सोने चांदी की ज़कात, 3. तिजारती माल की ज़कात, 4. रिकाज़ व मादन की ज़कात, 5. पैदावार की ज़कात, 6. सदक़ा-ए-फ़ित्र। *(एहया)*

ये सब चीज़ें अइम्मा-ए-अर्बआ (चारों इमामों) के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैहि हैं अलावा मादनके कि इसमें हनफ़ीया के नज़दीक बजाए ज़कात के

ख़ुम्स यानी पांचवां हिस्सा वाजिब है, जो वजूब के एतिबार से ज़कात ही जैसा है, और यक़ीनन अगर मुसलमान इन सब अन्वाअ को एहतिमाम और पाबंदी से निकालते रहें तो किसी ग़रीब को इज़्तिरार से मरने की नौबत न आए।

बाज़ उलमा को हज़रत अली रज़ि॰ की इस रिवायत से यह इश्तिबाह पैदा हो गया कि इससे ज़कात से ज़ायद मिक़्दार का ईजाब मक़्सूद है, यह सही नहीं। इसलिये कि अगर यह मुराद हो तो वह ख़ुद हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू रज़ि॰ की दूसरी रिवायत के ख़िलाफ़ हो जाएगा।

हज़रत अली रज़ि॰ से हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद नक़ल किया गया कि ज़कात के वाजिब होने ने इसके अलावा सदक़ात को मंसूख़ कर दिया। यह हदीस मर्फ़ूअन भी नक़ल की गयी और इमाम राज़ी रह॰ जस्सास ने 'अह्कामुल क़ुरआन' में लिखा है कि हज़रत अली रज़ि॰ का क़ौल होना बेहतर सनद से नक़ल किया गया। साहिबे कंज़ुल उम्माल रह॰ ने मुतअद्द कुतुब से इस रिवायत को नक़ल किया है, जिसके अल्फ़ाज़ ये हैं कि ज़कात ने हर उस सदक़े को मंसूख़ कर दिया जो क़ुरआन पाक में है, और "ग़ुस्ले जनाबत" ने उस के अलावा और ग़ुस्लों को मन्सूख़ कर दिया और रमज़ान के रोज़े ने हर रोज़े को मंसूख़ कर दिया। और क़ुर्बानी ने हर ज़बीहा को मंसूख़ कर दिया।

ख़ुद हज़रत अली रज़ि॰ का इर्शाद है कि जो शख़्स सारी दुनिया का माल ले ले और उसकी नीयत महज़ रिज़ा-ए-इलाही हो वह ज़ाहिद है जैसा कि आइन्दा फ़स्ल के शुरू में आ रहा है।

बाज़ उलमा ने फ़रमाया है कि ज़कात की फ़र्ज़ियत से पहले अपनी ज़रूरत के बक़द्र रख कर बाक़ी का ख़र्च करना ज़रूरी था। जिसको ज़कात की फ़र्ज़ियत ने मंसूख़ कर दिया, जैसा कि अल्लामा सुयूती रह॰ ने:-

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ (اعراف ع ٢٤)

"ख़ुज़िल् अफ़ू व-वअ्मुर बिल् उर्फ़ि" *(सूरः आराफ़, रूकूअ् 24)*

की तफ़्सीर में सद्दी रह॰ से नक़ल किया। लिहाज़ा अगर इससे ईजाब मुराद हो भी तो वह मंसूख़ है। नीज़ हदीसे बाला से ज़कात से ज़ाइद का मुराद लेना हुज़ूर सल्ल॰ के उस इर्शाद के भी ख़िलाफ़ होगा। जिसमें वारिद हुआ है कि जिस शख़्स ने ज़कात अदा कर दी, उसने उस हक़ को अदा कर दिया, जो उस पर है और जो ज़ायद है, वह फ़ज़्ल है। *(कंज़)*

इस मज़्मून की मुतअद्द रिवायात पहले भी गुज़र चुकी हैं और इससे वाज़ेह वह रिवायत है जो हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ के वास्ते से नक़ल की गयी और वह हज़रत अली रज़ि॰ की हदीस के हम मआनी है, जिसमें इर्शाद है कि अगर हक़ तआला शानुहू यह जानते कि अग़निया की ज़कात फ़ुक़रा के लिए काफ़ी न होगी, तो ज़कात के अलावा और चीज़ उन पर फ़र्ज़ करते, पस अगर अब फ़ुक़रा भूखे होते हैं तो अग़निया के ज़ुल्म की वजह से होते हैं। *(कंज़)*

यानी अग़्निया ज़कात को पूरा अदा नहीं करते, इसकी वजह से फ़ुक़रा पर फ़ाक़ों की नौबत आती है। इसी वजह से मुहद्दिस हसैमी रह॰ ने 'मजम-उज़्ज़-वाइद' में हज़रत अली रज़ि॰ की इस हदीस पर फ़रज़ियते ज़कात का तर्जुमा बांधा, बल्कि इस बाब को इसी हदीस से शुरू किया, जिससे उसका महमले ज़कात होना ज़ाहिर है और साहिबे कंज़ुल उम्माल रह॰ ने भी इसी वजह से 'किताबुज़्ज़कात' ही में इसको ज़िक्र किया।

हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर्र रह॰ फ़रमाते हैं कि हक़ तआला शानुहू का इर्शाद 'वल्लज़ी-न यक्निज़ू नज़्ज़-ह-ब वल फ़िज़्ज़-त' और इस क़िस्म के दूसरे इर्शादात उस हालत पर महमूल हैं जबकि ज़कात अदा न की जाए। जम्हूर फ़ुक़हा-ए-अम्सार का यही मज़हब है और यही क़ौल है हज़रत उमर रज़ि॰, हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰, हज़रत जाबिर रज़ि॰, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि॰, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि॰ का, और इस की ताईद उस हदीस से होती है जिसको अबू दाऊद वग़ैरह ने ज़िक्र किया कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि मैं सोने का एक ज़ेवर पहन रही थी। मैं ने हुज़ूर सल्ल॰ से दर्याफ़्त किया कि यह भी कंज़ में दाख़िल है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया जो चीज़ मिक़्दारे ज़कात को पहुँच जाए और उसकी ज़कात अदा कर दी जाए, वह कंज़ में दाख़िल नहीं है, नीज़ इसकी ताईद अबू हुरैरह रज़ि॰ की उस हदीस से भी होती है, जिसको तिर्मिज़ी रह॰ ने और हाकिम रह॰ ने ज़िक्र किया, जिसमें हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद नक़ल किया गया कि जब तूनें ज़कात अदा कर दी, तो उस हक़ को पूरा कर दिया, जो तुझ पर वाजिब था।

नीज़ हज़रत जाबिर रज़ि॰ को हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद नक़ल किया गया कि जब तूने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, तो उस की बुराई को ज़ायल कर दिया। हाकिम रह॰ ने इस हदीस को मर्फ़ूअन मुस्लिम की शर्त पर नक़ल किया है, और बैहक़ी रह॰ ने इसको हज़रत जाबिर रज़ि॰ पर मौक़ूफ़

बताया है और अबू ज़ुर्अः रह० ने भी हज़रत जाबिर रज़ि० पर मौक़ूफ़न इन अल्फ़ाज़ के साथ सही बताया है कि जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाए, वह कंज़ नहीं है और यही मज़्मून हज़रत इब्ने उमर रज़ि० और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से भी नक़ल किया गया।

अता रह० और मुजाहिद रह० से नक़ल किया गया कि जिस माल की ज़कात अदा कर दी गयी हो वह कंज़ नहीं है, अगरचे ज़मीन के अंदर गाड़ रखा हो और जिसकी ज़कात अदा न की गयी हो वह कंज़ है, अगरचे ज़मीन के ऊपर रखा हो। और ज़ाहिर है कि शरअी इस्तिलाह लुग़्वी इस्तिलाह पर मुक़द्दम है (यानी लुग़त में अगरचे कंज़ उसको कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ हो, लेकिन शरीअत में वह माल है, जिसकी ज़कात अदा न की गयी हो) और मैं ने चंद हज़रात के सिवा किसी को इस का मुख़ालिफ़ नहीं पाया कि कंज़ वही है जिसकी ज़कात अदा न की गयी हो, अलबत्ता चंद हज़रात हज़रत अली रज़ि०, हज़रत अबूज़र रज़ि० और हज़रत ज़ह्हाक रज़ि० और बाज़ दूसरे ज़ाहिद इस तरफ़ गये हैं कि माल में ज़कात के अलावा भी कुछ हुक़ूक़ हैं, उनमें से हज़रत अबूज़र रज़ि० तो यहां तक फ़रमाते हैं कि जो माल रोज़ी और ज़िन्दगी से ज़ायद हो, वह सारा ही कंज़ है, और हज़रत अली रज़ि० से नक़ल किया गया कि चार हज़ार की मिक़्दार से ज़ायद कंज़ है, और ज़ह्हाक रज़ि० कहते हैं कि दस हज़ार दिरम की मिक़्दार माले कसीर है, नीज़ इब्राहीम नख़अी रह०, मुजाहिद रह०, शअबी रह० और हसन बसरी रह० भी इसके क़ायल हैं कि माल में ज़कात के अलावा कुछ हुक़ूक़ हैं।

इब्ने अब्दुल बर्र रह० कहते हैं कि इनके अलावा बक़ीया सब उलमा-ए-मुतक़द्दिमीन और मुतअख़्ख़िरीन का मज़हब कंज़ के बारे में वही है, जो पहले गुज़रा (कि कंज़ वह है जिसकी ज़कात अदा न की गयी हो) और जिन आयात और अहादीस से यह दूसरा फ़रीक़ इस्तिदलाल करता है, वह जम्हूर के नज़दीक इस्तिहबाब पर महमूल है, या ज़कात के वाजिब होने से पहले का हुक्म है जो ज़कात के वाजिब होने से मंसूख़ हो गया, जैसा कि आशूरा का रोज़ा रमज़ान के रोज़े से मंसूख़ हो गया। अलबत्ता फ़ज़ीलत का दर्जा अब भी बाक़ी है।

(इत्तिहाफ़)

इसकी ताईद इससे भी होती है कि जब फ़ुक़रा-ए-मुहाजिरीन बे माल व ज़र हिजरत फ़रमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गये और हुज़ूरे अक़्दस

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुवासात के तौर पर मुक़ामी अंसार से जो मालदार थे, उनका भाई चारा किया तो अंसार ने यह दर्ख़्वास्त की कि हमारे अम्वाल को भी उन पर आधा तक़्सीम कर दीजिए। हुज़ूर सल्ल० ने इसका इंकार फ़रमा दिया, बल्कि यह तय फ़रमाया कि मुहाजिरीन उनके बाग़ात में काम करेंगे और बटाई के तौर पर फलों में शिर्कत होगी।

इसी ज़ैल में हुज़ूर सल्ल० ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि० और हज़रत सअद बिन रबीअ् रज़ि० के दर्मियान मुवाख़ात (भाईचारा) फ़रमायी तो हज़रत सअद रज़ि० ने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ि० से कहा कि सबको यह बात मालूम है कि अंसार में सबसे ज़्यादा मालदार मैं हूँ। मैं अपना माल आधा तुम्हें देता हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ि० ने उसको क़ुबूल फ़रमाने से इंकार कर दिया और फ़रमाया कि मुझे बाज़ार का रास्ता बता दो। वहां जाकर ख़रीद व फ़रोख़्त का काम शुरू कर दिया। अगर मालदारों के ज़ायद अम्वाल में फ़ुक़रा का बिला इज़्तिरार हक़ था तो फिर क्यों हुज़ूर सल्ल० ने इंकार फ़रमाया और क्यों हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि० ने अपना हक़ लेने से इंकार फ़रमाया?

अस्हाबे सुफ़्फ़ा के वाक़िआत इतनी कसरत से कुतुबे अहादीस व सियर में मौजूद हैं कि उनका इहाता भी मुश्किल है। इन हज़रात पर कई कई दिन के फ़ाक़े गुज़र जाते थे, भूख की वजह से गिर जाते थे और अंसार में बहुत से हज़रात मालदार भी थे, लेकिन हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी पर जब्र नहीं फ़रमाया कि अपने माल का ज़रूरत से ज़ायद हिस्सा इन लोगों पर तक़्सीम कर दो, तर्ग़ीबात अलबत्ता कसरत से फ़रमाते थे।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० फ़रमाते हैं कि अस्हाबे सुफ़्फ़ा सत्तर आदमी थे, जिनमें से किसी एक के पास भी चादर न थी। *(दुर्रे मंसूर)*

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने ख़ुद अपने वाक़िआत इस हाल के कसरत से बयान किए हैं जो कुतुबे अहादीस में मौजूद हैं। एक मर्तबा का वाक़िआ इर्शाद फ़रमाते हैं कि उस ज़ात की क़सम, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि मैं अपने जिगर के बल ज़मीन पर भूख की शिद्दत से पड़ा रहता था और कभी अपने पेट पर पत्थर बांध लिया करता था। एक मर्तबा मैं रास्ते में इस उम्मीद पर बैठ गया कि शायद कोई मुझे अपने साथ ले जाए। इतने में हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० तशरीफ़ लाये। मैं ने एक आयत उनसे महज़ इसलिए दर्याफ़्त की कि शायद वह मुझे अपने साथ ले जाएं। मगर वह वैसे ही चले गये। उनके बाद हुज़ूरे अक़्दस

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये और मेरी हालत देख कर तबस्सुम फ़रमाया और इर्शाद फ़रमाया कि मेरे साथ आ जाओ। मैं हमराह चल दिया। हुज़ूर सल्ल॰ मकान पर तशरीफ़ ले गये। वहां एक प्याला दूध का रखा हुआ था। हुज़ूर सल्ल॰ ने दर्याफ़्त फ़रमाया, यह कहाँ से आया? घरवालों ने अर्ज़ किया, फ़लां ने हद्या भेजा है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि अबू हुरैरह, सब अस्हाबे सुफ़्फ़ा को बुला लाओ।

अबू हुरैरह रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि अस्हाबे सुफ़्फ़ा इस्लामी मेहमान थे, न उनके अहल व अयाल थे, न उनके पास माल व ज़र था, न किसी के ज़िम्मे उनका खाना मुक़र्रर था, न किसी के ज़िम्मे उनका बार था। जब हुज़ूर सल्ल॰ के पास कहीं से सदक़े की कोई चीज़ आती तो उनको मरहमत फ़रमा देते, ख़ुद उसमें से नोश न फ़रमाते और जब हदया की कोई चीज़ आती तो ख़ुद भी उसको हुज़ूर सल्ल॰ तनावुल फ़रमाते और उन लोगों को भी शरीक फ़रमा लेते।

हुज़ूर सल्ल॰ ने उस वक़्त जब यह फ़रमाया कि अस्हाबे सुफ़्फ़ा को बुला लाओ तो मुझे बहुत गरानी हुई कि यह एक प्याला दूध अस्हाबे सुफ़्फ़ा का क्या बनाएगा? हुज़ूर सल्ल॰ मुझे मरहमत फ़रमा देते, मुझमें पीकर कुछ जान आ जाती। अब मैं उन सब को लेकर आऊँगा तो हुज़ूर सल्ल॰ मुझ ही को हुक्म फ़रमायेंगे कि सब को दे दो। मैं जब उनको तक़्सीम करूँगा तो मेरा नम्बर अख़ीर में आएगा, न मालूम कुछ बचेगा भी या नहीं। मगर तामीले हुक्म के बग़ैर चारा-ए-कार क्या था? मैं उन सबको बुला लाया। जब वे सब आकर हुज़ूर सल्ल॰ की मज्लिस में बैठ गये तो हुज़ूर सल्ल॰ ने वह प्याला मुझे मरहमत फ़रमाया कि इन सबको पिला दो। मैं ने सबको पियाला और हर एक सेर हो गया। आख़िर में हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि अबू हुरैरह रह॰, अब तो तुम और मैं ही बाक़ी रह गये। मैं ने अर्ज़ किया, बेशक! हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया लो बैठ कर पी लो। मैं ने ख़ूब सेर होकर पिया। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि और पियो। मैं ने और पिया। हुज़ूर सल्ल॰ ने फिर फ़रमाया कि और पी लो। मैं ने फिर और पिया। हत्ताकि मैं ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर अब मुझ में और पीने की गुंजाइश नहीं, तो फिर बक़ीया हुज़ूर सल्ल॰ ने पिया।

एक और मर्तबा का अपना क़िस्सा बयान करते हैं कि मुझ पर तीन दिन का फ़ाक़ा था। मुझे कुछ खाने को न मिला। मैं सुफ़्फ़े पर जा रहा था कि रास्ते में गिर गया। बच्चे कहने लगे कि अबू हुरैरह को जुनून हो गया। मैं ने कहा,

जुनून तो तुम्हें हो रहा है, बिल आख़िर मैं सुफ़्फ़े तक पहुँचा। वहां हुज़ूर सल्ल॰ के पास दो प्याले सरीद के कहीं से आये हुए थे और हुज़ूर सल्ल॰ अस्हाबे सुफ़्फ़ा को खिला रहे थे मैं भी सर ऊपर को ठठा रहा था कि हुज़ूर सल्ल॰ की नज़र मुझ पर पड़ जाए और हुज़ूर सल्ल॰ मुझको भी बुला लें, हत्ताकि सब फ़ारिग़ हो गये और प्यालों में कुछ भी न बचा। हुज़ूर सल्ल॰ ने उन प्यालों को अपने दस्ते मुबारक से चारों तरफ़ से पोंछा तो एक लुक़्मा बन गया। हुज़ूर सल्ल॰ ने अपनी उंगलियों पर रख कर मुझसे फ़रमाया कि अल्लाह का नाम लेकर इसको खाओ मैं ने उसको खाया तो पेट भर गया।

हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब सुबह की नमाज़ पढ़ कर तशरीफ़ फ़रमा होते तो अस्हाबे सुफ़्फ़ा में से बाज़ लोग भूख की शिद्दत से खड़े खड़े गिर जाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनकी तरफ़ इल्तिफ़ात फ़रमा कर इर्शाद फ़रमाते कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह तआला के यहां तुम्हारे लिए क्या दर्जा है तो इससे ज़्यादा फ़क़्र व फ़ाक़े को पसंद करने लगो। *(तर्ग़ीब)*

पहली फ़स्ल की आयात में नं॰ 30 पर क़बीला मुज़र की एक जमाअत का मुफ़स्सल क़िस्सा गुज़र चुका, जो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में भूखे और नंगे हाज़िर हुए कि उनके पास पहनने के लिए कपड़ा न था, खाने की कोई चीज़ न थी। फ़ाक़े की वजह से मशक़्क़त में पड़े हुए थे। हुज़ूर सल्ल॰ ने अपने घरों में उनके लिए तलाश किया, कुछ न मिला, तो मज्मा इकट्ठा किया और सदक़े को तर्ग़ीब दी और बहुत ज़ोर से तर्ग़ीब दी, जिस पर दो ढेर सामान के जमा हो गये और वे उन लोगों पर तक़्सीम फ़रमा दिए, न किसी पर जब्र फ़रमाया न किसी से उसके पास ज़रूरत से ज़ायद का मुहासबा फ़रमाया।

हज़रत अनस रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक अंसारी ने आकर हुज़ूर सल्ल॰ से सवाल किया। हुज़ूर सल्ल॰ ने दर्याफ़्त फ़रमाया कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं है? उन्होंने अर्ज़ किया एक टाट है, जिसको आधे को बिछा लेते हैं और आधा ओढ़ लेते हैं, और एक प्याला है पानी पीने को। हुज़ूर सल्ल॰ ने दोनों चीज़ें मंगायीं और दो दिरम में नीलाम कर दीं और वे उन को दिए कि एक दिरम का ग़ल्ला ख़रीद कर घर दे आवें और दूसरे दिरम का कुल्हाड़ी का फलड़ा ख़रीद कर लाएं। वह लेकर आये, तो हुज़ूर सल्ल॰ ने अपने दस्ते मुबारक से उसमें

लकड़ी यानी दस्ता लगाया। और फ़रमाया कि जाओ लकड़ियां काट कर बेचो, पंद्रह दिन तक तुम्हें यहां न देखूं, उन्होंने इर्शाद की तामील की और पन्द्रहवें दिन दस दिरम कमाकर लाये, जिनमें से कुछ का ग़ल्ला, कुछ का कपड़ा ख़रीदा। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया यह अच्छा है सवाल करने से, कि भीख मांगने से क़ियामत के दिन तुम्हारे चेहरे पर दाग़ होता। इसके बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि सवाल की सिर्फ़ तीन आदमियों के लिए गुंजाईश है:-

لِذِی فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْلِذِیْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ اَوْ لِذِیْ دَمٍ مُوْجِعٍ

"लि ज़ी फ़क़्रिन् मुद्क़िअिन् औ लि ज़ी ग़ुर्मिन् मुफ़्ज़िअिन् औ लि ज़ी दमिन् मूजिअिन्॰"

एक उस शख़्स के लिए जिसका फ़क़्र हलाक करने वाला हो, दूसरे उसके लिए जिस पर कोई तावान सख़्त पड़ गया हो, तीसरे जो दर्दनाक ख़ून के मामले में फंस गया हो।

इन तीन हालतों में भी हुज़ूर सल्ल॰ ने सवाल ही की इजाज़त दी और ख़ुद यह साहिबे वाक़िआ, जिस फ़क़्र में मुब्तला थे, उनको न तो सवाल की इजाज़त दी, न किसी पर उनका नफ़्क़ा वाजिब फ़रमाया। ग़रज़ हज़ारों वाक़िआत कुतुबे अहादीस में इसके शाहिद हैं कि जहां तक वुजूब का ताल्लुक़ है, वह सिर्फ़ ज़कात है। इस पर इज़ाफ़ा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मशहूर क़ौल 'अल् मुत-अद्दी फ़िस्स-द-क़ति क-मानिअिहा' (सदक़े में तअद्दी और इफ़रात करने वाला ऐसा ही है जैसा कि उसको न देने वाला) का मिस्दाक़ है।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत ज़हहाक बिन क़ैस रज़ि॰ को सदक़ात वसूल करने के लिए भेजा, वह इस माल में बेहतरीन ऊँट छांट लाए हुज़ूर सल्ल॰ ने उसको देखकर फ़रमाया कि तुम उन लोगों का उम्दा माल ले आए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! इस वक़्त आप जिहाद में तशरीफ़ ले जाने का इरादा फ़रमा रहे हैं। मैं इस लिए ऐसे ऊँट लाया हूँ। जिन पर सवारी हो सके। और सामान लादा जा सके। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, इनको वापस करके आओ और मामूली माल लेकर आओ। *(मज्मउज़्ज़वाइद)*

हालांकि जिहाद की ज़रूरत भी ज़ाहिर, और इस मौक़े पर हुज़ूर सल्ल॰ ने ऐसी ऐसी तर्ग़ीबात इर्शाद फ़रमाई हैं कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ अपने

घर का सारा असासा (यानी सामान) ले आये और हज़रत उमर रज़ि॰ ने हर चीज़ का आधा हिस्सा पेश कर दिया।

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि॰ ने एक मर्तबा अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे पास चार हज़ार हैं। दो हज़ार घर के इख़राजात के वास्ते रखता हूँ, दो हज़ार अल्लाह के वास्ते पेश करता हूँ और एक सहाबी रज़ि॰ ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मैं ने रात भर मज़दूरी करके दो साअ (सात सेर) खजूरें मज़दूरी में कमायी हैं, आधी घर के ख़र्च के वास्ते छोड़ आया हूँ, आधी हाज़िर हैं। *(दुर्रे मंसूर)*

हज़रत अबू मसऊद रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ सदक़े का हुक्म फ़रमाते और हममें से बाज़ के पास कुछ भी न होता, तो वह सिर्फ़ उसके लिए बाज़ार जाता, मज़दूरी करता, और मज़दूरी में एक मुद (डेढ़ पाव) खजूर कमाता और सदक़ा कर देता। *(बुख़ारी)*

पहली फ़स्ल की अहादीस में नं॰ 24 पर यह मज़्मून तफ़्सील से गुज़र चुका है, लेकिन इस सबके बावजूद ज़ाब्ते के तौर पर यहां मामूली ऊँट की जगह उम्दा ऊँट भी क़ुबूल नहीं फ़रमाया, इसलिए जहां तक वजूब का ताल्लुक़ है वह माली हैसियत से सिर्फ़ ज़कात है और जहां तक ख़र्च करने का ताल्लुक़ है मुसलमान इस लिए पैदा ही नहीं हुआ कि वह माल जमा करके रखे। क़ुरआन पाक की आयात और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्शादात जो पहली फ़स्ल में गुज़र चुके, वे बड़े ज़ोर से इसकी तर्ग़ीब व ताकीद कर रहे हैं कि माल सिर्फ़ इसलिए है कि उसको अल्लाह की रिज़ा के कामों में ख़र्च कर दिया जाए। ख़ुद अपनी ताक़त के मुवाफ़िक़ तंगी उठाली जाए, दूसरों पर ख़र्च किया जाए। अपने काम सिर्फ़ वही आएगा जो अल्लाह के ख़ज़ाने में जमा कर दिया जाएगा कि उसके बैंक में जमा कर देने पर न उसके ज़ाया हो जाने का अंदेशा है, न बैंक के फ़ैल हो जाने का एहतिमाल है। और ऐसी ज़रूरत के वक़्त काम आएगा, जिस वक़्त कि आदमी इन्तिहाई मुहताज होगा।

ख़ुद हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस का इर्शाद हुज़ूर सल्ल॰ नक़ल फ़रमाते हैं कि-ऐ-आदमी, तू अपना ख़ज़ाना मेरे पास बहा दे, न तो उसको आग लग जाने का ख़ौफ़ रहेगा, न चोरी का, न दरियाबुर्द होने का और मैं ऐसे वक़्त तुझको पूरा का पूरा दे दूँगा, जब तू बेहद मुहताज होगा। *(तर्ग़ीब)*

हक़ तआला शानुहू का पाक इर्शाद पहली फ़स्ल के नं॰ 30 पर गुज़र चुका, कि हर शख़्स यह ग़ौर कर ले कि उसने कल क़ियामत के दिन के लिए क्या चीज़ आगे भेजी है। उन लोगों की तरह न बनो, जिन्होंने अल्लाह तआला को भुला दिया। अल्लाह तआला ने ख़ुद उनकी जानें भुला दीं। दूसरी आयत में नं॰ 31 पर गुज़रा कि तुम्हारे माल व मताअ, आल व औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान की चीज़ें हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते रहो, यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा।

हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद इसी फ़स्ल की अहादीस में नं॰ 1 पर गुज़र चुका है कि अगर मेरे पास उहद के पहाड़ के बराबर सोना हो तो मेरा दिल नहीं चाहता कि उसमें से कुछ भी मैं अपने पास रखूँ। सिवाए इसके कि क़र्ज़ की अदाएगी के वास्ते रखा हो।

नं॰ 3 पर हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद गुज़रा कि जो चीज़ ज़रूरत से ज़ायद हो, उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर देना तुम्हारे लिए बेहतर है, बचा कर रखना बुरा है।

नं॰ 12 पर हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद गुज़रा कि गिन गिन कर ख़र्च न कर, जितना भी हो सके ख़र्च कर डाल।

नं॰ 20 पर यह वाक़िआ गुज़र चुका है कि एक बकरी ज़िब्ह की गयी, और बजुज़ (अलावा) एक शाना के टुकड़े के सारी तक़्सीम कर दी गयी। हुज़ूर सल्ल॰ ने दर्याफ़्त फ़रमाया कि कितनी तक़्सीम हो गयी तो अर्ज़ किया गया कि एक शाना बाक़ी रह गया और बाक़ी सब ख़र्च हो चुकी है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया वह सारी बाक़ी है इस शाने के अलावा।

इस क़िस्म के बहुत से इर्शादात फ़स्ले अव्वल में गुज़र चुके हैं, इसलिए इससे क़ता-नज़र कि वाजिब क्या है, मंदूब व मुस्तहब क्या है, अपने काम आने वाला सिर्फ़ वही माल है जो अपनी ज़िन्दगी में आदमी आगे भेज दे। अगर इस मेहनत व मशक़्क़त से कमायी हुई चीज़ को अपनी जरूरत के वक़्त काम आने के लिए कहीं महफ़ूज़ करना है तो वह सिर्फ़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है, जिसका नफ़ा आख़िरत में तो है ही, दुनिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा है कि बलाओं के दूर होने में, अमराज़ से सेहत होने में, सदक़े को ज़्यादा से ज़्यादा दख़ल है। बुरे ख़ात्मे से इसकी वजह से हिफ़ाज़त होती है।

हुज़ूर सल्ल॰ का मशहूर इर्शाद है कि क़ाबिले रश्क दो आदमी हैं-

1. एक वह जिसको अल्लाह जल्ल शानुहू ने क़ुरआन पाक अता फ़रमाया हो कि वह रात दिन उसकी तिलावत में, उस पर अमल करने में मुन्हमिक रहे।

2. दूसरा वह शख़्स है, जिसको अल्लाह जल्ल शानुहू ने बहुत माल अता किया हो और वह हर वक़्त उसको अल्लाह के रास्ते में लुटाने पर तुला हुआ हो। *(मज्मउज़्ज़वाइद)*

हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद दूसरी फ़स्ल के नं॰ 2 पर गुज़र चुका कि सरमाएदार बड़े ख़सारे में हैं, सिवाए उस शख़्स के जो दोनों हाथों से इधर उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता रहे और नं॰ 7 पर हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद गुज़र चुका कि वह हक़ीक़त में मोमिन ही नहीं, जो ख़ुद पेट भर कर खा ले और उसका पड़ोसी भूखा पड़ा रहे।

ग़रज़ इस रिसाले में पहली फ़स्लों में तफ़्सील से यह मज़्मून गुज़र चुका है जिसका ख़ुलासा यह है कि मुसलमान की हरगिज़ यह शान नहीं कि माल को जमा करके रखे। इसकी सही मिसाल बिल्कुल पाख़ाने की सी है कि वह ज़रूरी तो इतना कि एक दो दिन न हो तो हकीम और डाक्टर की दवाएं वग़ैरह सब ही कुछ आदमी करने पर मजबूर है, लेकिन अगर मुनासिब मिक़्दार से ज़ायद आने लगे तो उसको बंद करने के वास्ते भी हकीम और डाक्टर की ज़रूरत है। और अगर कोई शख़्स पाख़ाने को इस वजह से कि वह इतनी अहम और ज़रूरी चीज़ है, अपने घर में महफ़ूज़ रखे कि बड़ी मशक़्क़त से हासिल हुई है, तो मकान भी सड़ जाएगा, दिमाग़ भी सड़ जाएगा, अमराज़ भी ब-कसरत पैदा हो जायेंगे, बेऐनिही (बिलकुल) यही सूरत इस माल की है कि ज़रूरी तो इतना कि अगर चंद रोज़ कुछ न मिले तो सारे जतन इसके लिए भी करना पड़ें। लेकिन इसके बावजूद इतना ही गंदा है कि अगर इसको फ़ौरन मजबूरी से ज़ायद मिक़्दार को पाख़ाने की तरह से घर से न निकाला जाए। तो तकब्बुर इससे पैदा होता है, ग़ुरूर इससे पैदा होता है, तफ़ाख़ुर इससे पैदा होता है, दूसरों को ज़लील व हक़ीर समझना इससे होता है। आवारगी अय्याशी इसका समरा है, ग़रज़ हर क़िस्म की आफ़ात इस पर मुसल्लत हैं, इसलिए हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआ अपनी औलाद के लिए है -

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا

"अल्लाहुम् मज्अल रिज़्-क़ आलि मुहम्मदिन क़ूतन्॰"

(या अल्लाह, मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की औलाद का रिज़्क़ बक़द्रे किफ़ायत अता फ़रमा) यानी ज़्यादा हो ही नहीं, जिस पर फ़सादात मुरत्तब हों, यही वजह है कि सय्यद आम तौर से ज़्यादा मुतमव्वल नहीं होते। एक दो का मुतमव्वल हो जाना इसके मनाफ़ी नहीं, अक्सरियत ऐसी ही मिलेगी। हक़ तआला शानुहू अपने लुत्फ़ व करम से इस नापाक हक़ीक़त को इस नापाक पर भी वाज़ेह कर दें तो कैसे लुत्फ़ की ज़िन्दगी मयस्सर हो।

(٥) عن بريدةؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامنع قوم الزكوٰة الاابتلاهم الله بالسنين رواه الطبراني في الاوسط و رواته ثقات كذا في الترغيب وفي الباب روايات كثيرة في الترغيب والكنز غيرهما.

5. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि जो क़ौम भी ज़कात को रोक लेती है, हक़ तआला शानुहू उसको क़हत में मुब्तला फ़रमाते हैं।

फ़ायदा:- क़हत की वबा हम लोगों पर ऐसी मुसल्लत हो रही है कि इस की हद नहीं। हज़ारों तदबीरें उसके ज़ायल करने के वास्ते की जाती हैं, लेकिन कोई भी कारगर नहीं हो रही है। और जब हक़ तआला शानुहू कोई वबाल किसी गुनाह पर उतार दें, दुनिया में किसकी ताक़त है कि उसको हटा सके। लाख तदबीरें कीजिए, हज़ारों तरह के क़ानून बनाइये, जो चीज़ मालिकुल मुल्क की तरफ़ से मुसल्लत है, वह तो उसी के हटाने से हट सकती है। उसने मर्ज़ बता दिया, उसका सही इलाज बता दिया। अगर मर्ज़ को ज़ायल करना मक़्सूद है तो सही इलाज इख़्तियार कीजिए। हम लोग अम्राज़ के अस्बाब ख़ुद पैदा करते रहें और इस पर रोते रहें कि अम्राज़ बढ़ रहे हैं, यह कहां की अक़्लमंदी है?

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस आलम में जो हवादिस और मसाइब आते हैं, उन पर और उनके अस्बाब पर ख़ास तौर से मुतनब्बह फ़रमा दिया, जिनको बंदा मुख़्तसर तौर पर अपने रिसाले 'एतिदाल' में लिख चुका है। यहां उनका इआदा (लौटाना) तत्वील का सबब है। किसी का दिल चाहे तो उसमें देख ले कि उसमें हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम ने कैसे एहतिमाम से इस पर मुतनब्बह फ़रमाया, कि जब मेरी उम्मत ये हरकतें करने लगेगी तो आफ़ात और बलाओं में फंस जाएगी, उस वक़्त सुर्ख़ आंधियां, ज़मीनों में धंस जाना, सूरतों का मस्ख़ हो जाना और ज़लज़लों का आना, आसमान से पत्थर बरसना, दुश्मनों का ग़लबा और मुसलमानों पर उनका मुसल्लत हो जाना, ताऊन और क़त्ल व ग़ारत का मुसल्लत होना, बारिश का रूक जाना, तूफ़ान का आ जाना, दिलों का मर्अूब हो जाना और दिलों पर ख़ौफ़ का मुसल्लत हो जाना, नेक लोग दुआएं भी करें तो उनकी दुआओं का क़ुबूल न होना, ये सब आफ़ात हुज़ूर सल्ल॰ ने बतायीं और जिस जिस हरकत पर जो आफ़त मुसल्लत होती है, उसको हुज़ूर सल्ल॰ ने तक़रीबन चौदह सौ वर्ष पहले से बता दिया, मुतनब्बह कर दिया और हम लोग अब उनके तजुर्बे भी कर रहे हैं। और ऐसे हर्फ़ ब-हर्फ़ ये इर्शादात सामने आ रहे हैं कि ज़रा भी फ़र्क़ नहीं हो रहा है। काश हम लोग हुज़ूर सल्ल॰ जैसे शफ़ीक़ के इर्शादात की क़द्र करते जो सिर्फ़ मुसलमानों ही के लिए नहीं, बल्कि सारी मख़्लूक़ के लिए रहमत बना कर भेजे गये थे। और उन उसूल पर अमल करना सारी ही मख़्लूक़ के लिए इंतिहाई फ़ायदे की चीज़ है। मगर जब ख़ुद मुसलमान अपने इस्लामी दावों के बावजूद उनकी क़द्र न करें तो दूसरों पर क्या इल्ज़ाम है और दूसरों को क्या ख़बर की अल्लाह की मुजस्सम रहमत ने दुन्यवी आफ़ात से बचने के भी कैसे कैसे ज़र्रीं (सुनहरे) उसूलों पर मुतनब्बह फ़रमाया है। अब भी अगर उन उसूलों को एहतिमाम से पकड़ लिया जाए तो दुनिया को मसाइब से निजात मिल जाए।

मुस्लिम हकीम डाक्टरों का इलाज ग़ैर मुस्लिम भी करते हैं और ग़ैर मुस्लिमों का इलाज मुस्लिम भी करते हैं। अगर इस हाज़िक़ हकीम के नुस्ख़े पर लोग अमल करें तो कैसी राहत व आराम सबको मिल जाए? इस जगह मुझे ज़कात के मुताल्लिक़ दो एक अहादीस पर मुतनब्बह करना है कि वही इस जगह मक़्सूद है।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ ने एक मर्तबा इर्शाद फ़रमाया कि ऐ, मुहाजिरीन की जमाअत, पांच चीज़ें ऐसी हैं कि अगर तुम उनमें मुब्तला हो जाओ और मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ इस बात से कि तुम उनमें मुब्तला हो (तो बड़ी आफ़ात में फंस जाओ) एक तो यह कि फ़हश, बदकारी जिस क़ौम में भी खुल्लम खुल्ला अलल् ऐलान होने लगे, तो उनमें ऐसी नयी नयी बीमारियां पैदा होंगी, जो पहले कभी सुनने में न आयी हों। और जो लोग

नाप तौल में कमी करने लगेंगे उन पर कहत और मशक्कत और बादशाह का ज़ुल्म मुसल्लत हो जाएगा। और जो क़ौम ज़कात को रोक लेगी, उन पर बारिश रोक दी जायेगी। अगर जानवर न हों तो एक कतरा भी बारिश का न हो (जानवर चूंकि अल्लाह की मख़्लूक़ हैं और बे कुसूर हैं। उनकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश होगी) और जो लोग मुआहदों की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करेंगे, उन पर दूसरी क़ौमों का तसल्लुत हो जावेगा और उनके माल व मताअ् को लूट लेंगे। और जो लोग अल्लाह के क़ानून के ख़िलाफ़ हुक्म जारी करेंगे, उनमें ख़ाना-जंगी हो जायेगी। *(तर्ग़ीब)*

आज हम लोगों को बड़े ग़ौर से इन ऐबों को देखना चाहिए कि इनमें से कौन सा ऐब ऐसा है जिसमें हम मुब्तला नहीं हैं, और साथ ही यह भी ग़ौर कर लें कि जो आफ़ात उन पर बतायी गयी हैं, कौन सी आफ़त ऐसी है जो हम पर मुसल्लत नहीं है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि पांच चीज़ें पांच चीज़ों के बदले में हैं। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इसका क्या मतलब है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि जो क़ौम मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करती है, उस पर दुश्मन ग़ालिब आ जाता है। और जो लोग अल्लाह के क़ानून के ख़िलाफ़ हुक्म करेंगे, उनमें मौतों की कसरत होगी। और जो लोग ज़कात को रोक लेंगे, उन पर बारिश बंद कर दी जाएगी, और जो लोग नाप तौल में कमी करेंगे, उनकी पैदावार में कमी हो जायेगी, और कहत मुसल्लत हो जायेगा। *(तर्ग़ीब)*

इस हदीस शरीफ़ में ग़ालिबन इख़्तिसार हुआ कि तफ़्सील में चार ही चीज़ें ज़िक्र की गयीं। इस हदीस पाक में अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्ज़ी पर अम्वात (मौतों) की कसरत और पहली में ख़ानाजंगी इर्शाद हुआ है। दोनों चीज़ें अलाहिदा अलाहिदा भी हो सकती हैं और ख़ानाजंगी से अम्वात की कसरत का नमूना आज कल तो आंखों के सामने है।

हज़रत अली रज़ि॰ और अबू हुरैरह रज़ि॰ दोनों हज़रात से यह हदीस नक़ल की गयी कि जब मेरी उम्मत इन पन्द्रह उयूब (ऐबों) में मुब्तला हो जाये, मिनजुम्ला उनके यह भी दोनों हदीसों में है कि ज़कात का अदा करना तावान बन जाए (यानी उसका अदा करना ऐसा मुसीबत हो जाए जैसा तावान होता है,

या वह तावान की तरह से वसूल की जाने लगे) तो उस वक़्त सुर्ख़ आंधियां, ज़लज़ले, ज़मीनों में धंस जाना, सूरतों का मस्ख़ हो जाना, आसमानों से पत्थर बरसना, ऐसे लगातार मसाइब एक के बाद एक नाज़िल होने लगेंगे जैसा कि तस्बीह का धागा टूट जाए और उसके दाने एक एक होकर गिरना शुरू कर दें। (कंज़)

एतिदाल में ये रिवायतें पूरी ज़िक्र की गयी हैं, और उसमें उन पन्द्रह उयूब की तफ़्सील भी है, जिस पर ये सख़्त अज़ाब ज़िक्र फ़रमाये हैं, उनके अलावा और भी रिवायात इस क़िस्म के मज़ामीन की ज़िक्र की गयीं, यहां सिर्फ़ ज़कात की वजह से उन रिवायात की तरफ़ इशारा कर दिया।

(٦) عن ابی ھریرةؓ قال سمعت عمر بن الخطابؓ حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سمعتہ منہ وکنت اکثرھم لزومًا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ رواہ الطبرانی فی الاوسط وھو غریب کذا فی الترغیب ولہ شاھد من حدیث عبادۃ بن الصامتؓ فی الکنز بروایۃ ابن عساکر

6. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो माल किसी जंगल में या दरिया में कहीं भी ज़ाया होता है, वह ज़कात के रोकने से ज़ाया होता है।

फ़ायदाः- यानी ज़कात अदा न करने के जो वबाल व अज़ाब आख़िरत के हैं वे तो अलाहिदा रहे, दुनिया में भी इसका वबाल यह होता है कि वह माल के ज़ाया हो जाने का सबब बनता है। एक और हदीस में इस हदीस शरीफ़ के मुताल्लिक़ एक क़िस्सा भी नक़ल किया है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का मुकर्रमा में हतीम के साए में तशरीफ़ फ़रमा थे। किसी ने आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फ़लां, घराने का सामान समुन्दर के किनारे पड़ा हुआ था, वह हलाक हो गया। (समुन्दर की मौज से ब-ज़ाहिर ज़ाया हुआ) हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि कोई

माल बर्र (ख़ुश्की) व बहर (तरी) में (यानी ख़ुश्की में हो या समुद्र में, मतलब यह है कि सारी दुनिया में) इसके बग़ैर ज़ाया नहीं होता कि उसकी ज़कात अदा न हुई हो। अपने मालों की ज़कात अदा करने के ज़रिये हिफ़ाज़त किया करो, और अपने बीमारों का सदक़े के ज़रिये से इलाज किया करो, और ना-गहानी मुसीबतों को दुआ के ज़रिए से हटाया करो कि दुआ उस मुसीबत को ज़ायल कर देती है जो आन पड़ी हो, और उसको रोक देती है जो अभी तक न आयी हो।

और हुज़ूर सल्ल॰ यह भी फ़रमाया करते थे कि अल्लाह जल्ल शानुहू जिस क़ौम की बढ़ौतरी और बक़ा का इरादा फ़रमाते हैं, उसमें इफ़्फ़त (पाकबाज़ी) और समाहत यानी नर्मी और जूद अता फ़रमाते हैं और जिस क़ौम के ख़ात्मे और फ़ना का इरादा फ़रमाते हैं, उसमें ख़ियानत पैदा फ़रमा देते हैं, इसके बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने यह आयते शरीफ़ा तिलावत फ़रमायी:-

حَتّٰى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ

"हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़्नाहुम बग़्त-तन् फ़-इज़ा हुम मुब्लिसू-न॰" (कंज़)

"यह आयते शरीफ़ा सूरः अन्आम के पांचवें रूकूअ की है जिसका शुरू":- فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ،

'फ़ लम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही॰' से है, और ऊपर की दो आयात से इब्रत और नसीहत हासिल करने के लिए पहली उम्मतों की हलाकत का एक दस्तूर इर्शाद फ़रमाया है कि हमने पहली उम्मतों की तरफ़ भी जो कि आप से पहले थीं पैग़म्बर भेजे थे (जब उन्होंने पैग़म्बरों का कहना न माना तो) फिर हमने उनको मुसीबतों और बीमारियों से पकड़ा (यानी मसाइब और बीमारियों में मुब्तला किया) ताकि वे आजिज़ी करें। पस जब उनको हमारी (तरफ़ से मसाइब की) सज़ा पहुँची थी तो उन्होंने आजिज़ी क्यों न की (कि उन पर रहम किया जाता और उनका क़ुसूर माफ़ कर दिया जाता) लेकिन उनके दिल तो सख़्त हो गये थे (वे नसीहत क्या क़ुबूल करते) और शैतान उनके आमाल को (जिनको वे पहले से कर रहे थे, उनकी निगाह में) आरास्ता करके दिखलाता रहा (जिसकी वजह से वे अपने बुरे आमाल में जिनको वे अच्छा समझते रहे, फंसे रहे) फिर जब वे लोग उन चीज़ों को भूले रहे (और उनकी तरफ़ इल्तिफ़ात भी न किया) जिनकी उनको पैग़म्बरों की तरफ़ से नसीहत की जाती थी तो हमने

उन पर (ऐश व इश्रत, राहत व आराम के) हर क़िस्म के दरवाज़े खोल दिए, यहां तक कि जब वे उन चीज़ों पर (जो उनको ऐश व इश्रत की मिली थीं) इतराने लगे (जिससे उनकी गुमराही और भी बढ़ गयी) तो हमने उनको (अज़ाब में ऐसा) दफ़अतन पकड़ लिया (कि उन को इसका गुमान भी न था)फिर ज़ालिम लोगों की जड़ें तक कट गयीं। फ़क़त।

ये आयाते शरीफ़ा बड़ी इब्रत की आयात हैं कि अल्लाह तआला की ना-फ़रमानियों के बावजूद अगर किसी क़िस्म की सख़्ती के बजाए ऐश व इश्रत और राहत के सामान होते रहें तो यह ज़्यादा ख़तरे की चीज़ है।

एक हदीस में आया है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि जब तू यह देखे कि कोई शख़्स अपने गुनाहों पर मुसिर है और उस पर दुनिया की वुस्अत हो रही है, तो यह अल्लाह की तरफ़ से ढील है। फिर हुज़ूर सल्ल० ने यही आयत 'फ़लम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही' तिलावत फ़रमायी।

हज़रत अबू हाज़िम रज़ि० से नक़ल किया गया कि जब तू यह देखे कि तू अल्लाह की ना-फ़रमानी कर रहा है और उसकी नेमतें तुझ पर लगातार हो रही हैं तो इससे डरता रह और वह हर नेमत जो अल्लाह तआला शानुहू से क़ुर्ब पैदा न करे, वह मुसीबत है। *(दुर्रे मंसूर)*

छठी फ़स्ल की अहादीस में नं० 17 पर यह मज़्मून तफ़्सील से आ रहा है और चूंकि माल भी अल्लाह तआला की नेमतों में से बड़ी नेमत है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हक़ तआला शानुहू की पाक बारगाह में तक़र्रुब पैदा करने का ज़रिया बनाना चाहिए और कोई शख़्स बजाए इसके कि उसको अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करके तक़र्रुब पैदा करे, उसकी ज़कात भी अदा न करे, जो अल्लाह तआला शानुहू का अहम फ़रीज़ा है तो उसकी ना-फ़रमानी में क्या शक है? और ऐसे शख़्स को अपने माल के बाक़ी रहने की ज़्यादा उम्मीद न रखनी चाहिए। वह ख़ुद उसके ज़ाया हो जाने की तदबीर कर रहा है और अगर इस हाल में भी ख़ुदा न ख़्वास्ता ज़ाया न हो तो यह और भी सख़्त ख़तरनाक है कि इस सूरत में यह किसी बड़ी मुसीबत का पेश ख़ेमा है। अल्लाह तआला शानुहू ही अपने फ़ज़्ल से महफ़ूज़ रखे।

(٧) عن عائشۃ قالت قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ما خالطت الزکوٰۃ مالًا قط الا اھلکتہ رواہ الشافعی والبخاری فی تاریخہ کذا فی المشکوٰۃ وعزاہ المنذری الی البزار والبیھقی

7. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि जिस माल के साथ ज़कात का माल मिल जाता है, वह उस माल को हलाक किए बग़ैर नहीं रहता।

फ़ायदाः- इस हदीस पाक के मतलब में उलमा की दो तफ़्सीरें हैं और दोनों सही हैं हुज़ूर सल्ल॰ का यह पाक इर्शाद दोनों पर सादिक़ आता है -

1. एक यह कि जिस माल में ज़कात वाजिब हो गयी हो और उसमें से ज़कात न निकाली गयी हो, तो यह सारा माल ज़कात के साथ मख़्लूत है और यह ज़कात का माल सब को ही हलाक कर देगा।

इस मतलब के मुवाफ़िक़ यह हदीसे पाक इससे पहली हदीस शरीफ़ के हम मायने हुई कि यही मज़्मून बि-ऐनिही पहली हदीस शरीफ़ का है।

हाफ़िज़े इब्ने तैमिया रह॰ ने मुंतक़ा में इन्हीं मायनों को इख़्तियार किया है, इसलिए इस पर ज़कात निकालने में जल्दी करने का बाब लिखा है और हुमैदी रह॰ से इस हदीस के बाद यह नक़ल किया है कि अगर तुझ पर ज़कात वाजिब हो जाए और तू उसको न निकाले तो हराम माल हलाल को भी हलाक कर देगा, यानी ज़कात का माल, जिसका रोकना हराम है, बाक़ी माल को जिसका रोकना हलाल है ज़ाया कर देगा।

2. दूसरी तफ़्सीर जो हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रह॰ से नक़ल की गयी, यह है कि जो शख़्स ख़ुद साहिबे निसाब हो, यानी साढ़े बावन तोला चांदी या उसकी क़ीमत की कोई चीज़ असली ज़रूरत से ज़ायद उसके पास हो और फिर वह अपने को ग़रीब ज़ाहिर करके किसी से ज़कात का माल ले ले, तो यह माल उसके पास जो अपना असली माल पहले से था उसको भी ज़ाया कर देगा। *(मिश्कात)*

इस हदीसे पाक से उन लोगों को बहुत डरते रहना चाहिए जो साहिबे निसाब होने के बावजूद लोगों की ज़कातें लेते रहते हैं कि यह ज़कात का माल उनके असली माल को भी फ़ना कर देगा और थोड़े से नफ़ा की ख़ातिर बहुत सा नुक़्सान बर्दाश्त करना पड़ जाएगा, फिर चाहे चोरों को गालियां देते रहें, या

ज़ालिमों को बद दुआएं देते रहें। अपनी हरकत की बदौलत माल चला ही जाएगा और ऐसी हालत में कि वह मुस्तहिक् न था, लेने का गुनाह सर पर रहेगा।

(٨) عن عبد الله بن مسعودؓ قال من كسب طيبًا خبث منع الزكوٰة ومن كسب خبيثالم تطيبه الزكوٰة رواه الطبرانى فى الكبير موقوفًا باسناد

8. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जो शख़्स तैय्यब माल (हलाल माल) कमाए, ज़कात का अदा न करना उसको ख़बीस बना देता है और जो शख़्स हराम माल कमाए, ज़कात का अदा करना उसको पाक नहीं बनाता।

फ़ायदा:- कितनी सख़्त वईद है कि जिस माल को बड़ी जां फ़शानी से जायज़ ना जायज़ का एहतिमाम रखते हुए कमाया था, वह ज़रा से बुख़्ल से कि उसकी ज़कात का एहतिमाम नहीं रखा, सारा का सारा अल्लाह तआला शानुहू के नज़दीक ख़बीस बन गया।

एक हदीस में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद वारिद हुआ है कि जो शख़्स हराम तरीक़े से माल कमाए और फिर उसको सदक़ा करे उसके लिए उसमें कोई अज्र नहीं है और इसका वबाल उस पर है। *(तर्ग़ीब)*

यानी हराम कमाने का वबाल सर पर रहा और इस सदक़े का कोई सवाब उसको नहीं है।

(٩) عن اسماء بنت يزيدؓ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امراة تقلدت قلادة من ذهب قلدت فى عنقها مثلها من النار يوم القيٰمة وايما امراة جعلت فى اذنها خرصامن ذهب جعل فى اذنها مثله من النار رواه ابوداؤد والنسائى باسنادجيد كذا فى الترغيب.

9. हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जो औरत अपने गले में सोने का हार डालेगी, उसके गले में उसी तरह का आग का हार

क़ियामत के दिन डाला जाएगा और जो औरत अपने कान में सोने की बाली डालेगी, उसके कान में उसी जैसी आग की बाली क़ियामत के दिन डाली जाएगी।

फ़ायदाः- इस हदीस शरीफ़ से औरतों के लिए भी सोने का पहनना नाजायज़ और हराम मालूम होता है। इसी वजह से बाज़ उलमा ने इस को इब्तिदा-ए-इस्लाम पर महमूल किया है, इसलिए कि सब उलमा के नज़दीक दूसरी अहादीस की बिना पर औरतों के लिए सोने चांदी का ज़ेवर जायज़ है लेकिन बाज़ उलमा ने इस हदीस को और इस जैसी अहादीस को ज़कात अदा न करने पर महमूल फ़रमाया है, और बाज़ रिवायात से इसकी ताईद होती है। चुनांचे ख़ुद हज़रत अस्मा रज़ि० ही की रिवायात में है कि मैं और मेरी ख़ाला हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई और हमारे हाथों में सोने के कंगन थे। हुज़ूर सल्ल० ने दर्याफ़्त फ़रमाया कि इनकी ज़कात अदा करती हो, हमने अर्ज़ कर दिया नहीं। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया तुम इससे नहीं डरतीं कि अल्लाह जल्ल शानुहू तुम्हें आग के कंगन पहनायेंगे, इनकी ज़कात अदा किया करो। *(तर्ग़ीब)*

यह रिवायत इस मज़्मून में साफ़ और वाज़ेह है कि जहन्नम की आग इसके बदले में पहनना इसी सूरत में है कि इनकी ज़कात अदा न की जाए। औरतों को इसका बहुत ख़्याल रखना चाहिए कि जो ज़ेवर आज बदन की ज़ीनत बन रहा है वह ज़कात अदा न करने की सूरत में कल को जहन्नम की दहकती हुई आग बनकर बदन का अज़ाब बनेगा।

हज़रत अस्मा रज़ि० का यह फ़रमाना कि ज़कात अदा नहीं करती, मुम्किन है कि इस वजह से हो कि उनको उस वक़्त तक यह मसअला मालूम न था। चुनांचे दूसरी हदीस में उनका सवाल करना इसकी दलील है। यह भी हो सकता है कि उस वक़्त तक वह ज़ेवर को औरत की असली ज़रूरत में समझती हों, हालांकि ज़ेवर असली जरूरत में नहीं है, एक ज़ायद चीज़ है। इस मतलब के मुवाफ़िक़ सोने की कोई तख़्सीस न होगी, चांदी का भी यही हुक्म है।

चुनांचे एक और हदीस में है, हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि हुज़ूर सल्ल० तशरीफ़ लाये, तो मेरे हाथों में चांदी के छल्ले मुलाहज़ा फ़रमाये, इर्शाद फ़रमाया कि यह क्या है? हज़रत आइशा रज़ि० ने अर्ज़ किया, मैं ने इसलिए

बनवाये कि आपके लिए अपनी ज़ीनत करूँ। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि इसकी ज़कात भी देती हो? मैं ने अर्ज़ किया, नहीं, हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि तुझको तो जहन्नम की आग के लिए ये ही काफ़ी हैं। *(तर्ग़ीब)*

यहां इंकार की इन दो वजहों के अलावा जो पहली हदीस में गुज़रीं, तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि चांदी के छल्लों का वज़न आम तौर से इतना नहीं होता कि वह निसाब तक पहुँच जाए और हुज़ूर सल्ल० के इर्शाद का मतलब यह है कि एक ज़ेवर की मिक़्दार अगरचे इतनी न हो, लेकिन दूसरे ज़ेवर के साथ मिला कर भी निसाब को पहुँच जाये तो उस पर ज़कात वाजिब है।

एक और हदीस में है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक औरत हाज़िर हुई, उनके साथ उनकी बेटी थीं जिनके हाथ में दो वज़नी कंगन सोने के थे। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि इनकी ज़कात अदा करती हो,? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं, हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि क्या तुम्हें इस बात से ख़ुशी है कि हक़ तआला शानुहू इनके बदले में आग के दो कंगन तुम्हें क़ियामत के दिन पहनावें? उन्होंने यह सुनते ही दोनों कंगन हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में पेश कर दिए कि यह अल्लाह के वास्ते देती हूँ। *(तर्ग़ीब)*

यही वह ख़ास अदा सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन के मर्द व औरतों में थी कि अल्लाह तआला शानुहू या उसके रसूल सल्ल० का इर्शाद सुनने के बाद फिर तामील में कोई हील हुज्जत, लैत लअल्ल होती ही न थी, इन सब रिवायात के मुवाफ़िक़ सोने चांदी के सब ज़ेवरों का एक ही हुक्म है। ज़कात न देने पर जहन्नम की आग मुसल्लत हो जाने में दोनों बराबर हैं। ख़्वाह किसी रिवायत में सोने के ज़ेवर हों या चांदी के ज़ेवर, और बाज़ उलमा ने उन रिवायात की वजह से, जिनमें ज़कात का ज़िक्र नहीं है और सोने चांदी में फ़र्क़ किया गया है यह भी फ़रमाया है कि इससे तकब्बुर, तफ़ाख़ुर और इज़्हार मुराद है।

एक रिवायत से इस मफ़्हूम की ताईद भी होती है। चुनांचे अबू दाऊद शरीफ़ और नसाई शरीफ़ की एक रिवायत में है कि, ऐ औरतों की जमाअत! क्या तुम्हें ज़ेवर बनाने के लिए चांदी काफ़ी नहीं है? याद रखो कि जो औरत सोने का ज़ेवर बनाये और उसको ज़ाहिर करे वह उसकी वजह से अज़ाब दी जाएगी। *(तर्ग़ीब)*

और यह बात आम तौर से मुशाहदे में आती है कि औरतों के यहां चांदी के ज़ेवर बिलख़ुसूस जो औरतें अपनी जहालत से अपने को ऊँचे ख़ानदान की समझती हैं कुछ वक़अत और अहमियत नहीं रखता, वे चांदी के ज़ेवर को कोई इज़्हार या तफ़ाख़ुर की चीज़ नहीं समझतीं। उनके हाथों में चांदी के कंगन हों तो ज़रा भी उनको उसके इज़्हार का दाअिया पैदा न हो, लेकिन सोने के कंगन हों तो बेवजह पचास मर्तबा मक्खी उड़ाने के बहाने से हाथ हिलाएंगी। बीस मर्तबा दोपट्टा दुरूस्त करने के वास्ते हाथ फेरेंगी, बिलख़ुसूस कोई नई औरत घर में आ जाए या वे किसी दूसरे के घर जाएं फिर तो न मक्खी उनके बदन से उड़ कर देती है, न उनका दोपट्टा दुरूस्त होकर देता है। बार बार हाथों को हरकत देती रहती हैं और इस हरकत से महज़ दूसरे पर तफ़ाख़ुर मक़सूद होता है, अपने ज़ेवर को दिखाना होता है। लिहाज़ा दोनों बातों का एहतिमाम बहुत ज़रूरी है कि ज़ेवर से तफ़ाख़ुर और तकब्बुर और उसका इज़्हार हरगिज़ न होना चाहिए और उसकी ज़कात बहुत एहतिमाम से अदा करना चाहिए। और दोनों में से अगर कोई सी एक बात का भी लिहाज़ न रखा जाए तो अपने आपको अज़ाब के लिए तैयार रखना चाहिए।

(۱۰) عن الضحاك قال كان اناس من المنافقين حين امر الله ان تؤدى الزكوة يجيئون بصدقاتهم بارداما عندهم من الثمرة فانزل الله وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ اخرجه ابن جرير وغيره كذا فى الدر المنثور.

10. हज़रत ज़ह्हाक रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जब हक़ तआला शानुहू ने ज़कात अदा करने का हुक्म फ़रमाया तो मुनाफ़िक़ आदमी बदतरीन फल जो उनके पास होते थे, वे दिया करते थे इस पर हक़ तआला शानुहू ने क़ुरआन पाक में आयते शरीफ़ा 'व ला तयम्म-मुल ख़बी-स मिन्हु' नाज़िल फ़रमायी।

फ़ायदाः- यह आयते शरीफ़ा सूरः बक़रः के 37 वें रूकूअ् की पहली आयत का जुज़्व (हिस्सा) है। यह आयते शरीफ़ा

"या अय्युहल्ल ज़ी-न आ-म-नू अन्फ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम॰"

से शुरू है, जिसका तर्जुमा यह है कि ऐ ईमान वालो, अपनी कमाई में से उम्दा माल को ख़र्च किया करो (नेक कामों में ख़र्च किया करो उम्दा माल को) उस चीज़ में से जिसको हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा किया (यानी फल वग़ैरह) और रद्दी माल का इरादा भी न किया करो कि उसमें से ख़र्च करने लगो, हालांकि (अगर तुमको वैसी ख़राब चीज़ कोई तुम्हारे हक़्क़े वाजिब में या सौग़ात (तोहफ़े) में देने लगे तो (तुम कभी भी उसको लेने वाले न हो, मगर यह कि चश्मपोशी करके (शर्मे-शर्माये) ले लो और यह समझ लो कि हक़ तआला शानुहू किसी के मुहताज नहीं हैं (कि ऐसे रद्दी माल से ख़ुश हो जाएं वह) तारीफ़ के लायक़ हैं।

बहुत सी अहादीस इन आयात के बारे में वारिद हुई हैं कि मआल (नतीजा) सब का एक ही है। हज़रत बरा रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि ये आयात हम अंसारियों के बारे में नाज़िल हुई हैं। हम बाग़ात के मालिक थे। हर शख़्स अपने बाग़ की हैसियत के मुवाफ़िक़ कम व बेश लाया करता था। बाज़ आदमी एक दो ख़ोशे मस्जिद में टांग देता । अहले सुफ़्फ़ा फ़ुक़रा की जमाअत थी। जिनके खाने का कोई ख़ास इंतिज़ाम न था। उनमें से जिसको भूख लगती वह उन ख़ोशों में लकड़ी मारता और जो पक्की कच्ची खजूरें गिरतीं खा लेता। बाज़ लोग जिन्हें ख़ैर के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी वे बाज़ रद्दी क़िस्म की खजूरों का ख़ोशा या ख़राब शुदा ख़ोशा टांग देता, उस पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई जिसका मतलब यह है कि अगर तुमको हद्या में ऐसी चीज़ दी जाए तो शर्मे शर्माए तो ले लो, वैसे न लो। इसके बाद से अच्छे से अच्छे ख़ोशे आने लगे। इस मज़्मून की मुतअद्दद रिवायात वारिद हुई हैं।

एक और हदीस में है कि बाज़ लोग बाज़ार से सस्ता माल ख़रीदते और वह सदक़े में देते जिस पर यह आयत नाज़िल हुई।

हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से रिवायत है कि यह आयते शरीफ़ा फ़र्ज़ ज़कात के बारे में नाज़िल हुई। जब लोग खजूरें काटते तो अच्छा अच्छा माल छांट कर अलाहिदा कर लेते। जब ज़कात लेने के लिए आदमी जाता तो रद्दी माल उसके सामने कर देते।

एक हदीस में है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मर्तबा मस्जिद में तशरीफ़ ले गये। हुज़ूर सल्ल॰ के दस्ते मुबारक में एक लकड़ी

थी और मस्जिद में किसी ने रद्दी खजूरों का ख़ोशा लटका रखा था। हुज़ूर सल्ल॰ ने उस ख़ोशे में लकड़ी मारी और फ़रमाया कि जिसने यह लटकाया है, अगर इससे बेहतर लटकाता तो क्या नुक़सान हो जाता। यह शख़्स जन्नत में ऐसी ही रद्दी खजूरें पायेगा। *(दुर्रे मंसूर)*

हज़रत आइशा रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करती हैं कि मसाकीन को उस माल को न खिलाओ, जिस को तुम ख़ुद न खा सको। *(कंज़)*

एक और हदीस में है कि गोश्त में बू हो गयी थी। हज़रत आइशा रज़ि॰ ने इरादा फ़रमाया कि वह किसी को अल्लाह वास्ते दे दें। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया क्या ऐसी चीज़ का सदक़ा करती हो जिसको ख़ुद नहीं खाती। *(जमउल फ़वाइद)*

मतलब यह कि अल्लाह तआला के नाम पर जब दिया जा रहा है तो अच्छा माल जहां तक मुम्किन हो देना चाहिए, लेकिन यह मतलब नहीं कि अच्छा दिया न जाए और ख़राब इस वजह से न दे, बस हज़्फ़ ही हो जाए। अगर उम्दा की तौफ़ीक़ न हो, तो न देने से घटिया देना बेहतर है। ज़कात में रद्दी माल देना भी ज़कात न देने ही की एक क़िस्म है।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद फ़रमाया हुआ ज़कात अदा करने का ज़ाब्ता चौथी फ़स्ल की अहादीस में नं॰ 6 पर गुज़र चुका है कि न तो अल्लाह जल्ल शानुहू बेहतरीन माल का मुतालबा फ़रमाते हैं, न घटिया माल की इजाज़त देते हैं। बल्कि मुतवस्सित माल का मुतालबा है। यही असल ज़ाब्ता ज़कात के अदा करने का है।

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने जो अहकामात अपने मातहतों को ज़कात वसूल करने के तहरीर फ़रमाये उनमें ज़कात की तफ़्सील तहरीर फ़रमायी और तमहीद में तहरीर फ़रमाया कि जो इस तफ़्सील के साथ ज़कात वसूल करे उसको दी जाए और जो इससे ज़्यादा लेना चाहे, उसको न दी जाए।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब हज़रत मुआज़ रज़ि॰ को यमन का हाकिम बना कर भेजा तो नमाज़ के हुक्म के बाद ज़कात अदा करने के हुक्म की तल्क़ीन फ़रमायी और यह इर्शाद फ़रमाया कि जब वे ज़कात अदा करें तो उनके बेहतरीन माल को लेने की कोशिश न करना, मज़्लूम की बद

दुआ से बचना कि मज़्लूम की बद दुआ के क़ुबूल होने में कोई आड़ नहीं होती।

इमाम ज़ोहरी रह॰ फ़रमाते हैं कि जब हुकूमत का आदमी ज़कात लेने आये तो बकरियों के तीन हिस्से कर दिये जायें। उम्दा उम्दा एक जगह और रद्दी रद्दी एक जगह। तीसरा हिस्सा जो दर्मियानी है उसमें से ले ले।

(अबू दाऊद)

यही असल ज़ाब्ता है ज़कात लेने वाले के हक़ में, लेकिन देने वाला अगर अपनी ख़ुशी से अच्छे से अच्छा माल दे तो इसमें मुज़ाइक़ा नहीं है, जैसा कि इसी हदीस नं॰ 6 के ज़ैल में सहाबा रज़ि॰ के बाज़ वाक़िआत और हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद गुज़र चुका कि तुम अगर अपनी ख़ुशी से उम्दा माल ज़ाब्ते से ज़्यादा देना चाहो तो अल्लाह तआला तुमको इस का अज्र देगा, इसलिए देने वाले को यह समझ कर कि अपने काम आने वाला सिर्फ़ यही माल है जो दिया जा रहा है, बेहतर माल छांट कर देना चाहिए।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ फ़रमाते हैं कि जो शख़्स ज़कात को आख़िरत के वास्ते अदा करना चाहे उसके लिए कुछ आदाब हैं, कुछ क़वाइद हैं उनकी रिआयत करना चाहिए।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ ने इस मज़्मून को बड़ी तफ़्सील से ज़िक्र किया है, बन्दा इसको निहायत इख़्तिसार से और कहीं कहीं मामूली तौज़ीह से ज़िक्र करता है, यह उसका तर्जुमा नहीं है।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ ने आठ अदब ज़िक्र फ़रमाये हैं –

सबसे पहली चीज़ तो यह समझने की है कि आख़िर ज़कात क्यों वाजिब हुई ? क्यों इसको इस्लाम का रुक्न क़रार दिया गया। इसकी तीन वजह हैं

(अ) इस वजह से कि ज़बान से कलिमे का इक़रार कर लेना, वह अल्लाह तआला शानुहू को तने तंहा माबूद मानने का इक़रार है, यानी यह कि उसके साथ कोई दूसरी चीज़ शरीक नहीं है और उसकी तक्मील और तमामी जब ही हो सकती है जब कि उस एक पाक ज़ात के सिवा मुहब्बत के दावेदार के दिल में इख़्तियारी तौर पर किसी दूसरी चीज़ की गुंजाइश न रहे। इसलिए कि मुहब्बत शिर्कत की हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं है, और महज़ ज़बानी दावा-ए-मुहब्बत बेकार है। मुहब्बत का इम्तिहान जब ही हो सकता है, जब दूसरी महबूब चीज़ों

से मुक़ाबला पड़ जाए और माल हर शख़्स को बित्तबअ् महबूब होता है, इसलिए अल्लाह की मुहब्बत और उसकी तंहा माबूदियत के इक़रार में इम्तिहान की कसौटी के तौर पर माल का ख़र्च करना फ़र्ज़ किया गया है, जिससे लोगों की हक़ तआला शानुहू के साथ मुहब्बत का अंदाज़ा होता है, इसलिए हक़ तआला शानुहू का इर्शाद है -

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (توبہ ع ١٤)

"इन्नल्ला हश्तरा मिनल् मुअ्मिनी-न अन्फ़ु स-हुम् व अम्वा-ल-हुम बि अन्-न लहुमुल जन्नः" *(तौबा, रूकूअ् 14)*

'बिला शुब्ह हक़ तआला शानुहू ने मुसलमानों से उनकी जानों को और मालों को इस बात के बदले में ख़रीद लिया है कि उनको जन्नत मिलेगी। और जानों को ख़रीद लेना जिहाद के ज़रिए से है और मालों का ख़र्च करना जान के ख़र्च करने से हल्का है और जब माल के ख़र्च करने का यह मफ़्हूम हुआ कि मुहब्बत के इम्तिहान की कसौटी है तो आदमी इस इम्तिहान में तीन क़िस्म के हुए:-

1. पहली क़िस्म उन लोगों की है जिन्होंने अल्लाह तआला की यक्ताई का सच्चा इक़रार किया कि उसकी मुहब्बत में ज़रा सी भी शिर्कत किसी चीज़ की नहीं आने दी, और अपने अहद को पूरा पूरा अदा कर दिया कि अपने मालों को सबको उसके नाम पर क़ुर्बान कर दिया, न अपने लिये कोई दीनार रखा, न दिरम। वहां ज़कात के वाजिब होने का सवाल ही नहीं आता, इसी वजह से बाज़ बुज़ुर्गों से मंक़ूल है कि उनसे किसी ने दर्याफ़्त किया कि दो सौ दिरम में कितनी मिक़्दार वाजिब है तो उन्होंने फ़रमाया कि आम लोगों पर शरीअते मुतह्हरा के ज़ाब्ते के मुवाफ़िक़ पांच दिरम हैं लेकिन हम लोगों को सबका ख़र्च कर देना ज़रूरी है। यही वजह थी कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने अपना सारा माल ख़िदमत में पेश कर दिया और मुहब्बत के दावे को ऐसा पूरा किया कि महबूब के सिवा कुछ भी न छोड़ा।

2. दूसरी क़िस्म उन लोगों की है जो दर्मियानी दर्जे के हैं कि वे बक़द्रे हाजत व ज़रूरत बाक़ी रखते हैं। ये वे लोग हैं जो नेमतों और लज़्ज़तों में तो मशग़ूल नहीं होते, अलबत्ता बक़द्रे ज़रूरत ज़ख़ीरा रखते हैं और ज़रूरत से ज़ायद

को सर्फ़ कर देते हैं। ये हज़रात भी ख़र्च करने में मिक़्दारे ज़कात पर इक्तिफ़ा नहीं करते, बल्कि फ़ाज़िल माल जो कुछ होता है वह सब ख़र्च कर देते हैं। इसी वजह से बाज़ ताबिओन जैसा कि इमाम नख़ई रह० शअ्बी रह० वग़ैरह हज़रात इस तरफ़ गये हैं कि माल में ज़कात के अलावा भी हुक़ूक़ वाजिब हैं। इन हज़रात के नज़दीक मालदार के ज़िम्मे वाजिब है कि जहां कहीं ज़रूरतमंद को देखे तो ज़कात से ज़ायद से भी उसकी हाजत को पूरा करे, लेकिन फ़िक़्ह के एतिबार से सही यह है कि अगर कहीं कोई शख़्स इज़्तिरार के दर्जे को पहुँच गया हो तो उसकी ज़रूरत का पूरा करना फ़र्ज़े किफ़ाया है और इसमें उलमा का इख़्तिलाफ़ है कि मुज़्तर पर इतनी मिक़्दार ख़र्च करना भी, जिससे वह हलाकत से बच जाए मुफ़्त ज़रूरी है या क़र्ज देना भी काफ़ी है। और जो क़र्ज़ देना कहते हैं वे गोया तीसरी क़िस्म में दाख़िल हैं और

3. तीसरी क़िस्म अदना दर्जे के लोगों की है जो सिर्फ़ वाजिब यानी मिक़्दारे ज़कात ही अदा करते हैं, न उससे कम करते हैं न ज़्यादा। आम लोग बेशतर इसी क़िस्म में दाख़िल हैं, इसलिए कि उनको माल से मुहब्बत है। वे इसके ख़र्च करने में बुख़्ल करते हैं, उन्हें आख़िरत की रग़बत कम है।

इमाम ग़ज़ाली रह० ने यह तीन क़िस्में आदमियों की लिखी हैं। चौथी क़िस्म को ज़िक्र नहीं किया जो मिक़्दारे वाजिब को भी पूरी अदा नहीं करते या बिल्कुल ही अदा नहीं करते। इसलिए कि ये लोग तो अपने दावा-ए-मुहब्बत में बिल्कुल ही झूठे हैं ऐसों का क्या ज़िक्र करना जो झूठी मुहब्बत के दावेदार हों।

(ब) इस वजह से भी कि ज़कात से आदमी को सिफ़ते बुख़्ल से पाक करना मक़्सूद है, जो बड़ी मुहलिक (हलाक करने वाली) चीज़ है -

हुज़ूर सल्ल० का पाक इर्शाद है कि तीन चीज़ें मुहलिक हैं -

1. एक वह हिर्स व बुख़्ल जिसकी इताअत की जाए (यानी अगर तबअन कोई शख़्स बख़ील हो, मगर अमल अपनी तबीअत के ख़िलाफ़ करता है और तबीअत पर जब्र करता है तो यह मुहलिक नहीं मुहलिक वह बुख़्ल है कि अमल भी उसके मुवाफ़िक़ हो)

2. दूसरी वह ख़्वाहिशे नफ़्स जिसका इत्तिबाअ किया जाए (इसका भी वही मतलब है कि मसलन शहवत किसी शख़्स को हो और वह उसको जब्र से रोके तो वह मुहलिक नहीं, मुहलिक वह है कि उसके मुवाफ़िक़ अमल भी

करे)।

3. तीसरी चीज़ हर शख़्स का अपनी राय को सबसे बेहतर समझना है। इसके अलावा क़ुरआन पाक की मुतअद्द आयात और बहुत सी अहादीस में बुख़्ल की मज़म्मत वारिद हुई है जैसा कि दूसरी फ़स्ल में उनमें से चंद गुज़र चुकीं, और आदमी से सिफ़ते बुख़्ल इसी तरह ज़ायल हो सकती है कि ज़बर्दस्ती उसको माल ख़र्च करने का आदी बनाये कि जब किसी से मुहब्बत ताल्लुक़ छुड़ाना मक़्सूद होता है तो उसकी सूरत यही होती है कि अपने को उससे दूर रखने पर मजबूर किया जाए ताकि उसकी मुहब्बत जाती रहे।

इसी लिहाज़ से ज़कात को पाकी का ज़रिया कहा जाता है कि वह आदमी को बुख़्ल की गन्दगी से पाक करती है और जिस क़दर ज़्यादा माल ख़र्च करेगा और जितनी ज़्यादा मसर्रत और ख़ुशी से ख़र्च करेगा और जितनी भी अल्लाह तआला के रास्ते में ख़र्च करने से बशाशत होगी, उतनी ही बुख़्ल की गन्दगी से नज़ाफ़त हासिल होगी।

(ज) इस वजह से भी कि यह अल्लाह तआला शानुहू की नेमते माल का शुक्राना है कि अल्लाह जल्ल शानुहू के हर शख़्स के जान व माल में इस क़दर इन्आमात व एहसानात हैं कि हद नहीं। पस ताआते बदनिया बदनी इन्आमात का शुक्राना हैं और ताआते मालिया माली इन्आमात का शुक्राना हैं। और किस क़दर कमीना और ज़लील है वह शख़्स जो किसी फ़क़ीर को देखे, उसकी तंगदस्ती और बद हाली को उस पर रिज़्क़ की कमी की मुसीबत को देखे, फिर भी उसके दिल में अल्लाह तआला को उस नेमत के शुक्राने का ख़्याल न आये, जो अल्लाह तआला ने उस शख़्स पर की, कि उसको भीख मांगने से मुस्तग़्नी किया और उस फ़क़ीर की तरह अपनी हाजत को दूसरे के सामने ले जाने से बे नियाज़ किया। बल्कि इस क़ाबिल किया कि दूसरा शख़्स उसके सामने अपनी ज़रूरत पेश करे, क्या उसका शुक्राना यह नहीं है कि अपने माल का दसवां या चालीसवां हिस्सा अल्लाह तआला के नाम पर ख़र्च कर दे (दसवें से पैदावार का उश्र और चालीसवें से ज़कात मुराद है)

2. दूसरा अदब ज़कात की अदाएगी के वक़्त के एतिबार से है और वह यह है कि उसकी अदाएगी में बहुत उज्लत (जल्दी) करे कि उसके वाजिब होने के वक़्त से पहले ही अदा कर दे कि उसमें हक़ तआला शानुहू के इम्तिसाले हुक्म में रग़बत का इज़्हार है, और फ़ुक़रा के दिलों में मसर्रत का पैदा करना है

और देर करने में अपने ऊपर और माल पर किसी क़िस्म की बीमारी और आफ़त आ जाने का भी एहतिमाल है, और जिन के नज़दीक ज़कात का फ़ौरन अदा करना ज़रूरी है, उनके नज़दीक तो ताख़ीर का गुनाह मुस्तक़िल है, लिहाज़ा जिस वक़्त भी दिल में ख़र्च करने का ख़्याल पैदा हो, उसको फ़रिश्ते की तहरीक समझे, इसलिए कि हदीस में आया है कि आदमी के साथ एक तहरीक फ़रिश्ते की होती है और एक शैतान की।

फ़रिश्ते की तहरीक तो ख़ैर की तरफ़ मुतवज्जह करना है और हक़ की तस्दीक़ है। जब आदमी उसको पावे तो अल्लाह तआला का शुक्र अदा करे और शैतान की तहरीक बुराई की तरफ़ मुतवज्जह करना और हक़ बात को झुठलाना है। जब आदमी उसको पावे, तो अऊज़ु बिल्लाह पढ़े। *(सआदः)*

एक और हदीस में है कि आदमी का दिल अल्लाह की दो उंगलियों में है, जिस तरह चाहे पलट देता है, इसलिए दिल में जो यह ख़्याल ख़र्च करने का आया है, उसके बदल जाने का भी ख़तरा है। इसके अलावा शैतान आदमी को अपनी एहितयाज का ख़्याल दिलाता रहता है, जैसा कि दूसरी फ़स्ल की आयात में नं० 2 पर गुज़रा है, और फ़रिश्ते की तहरीक के बाद शैतान की तहरीक भी होती है, इसलिए उसकी तहरीक के पैदा होने से पहले पहले अदा कर ले। और अगर सारी ज़कात एक ही वक़्त अदा करना मक़्सूद हो तो उसकी अच्छी सूरत यह है कि कोई सा एक महीना ज़कात अदा करने का मुअय्यन कर ले। और बेहतर यह है कि अफ़ज़ल महीनों में से मुक़र्रर करे ताकि उसमें ख़र्च करने से सवाब में ज़्यादती हो, जैसा कि मसलन मुहर्रम का महीना है कि वह साल का शुरू महीना होने के अलावा अश्हुरे हुरुम में से है, और उसमें एक दिन यानी आशूरा का ऐसा है कि उसमें सदक़ा करने की और अहल व अयाल पर ख़र्च में वुसअत की फ़ज़ीलत आयी है। लिहाज़ा इस महीने में अगर अदा करे तो बेहतर यह है कि दसवीं तारीख़ को अदा करे। *(सआदः)*

या मसलन रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अहादीस में आया है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जूद व बख़्शिश में तमाम आदमियों से बढ़कर थे, और रमज़ान में तो आपकी बख़्शिश और जूद ऐसी तेज़ी से चलती थी जैसा कि तेज़ हवा, नीज़ इस महीने में लैल-तुल क़द्र है, जो हज़ार महीनों से अफ़ज़ल है। नीज़ अल्लाह तआला की नेमतें भी इस महीने में अपने बंदों पर रोज़अफ़्ज़ूं होती हैं। इसी तरह ज़िलहिज्जा का महीना भी बड़ी फ़ज़ीलत वाले

महीनों में है। इसी में हज होता है। इसमें अय्यामे मअ़लूमात हैं। यानी अ़श्रा ज़िलहिज्जा और अय्यामे मअ़दूदात हैं। यानी अय्यामे तश्रीक़, और इन दोनों में अल्लाह तआला की याद की तर्ग़ीब क़ुरआन पाक में आती है। पस अगर कोई रमज़ान को मुतअय्यन करे तो इस का अश्रा-ए-आख़िर (आख़िरी दशक) मुनासिब है और ज़िलहिज्जा को मुक़र्रर करे तो इसका अश्रा-ए-अव्वल (पहला दशक) बेहतर है।

बन्दा-ए-नाकारा ज़करिया का मश्विरा यह है कि हर शख़्स को अपनी ज़कात का तक़रीबी अंदाज़ा तो होता ही है इसलिये साल के शुरू ही से ज़रूरत के मवाक़े पर इस अंदाज़ की रिआयत रखते हुए थोड़ा थोड़ा देता रहे, और जब साल वजूब का ख़त्म हो उस वक़्त अपने माल का और अपनी ज़कात का पूरा हिसाब लगा ले। अगर कुछ कमी रह गयी हो तो उस वक़्त पूरी कर दे और कुछ ज़्यादा अदा हो गया हो तो अल्लाह तआला का शुक्र अदा करे कि उसी की तौफ़ीक़ थी कि वाजिब से भी ज़्यादा अदा हो गया। इसमें तीन मस्लहतें हैं-

1. अव्वल तो यह कि पूरी रक़म अगर मिक़्दार में ज़्यादा होती तो बड़ी रक़म का बयक वक़्त ख़र्च करना अक्सर तबीअत पर बार हो जाता है और ज़कात के अदा करने में तीबे नफ़्स से ख़र्च को ज़्यादा अहमियत है।

2. दूसरी मस्लहत यह है कि ज़रूरत के मवाक़े हर वक़्त मयस्सर नहीं होते। इस तरह अदा करने में ज़रूरत के मवाक़े पर ख़र्च होता रहेगा। और अगर साल के ख़त्म पर हिसाब करके इस ख़्याल से उसको अलाहिदा रखेगा कि वक़्तन फ़वक़्तन ख़र्च करता रहूँगा। तो उसमें एक तो हर दिन ताख़ीर होती रहेगी। दूसरे इसका इत्मीनान नहीं कि अदाएगी से पहले कोई हादिसा जानी या माली पेश न आ जाए, और ज़कात वाजिब हो जाने के बाद अदा न होने में सबके नज़दीक गुनाह है।

3. तीसरी मस्लहत यह है कि वक़्तन फ़वक़्तन अदा करते रहने में अगर आदमी के बुख़्ल ने ज़्यादा ज़ोर न किया, तो उम्मीद यह है कि मिक़्दारे वाजिब से कुछ ज़्यादा अक्सर अदा हो जाया करेगा, जो मर्ग़ूब चीज़ है, और बयक वक़्त हिसाब लगा कर उस पर इज़ाफ़ा करना बहुत से लोगों को दुश्वार होगा।

यहां एक बात एहतिमाम से ज़ेहन में रखना चाहिए कि ज़कात का मदार क़मरी (इस्लामी) साल पर है, शम्सी साल पर नहीं है। बाज़ लोग अंग्रेज़ी महीने

से ज़कात का हिसाब रखते हैं, इसमें दस यौम की ताख़ीर तो हर साल हो ही जाती है। इसके अलावा छत्तीस साल में एक साल की ज़कात कम हो जाएगी, जो अपने ज़िम्मे पर रह गयी।

3. तीसरा अदब ज़कात का मख़्फ़ी (छूपे) तरीक़े से अदा करना है, इसलिए कि इसमें रिया और शोहरत से अम्न है, और लेने वाले की परदापोशी है, उसको ज़िल्लत से बचाना है और अफ़ज़ल यही है कि अगर कोई मजबूरी इज़्हार की न हो तो मख़्फ़ी तौर पर अदा करे। इसलिए कि सदक़े की मस्लहत बुख़्ल की गंदगी को दूर करना है और माल की मुहब्बत को ज़ायल करना है, और ज़्यादा शोहरत में हुब्बे जाह को दख़ल होता है और यह मरज़ यानी हुब्बे जाह का हुब्बे माल से भी ज़्यादा सख़्त है, और लोगों पर हुब्बे माल से भी ज़्यादा मुसल्लत है, और सिफ़ते बुख़्ल क़ब्र में बिच्छू बन कर आदमी को काटती है और सिफ़ते रिया व शोहरत अज़दहा बन कर डसती है तो सिफ़ते बुख़्ल को ज़ायल करके सिफ़ते रिया को तक़्वियत देने की मिसाल ऐसी है जैसा कि कोई शख़्स बिच्छू को मार कर सांप को खिलाए कि इसमें बिच्छू तो यक़ीनन मर गया और उसकी मज़र्रत जाती रही, लेकिन सांप ज़्यादा क़वी हो गया और मक़्सूद दोनों का मारना है, और सांप का मारना ज़्यादा ज़रूरी है

4. चौथा अदब यह है कि अगर कोई दीनी मस्लहत इज़्हार की हो, मसलन दूसरों को तर्ग़ीब मक़्सूद हो या दूसरे लोग उसके फ़ेल का इत्तिबाअ करते हों या कोई और दीनी मस्लहत हो तो उस वक़्त इज़्हार अफ़ज़ल होगा। इन दोनों नम्बरों का बयान पहली फ़स्ल की आयात में नं॰ 9 पर मुफ़स्सल गुज़र चुका।

5. पांचवां अदब यह है कि अपने सदक़े को 'मन्न व अज़ा' से बर्बाद न करे। मन्न के मायने एहसान रखने के हैं यानी जिस पर सदक़ा किया है उस पर अपने सदक़े का एहसान जताये, और अज़ा के मायने तक्लीफ़ के हैं, यानी उसको किसी और तरह की अज़ीयत इस घमंड पर पहुँचाये कि अपना दस्तेनिगर है, मुहताज है, इसकी ज़रूरत अपने से वाबस्ता है या मैं ने ज़कात देकर इस पर एहसान किया है। यह मज़्मून भी पहली फ़स्ल की आयात में नं॰ 8 पर तफ़्सील से गुज़र चुका है।

6. छठा अदब यह है कि अपने सदक़े को हक़ीर समझे। उसको बड़ी चीज़ समझने से उज्ब (तकब्बुर) पैदा होने का अंदेशा है, जो बड़ी हलाकत की

चीज़ है और नेक आमाल को बर्बाद करने वाली है। हक़ तआला शानुहू ने भी क़ुरआन पाक मे तअन् (ताने) के तौर पर इसको ज़िक्र फ़रमाया है। चुनांचे इर्शाद है:-

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا (براءة ع ٤)

"व यौ-म हुनैनिन् इज़ अअ्-ज बत्कुम कस्र-तु कुम फ़-लम तुग़्नि अन्कुम शैअन्॰" *(बराअत, रूकूअ् 4)*

और हुनैन के दिन (भी तुमको ग़लबा दिया था) जब कि (यह क़िस्सा पेश आया था) तुमको अपने मज्मे की कसरत से घमंड पैदा हो गया था, फिर वह कसरत तुम्हारे कुछ काम न आयी और (कुफ़्फ़ार के तीर बरसाने से तुम्हें इस क़दर परेशानी हुई कि) ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद तुम पर तंग हो गयी, फिर तुम (मैदाने जंग से) मुंह फेर कर भाग गये। इसके बाद अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने रसूल और मोमिनीन पर तसल्ली नाज़िल फ़रमायी और ऐसे लश्कर (फ़रिश्तों के) तुम्हारी मदद के लिए भेजे, जिनको तुमने नहीं देखा।

इसका क़िस्सा कुतुबे अहादीस में मशहूर है। कसरत से रिवायात इस क़िस्से के बारे में वारिद हुई हैं, जिनका खुलासा यह है कि रमज़ानुल मुबारक सन् 08 हि॰ में, जबकि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का मुकर्रमा को फ़त्ह कर लिया तो क़बीला हवाज़िन और सक़ीफ़ पर हमले के लिए रमज़ान ही में तशरीफ़ ले गये, चूंकि मुसलमानों की जमइय्यत उस वक़्त पहले ग़ज़वात के लिहाज़ से बहुत ज़्यादा हो गयी थी तो उनमें अपनी कसरत पर उज्ब (गुमान) पैदा हुआ कि हम इतने ज़्यादा हैं कि मग़्लूब नहीं हो सकते। इसी बिना पर कि हक़ तआला शानुहू को घमंड और उज्ब बहुत ना पसंद है, इब्तिदा में मुसलमानों को शकिस्त हुई, जिस की तरफ़ से आयते बाला में इशारा है कि तुम को अपने मज्मे की कसरत पर घमंड पैदा हुआ, लेकिन मज्मे की कसरत तुम्हारे कुछ भी काम न आयी।

हज़रत उर्वः रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जब अल्लाह के पाक रसूल सल्ल॰ ने मक्का मुकर्रमा फ़त्ह कर लिया तो क़बीला हवाज़िन और सक़ीफ़ के लोग चढ़ाई करके आये और मौज़ा हुनैन में वे लोग जमा हो गये।

हज़रत हसन रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि जब मक्का वाले भी फ़त्ह के बाद मदीने वालों के साथ मुज्तमा हो गये, तो वे लोग कहने लगे कि वल्लाह,

अब हम इकट्ठे होकर हुनैन वालों से मुक़ाबला करेंगे। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उन लोगों की यह घमंड की बात गरां गुज़री और ना पसंद हुई। (दुर्रे मंसूर)

ग़रज़ उज्ब की वजह से यह परेशानी पेश आयी।

उलमा ने लिखा है कि नेकी जितनी भी अपनी निगाह में कम समझी जायेगी, उतनी ही अल्लाह तआला के यहां बड़ी समझी जाएगी, और गुनाह जितना भी अपनी निगाह में बड़ा समझा जाएगा, उतना ही अल्लाह तआला के यहां हल्का और कम समझा जायेगा, यानी हल्के से गुनाह को भी यही समझे कि मैंने बहुत बड़ी हिमाक़त की, हरगिज़ हरगिज़ न करना चाहिए था। किसी गुनाह को भी यह न समझो कि चलो इसमें क्या हो गया। बाज़ उलमा से नक़ल किया गया कि नेकी तीन चीज़ों से कामिल होती है:-

1. एक यह कि उसको बहुत कम समझे कि कुछ भी न किया,

2. दूसरे जब करने का ख़्याल आ जाए तो उसको करने में जल्दी करे, मुबादा यह मुबारक ख़्याल यानी नेकी करने का निकल जाए या किसी वजह से न हो सके।

3. तीसरे यह कि उसको मख़्फ़ी तौर से करे और जो कुछ ख़र्च किया है, उसको हक़ीर समझने का तरीक़ा यह है कि यह देखे कि जो कुछ ख़र्च किया है, उसका मवाज़ना उससे करे, जो अपने ऊपर ख़र्च किया जा चुका और अपने पास बाक़ी रहने दिया। फिर सोचे कि मैं ने अल्लाह की राह में कितना ख़र्च किया और अपने लिए कितना रखा। मसलन अगर जो कुछ उसके पास मौजूद था उसमें से एक तिहाई ख़र्च कर दिया तो गोया मालिकुल मुल्क आक़ा और महबूब की रिज़ा में तो एक तिहाई हुआ और मुहब्बत के दावेदार के हिस्से में दो तिहाई, और अगर कोई शख़्स उसका अक्सर या सारा भी ख़र्च कर दे, जिसकी मिसाल इस ज़माने में तो मिलना भी मुश्किल है तब भी यह सोचना चाहिए कि आख़िर माल तो अल्लाह ही का था, उसी की अता फ़रमायी हुई चीज़ अपने पास थी, जिसमें उसने अपने लुत्फ़ व करम, एहसान से ख़र्च की और अपनी ज़रूरत में काम में लाने की इजाज़त दे रखी थी। अगर किसी ऐसे शख़्स की अमानत अपने पास हो, जिसने अमानत रखवाते वक़्त यह भी कह दिया हो कि अगर आपको कोई ज़रूरत पेश आवे तो इसको अपना ही माल

तसव्वुर करके ख़र्च कर लें, फिर तुम किसी वक़्त उसकी अमानत कम व बेश वापस कर दो तो उसमें कौन सा एहसान तुम्हारा हुआ, जिसको तुम यह समझो कि हमने बड़ा कारनामा किया।

और फिर मज़ीद यह है कि अल्लाह तआला शानुहू को उसकी अता की हुई चीज़ वापस करने में यानी उसके नाम पर ख़र्च करने में उसकी तरफ़ से अज्र व सवाब और बदले का ऐसा ऐसा वायदा है कि उसके लिहाज़ से तो यह कहा भी नहीं जा सकता कि हमने उसकी अमानत वापस कर दी, बल्कि यों कहा जाएगा कि एक शख़्स ने मसलन सौ रूपए अमानत रखवाये थे और उसमें से उसने पचास साठ वापस ले लिए, इस वायदे पर कि अंक़रीब ही इतनी गिन्नियां इसके बदले में तुम्हें दे दूँगा। या यों समझ लो कि पचास वापस लिए और पांच सौ का चेक बैंक का काटकर तुम्हारे हवाले कर दिया, तो ऐसी हालत में क्या घमंड का मौक़ा है, इस बात का कि मैं ने अमानत रखने वाले को कुछ वापस किया। इसी वजह से इस अदब के मातहत यह चीज़ भी है कि जब सदक़ा करे तो बजाए फ़ख़्र और घमंड के शर्मिंदगी की सी सूरत से ख़र्च करे, जैसा कि किसी की अमानत कोई शख़्स इस तरह वापस करे कि उसमें से कम या ज़्यादा रख भी ले। मसलन किसी के सौ रूपये अमानत रखे हों और अमानत की वापसी के वक़्त उसमें से पचास ही वापस करे और यह कह कर वापस करे कि तुमने चूंकि मुझे ख़र्च की इजाज़त दे दी थी इसलिए पचास मैं ने ख़र्च कर लिये, या अपनी किसी ज़रूरत के लिए रख लिए यह कहते वक़्त जैसा कि आदमी पर एक हिजाब, एक शर्म एक ग़ैरत, एक आजिज़ी एक ज़िल्लत टपकती है और उसको यह बात ख़ुद महसूस होती है कि मैं ने इस करीमुन्नफ़स आदमी के माल में तसर्रूफ़ किया। उसका कितना बड़ा एहसान है कि उसने बाक़ी का मुतालबा नहीं किया यही हैअत बिऐनिही अल्लाह की राह में ख़र्च करते वक़्त होनी चाहिए कि उसकी अता का कुछ हिस्सा उसको ऐसी तरह वापस किया जा रहा है कि उसमें से हमने कुछ खा भी लिया और कुछ रख भी लिया और यह इस वजह से कि सदक़ा जो किसी फ़क़ीर को दिया जा रहा है या ज़रूरत के मौक़े पर ख़र्च किया जा रहा है तो वह हक़ीक़त में अल्लाह तआला शानुहू ही को वापस किया जा रहा है। फ़क़ीर तो महज़ एक एलची है जो गोया उसने अपना आदमी अपनी अमानत वापस लेने के लिए भेजा है, ऐसे मवाक़े में आदमी एलची की कैसी ख़ुशामद किया करता है कि तू आक़ा से हाकिम से ज़रा

सिफ़ारिश कर दीजियो, कह दीजियो कि उसके पास सारा मुतालबा अदा करने को इस वक़्त था नहीं, मेरी ज़रूरतों और अह्वाल पर नज़र करके इतने ही को क़ुबूल कर लें, वग़ैरह, वग़ैरह।

ग़रज़ जितनी ख़ुशामद क़ासिदों की, अहलकारों की ऐसे वक़्त में होती है, जबकि पूरा हक़ अदा न किया जा रहा हो, उससे ज़्यादा अमली सूरत से फ़ुक़रा और सदक़े का माल लेने वालों की होना चाहिए। इसलिए कि यह अल्लाह तआला के एलची हैं, मालिकुल मुल्क के क़ासिद हैं। उस मालिकुल मुल्क, क़ादिरे मुतलक़ और बे नियाज़ के भेजे हुए हैं, जिसने सब कुछ अता किया और वह जब चाहे, आन की आन में सब कुछ छीन कर तुम्हें भी ऐसा ही मुहताज कर दे, जैसा कि तुम्हारे सामने है। और यह सब कुछ इसलिए है कि माल सारा का सारा अल्लाह तआला ही का है और उसकी राह में सारा ख़र्च कर देना मर्ग़ूब और पसंदीदा है। उसने अपने लुत्फ़ व करम से सब के ख़र्च करने का ईजाब हम पर नहीं फ़रमाया, इसलिये कि अगर वह सब कुछ ख़र्च करना वाजिब फ़रमा देता तो हमें अपने तबअी बुख़्ल व कंजूसी से बहुत बार हो जाता।

7. सातवां अदब यह है कि अल्लाह की राह में सदक़ा करने के लिए बिलख़ुसूस ज़कात के अदा करने में जो उसका एक अहम हुक्म और फ़रीज़ा है बेहतर से बेहतर माल ख़र्च करे, इसलिए कि हक़ तआला शानुहू ख़ुद तय्यिब हैं, हर क़िस्म के ऐब से पाक हैं, इसलिए तैय्यब ही माल क़ुबूल फ़रमाते हैं। अगर आदमी यह ख़्याल करे कि यह माल जो सदक़ा किया जा रहा है, हक़ तआला शानुहू को दिया जा रहा है तो किस क़दर गुस्ताख़ी और बेअदबी है कि जिस पाक ज़ात का माल है, जिसका अता किया हुआ है उसकी ख़िदमत में तो घटिया क़िस्म का माल पेश करे और ख़ुद अपने लिए उम्दा और बेहतर रखे। इसकी मिसाल उस नौकर या ख़ानसामा की सी है जो आक़ा के लिए तो बासी रोटी और दाल बू दार रखे और अपने लिए क़ोरमा पकाये। ख़ुद ही ग़ौर कर लो कि ऐसे नौकर के साथ आक़ा का क्या मामला होना चाहिए, फिर दुनिया के आक़ाओं को तो हर हर चीज़ की ख़बर भी नहीं होती और उस अलीम व ख़बीर के सामने हर हर बात रहती है बल्कि दिल के ख़्यालात भी हर वक़्त सामने हैं, ऐसी हालत में उसी के माल में से उसी के लिए घटिया और ख़राब चीज़ भेजना किस क़दर नमक हरामी है, और अगर आदमी यह ख़्याल करे कि यह जो कुछ ख़र्च कर

रहा है, वह अपने ही नफ़े के लिए है, उसका बदला निहायत सख़्त एहतियाज के वक़्त अपने ही को मिलता है, तो किस क़दर हिमाक़त की बात है कि आदमी अपने लिए तो सड़ियल घटिया चीज़ें रखे और अच्छा अच्छा माल दूसरों के वास्ते छोड़ जाए।

हदीस में आया है, आदमी कहता है कि मेरा माल, मेरा माल, हालांकि उसका माल सिर्फ़ वह है जो सदक़ा करके आगे भेज दिया या खा कर ख़त्म कर दिया। बाक़ी जो रह गया वह दूसरों का माल है (यानी वारिसों का)

एक हदीस में आया है कि एक दिरम कभी लाख दिरम से बढ़ जाता है और वह इसी तरह से है कि आदमी हलाल कमाई से उम्दा माल तीबे ख़ातिर और सुरूर से ख़र्च करे, बजाए इसके कि मक्रूह माल से एक लाख दिरम ख़र्च करे।

8. आठवां अदब यह है कि अपने सदक़े को ऐसे मौक़े में ख़र्च करे जिससे उसका सवाब बढ़ जाए और छः सिफ़ात ऐसी हैं कि जिसके अंदर उनमें से एक भी सिफ़त हो, उसको देने से सदक़े का सवाब बहुत बढ़ जाता है और जिसमें इनमें से जितनी सिफ़ात ज़्यादा होंगी, उतना ही अज्र भी ज़्यादा होगा, और सवाब के एतिबार से उतना ही सदक़ा भी बढ़ जाएगा।

(अ) मुत्तक़ी परहेज़गार हो, दुनिया से बेरग़बत और आख़िरत के कामों में मशग़ूल हो।

हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद है कि तेरा खाना मुत्तक़ियों के सिवा कोई न खावे। यह हदीस पहली फ़स्ल की अहादीस में नं॰ 23 पर गुज़र चुकी है। और इसकी वज़ह यह है कि मुत्तक़ी आदमी तेरे इस सदक़े से अपने तक़्वे और इताअत में इआनत हासिल करेगा और तू गोया उसके तक़्वे में मुईन (मददगार) हुआ और उसकी इबादत में सवाब का शरीक हुआ।

(ब) अहले इल्म हो, इसलिए कि इससे तेरी इआनत उसके उलूम हासिल करने में और फैलाने में शामिल हो जायेगी और इल्म तमाम इबादतों में अशरफ़ और आला इबादत है, और जितनी भी इल्मी मश्ग़ले में नीयत अच्छी होगी, उतनी ही यह इबादत आला से आला होती जाएगी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह॰ मशहूर मुहद्दिस और बुज़ुर्ग हैं। वह अपनी अताओं को उलमा के साथ मख़्सूस रखते थे। किसी ने अर्ज़ किया कि

अगर ग़ैर आलिमों पर भी आप करम फ़रमाएं तो कैसा अच्छा हो। उन्होंने फ़रमाया कि मैं नुबुव्वत के दर्जे के बाद इल्म के बराबर किसी का दर्जा भी नहीं पाता। जब कोई अहले इल्म में से किसी दूसरी तरफ़ मुतवज्जह होता है तो उसके इल्मी मश्ग़ले में नुक्सान होता है। इसलिए उनको इल्मी मशाग़िल के लिए फ़ारिग़ रखना सबसे अफ़ज़ल है।

(ज) वह शख़्स अपने तक़्वा और अपने इल्म में हक़ीक़ी मुवह्हिद हो और हक़ीक़ी मुवह्हिद होने की अलामत यह है कि जब उस पर कोई एहसान करे तो वह अल्लाह तआला शानुहू का शुक्र करे और दिल से यह बात समझे कि हक़ीक़ी एहसान उसी पाक ज़ात का है, वही असल अता करने वाला है और जो देने वाला ज़ाहिर में दे रहा है वह सिर्फ़ वास्ता और एलची है।

हज़रत लुक़्मान अलै० की अपने बेटे को वसीयत है कि अपने और हक़ तआला शानुहू के दर्मियान किसी दूसरे को एहसान करने वाला मत बना, किसी दूसरे के एहसान को अपने ऊपर तावान समझ। जो शख़्स वास्ते का हक़ीक़ी एहसान समझता है, उसने हक़ीक़ी एहसान करने वाले को पहचाना ही नहीं। उसने यह न समझा कि यह वास्ता है। अल्लाह तआला ही ने उसके दिल में यह बात डाली थी कि फ़लां शख़्स पर एहसान किया जाए, इसलिए वह अपने उस एहसान करने में मजबूर था, और जब आदमी के दिल में यह बात जम जाए तो फिर उसकी निगाह असबाब पर नहीं रहती, बल्कि मुसब्बिबुल अस्बाब पर हो जाती है, और ऐसे शख़्स पर एहसान करना एहसान करने वाले के लिए ज़्यादा नाफ़ेअ होता है और दूसरों के बहुत लंबे चौड़े सना व शुक्र के अल्फ़ाज़ से उस पर एहसान करना कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए कि जो आज एहसान पर लंबी चौड़ी तारीफ़ कर रहा है, वह कल को इआनत रोकने पर उसी तरह बुराईयां शुरू कर देगा, और जो हक़ीक़ी मुवह्हिद होगा, वह कल को मज़म्मत भी न करेगा कि वह वास्ते को वास्ता ही समझता है।

(द) जिस पर सदक़ा किया जाए वह अपनी हाजात और ज़रूरतों का इख़्फ़ा करने वाला हो। लोगों से अपनी क़िल्लते मआश का और आमदनी की कमी का इज़्हार न करता हो। बिलख़ुसूस वह शख़्स जो मुरव्वत वालों में से हो और उसकी आमदनी पहले से कम रह गयी हो लेकिन उस की मुरव्वत की आदत जो आमदनी की ज़्यादती के ज़माने में थी, वह बदस्तूर बाक़ी हो वह दर हक़ीक़त ऐसा ज़रूरतमंद है, जो ज़ाहिर में ग़नी है। ऐसे ही लोगों की तारीफ़ में

अल्लाह जल्ल शानुहू ने फ़रमाया है -

"यह्स-बु हुमुल जाहिलु अग्निया-अ मिनत्तअफ़्फ़ु-फ़ि॰"

यह आयते शरीफ़ा सूर बक़रः के 37 वें रूकूअ् की है। पूरी आयते शरीफ़ा यह है:-

لِلْفُقَرَاۤءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاۤءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ ج لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ
اِلْحَافًا ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ع

"लिल् फ़ु-क़ राइल्लज़ी-न ठह्सिरू फ़ी सबीलिल्ला-हि ला यस्तती अू-न ज़र्बन फ़िल अर्ज़ि यहस-बुहुमुल जाहिलु अग्निया-अ मिनत्तअफ़्फ़ु-फ़ि तअ्रिफ़ु हुम बिसी-मा हुम ला यस् अलू-नन्ना-स इल्हाफ़न् व मा तुन्फ़िक़ू मिन् ख़ैरिन् फ़-इन्नल्ला-ह बिही अलीम॰"

(सूरः बकरः रूकूअ 37)

सदक़ात असल हक़ उन हाजत मंदों का है जो मुक़य्यद हो गये हों, अल्लाह की राह (यानी दीन की ख़िदमत में और उसी ख़िदमते दीन में मुक़य्यद और मश्गूल रहने से वे लोग) तलबे मआश के लिए (कहीं मुल्क में चलने फिरने का) आदतन (इम्कान नहीं रखते और ना वाक़िफ़ शख़्स उनको तवंगर ख़्याल करता है, उनके सवाल से बचने के सबब से) अलबत्ता (तुम उन लोगों को उनके तर्ज़ से पहचान सकते हो वे लोगों से लिपट कर मांगते नहीं फिरते) जिससे कोई उनको हाजतमंद समझे यानी मांगते ही नहीं, क्योंकि अक्सर जो लोग मांगने के आदी हैं, वे लिपट कर ही मांगते हैं, और उन लोगों की ख़िदमत करने को (जो माल ख़र्च करोगे, बेशक हक़ तआला शानुहू को इसकी ख़ूब इत्तिला है) दूसरे लोगों को देने से उनकी ख़िदमत का फ़ी नफ़्सिही सवाब ज़्यादा देंगे।

फ़ायदाः- फ़ी नफ़्सिही की क़ैद इसलिए लगायी कि असल में तो ज़्यादा सवाब इसी में है लेकिन किसी आरिज़ा की वजह से इसके ग़ैर में भी सवाब का ज़्यादा होना मुम्किन है। मसलन उन लोगों की हाजत से ज़्यादा दूसरों को हाजत हो या यह उम्मीद हो कि उनकी ख़िदमत तो कोई और भी कर देगा, दूसरे बिल्कुल महरूम रह जायेंगे। और जहां ये अवारिज़ न हों, वहां के लोग ख़िदमत के लिए अफ़ज़ल हैं, और आरिज़ की वजह से ग़ैर मुत्तक़ी बल्कि ग़ैर मोमिन

के साथ एहसान करने में भी अफ़ज़लियत मुम्किन है, और जानना चाहिए कि हमारे मुल्क में इस आयत के मिस्दाक़ सबसे ज़्यादा वे हज़रात हैं जो उलूमे दीनिया की इशाअत में मशग़ूल हैं। पस इस बिना पर सबसे अच्छा मसरफ़ तालिबे इल्म ठहरे और इन पर जो बाज़ ना तजुर्बाकार यह ताना करते हैं कि इनसे कमाया नहीं जाता, इसका जवाब क़ुरआन में दे दिया गया, जिसका हासिल यह है कि एक शख़्स ऐसे दो काम नहीं कर सकता जिनमें से एक में या दोनों में पूरी मशग़ूली की ज़रूरत हो और जिसको इल्मे दीन का कुछ मज़ाक़ होगा, वह मुशाहदा से समझ सकता है कि इसमें ग़ायत मशग़ुली और इन्हिमाक की हाजत है, इसके साथ इक्तिसाबे माल का शुग़्ल जमा नहीं हो सकता, और इसके करने से इल्मे दीन की ख़िदमत ना तमाम रह जाती है, चुनांचे हज़ारों नज़ाइर पेशे नज़र हैं। *(बयानुल क़ुरआन, कुछ तब्दीली के साथ)*

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि इस आयते शरीफ़ा में फ़ुक़रा से अस्हाबे सुफ़्फ़ा मुराद हैं। अस्हाबे सुफ़्फ़ा की जमाअत भी हक़ीक़त में तलबा ही की जमाअत थी, जो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में ज़ाहिरी और बातिनी उलूम हासिल करने के लिए पड़े हुए थे।

मुहम्मद बिन कअब क़ुरज़ी रह॰ कहते हैं कि इससे अस्हाबे सुफ़्फ़ा मुराद हैं जिनके न घर थे, न कुंबा। हक़ तआला शानुहू ने उन पर सदक़ात की तर्ग़ीब दी है।

क़तादा रह॰ कहते हैं कि वे फ़ुक़रा मुराद हैं, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के रास्ते में जिहाद में रोक रखा है (यानी मशग़ूल कर रखा है) तिजारत वग़ैरह नहीं कर सकते। *(दुर्रे मंसूर)*

इमाम ग़ज़ाली रह॰ फ़रमाते हैं कि ये वे लोग हैं जो सवाल में नहीं लिपटते, उनके दिल अपने यक़ीन की वजह से ग़नी हैं, मुजाहदा-ए-नफ़्स पर ग़ालिब हैं, ऐसे लोगों को ख़ास तौर से तलाश करके दिया जाए और दीनदारों के अन्दरूनी अहवाल की ख़ास तौर से जुस्तजू की जाए कि उनके गुज़रान की क्या सूरत है कि उन पर ख़र्च करने का सवाब भीख मांगने वालों पर ख़र्च करने से कहीं ज़्यादा है, लेकिन ऐसे लोगों की जुस्तजू भी मुश्किल है कि ये अपना हाल दूसरों पर कम ज़ाहिर करते हैं, और इसी वजह से लोग उनको ग़नी समझते हैं।

(ह) यह कि आदमी अयालदार भी हो या किसी बीमारी में मुब्तला हो

या किसी और ऐसे सबब में गिरफ़्तार हो कि कमा नहीं सकता तो वह भी कुरआन पाक की आयते बाला 'उहसिरू फ़ी सबी लिल्लाहि' में दाख़िल है कि वह भी घिरा हुआ है, ख़्वाह अपने फ़क्र में घिरा हुआ हो, या मआश की तंगी में घिरा हुआ हो, या अपनी इस्लाहे क़ल्ब के मश्ग़ले में घिरा हुआ हो कि ये लोग अपनी इन मजबूरियों की वजह से बक़द्रे ज़रूरत कमाने पर क़ादिर नहीं हैं। इसी वजह से हज़रत उमर रज़ि॰ बाज़ घर वालों को दस दस बकरियां या इससे भी ज़ायद देते थे और हुज़ूर सल्ल॰ के पास जब फ़ै का माल आता तो बीवी वाले को दोहरा हिस्सा देते और मुजर्रद (अकेले, बेशादी शुदा) आदमी को इकहरा हिस्सा मरहमत फ़रमाते। फ़ै का माल वह माल कहलाता है जो कुफ़्फ़ार से बग़ैर लड़ाई के हासिल हुआ हो।

(व) यह कि रिश्तेदार हो कि इसमें सदक़े का सवाब अलाहिदा है और सिला-रहमी का अलाहिदा है। तीसरी फ़स्ल की अहादीस में नं॰ 6 पर मज़्मून गुज़र चुका है।

इन छः औसाफ़ को ज़िक्र करने के बाद इमाम ग़ज़ाली रह॰ फ़रमाते हैं कि ये सिफ़ात उस शख़्स में मतलूब हैं जिन पर ख़र्च किया जाए और हर सिफ़त में कमी बेशी के एतिबार से दरजात का बहुत तफ़ावुत है, यानी मसलन तक़्वे की आला क़िस्म और अदना क़िस्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क़ है। क़राबत एक बहुत क़रीब की है और एक बहुत दूर की है, इसी तरह दूसरे औसाफ़ भी हैं, लिहाज़ा हर सिफ़त में आला दर्जे की तलाश अहम है, और किसी शख़्स में ये सारी ही सिफ़ात मौजूद हों तो वह शख़्स बड़ी ग़नीमत चीज़ है और बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, उस पर अपनी कोई चीज़ ख़र्च हो जाने में बड़ी कोशिश और तलाश करना चाहिए। और इन औसाफ़ के साथ मुत्तसिफ़ होने वाले की कोशिश और तलाश करना चाहिये अगर अपनी कोशिश के बाद हक़ीक़त में ऐसा शख़्स मिल गया तो 'नूरून अला नूर' है और दोहरा अज्र है, एक कोशिश का, दूसरा हक़ीक़ी मसरफ़ का, और अगर कोशिश के बाद अपनी तह्क़ीक़ के मुवाफ़िक़ तो इन औसाफ़ के मुत्तसिफ़ ही पर ख़र्च किया था और वह दर हक़ीक़त ऐसा न था बल्कि उसकी मालूमात में ग़लती हो गयी तब भी उसको अपनी कोशिश का एक अज्र तो मिल ही गया कि इस एक अज्र में भी एक तो उसके नफ़्स का बुख़्ल से पाक होना है, दूसरे अल्लाह तआला की मुहब्बत का उसके दिल में ज़ोर से जगह पकड़ना है, और उसकी इताअत में अपनी कोशिश का होना है। और ये

तीनों सिफ़ात ऐसी हैं जो उसके दिल को क़वी करती हैं और दिल में अल्लाह तआला के मिलने का शौक़ पैदा करती हैं, लिहाज़ा ये मुनाफ़े तो बहरहाल हासिल हैं। और अगर दूसरा अज्र भी हासिल हो गया यानी सही मसरफ़ पर ख़र्च हो गया तो इसमें और मज़ीद फ़वाइद हासिल होंगे कि लेने वाले की दुआ और तवज्जोह उसको शामिल होगी, कि अल्लाह के नेक बंदों के दिलों की बड़ी तासीरात और बरकात दुनिया और आख़िरत दोनों के एतिबार से हासिल होती हैं। उनकी तवज्जोह और दुआ में अल्लाह तआला शानुहू ने बड़ी तासीर रखी है।[1]

मुहम्मद ज़करिया कांधलवी

मुक़ीम मदरसा मज़ाहिरे उलूम, सहारनपुर

1. एह्याउल उलूम, कुछ ज़्यादती और इख़्तिसार के साथ।

फ़ज़ाइले सदक़ात

(भाग 2)

शैख़ुल हदीस हज़रत
मौलाना मुहम्मद ज़करिया (रह०)

www.idaraimpex.com

विषय सूची

फ़ज़ाइले सदक़ात हिस्सा दोम

क्या?		कहां?

छठी फ़स्ल ज़ुहद व क़नाअत और सवाल न करने की तर्ग़ीब में

क्या?	कहा?

सातवीं फ़स्ल

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
नह्मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल् करीम॰

छठी फ़स्ल

ज़ुहद व क़नाअत और सवाल न करने की तर्ग़ीब में

तालीफ़ के वक़्त यह सब एक ही रिसाला था, लेकिन तबाअत के वक़्त ज़ख़ामत के बढ़ जाने की वजह से छठी, सातवीं फ़स्ल को अलाहिदा करके हिस्सा दोम क़रार दे दिया कि पढ़ने वालों को इस में शायद सहूलत रहे।

क़नाअत की फ़ज़ीलत, मसाइब पर सब्र की तर्ग़ीब व ताकीद और सवाल करने की मज़म्मत, ये तीनों चीज़ें क़ुरआन पाक और अहादीस में इतनी कसरत से मुख़्तलिफ़ उन्वानात से, मुख़्तलिफ़ मज़ामीन से, मिसालों से, और तंबीहों से, अह्काम से और क़िस्सों से ज़िक्र की गई हैं कि उनको इजमालन और मुख़्तसरन ज़िक्र करना भी बड़ी तफ़्सील को चाहता है, जिनका इस मुख़्तसर रिसाले में इख़्तिसार से लिखना भी रिसाले के तवील हो जाने का सबब है, लेकिन मुख़्तसरन तो करना ही है।

यह मज़्मून दूसरी फ़स्ल के ख़त्म पर गुज़र चुका है कि माल में नफ़ा भी है, नुक़्सान भी है, और तिरयाक़[1] भी है, ज़हर भी है। हुज़ूर सल्ल॰ का पाक

1. अमृत।

इर्शाद है कि हर उम्मत के लिए एक फ़ित्ना होता है मेरी उम्मत का फ़ित्ना माल है, इस लिए इस फ़ित्ने से और इसके ज़हर से अपने को महफ़ूज़ रखना बड़ी अहम चीज़ है, और यह सांप किसी के पास हो तो उस से तिरयाक़ बना लिया जाए तो अपने लिए भी मुफ़ीद है, दूसरों को भी फ़ायदा है, वर्ना इसका ज़हर अपने को भी हलाक करेगा, दूसरों को भी नुक़सान पहुँचायेगा। इसीलिए हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि यह माल सरसब्ज़ व शादाब और मीठी चीज़ है। अगर इसको हक़ के मुवाफ़िक़ (यानी शरओ ज़ाब्ते और तरीक़े के मुवाफ़िक़) हासिल करे और हक़ के मुवाफ़िक़ ख़र्च करे तो काम आने वाली मददगार चीज़ है और जो बग़ैर हक़ के हासिल करे, वह ऐसा है जैसा कि आदमी को "जूउल बक़र"[1] हो जाए कि आदमी खाता रहे और पेट न भरे। *(मिश्कात)*

इमाम ग़ज़ाली रह॰ फ़रमाते हैं कि माल में नफ़ा भी है और नुक़सान भी है, इस की मिसाल सांप की सी है कि जो शख़्स उसका मन्तर जानता है वह सांप को पकड़ कर उसके दांत निकाल देता है,–फिर उस से तिरयाक़ तैयार करता है और उसको देख कर कोई ना वाक़िफ़ शख़्स उस को पकड़ ले तो वह सांप उस को काट लेगा और वह हलाक होगा और उसके ज़हर से वह शख़्स महफ़ूज़ रह सकता है जो पांच चीज़ों का एहतिमाम करे:-

1. यह ग़ौर करे कि माल का मक़्सद क्या है? किस ग़रज़ से यह पैदा किया गया ताकि सिर्फ़ वही ग़रज़ उस से वाबस्ता रखी जाए।

2. माल के आने और हासिल करने के तरीक़ की सख़्ती से निगरानी करे, कहीं उसमें ना जायज़ तरीक़ा शामिल न हो जाए, मसलन ऐसा हदिया जिसमें रिश्वत का शायबा हो, ऐसा सवाल जिसमें ज़िल्लत का अन्देशा हो।

3. हाजत की मिक़्दार से ज़्यादा अपने पास न रहने दे, जितनी मिक़्दार की वाक़ई ज़रूरत है वह तो मजबूरी है, उस से ज़्यादा को फ़ौरन ख़र्च कर दे।

4. ख़र्च के तरीक़ की निगरानी करे, कहीं बे-महल ख़र्च न हो जाए नाजायज़ मौक़े पर ख़र्च न हो जाए।

5. माल की आमद में, ख़र्च में और बक़द्रे ज़रूरत रोकने में हर चीज़ में नियत ख़ालिस रहे, महज़ अल्लाह की रिज़ा मक़्सूद हो, जो रखे या इस्तेमाल में

1. एक बीमारी का नाम है जिसमें भूख ज़्यादा लगती है।

लावे, वह महज़ इस नियत से कि उस से अल्लाह की इताअत में कुव्वत हो, जो ज़रूरत से ज़ायद हो, उसको लग्व व बेकार समझ कर जल्द ख़र्च कर दे, उसको ज़लील समझ कर ख़र्च करे, वकीअ न समझे। इन शराइत के साथ माल का होना मुज़िर नहीं है। इसी लिए हज़रत अली रज़ि॰ का इर्शाद है कि अगर कोई शख़्स सारी दुनिया का माल महज़ अल्लाह तआला के वास्ते लेता है (अपनी ग़रज़ से नहीं), तो वह ज़ाहिद है और अगर बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं लेता और यह न लेना अल्लाह के वास्ते नहीं है (बल्कि किसी दुन्यवी ग़रज़, हुब्बे जाह वग़ैरह की वजह से है) तो वह दुनियादार है। *(एहया)*

एक और हदीस में है कि यह माल सर सब्ज़ और मीठी चीज़ है जो उसको हक़ के मुवाफ़िक़ हासिल करता है उसके लिए उसमें बरकत दी जाती है। एक और हदीस में है कि दुनिया क्या ही अच्छा घर है उस शख़्स के लिए जो इसको आख़िरत का तोशा बनाए और हक़ तआला शानुहू को (इसके ज़रिये) राज़ी कर ले और कितना बुरा है उस शख़्स के लिए जिस को आख़िरत से रोक दे और अल्लाह तआला की रिज़ा में कोताही पैदा कर दे। *(कंज़)*

ग़रज़ बहुत सी रिवायात में यह मज़्मून वारिद हुआ है कि माल अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है अच्छी चीज़ है, कारआमद है और बहुत से दीनी और दुन्यवी फ़वायद उसके साथ वाबस्ता हैं, इसीलिए रोज़ी के कमाने की माल के हासिल करने की तर्ग़ीबात भी अहादीसे में वारिद हुई हैं लेकिन चूंकि इसमें एक ज़हरीला और सम्मी माद्दा है और क़ुलूब आमतौर से बीमार हैं, इस लिए कसरत से क़ुरआन पाक की आयात और अहादीसे शरीफ़ा में इसकी ज़्यादती और कसरत से बचने की तर्ग़ीबें आई हैं। इसकी कसरत को ख़ास तौर से ग़ैर पसंदीदा बल्कि मुहलिक बताया गया, इस लिए हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि अल्लाह जल्ल शानुहू जिस बन्दे से मुहब्बत फ़रमाते हैं दुनिया से उसकी ऐसी हिफ़ाज़त फ़रमाते हैं और उसको एहतिमाम से बचाते हैं जैसा कि तुम लोग अपने बीमार को पानी से बचाते हो। *(मिश्कात)*

हालांकि पानी कैसी अहम और ज़रूरी चीज़ है कि ज़िन्दगी का मदार ही इस पर है, बग़ैर इसके ज़िन्दगी नहीं रह सकती, लेकिन इस सबके बावजूद अगर हकीम किसी बीमार के लिए पानी को मुज़िर बता दे तो कितनी कितनी तरकीबें उसको पानी से रोकने की की जाती हैं और यह क्यों, इसलिए कि माल की कसरत से अमूमन नुक़सानात ज़्यादा पहुंचते हैं और यह इस वजह से है कि हमारे

क़ुलूब ऐसे साफ़ नहीं हैं कि वे इसके नशे से मुतास्सिर न हों, इसी वजह से हुज़ूर सल्ल॰ का पाक इर्शाद है कि तुममें से कोई शख़्स ऐसा है कि जो पानी पर चले और उसके पांव पानी से तर न हों? सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! ऐसा तो कोई भी नहीं है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया यही हाल दुनियादार का है कि उसको गुनाहों से बचना मुश्किल है। *(मिश्कात)*

मुशाहदा भी यही है कि बुख़्ल, हसद, तकब्बुर, उज्ब, कीना, रिया, तफ़ाख़ुर वग़ैरह क़लबी अमराज़ और गुनाह जितने हैं वे माल की वजह से बहुत जल्द और बहुत कसरत से पैदा होते हैं। और इसी तरह आवारगी, शराबनोशी, क़ुमारबाज़ी, सूदख़ोरी वग़ैरह और मुख़्तलिफ़ क़िस्म के शहवानी गुनाह भी इस की वजह से बहुत कसरत से होते हैं, और फिर इसकी तबअी मुहब्बत क़ुलूब में इस दर्जा जगह पकड़े हुए है कि आदमी के पास जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, उस पर हमेशा ज़्यादती का तालिब और उसका कोशां रहता है, चुनांचे मुतअद्दिद रिवायात में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है, अगर आदमी के पास दो जंगल सोने के हों तो वह तीसरे का तालिब होता है और दुनिया का मुशाहदा और तजुर्बा है कि कोई शख़्स किसी मिक़्दार पर भी क़नाअत करने वाला नहीं है। इल्ला माशा अल्लाह। इसी वजह से क़ुरआन पाक और अहादीस में कसरत से क़नाअत की तर्ग़ीबात दी गयी हैं। कि यह "जूउल बक़र" कुछ कम हो। इसी वजह से दुनिया की हक़ीक़त और उसकी गन्दगी और ना पायदारी वाज़ेह की गयी कि इससे मुहब्बत में कमी हो कि जो चीज़ बहरहाल बहुत जल्द ज़ाया होने वाली है उससे आदमी क्या दिल लगाए, दिल लगाने की चीज़ सिर्फ़ वही है जो हमेशा रहने वाली और हमेशा काम आने वाली हो। और इसी वजह से सब्र की ताकीद और तर्ग़ीब कसरत से वारिद हुई कि आदमी उसकी कमी को मुतलक़न मुसीबत न समझे, बल्कि उसमें भी बसा औक़ात अल्लाह की बड़ी हिक्मतें मुज़्मर (छिपी) होती हैं। अल्लाह तआला का पाक इर्शाद है-

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ (شوریٰ ع ۳)

व लौ ब-स-तल्लाहुर्रिज़्-क़ लि अिबादि-ही॰ (आयत)

(शूरा, रुकूअ 3)

अगर अल्लाह तआला अपने बंदों में रिज़्क़ की ज़्यादती, वुसअत फ़रमा दे तो वे ज़मीन में सरकशी शुरू कर दें, चुनांचे तजुर्बा भी यही है कि जहां इसकी

कसरत है वहीं हद से ज़्यादा फ़सादात हैं, और चूंकि इस की फ़रावानी मक़सूद नहीं और लोगों के दिल इसकी तरफ़ तबअन मुतवज्जह होते हैं इसी वजह से सवाल करने की मुमानअत, उसकी क़बाहत (बुराई) कसरत से ज़िक्र की गयी, कि आदमी माल की मुहब्बत और कसरत की फ़िक्र में बिला मजबूरी भी सवाल करने लगता है कि इसमें मेहनत तो कुछ करनी नहीं पड़ती, ज़रा सी ज़बान हिलाने से कुछ न कुछ मिल ही जाता है जिससे माल में इज़ाफ़ा हो जाता है। इन्हीं तीन मज़ामीन क़नाअत, मसाइब पर सब्र और सवाल की मज़म्मत के मुताल्लिक़ कुछ आयात और कुछ अहादीस इस जगह लिखी जाती हैं :

आयात

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِo قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا
عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِo اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ o اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ
وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِo (ال عمران ع ۲)

तर्जुमा:- आरास्ता कर दी गई लोगों के लिए ख़्वाहिशात की मुहब्बत (मसलन) औरतें हुईं, और बेटे हुए और ढेर लगे हुए सोने और चांदी के, और निशान लगे हुए (यानी उम्दा और आला) घोड़े और दूसरे मवेशी और ज़राअत (लेकिन ये सब चीज़ें) दुन्यवी ज़िन्दगी की इस्तेमाली चीज़ें हैं और अंजामकार की खूबी (और काम आने वाली चीज़ तो) अल्लाह ही के पास है (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम उनसे कह दो क्या मैं तुम को ऐसी चीज़ बता दूं जो (बदरजहा) बेहतर हो। इन सब चीज़ों से (वह क्या है ग़ौर से सुनो) ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह तआला से डरते हैं उनके रब के पास ऐसे बाग़ हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं उनमें वे लोग हमेशा रहेंगे, और उनके लिए वहां ऐसी बीवियां हैं जो हर तरह पाक साफ़ सुथरी हैं और (इन सबसे बढ़ कर

चीज़) अल्लाह की ख़ुश्नूदी है और अल्लाह तआला बन्दों (के अह्वाल) को ख़ूब देखने वाले हैं (ये लोग जिनके लिए यह आख़िरत की चीज़ें हैं ऐसे लोग हैं) जो कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार! हम ईमान ले आये हैं पस आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए और हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा दीजिए। ये लोग (वे हैं जो मुसीबतों पर) सब्र करने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं (अल्लाह तआला के सामने) आजिज़ी करने वाले हैं और (नेक कामों में माल) ख़र्च करने वाले हैं और पिछली रात में गुनाहों की माफ़ी चाहने वाले हैं। *(आले इमरान, रूकूअ् 2)*

फ़ायदा – हक़ तआला शानुहू ने इन सब चीज़ों की मुहब्बत को शहवतों की मुहब्बत से ताबीर किया है। इमाम ग़ज़ाली रह॰ फ़रमाते हैं कि शहवत की इफ़रात ही का नाम इश्क़ है जो बीमारी है ऐसे दिल की जो तफ़क्कुरात से ख़ाली हो। उसका इलाज इब्तिदा ही से करना ज़रूरी है कि उसकी तरफ़ नज़र कम कर दे, उसकी तरफ़ इल्तिफ़ात कम कर दे, वर्ना जब इल्तिफ़ात बढ़ जायेगा तो हटाना मुश्किल हो जाएगा। और इब्तिदा में बहुत सह्ल है। यही हाल है हर चीज़ के इश्क़ का, माल हो, जाह हो, जायदाद हो, औलाद हो, हत्ता की परिंदों (कबूतर वग़ैरह) से खेलने का और शतरंज वग़ैरह से खेलने का भी यही हाल है, कि ये सब चीज़ें जब आदमी पर मुसल्लत हो जाती हैं तो उसकी दीन और दुनिया दोनों को बर्बाद कर देती हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई शख़्स सवारी पर सवार है, अगर वह जानवर की बाग़ उसी वक़्त दूसरी तरफ़ फेर दे, जब वह बे-जगह जाने का रूख़ कर रहा हो तो उस वक़्त बहुत आसानी से वह जगह पर पड़ सकता है, लेकिन जब वह जानवर किसी दरवाज़े में घुस जाए और सवार फिर दुम पकड़ कर पीछे खीचना चाहे तो फिर बड़ी सख़्त दुश्वारी हो जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों की मुहब्बत को इब्तिदा ही से निगाह में रखे, कि ऐतिदाल से न बढ़ने दे। *(एह्या)*

उलमा ने फ़रमाया है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वे तीन क़िस्म में दाख़िल हैं, मादनियात, नबातात, हैवानात। हक़ तआला शानुहू ने इन आयात में तीनों की मिसालें ज़िक्र फ़रमा कर दुनिया की सारी ही चीज़ों पर मुतनब्बह फ़रमा दिया। बीवियों और बेटों को ज़िक्र फ़रमा कर आल व औलाद, अज़ीज़ व अक़ारिब, अहबाब, ग़रज़ इंसानी महबूबों पर तंबीह फ़रमा दी और सोने चांदी को ज़िक्र फ़रमा कर सारी मादनियात पर, घोड़े, मवेशी को ज़िक्र फ़रमा कर हर

क़िस्म के जानवरों पर और खेती से हर क़िस्म की पैदावार पर और यही चीज़ें सारी दुनिया की कायनात में हैं। (एह्या)

सबको गिनवाकर उन पर तंबीह फ़रमा कर इर्शाद फ़रमा दिया कि ये सब की सब इस चंद रोज़ा ज़िन्दगी के गुज़रान की चीज़ें हैं, इनमें से कोई चीज़ भी मुहब्बत के क़ाबिल नहीं, दिल लगाने के क़ाबिल नहीं, दिल लगाने की चीज़ें सिर्फ़ वही हैं जो पायदार हैं, हमेशा रहने वाली हैं, हमेशा काम आने वाली हैं, और उनमें सबसे बढ़कर अल्लाह की रिज़ा है, उसकी ख़ुश्नूदी है। वह दुनिया और आख़िरत की हर चीज़ पर फ़ाइक़ है, हर चीज़ से बढ़कर है। दूसरी जगह जन्नत की नेमतों का ज़िक्र फ़रमा कर इर्शाद है:-

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٥ (توبہ ع ١٠)

व रिज़्वानुम् मिनल्लाहि अक्बर॰ ज़ालि-क हुवल् फ़ौज़ुल्अज़ीम॰

(तौबा, रूकूअ् 10)

कि अल्लाह तआला की रज़ामंदी उन सब चीज़ों से बढ़ी हुई है और वही चीज़ है जो बड़ी कामियाबी है और हक़ीक़त भी यही है कि अल्लाह तआला की रज़ामंदी की बराबरी न दुनिया की कोई चीज़ कर सकती है न आख़िरत की कोई नेमत उसके बराबर है। आयते बाला में दुनिया की सारी मरग़ूबात को तफ़्सील से ज़िक्र फ़रमा कर इस पर मुतनब्बह कर दिया कि ये सब महज़ दुन्यवी ज़िन्दगी के अस्बाब हैं, और फिर बार बार क़ुरआन पाक में इस चीज़ पर तंबीह फ़रमायी गई, मुख़्तलिफ़ उन्वानात से नसीहत की गयी, कहीं दुनिया की तलबी की मज़म्मत की गयी, कहीं दुनिया को तरजीह देने वालों की क़बाहत बयान की गयी, कहीं उस की बे सबाती पर तंबीह की गयी, कहीं उसको महज़ धोखा बताया गया, ताकि इस हक़ीक़त को अच्छी तरह ज़ेहन नशीन कर लिया जाए कि दुनिया और दुनिया की हर चीज़ महज़ आरज़ी, महज़ ज़रूरत पूरा करने की चीज़ है, न यह दायमी है, न दिल लगाने की चीज़ है। इसी सिलसिले की चंद आयात पर इस जगह तंबीह करता हूँ :-

(١) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُوْنَ ٥ (بقرہ ع ١٠)

1. यही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िन्दगी को आख़िरत के बदले में ख़रीद लिया, पस न तो उनके अज़ाब में तख़्फ़ीफ़ की जायेगी, न

उनकी किसी क़िस्म की मदद की जाएगी।

(٢) فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ۚ (بقره ع ٢٥)

2. पस कुछ आदमी तो ऐसे हैं जो यों कहते हैं कि ऐ हमारे रब! हमें तो जो कुछ देना है दुनिया ही में दे दे। (पस उनको तो जो कुछ मिलना होगा दुनिया ही में मिल जाएगा) उनके लिए आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है। और बाज़ लोग यों कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हमको दुनिया में भी भलाई अता फ़रमा, और आख़िरत में भी भलाई अता फ़रमा और हमें दोज़ख़ के अज़ाब से बचा ले, यही लोग हैं जिनके लिए हिस्सा है उस चीज़ से जो उन्होंने (नेक आमाल से) कमाया है।

(٣) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ (بقره ع ٢٥)

3. और बाज़ आदमी बेच देते हैं अपनी जान को अल्लाह की रिज़ा की चीज़ों में, अल्लाह तआला ऐसे बंदो पर मेहरबान हैं।

(٤) زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○ (بقره ع ٢٦)

4. दुन्यवी मआश कुफ़्फ़ार के लिए आरास्ता कर दी गयी और वे मुसलमानों के साथ तमस्ख़ुर करते हैं हालांकि ये मुसलमान जो कुफ़्र व शिर्क से बचते हैं, क़ियामत के दिन उन काफ़िरों से (दर्जों में) बुलंद होंगे और (आदमी को महज़ फ़राग़े मओशत पर ग़ुरूर न करना चाहिए क्योंकि) रोज़ी तो अल्लाह तआला जिसको चाहते हैं, बे हिसाब दे देते हैं। (इसलिए महज़ अमीर होना कोई फ़ख़्र की चीज़ नहीं है।)

(٥) وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ (ال عمران ع ١٤)

5. और ये (दुनिया की ज़िन्दगी के) दिन उनको हम लोगों के दर्मियान अदलते बदलते रहते हैं। (यानी कभी एक क़ौम ग़ालिब हो गयी, कभी दूसरी ग़ालिब हो गयी) इसलिए ग़ालिब या मग़लूब होने की फ़िक्र से ज़्यादा अहम और ज़्यादा ज़रूरी आख़िरत की फ़िक्र है।

(٦) قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ج وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى قف وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝
اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ط (نساء ع ١١)

6. आप कह दीजिए कि दुनिया का तमत्तोअ बहुत थोड़ा (चंद रोज़ा है) और आख़िरत हर तरह से बेहतर है उस शख़्स के लिए जो अल्लाह तआला से डरता हो और तुम पर ज़र्रा बराबर भी ज़ुल्म न किया जाएगा। तुम चाहे कहीं भी हो, वहां ही मौत आकर रहेगी, अगरचे तुम क़लई चूना के क़िलों ही में क्यों न हो (फिर जब मरना बहरहाल है तो उसकी फ़िक्र हर वक़्त रहना चाहिए)

(٧) وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ج تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ز فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ط (نساء ع ١٣)

7. और ऐसे शख़्स को जो तुम्हारे सामने इताअत (की अलामत) डाल दे (मसलन अस्सलामु अलैकुम करे या कलिमा पढ़े) यों मत कह दिया करो कि तू (दिल से) मुसलमान नहीं, तुम दुन्यावी ज़िन्दगी का सामान ढूंढते हो, हालांकि अल्लाह तआला के पास बहुत से ग़नीमत के माल हैं। *(सूर: निसा, रुकूअ 13)*

फ़ायदा – ये आयतें इस पर तंबीह हैं कि बाज़ मुसलमानों ने बाज़ काफ़िरों को जो अपने को मुसलमान बताते थे माले ग़नीमत के शौक़ में क़त्ल कर दिया था, इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं कि महज़ दुनिया कमबख़्त का माल कमाने के लिए यह नापाक हरकत की गयी। बहुत सी अहादीस में इन वाक़िआत को तफ़्सील से ज़िक्र किया गया। एक हदीस में यह भी आया है कि एक मुसलमान ने एक काफ़िर पर हमला किया, उसने जल्दी से कलिमा पढ़ लिया, उस मुसलमान ने फिर भी उसको क़त्ल कर दिया। हुज़ूर सल्ल० को जब इसकी

इत्तिला हुई तो हुज़ूर सल्ल॰ ने उस मुसलमान से मुतालबा किया। उसने ये माज़िरत की कि उस शख़्स ने महज़ डर की वजह से कलिमा पढ़ा था। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि तूने उसके दिल को चीर कर देख लिया था कि उसने डर की वजह से पढ़ा है? इसके बाद उस मुसलमान की मौत बहुत बुरी तरह से हुई। (दुर्रे मंसूर)

हक़ तआला शानुहू ने हुदूद से तजावुज़ की इजाज़त किसी जगह नहीं दी, दूसरा मज़्मून शुरू हो जाएगा इसलिए इसको नहीं लिखता, लेकिन महज़ दुन्यवी अग़राज़ की वजह से कुफ़्फ़ार पर ज़्यादती को भी शरीअत हरगिज़ इजाज़त नहीं देती। बहुत सी आयात, बहुत सी रिवायात इस मज़्मून में वारिद हैं। सूरः माइदः के शुरू में हक़ तआला शानुहू का इर्शाद है :-

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ (مائده ع ٢)

'ला यजरिमन्न-कुम शन-आनु क़ौमिन्'

(आयत, माइदः रूकूअ 2)

'यानी कुफ़्फ़ारे मक्का ने जो तुम को हुदैबिया के उमरः के मौक़े पर मक्का में दाख़िल होने से रोक दिया और बग़ैर उमरः के तुमको मक्का मुकर्रमा के क़रीब से नाकाम वापस होना पड़ा, इसका ग़ुस्सा तुम को हुदूद से न निकलने दे, ऐसा हरगिज़ न हो कि तुम तअद्दी करने लगो, नेकी और तक़्वे में एक दूसरे की इआनत करो और गुनाह और ज़ुल्म में किसी की इआनत (मदद) न करो।' इस सूर-ए-शरीफ़ के दूसरे रूकूअ में इर्शाद है:-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰامِيْنَ

'या अय्युहल्लज़ी-न आमनू कूनू क़व्वामी-न॰'

(आयत, माइदः, रूकूअ 2)

'ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह तआला की ख़ुश्नूदी के लिए उसके अहकाम की पूरी पाबन्दी करने वाले बनो और (कहीं नौबत आ जाए तो) गवाही इंसाफ़ के साथ दो। किसी क़ौम के साथ अदावत तुमको अदल व इंसाफ़ से न हटावे। ग़रज़ बहुत सी जगह इन उमूर पर तंबीह की गयी, दुनिया की मुहब्बत आदमी की अक़्ल को भी बेकार कर देती है।

(٨) وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ (انعام ع ٤)

8. और दुन्यवी ज़िन्दगानी कुछ भी नहीं है सिवाए लअिब व लह्व के, और आख़िरत का घर मुत्तक़ियों के लिए बेहतर है, क्या तुम्हें अक़्ल नहीं है (जो ऐसी साफ़ वाज़ेह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि दुनिया के इस लह्व व लअिब को आख़िरत की उम्दा ज़िन्दगी से कुछ भी मुनासबत नहीं है।) *(सूरः अनआम रूकूअ 4)*

(۹) وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا (انعام ع٨)

9. ऐसे लोगों से बिलकुल किनारा कश (यक्सू और अलाहिदा) रहो, जिन्होंने अपने दीन को लह्व व लअिब बना रखा है और दुन्यवी ज़िन्दगी ने उनको धोखे में डाल रखा है। *(अनआम रूकूअ 8)*

(۱۰) وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ج (انعام ع ۱۱)

10. और तुम हमारे पास (मरने के बाद) तंहा तंहा होकर आ गए, जिस तरह हमने तुमको दुनिया में अव्वल मर्तबा पैदा किया था (कि हर शख़्स अलग अलग पैदा होता था) और जो कुछ हमने तुमको (दुनिया में माल व मताअ, साज़ व सामान) अता किया था, उसको वहीं छोड़ आए। *(सूरः अनआम, रूकूअ 11)*

फ़ायदा - यानी जिस तरह आदमी मां के पेट से बग़ैर माल व मताअ पैदा होता है, उसी तरह क़ब्र की गोद में तने तन्हा जाता है। यह सब कुछ माल व मताअ यहां का यहां ही रह जाएगा, बजुज़ (सिवाए) उसके जो अल्लाह तआला के यहां अपनी ज़िन्दगी में जमा करा दिया हो कि वह सब जमा शुदा माल वहां पूरा का पूरा मिल जायेगा, बल्कि सरकारी ख़ज़ाने से उसमें इज़ाफ़ा भी मिलेगा।

(۱۱) وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا (اعراف ع۱٦)

11. और दुनिया की ज़िन्दगी ने उनको धोखे में डाल रखा है। *(अअ्राफ़, रूकूअ 16)*

(۱۲) فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا (اعراف ع ۲۱)